"बिजनेस पोस्ट" के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर 2008—भाद्र 25, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक 8850/डी.242/21-अ/प्रा./छ. ग./08.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12-9-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 21 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008

विषय सूची

खण्ड :—

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ
2 परिभाषाएं
3 विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन
4 विश्वविद्यालय का उद्देश्य
5 विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कृत्य
6 क्षेत्राधिकारिता एवं विशेषाधिकारों का दिया जाना
7 विश्वविद्यालय सभी वर्गों एवं धार्मिक विश्वास के लिए खुला है
8 विश्वविद्यालय के अधिकारी
9 कुलाधिपति एवं उसकी शक्तियाँ
10 कुलाधिपति द्वारा निरीक्षण या जांच एवं निर्देश
11 कुलपति की नियुक्ति एवं हटाया जाना
12 कुलपति की शक्तियां
13 विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कुलपति की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य
14 कुल सचिव
15 संकायाध्यक्ष
16 वित्त एवं लेखाधिकारी
17 अन्य अधिकारी
18 विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
19 प्रबंधन बोर्ड
20 प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां एवं कर्तव्य
21 विद्या परिषद
22 विद्या परिषद् की शक्तियां एवं कर्तव्य
23 संकाय
24 संकायों की संरचना
25 संकायों के कृत्य
26 अध्ययन बोर्ड
27 वित्त एवं लेखा समिति
28 खेल–कूद एवं छात्र कल्याण बोर्ड
29 विश्वविद्यालय के अन्य निकाय
30 परिनियम
31 परिनियम किस प्रकार बनाएं
32 अध्यादेश

34 विनियम
35 संबद्धता
36 संबद्धता का विस्तार
37 अनुसंधान एवं विशेषज्ञीय अध्ययन के संस्थानों की मान्यता
38 संस्थानों का अनुमोदन
39 सम्बद्धता का प्रत्याहरण
40 मान्यता या अनुमोदन का प्रत्याहरण
41 विश्वविद्यालय निधि
42 उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा
43 वार्षिक प्रतिवेदन
44 लेखाओं की संपरीक्षा
45 छात्रों का नामांकन
46 स्नातकोत्तर अध्यापन
47 छात्रों का आवास
48 मानद् उपाधि
49 उपाधि या पत्रोपाधि का वापस लिया जाना
50 समितियां
51 महाविद्यालय तथा अन्य निकायों का निरीक्षण
52 परीक्षकों एवं अनुसीमकों की नियुक्ति
53 अध्यापन पदों पर नियुक्ति
54 अध्यापकों को विश्वविद्यालय द्वारा देय वेतन
55 आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना
56 सेवा शर्तें
57 पेंशन एवं भविष्य निधि
58 शिक्षण देने के लिए अनुमोदन
59 अध्यापकों का वर्गीकरण
60 राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी
61 कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपांतरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्तियाँ
62 परिणाम जो धारा 61 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर होगा
63 विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद
64 विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होगा
65 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
66 विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्यों की पदावधि
67 विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र
68 प्राधिकारी का सदस्य रहने के लिये निरर्हता
69 स्नातकों के रजिस्टर से किसी स्नातक या पत्रोपाधिधारकों के नाम हटाने या विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति
70 कठिनाईयों का निराकरण

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 21 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008

आधुनिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, लोक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य विज्ञान के दक्ष और व्यवस्थित शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एक अध्यापन, अनुसंधान और सम्बद्धक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उन्सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, :–

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत किया जाए।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "सम्बद्ध संस्था" से अभिप्रेत है, धारा 6 या 35 के अधीन सम्बद्ध संस्था;

(ख) "अनुमोदित संस्था" से अभिप्रेत है, धारा 6 या 33 के अधीन अनुमोदित संस्था;

(ग) "प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 18 में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्राधिकारी;

(घ) "आयुष" से अभिप्रेत है, अष्टांग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी पद्धति चाहे ऐसे आधुनिक अभिवर्धनों द्वारा अनुपूरित हो या न हो जो चिकित्सा की भारतीय पद्धति के मौलिक सिद्धांतो से संगत हो और जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे ;

(ङ) "प्रबंधन बोर्ड" से अभिप्रेत है, धारा 19 में विनिर्दिष्ट बोर्ड;

(च) "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्" से अभिप्रेत है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का सं0 48) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय परिषद्;

(छ) "होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्" से अभिप्रेत है, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का सं. 59) की धारा 3 के अधीन गठित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् ;

(ज) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ;

(झ) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों हेतु स्वीकृति प्राप्त संस्था तथा इसमें एक विश्वविद्यालय महाविद्यालय सम्मिलित है ;

(ञ) "भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्" से अभिप्रेत है, दन्त चिकित्सा अधिनियम 1948 (1948 का सं. 16) की धारा 3 के अधीन गठित परिषद्;

(ट) "संकायाध्यक्ष" से अभिप्रेत है,संकाय या महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष ;

(ठ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें सम्मिलित हैं, विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द;

(ड) "संकाय" से अभिप्रेत है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, लोक स्वास्थ्य या विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित अध्ययन का कोई अन्य संबंधित संकाय ;

(ढ) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है, धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त एवं लेखा समिति ;

(ण) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल;

(त) "स्वास्थ्य विज्ञान" से अभिप्रेत है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, लोक स्वास्थ्य और संबंधित अध्ययन संकाय;

(थ) "छात्रावास" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्था द्वारा संधारित विद्यार्थियों के लिए आवास की इकाई;

(द) "संस्था" से अभिप्रेत है , स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा, अध्यापन और प्रशिक्षण देने में तथा अनुसंधान और विकास में लगी हुई कोई शिक्षा संस्था ;

(ध) "भारतीय उपचर्या परिषद्" से अभिप्रेत है, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का सं. 48) की धारा 3 के अधीन गठित परिषद्;

(न) "अध्यापन निर्देश" से अभिप्रेत है, अध्यापन और प्रशिक्षण या अनुसंधान एवं विकास या अन्य जिम्मेदारियों को निभाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित अध्यापन निर्देश ;

(प) "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्" से अभिप्रेत है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम,1956 (1956 का सं. 102) की धारा 3 के अधीन गठित परिषद्;

(फ) "आधुनिक चिकित्सा पद्धति" से अभिप्रेत है, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति एवं संबंधित विज्ञान;

(ब) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन की अधिसूचना क्र. एफ 8–5/ पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 तथा समय–समय पर यथा संशोधित द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग;

(भ) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय का प्रमुख और इसमें महाविद्यालय का डीन सम्मिलित है;

(म) "मान्यता प्राप्त संस्था " से अभिप्रेत है, धारा 6 या 37 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था ;

(य) "अनुसूचित जातियॉ" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियॉ ;

(कक) "अनुसूचित जनजातियॉ " से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियॉ;

(खख) "राज्य सरकार " से अभिप्रेत है , छत्तीसगढ़ राज्य सरकार;

(गग) "परिनियम, अध्यादेश" और "विनियम" से अभिप्रेत है, तत्समय इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमश: परिनियम, अध्यादेश और विनियम;

(घघ) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा देने के लिए यथा नियुक्त किए गए प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, प्रवाचक, सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता और ऐसे अन्य व्यक्ति;

(ङङ) "विश्वविद्यालय महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु स्थापित या संधारित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसके द्वारा संधारित कोई महाविद्यालय;

(चच) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्या 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ;

(छछ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन गठित छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय;

(जज) "विश्वविद्यालय विभाग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित कोई अनुसंधान संस्था या विभाग;

(झझ) "कुलपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति;

(ञञ) "अतिथि प्राध्यापक" से अभिप्रेत है, संविदा में उल्लिखित छः माह से अनधिक की अल्प अवधि के लिए प्रबंधन बोर्ड द्वारा आमंत्रित प्राध्यापक।

विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन

3. (1) छत्तीसगढ़ राज्य में एक विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा, जिसका नाम छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय होगा;

(2) धारा–13 के अधीन विश्वविद्यालय में नियुक्त किए गए कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड और विद्या–परिषद् के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते है, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता को धारण किये रहते हैं, "छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ,

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर में होगा ;

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ,

(5) विश्वविद्यालय जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित करने, अपनी आस्तियों की प्रतिभूति पर उधार लेने और संविदा करने और दान प्राप्त करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा ,

परन्तु राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना स्थावर संपत्ति का ऐसा कोई पट्टा, विक्रय या अन्तरण नहीं किया जायेगा ।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई उधारी में वृद्धि करने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

4. विश्वविद्यालय का उद्देश्य साधारणतः शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार शिक्षा और सेवा और प्रभावी प्रदर्शन द्वारा चिकित्सा की स्वास्थ्य विज्ञान और समझ के ज्ञान का प्रसार, सृजन और परिरक्षण करना होगा और विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

(1) स्वास्थ्य विज्ञान के नये अविष्कारों के अपने उत्तरदायित्व को निभाना और, उसके ज्ञान का परिरक्षण और प्रसार करना ;

(2) विश्वविद्यालय को स्थानीय और क्षेत्रीय स्वास्थ्य--समस्याओं के साथ निकटतापूर्वक सहयोजित करके व्यक्तियों और समाज के समग्र स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए ज्ञान और दक्षता के फायदों का विस्तार करना ;

(3) स्वास्थ्य विज्ञान में अनुसंधान और विशेषज्ञता को सुकर बनाना ;

(4) तीव्र गति से विकासशील और परिवर्तनशील समाज में ज्ञान के अर्जन का प्रोन्नयन करना और आधुनिक संचार माध्यमों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके चिकित्सा की भारतीय पद्धति से समस्त क्षेत्रों में खोज को उन्नत करने के निरन्तर अवसर देना ;

(5) शैक्षणिक और सहबद्ध कार्यक्रमों और संसाधन उत्पादक सेवाओं को लागत प्रभावी रीति से हाथ में लेकर वित्तीय आत्मनिर्भरता स्थापित करना ;

(6) देश के विभिन्न भागों और बाहर के समस्त विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक केन्द्र के रूप में कार्य करना;

(7) सभी सम्बद्ध संस्थाओं में समान पाठ्यक्रम को बनाए रखना ;

(8) सभी सम्बद्ध संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना; और

(9) चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के स्तर को उन्नत करना ।

वेश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कृत्य

5. इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात् :–

(1) भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान के समस्त महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के लिए समरूप पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली को बनाए रखना ;

(2) समस्त संबंधित चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना ;

(3) स्वास्थ्य विज्ञान की ऐसी शाखाओं में शिक्षण, निर्देश तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जिन्हें वह उपयुक्त समझे, उक्त पद्धति के ज्ञान के अनुसंधान, अभिवर्धन और प्रसार के लिए विचार करना और स्वास्थ्य विज्ञान के ज्ञान का प्रसार करना ;

(4) ऐसे उपबंध करना जो संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं और अनुमोदित संस्थाओं का अध्ययन संबंधी विशेषज्ञता का उत्तरदायित्व लेने के लिए समर्थ बनायें ;

(5) शिक्षण और अनुसंधान के लिए सामान्य औषध निगाह प्रयोगशालाएं, औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय, औषधालय और अन्य उपस्कर स्थापित और संचालित करना ;

(6) महाविद्यालयों, सम्बद्ध महाविद्यालयों, विभागों, अनुसंधान या विशेषज्ञीय अध्ययन के केन्द्रों और संस्थानों को स्थापित करना, संभालना, चलाना, प्रबंध करना और पर्यवेक्षण करना ;

(7) आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापकों के कोई भी अन्य पद स्थापित करना ;

(8) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के आचार्यों, उपाचार्यों या प्राध्यापकों के रूप में या अन्यथा अध्यापकों के रूप में नियुक्त करना या मान्यता देना ;

(9) महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों या मान्यता प्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं में अध्यापन के लिए मार्गदर्शन करना ;

(10) उपाधि उपाधि पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं को स्थापित करना उसके प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करना;

(11) चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न विभागों को प्रारम्भ करना, स्तर बढ़ाना एवं विकसित करना तथा आवश्यकतानुसार उनके प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करना;

(12) उपाधि, उपाधि पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को ऐसे व्यक्ति को प्रदान करना जो विहित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय अथवा इससे संबंधित मान्यता प्राप्त केन्द्र में शोध किया हो ;

(13) उपाधि, उपाधि पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के रोके जाने संबंधी स्थिति का निर्धारण करना ;

(14) परीक्षाएं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना जिन्होंने–

(क) विश्वविद्यालय में या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रमानुसार, जब तक कि उनसे परिनियमों, अध्यादेशों और नियमों द्वारा विहित रीति से छूट न दे दी गयी हो, अध्ययन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है ; या

(ख) अध्यादेशों या विनियमों, द्वारा विहित शर्तों के अधीन अनुसंधान किया है ;

(15) परिनियमों द्वारा अधिकथित रीति से मानद् उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना ;

(16) ऐसे व्यक्तियों को और उनके लिए, जो विश्वविद्यालय के नामांकित विद्यार्थी नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना, और ऐसे व्याख्यान, शिक्षण और प्रशिक्षण का उपबंध करना, जैसा कि परिनियमों, अध्यादेशों और नियमों द्वारा अवधारित किया जाये ;

(17) विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक महाविद्यालय, हास्पिटल, प्रयोगशाला, लायब्रेरी एवं अन्य संस्थाओं को स्थापना, संधारण प्रशासनिक व्यवस्था करना ;

(18) महाविद्यालय और संस्थाओं को संबद्ध करना, अनुमोदन देना या मान्यता देना तथा ऐसी संबद्धता, अनुमोदन या मान्यता वापस लेना ;

(19) शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और ऐसे विशेषाधिकार वापस लेना ;

(20) महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं और अनुमोदित संस्थाओं का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए अध्युपाय करना कि शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण के समुचित स्तरमान बनाये रखे गये हैं और उनमें पुस्तकालय और प्रयोगशाला के पर्याप्त उपबंध किये गये हैं ;

(21) सम्बद्ध महाविद्यालयों, अनुमोदित संस्थाओं और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के कियाकलापों का नियंत्रण और समन्वय करना और उन्हें वित्तीय सहायता देना ;

(22) न्यास और विन्यास धारण करना और प्रबंध करना और अध्येतावृत्तियां, यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां अध्ययनवृत्तियां पदक और पुरस्कार संस्थित और प्रदत्त करना ;

(23) ऐसी फीस और अन्य प्रभार जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें नियत करना, मांगना और प्राप्त या वसूल करना ;

(24) विश्वविद्यालय के छात्रावास, छात्रावासों का अनुशासन, समन्वय, पर्यवेक्षण, विनियमन और नियंत्राण करना और रहने वाले छात्रों के साधारण कल्याण की अभिवृद्धि करने की व्यवस्था करना ;

(25) छात्रावास स्थापित करना, संधारित करना और उनका प्रबंध करना;

(26) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता देना, ऐसे छात्रावासों का निरीक्षण करना और उनसे मान्यता वापस लेना ;

(27) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण और अनुशासन का समन्वय, पर्यवेक्षण, विनियमन और नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य और साधारण कल्याण की अभिवृद्धि करने की व्यवस्था करना ;

(28) विश्वविद्यालय केन्द्रों,सम्बद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय द्वारा मान्य का समन्वय, पर्यवेक्षण, विनियमन और नियंत्रण करना ;

(29) परिनियम, अध्यादेश या विनियम में दिए गए कोई संकाय या किसी संकाय में ऐसे विभागों को स्थापित करना एवं प्रबंधन करना ;

(30) निम्नलिखित के लिए उपबंध करना–

(क) निवेश–बाह्य शिक्षण और अन्य मान्य क्रियाकलाप जो परिनियम, अध्यादेश या विनियम में प्रावधानित हों ;

(ख) शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सामाजिक सेवाओं,

(ग) खेल और छात्र कल्याण ;

(31) ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों से सहयोग करना ;

(32) अनुसंधान–विदों, छात्रों, आचार्यों, वैद्यों, चिकित्सा व्यवसायियों और स्वास्थ्य विज्ञान में रूचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को व्याख्यान, शिक्षा देने या चिकित्सा की स्वास्थ्य विज्ञान के अध्ययन में अन्यथा सहायता देनें के लिए आमंत्रित करना और उनके वेतन, मानदेय और उन्हें संदेय अन्य खर्चे नियत करना;

(33) स्वास्थ्य विज्ञान विषय पर पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, नियतकालिक पत्रिकाओं,पेम्पलेटों और पत्रों का संग्रह करना, सम्पादन या प्रकाशन करना और तत्प्रयोजनार्थ कर्मशाला स्थापित करना और मुद्रणालय खोलना;

(34) स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य करना या उसमें सहायता करना;

(35) किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कालावधियों के लिए विश्वविद्यालय के सहायक आचार्यों, सहायक उपाचार्यों, सहायक प्राध्यापकों, अतिथि आचार्यों के रूप में नियुक्त करना या मान्यता देना;

(36) विदेशी अभिकरणों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं आदि से, सहयोग कार्यक्रमों के लिए उस निमित केन्द्रीय और राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, निधियां प्राप्त करना;

(37) उस उद्देश्य से संगत प्रयोजन के लिए अनुदान, अभिदाय और दान प्राप्त करना जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है;

(38) महाविद्यालयों या संस्थाओं और विश्वविद्यालय के अध्यापकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के कार्य के कालिक निर्धारण की व्यवस्था करना;

(39) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों की आनुषंगिक हों या न हों, और सामान्यतया भारतीय चिकित्सा पद्धति के साथ विद्या की अन्य शाखाओं को विकसित और प्रोन्नत करना ;

क्षेत्राधिकारिता एवं विशेषाधिकारों का दिया जाना

6. (1) छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थापित, अनुमोदित, संबद्ध और मान्यता प्राप्त कोई भी चिकित्सा, दन्त,नर्सिंग,फिजियोथेरेपी,आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, संस्था या कोई संकाय या कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय की मंजूरी के बिना विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी रूप में सहयोजित या किसी विशेषाधिकार की स्वीकृति की मांग नहीं करेगी ।

(2) राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व राज्य में किसी भी विद्यमान विधि के अधीन स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से यथास्थिति संबद्ध, मान्यताप्राप्त या,यथास्थिति, अनुमोदित स्वास्थ्य विज्ञान की कोई संस्था या महाविद्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पश्चात् इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति इस विश्वविद्यालय से संबद्ध, मान्यताप्राप्त या, अनुमोदित समझी जायेगी और विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता, मान्यता या, अनुमोदन समझे जायेंगे और इस विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता, उसके द्वारा मान्यता या, यथास्थिति, अनुमोदन इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन चालू रहेगा ।

परन्तु राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के निगमन के दिनांक से अधिक से अधिक 6 माह के कृत्य को विश्वविद्यालय के लिए अपेक्षित कालावधि के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) एवं (2) के कृत्य को निरस्त कर सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए परिनियम, अध्यादेश या विनियम शासन द्वारा इन नियमों के अधीन विहित किए गए ऐसी शर्तों के अध्यधीन तथा ऐसे संस्थाओं को छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित स्वास्थ्य विज्ञान की किसी भी संस्था को अध्यादेशों एवं नियमों के विशेषाधिकार के अध्यधीन संबद्ध कर सकेगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों एवं धार्मिक विश्वास के लिए खुला है

7. विश्वविद्यालय मूल वंश, वर्ग, धार्मिक विश्वास या लिंग भेद के बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा ।

परन्तु विश्वविद्यालय,–

(क) विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अर्हता को वर्जित कर सकेगा ,

(ख) तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार के किसी कानून या आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, कन्या छात्राओं और अन्य वर्ग के लिए आरक्षण कर सकेगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

8. विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:–

(1) कुलाधिपति,
(2) कुलपति,
(3) कुल–सचिव,
(4) संकायों के संकायाध्यक्ष,
(5) वित्त और लेखा अधिकारी,
(6) विश्वविद्यालय की सेवा के ऐसे अन्य अधिकारी जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये ।

कुलाधिपति एवं उसकी शक्तियां

9. (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा ;

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ;

(3) कुलाधिपति, जब उपस्थित रहे, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;

(4) कुलाधिपति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् का गठन करेगा ;

(5) कुलाधिपति, जब कभी आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की बैठक आयोजित करने के लिए कुलपति को निदेश जारी कर सकेगा और कुलपति, ऐसी बैठकों का कार्यवृत कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगा ;

(6) कुलाधिपति,

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई अभिलेख या जानकारी मंगा सकेगा ; और

(ख) कारण अभिलिखित किए जाने के पश्चात, धारा 62 के अधीन आने वाले कार्यकलापों के अलावा या ऐसे मामलों को, जिन पर पूर्व में विचार कर लिया गया हो, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा ;

(7) कुलाधिपति ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें वह नामनिर्दिष्ट करें, विश्वविद्यालय और इसके भवनों, केन्द्रों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं, उपस्करों और परीक्षाओं का और विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित, नियंत्रित या संधारित किसी संस्था, महाविद्यालय या छात्रावास का भी, साथ ही साथ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा, अध्यापन और अन्य कार्य का निरीक्षण करवा सकेगा ;

(8) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले में जांच करवा सकेगा ;

(9) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जायें या उसमें निहित किये जायें ।

कुलाधिपति द्वारा निरीक्षण या जांच एवं निर्देश

10. (1) जहां धारा 9 की उप–धारा (7) या (8) के अधीन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा किसी निरीक्षण या जांच का आदेश दिया गया है, वहां विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने अधिकारियों में से किसी की प्रतिनियुक्ति कर सकेगा ;

(2) कुलाधिपति, के निरीक्षण या जांच और सलाह, यदि कोई हो, का परिणाम कुलाधिपति द्वारा कुलपति को संसूचित किया जायेगा ;

(3) उप–धारा (2) में निर्दिष्ट परिणाम और सलाह कुलपति द्वारा उसकी टिप्पणियों सहित प्रबंध बोर्ड को ऐसी कार्यवाही के लिए, जैसी बोर्ड करने के लिए प्रस्तावित करे, संसूचित की जावेगी और ऐसी की गयी कार्यवाही कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संसूचित की जायेगी ;

(4) जहां प्रबंध बोर्ड निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप या कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार अपेक्षित कोई कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर करने में असफल रहता है या कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करता है वहां कुलाधिपति द्वारा कोई निर्देश जारी किया जा सकेगा और प्रबंध बोर्ड ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा ;

कुलपति की नियुक्ति एवं हटाया जाना

11. (1) उप–धारा (2)या उप–धारा (6)के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश की गई कम से कम तीन व्यक्तियों की सूची में से कुलाधिपति द्वारा कुलपति नियुक्त किया जावेगा;

परन्तु यदि कुलाधिपति इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी को भी अनुमोदित नहीं करता है या कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित, समिति द्वारा सिफारिश की गई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में से कोई नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहता तो कुलाधिपति उस कमेटी को नवीन सिफारिश करने के लिए आमंत्रित कर सकता है

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ;

(2) कुलाधिपति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलाकर एक समिति गठित करेगा, अर्थात् :–

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति;

(ख) राज्य शासन द्वारा नामित एक व्यक्ति, और

(ग) प्रबंध बोर्ड द्वारा नामित एक व्यक्ति,

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा;

(3) उपधारा (2) के अधीन समिति गठित करने के लिए कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छः माह पूर्व प्रबंधन मंडल और सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य शासन अपने–अपने नामनिर्देशितों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उसमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति यथास्थिति, श्रेणी (ख) या (ग) या दोनों के निमित्त व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ;

(4) किसी भी ऐसे व्यक्ति को , जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संशक्त है, उपधारा (2) के अधीन समिति के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा ;

(5) समिति अपने गठन की तारीख से छःसप्ताह के भीतर या कुलाधिपति द्वारा बढ़ाये गये चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करेगी ;

(6) यदि किन्हीं कारणों से वह समिति, जो उपधारा (2) द्वारा गठित की गई है, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संशक्त नहीं है एवं उन्हें नियुक्त करेगा जिनमें से एक को अध्यक्ष के रुप में अभिहित किया जाएगा, इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छ सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुत्तर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए के भीतर तीन व्यक्तियों से अन्यून की तालिका प्रस्तुत करेगी

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन गठित की गई समिति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उपयुक्त समझे राज्य शासन के परामर्श के पश्चात कुलपति के रुप में नियुक्त कर सकेगा,

(8) कुलपति आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अनुभवी और प्रख्यात शिक्षाविद या प्रशासक होगा,

(9) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति के प्रसाद पर्यन्त पदधारण कर सकेगा

(10) कुलपति, के रुप में नियुक्त व्यक्ति उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष तक की कालावधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें मे जो भी पहले हो, पद धारित करेगा और दो कालावधि से अनधिक के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा ;

(11) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षर लिखित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा जो कुलाधिपति को समान्यतः उस तारीख से साठ दिन पूर्व दिया जायेगा, जब कुलपति अपने पद से मुक्त होने की इच्छा रखता है, किन्तु कुलाधिपति उसे पहले भी मुक्त कर सकेगा ;

(12) यदि प्रतिनिधित्व करते समय या अन्यथा और ऐसी जांच के पश्चात जैसा कि आवश्यक हो यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपतिः–

(क) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे अधिरोपित किसी कर्तव्य के पालन में चूक करता है; या

(ख) विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल रीति से कार्य करता हो; या

(ग) विश्वविद्यालय के कार्य के प्रबंधन में असमर्थ होने पर कुलाधिपति, कुलपति की पदावधि के अवसान न होने की स्थिति के बावजूद लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा कुलपति से उस तारीख से जो कि आदेश में विहित किया जाए, पद त्यागने की अपेक्षा कर सकेगा।

(13) उपधारा (12) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कोई विशिष्ट आधार पर जो कुलपति द्वारा ऐसा कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित नहीं किया जाता और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता ;

(14) उपधारा (12) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से कुलपति पद त्याग दिया माना जायेगा और कुलपति का पद रिक्त हुआ माना जायेगा ;

(15) कुलपति के पद में मृत्यु, पदत्याग, अवकाश, बीमारी या अन्यथा, अस्थायी रिक्ति सहित कोई रिक्ति होने पर इस प्रयोजन हेतु अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) के प्रावधान अनुसार कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी, उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन यथास्थिति नियुक्त कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने तक, कुलपति के रूप में कार्य करेगा;

परन्तु उपधारा में अनुध्यात व्यवस्था छः मास से अधिक कालावधि के लिए नहीं बढ़ाई जायेगी ।

कुलपति की शक्तियां

12. (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(2) कुलपति प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् का और धारा 50 के अधीन गठित समितियों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में उपस्थित होने और बोलने का हकदार होगा किन्तु मतदान का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उस प्राधिकारी या निकाय का सदस्य नहीं हो ,

(3) कुलपति को, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् की बैठक और संकायों और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारी की, जिनका वह अध्यक्ष है, संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति होगी । वह, यह शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ;

(4) कुलपति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी ;

(5) (क) किसी भी आपात स्थिति में, जिसमें कुलपति की यह राय हो कि तुरन्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् शीघ्रतम् अवसर पर ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट देगा जिसने सामान्य अनुक्रम में ऐसे मामले को निपटाया होता;

(ख) जब इस उप–धारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है तो ऐसा व्यक्ति ऐसी कार्रवाई के संसूचित होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर उक्त अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के जरिये प्रबंध बोर्ड को अपील कर सकेगा;

(6) कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा में के व्यक्तियों या विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति, पदच्युति, निलंबन और दण्ड से संबंधित या ऐसे किसी भी अध्यापक को मान्यता या मान्यता के प्रत्याहरण से संबंधित प्रबंध बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में साधारण नियंत्रण का प्रयोग करेगा। वह इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा;

(7) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जायें;

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कुलपति की नियुक्ति, शक्तियां एवं कर्तव्य

13. नवस्थापित विश्वविद्यालय के कार्य संचालन हेतु, राज्य शासन एक शिक्षाविद् या प्रशासनिक अनुभव रखने वाले तथा आधुनिक चिकित्सा या आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त किसी व्यक्ति को पांच वर्षों से अनधिक अवधि के लिये प्रथम कुलपति नियुक्त करेगा तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से छः मास की कालावधि के भीतर प्रबंधन बोर्ड , विद्या परिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करेगा और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति , प्रबंधन बोर्ड , विद्या परिषद या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह राज्य सरकार के परामर्श करने के पश्चात् तीन सदस्यीय समिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक स्वास्थ्य विज्ञान के विभिन्न विधाओं के प्रतिनिधि होंगे जो कुलपति को प्रत्येक ऐसे प्राधिकारी के बदले में उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कर्तव्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देंगे ।

कुल सचिव

14. (1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और प्रबंधन बोर्ड, विद्यापरिषद् और इस अधिनियम के अधीन या यथाविहित ऐसे प्राधिकारियों, निकायो या समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) कुलसचिव की नियुक्ति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के अधीन गठित राज्य विश्वविद्यालयीन सेवा के के अधिकारियों से या प्रतिनियुक्ति से प्रबंधन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा की जायेगी।

परंतु कुलसचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(4) कुल सचिव की परिलब्धियां और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसें कि परिनियमों द्वारा अवधारित किया जाये ।

(5) कुलसचिव ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के द्वारा उसे सौपें या अधिरोपित किये जाये।

संकायाध्यक्ष

15. (1) संकायाध्यक्ष होंगे जो विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा प्रबंधन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के उन परिनियमों के अनुसार की जाएगी जो, इस निमित्त बनाये गये हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) संकायध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगें तथा ऐसें कर्तव्यों का निर्वहन निर्वहन करेंगे जो परिनियमों द्वारा उनको प्रदत्त की जाय या उन पर अधिरोपित किये जायें।

वित्त एवं लेखाधिकारी

16. (1) वित्त और लेखा अधिकारी विश्वविद्यालय का प्रमुख वित्त, लेखा और संपरीक्षा अधिकारी होगा।

(2) वित्त और लेखा अधिकारी पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और प्रबंधन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति राज्य लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति से की जावेगी।

(4) परिलब्धियां और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा अवधारित की जायेगी।

(5) वित्त और लेखा अधिकारी के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करना ; और विश्वविद्यालय के वित्तीय नीतियों के संबंध में कुलपति को सलाह देना;

(ख) कुलपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के विनिधानों का प्रबंध करना;

(ग) यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय किये जाते है, जिसके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गये हैं और विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया जाता है जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाए ;

अन्य अधिकारी

17. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की, जो धारा 8 में निर्दिष्ट है नियुक्ति ऐसी रीति में की जायेगी और उनकी सेवा की शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विहित किए जाए।

18. निम्नलिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:— विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(एक) प्रबंधन बोर्ड,
(दो) विद्या परिषद्,
(तीन) संकाय,
(चार) अध्ययन बोर्ड,
(पांच) वित्त और लेखा समिति,
(छः) खेल और छात्र कल्याण बोर्ड, और
(सात) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाए ।

19. (1) विश्वविद्यालय का एक प्रबंधन बोर्ड होगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। कुलाधिपति, जैसे ही प्रथम कुलपति नियुक्त कर दिया जाता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे बोर्ड का गठन करने की कार्रवाई करेगा। प्रबंधन बोर्ड

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलपति,	:	अध्यक्ष,
(ख) राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव या उसके द्वारा नामनिर्देशित संयुक्त सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी;	:	सदस्य,
(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसके द्वारा नामनिर्देशित संयुक्त सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी;	:	सदस्य,
(घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य ;	:	सदस्य,
(ङ.) आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य ;	:	सदस्य,
(च) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ ;	:	सदस्य,
(छ) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़;	:	सदस्य,
(ज) संचालक, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़ ;	:	सदस्य,
(झ) चिकित्सा महाविद्यालय का एक डीन चक्रानुक्रम से,	:	सदस्य,
(ञ) आयुर्वेद महाविद्यालय का एक प्राचार्य, चक्रानुक्रम से;	:	सदस्य,
(ट) दन्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य चक्रानुक्रम से;	:	सदस्य,
(ठ) नर्सिंग महाविद्यालय का एक प्राचार्य चक्रानुक्रम से,	:	सदस्य,
(ड) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र से तीन प्रख्यात शिक्षाविद,	:	सदस्य,
(ढ) विश्वविद्यालय के विभागों या संबद्ध महाविद्यालयों के ऐसे विभागों के प्रधानों में	:	सदस्य,

से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक विभागाध्यक्ष ;

(ण) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन सदस्य : सदस्य

(त) विश्वविद्यालय का कुल सचिव : सदस्य सचिव,

(3) प्रबंधन बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति दस मतधारी सदस्यों से होगी। सदस्य सचिव को मतदान का अधिकार नहीं होगा ।

(4) कुलपति की अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा पदांकित एक सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(5) वर्ष में प्रबंधन बोर्ड की दो से कम बैठकें नहीं होंगी ।

(6) प्रबंधन बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्य उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां एवं कर्तव्य

20. प्रबन्धन बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:–

(क) ऐसे उपबंध करना जो महाविद्यालयों और संस्थाओं को विशिष्ट अध्ययन करवाने के लिए और जहां आवश्यक या वांछनीय हों, आयोजित करने के लिए समर्थ बनाये और अध्यापन और अनुसंधान के लिए सामान्य पुस्तकालयों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों के लिए उपबंध करना ;

(ख) विद्या परिषद् की सिफारिश पर विभागों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, छात्रावासों को स्थापित करना और कर्मचारिवृन्द के लिए आवास उपलब्ध करवाना ;

(ग) कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासकीय मामलों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय की आस्तियों और सम्पत्तियों का प्रशासन के लिए धारण, नियंत्रण और प्रबंध करना ;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें निष्पादित और रद्द करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का प्रारूप अवधारित करना और इसकी अभिरक्षा और प्रयोग के लिए उपबंध करना ;

(ज) उसके अपने उपान्तरणों सहित, यदि कोई हों, वित्तीय और लेखा समिति से यथा प्राप्त बजट प्राक्कलनों का अनुमोदन करना ;

(झ) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और अंगीकृत करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत, दान और विश्वविद्यालय को किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अन्तरण स्वीकार करना;

(ट) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम संपत्ति का विक्रय द्वारा या अन्यथा, अन्तरण करना;

(ठ) वित्त और लेखा समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय की ओर से निधियां उधार लेना, उधार देना या उनका विनिधान करना और दान प्राप्त करना ;

(ड) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययन पर प्रशासकीय निधियों के लिए नीति अधिकथित करना ;

(ढ) मानद् उपाधियां और विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए कुलाधिपति को सिफारिश करना ;

(ण) ऐसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश की गयी अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को संस्थित और प्रदत्त करना और जैसा परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाये, उन्हें प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की व्यवस्था करना ;

(त) अध्येतावृत्तियां, यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां अध्ययनवृत्तियां, प्रदर्शनी, पुरस्कार, पदक और पारितोषिक संस्थित करना ;

(थ) परस्पर लाभप्रद शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग के लिए नियम बनाना,

(द) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पद सृजित करना और उन पर नियुक्ति के लिए अर्हता अवधारित करना ;

(ध) विश्वविद्यालय के आचार्य, उपाचार्य, अन्य अध्यापकों, कुल सचिव और वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करना ;

(न) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, अध्येताओं और लेखकों की नियुक्तियॉ विनियमित और अनुमोदित करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधन और शर्तें अवधारित करना ;

(प) परामर्शी और अन्य व्यक्तियों की संविदा आधार पर नियुक्ति करना ;

(फ) विश्वविद्यालय के अध्यापनेत्तर कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति के लिए प्रकिया विहित करना ;

(ब) इस निमित राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी किसी भी विधि के अध्यधीसमस्त अनुमोदित संस्थाओं और संबद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तो के लिए नियम और प्रक्रिया विहित करना ;

(भ) फीस और अन्य प्रभार विहित करना ;

(म) प्रश्नपत्र निर्माताओं, परीक्षकों और परीक्षा संबंधी अन्य कर्मचारिवृंद, आमंत्रित शिक्षक वर्ग और विश्वविद्यालय को दी गयी ऐसी अन्य सेवाओं के लिए मानदेय, पारिश्रमिक और फीस तथा यात्रा और अन्य भत्ते विहित करना ;

(य) विश्वविद्यालय के कार्यकरण के बारे में कुलपति से कालिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उस पर विचार करना ;

(कक) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों, संस्थाओं या विभागों के सम्यक संचालन, कार्यकरण और वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में कोई जांच करवाना ;

(खख) अध्यापकों, अधिकारियों,कर्मचारियों और विद्यार्थियों से अनुशासन का पालन करवाना ; और

(गग) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

21. (1) विद्या परिषद् अध्यापन, अनुसंधान के मानकों को बनाये रखने और उनमें सुधार और शैक्षणिक मामलों में सहयोग कार्यक्रम और अध्यापकों के कार्यभार के मूल्यांकन के संबंध में शैक्षणिक नीतियां बनाने के लिए उत्तरदायी होगी। विद्या परिषद

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क)	कुलपति,	अध्यक्ष
(ख)	संकायों के संकायाध्यक्ष ,	सदस्य
(ग)	अध्ययन बोर्डों का अध्यक्ष	सदस्य

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विभिन्न पद्धति के संबद्ध संस्थाओं के तीन प्राचार्य / डीन ; : सदस्य

(ङ) विश्वविद्यालय विभागों या कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, संबद्ध महाविद्यालयों के विभागों के दो विभागाध्यक्ष ; : सदस्य

(च) महाविद्यालय के प्राचार्यों, विश्वविद्यालय विभागों के विभागाध्यक्षों और मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्थाओं के विभागाध्यक्षों से भिन्न, कम से कम दस वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापकों में से विद्या परिषद् द्वारा सहयोजित, प्रत्येक संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अध्यापक; : सदस्य

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र के दो विख्यात विशेषज्ञ , : सदस्य

(ज) विश्वविद्यालय का कुलसचिव : सदस्य सचिव

(3) विद्या परिषद् की वर्ष में कम से कम दो बैठक होंगी ;

(4) विद्या परिषद आवश्कतानुसार विभिन्न पद्धतियों के लिए उप समितियों का गठन कर सकता है ;

(5) विद्या परिषद् के नामनिर्देशित या सहयोजित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी :

परन्तु कोई भी नामनिर्देशित सदस्य पुनः नामनिर्देशन के योग्य होगा ।

विद्या परिषद की शक्तियां एवं कर्तव्य

22. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक प्राधिकारी होगी और विश्वविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान और परीक्षाओं के स्तरमानों को विनियमित करने और बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्:–

(क) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां संस्थित करने के बारे में प्रबंध बोर्ड को सिफारिश करना ;

(ख) शैक्षणिक मामलों से संबंधित विषयों पर अध्यादेश बनाने, संशोधित करने या निरसित करने केलिए प्रबंध बोर्ड को सिफारिश करना ;

(ग) शैक्षणिक मामलों पर नियम बनाना, उन्हें संशोधित या निरसित करना ;

(घ) संकायों को विषय आबंटित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों, विभागों, संस्थाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव करना ;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वृन्द के पदों के सृजन के लिए नवीन प्रस्तावों के संबंध में विचार कराना और सिफारिश करना ;

(छ) अध्येतावृत्तियां,यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करने के लिए प्रबंध बोर्ड को प्रस्ताव करना और उनको प्रदान करने के लिए नियम बनाना ;

(ज) प्रश्नपत्र बनाने वालों, परीक्षकों, अनुसीमकों और परीक्षाओं के संचालन से संबंधित अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की अर्हताएं और मानक विहित करना ;

(झ) विद्यमान पाठ्यक्रमों की उपयोगिता और साध्यता, और नवीन ज्ञान या परिवर्तनशील सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें

पुनर्विलोकित या उपांतरित करने की वांछनीयता या आवश्यकता के कालिक पुनर्विलोकन के लिए समितियां नियुक्त करना,

(ञ) साधारणतया सभी शैक्षणिक मामलों पर विश्वविद्यालय को सलाह देना और शैक्षणिक कार्यक्रमों पर प्रबंध बोर्ड को साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ट) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

संकाय

23. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात्:—

(1) आधुनिक चिकित्सा पद्धति;
(2) दन्त चिकित्सा
(3) आयुर्वेद;
(4) योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा;
(5) यूनानी;
(6) सिद्ध ;
(7) होम्योपैथी;
(8) नर्सिंग,
(9) फिजियोथेरेपी;
(10) लोक स्वास्थ्य;
(11) ऐसे अन्य संकाय जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

संकायों की संरचना

24. (1) संकायों में निम्नलिखित होंगे अर्थात:—

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष ;
(ख) संकाय के विभागों के अध्यक्ष;
(ग) संबंधित संकाय द्वारा सहयोजित किये जाने वाले तीन प्रख्यात विद्वान ;
(घ) संकाय द्वारा सहयोजित किये जाने वाले दो अध्यापक ।

(2) किसी संकाय के सहयोजित सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे ।

संकायों के कृत्य

25. प्रत्येक संकाय निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) अध्ययन बोर्ड से परामर्श के पश्चात् विद्या परिषद् को पाठ्यक्रम और पठ्यचर्या और परीक्षाओं की स्कीमों की सिफारिश करना ;
(ख) उपाधियां और अन्य विद्या—संबंधी विशेष उपाधियां प्रदत्त करने की शर्तों की विद्या परिषद् को सिफारिश करना ;
(ग) संकाय को समनुदेशित विषयों में कार्य का समन्वय करना ;
(घ) अनुसंधान आयोजित करना, और जहां वांछनीय हो, उसमें समन्वय सुनिश्चित करना ,
(ङ) विद्या परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किन्हीं मामलों का निपटारा करना ;
(च) मामले अध्ययन बोर्ड में पास भेजना ;
(छ) उसके कार्यक्षेत्र में के ऐसे किसी भी मामले पर विचार करना जो अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किया गया हो ;
(ज) कुलपति की मंजूरी से किसी अन्य संकाय या संकायों के साथ संयुक्त रूप से बैठक करना, ऐसी संयुक्त बैठकें कुलपति द्वारा बुलायी जायेंगी और उनकी अध्यक्षता उसके द्वारा या उसके द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष द्वारा की जायेगी , और
(झ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

अध्ययन बोर्ड

26. (1) प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जायें ।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां और कर्त्तव्य वे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

वित्त एवं लेखा समिति

27. (1) एक वित्त और लेखा समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होगें, अर्थात्:–

(क) कुलपति ; : अध्यक्ष,

(ख) राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणं विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती संयुक्त सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी; : सदस्य,

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नामनिर्देशिती संयुक्त सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी; : सदस्य,

(घ) प्रबंध बोर्ड द्वारा उसके सदस्यों में से नामनिर्देशित एक व्यक्ति ; : सदस्य,

(ङ) विद्या परिषद द्वारा उसके सदस्यों में से नामनिर्देशित एक व्यक्ति ; : सदस्य,

(च) विश्वविद्यालय का कुल सचिव; : सदस्य,

(छ) वित्त और लेखा अधिकारी; : सदस्य सचिव ।

(2) कुलसचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उपलब्ध व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लेखाओं, व्ययों की प्रगति और ऐसे समस्त नवीन प्रस्तावों की, जिनमें नवीन व्यय अन्तर्वलित हो, के परीक्षण के लिए वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगी ।

(3) वित्त और लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय के लेखाओं का वार्षिक विवरण और वित्तीय प्राक्कलन (बजट) वित्त और लेखा समिति के समक्ष विचार और सिफारिश के लिए और तत्पश्चात् प्रबंध बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए, जो वह उचित समझे, प्रस्तुत करने के लिए रखा जायेगा ।

(4) समिति निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:–

(क) उत्पादक कार्य के लिए उधारों के आगमों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों पर आधारित वर्ष के कुल आवर्ती और अनावर्ती व्ययों की सीमाओं की प्रबंध बोर्ड को सिफारिश करना ;

(ख) प्रबंध बोर्ड को विश्वविद्यालय की आस्तियों और संसाधनों के उत्पादक विनियोजन और प्रबंध की सिफारिश करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के विकास के लिए संसाधनों के संवर्धन की संभावनाओं को तलाशना और उनका अवलम्ब लेना ;

(घ) प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं का लेखा परीक्षण करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाना ;

(ङ) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर प्रबंध बोर्ड को सलाह देना ;

(च) वित्तीय मामलों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के समुचित कियान्वयन को सुनिश्चित करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद या किसी भी अन्य प्राधिकारी, निकाय या समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट वित्तीय मामलों पर सलाह देना ;

(ज) वित्तीय मामलों में किसी भी भूल या अनियमितता, जो इसके ध्यान में आये, की रिपोर्ट कुलपति को देना, जो मामले की गंभीरता का निर्धारण करने के पश्चात् समुचित त्वरित कार्यवाही करेगा या उसे प्रबंध बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा ;

(5) समिति की अन्य शक्तियां और कर्त्तव्य और इसकी बैठकों की प्रक्रिया ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये ।

(6) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षको द्वारा लेखापरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

खेल–कूद एवं छात्र कल्याण बोर्ड

28 (1) विश्वविद्यालय एक खेल–कूद और छात्र कल्याण बोर्ड स्थापित करेगा ।

(2) उप–धारा (1) के अधीन स्थापित बोर्ड का गठन, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होगें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

विश्वविद्यालय के अन्य निकाय

29. ऐसे अन्य निकायों का, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया जाये, गठन, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

परिनियम

30. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:–

(क) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियॉ तथा कर्तव्य, जिन्हें समय–समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाए ;

(ख) निकायों के अधिकारी या सदस्यों का निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि जिसके अंतर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना आता है;

(ग) कुलपति की उपलब्धियॉ और उसकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्ते, उसकी शक्तियॉ तथा कर्तव्य ;

(घ) कुलसचिव की पदावधि, सेवा की शर्ते और उपलब्धियों और उसकी शक्तियॉ तथा कर्तव्य और उनकी सेवा की शर्ते ;

(ङ) कुलसचिव एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियॉ तथा कर्तव्य और उनकी सेवा शर्ते;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम का स्थापन तथा उपदान एवं अन्य फायदों का उपबंध ;

(छ) उपाधियॉ प्रदान करने के लिये दीक्षांत समारोह का किया जाना;

(ज) सम्मानित उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(झ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण–पत्रों तथा विद्या–संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकायों, छात्रावासों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रो तथा महाविद्यालयों का स्थापन तथा उनकी समाप्ति;

(ट) वे शर्ते जिनके अधीन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों प्रत्याहरण;

(ठ) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालयों को प्राप्त हो सकने वाली स्वायत्तता की सीमा और वे विषय जिनके कि संबध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा ;

(ड) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के आचार्यों,उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों की अर्हताएं ;

(ढ) विन्यासों (एण्डाउमेन्टस) का प्रबंध और अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एक्जीबिशन्स) वजीफों (बर्सरीज), पदकों, पारितोषकों तथा अन्य पुरुस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ण) अधिकारियों की उपलब्धियों तथा उनकी सेवा के निबंधन एवं शर्तें और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो ;

(त) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ज्येष्ठता अवधारित करने का ढ़ंग;

(थ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का बनाए रखा जाना;

(द) इच्छापत्र, दान, विन्यास के प्रबंध एवं स्वीकृति;

(ध) महाविद्यालय एवं संस्था के संबद्धता के ढ़ग, निर्बधन एवं शर्तें;

(न) ऐसे समरत अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं ।

परिनियम किस प्रकार बनाएं

31.(1) धारा 31 में दिये गये विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और उसकी प्रति विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी

(2) प्रबंधन बोर्ड इस धारा में इसके पश्चात उपबंधित की गई रीति में, समय–समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेंगे और परिनियमों में संशोधन कर सकेगी या उन्हें निरस्त कर सकेगी ।

(3) विद्या परिषद् प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित किये जाने के लिये किसी नवीन परिनियम का या किन्हीं विद्यमान परिनियम में संशोधन का प्रारूप प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तावित कर सकेगी तथा ऐसा प्रारूप प्रबंधन बोर्ड अपनी अगली बैठक में ऐसे प्रारूप पर विचार करेगा,

परन्तु विद्या परिषद् के किन्हीं ऐसे परिनियम के या किसी परिनियम में किसी ऐसे संशोधन के, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रस्ताव पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार प्रकट की गई किसी राय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा ।

(4) प्रबंधन बोर्ड किसी ऐसे प्रारूप को, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट किया गया है, अनुमोदित कर सकेगी तथा परिनियम को पारित कर सकेगी या उसे अस्वीकार कर सकेगी या ऐसे प्रारूप को किसी ऐसे संशोधन के साथ, जिसका कि वह सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार करने के लिये विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी ।

(5) प्रबंधन बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी नवीन परिनियम के या विद्यमान परिनियम में संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव प्रबंधन बोर्ड को कर सकेगा और प्रबंधन बोर्ड उस प्रस्ताव को, या तो स्वीकार कर सकेगी या यदि वह विद्या परिषद् से कार्य क्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित है, तो प्रबंधन बोर्ड उसे विचारार्थ विद्या परिषद् को निर्दिष्ट करेगी जो प्रबंधन बोर्ड को या तो यह रिपोर्ट दे सकेगी कि वह प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती है और तब उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसे प्रबंधन बोर्ड ने अस्वीकार कर दिया है या प्रबंधन बोर्ड को ऐसे प्रारूप में, जैसा

विद्या परिषद् अनुमोदित करे, एक प्रारूप प्रस्तुत करेगी और इस प्रकार प्रस्तुत किये गये प्रारूप की दशा में इस धारा के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार की वे विद्या परिषद् द्वारा प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तावित किये गये प्रारूप की दशा में लागू होते हैं ।

(6) नये परिनियम का पुरःस्थापन या विद्यमान परिनियम में कुछ जोड़ना या संशोधन या निरसन, कुलाधिपति की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाएगा ।

32. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित सभी या किन्ही भी विषयों का उपबंध करने के लिए अध्यादेश बना सकेगा अर्थात्:— अध्यादेश

(क) छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, पत्रोपाधियों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किया जाने वाला पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को उपाधियों, पत्रोपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों के लिए पाठ्यचर्याओं और परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा;

(घ) छात्रावासों को मान्यता और उनका निरीक्षण;

(ङ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण, उपस्थिति और अनुशासन की शर्तें ;

(च) परीक्षाओं का संचालन;

(छ) अनुसंधान में मार्गदर्शन करने के लिए पर्यवेक्षकों को मान्यता;

(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की परिलब्धियां और सेवा की शर्तें ;

(झ) छात्रों के स्थानांतरण के संबंध में संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा पालन और प्रवृत्त किये जाने वाले नियम;

(ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, नियुक्ति की अर्हता और शर्तें;

(ट) प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त की जाने वाली समितियों के कर्त्तव्य और शक्तियां;

(ठ) विश्वविद्यालय के लिए या उसकी ओर से की गयी संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;

(ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एक्जीबिशन्स) पदकों तथा पारितोषकों आदि के प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ढ) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकने वाले विशेष इंतजाम, यदि कोई हो और उनके लिये विशेष पाठ्यक्रमों का विहित किया जाना;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिस्थापित या संधारित महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का प्रबंध;

(त) सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाला विद्यार्थियों का रजिस्टर;

(थ) वे दरें, जिन पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, समितियों तथा अन्य निकायों के सदस्यों के लिये और विश्वविद्यालय के परीक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारीवृन्द के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा;

(द) विद्यार्थी निकाय का गठन तथा उसके निर्वाचन की रीति;

(ध) ऐसे समस्त अन्य विषय भी जो इस अधिनियम या परिनियम के अनुसार अध्यादेश द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या उपबंधित किये जाएं ।

(न) साधारणतः वे समस्त विषय, जिनका उपबंध प्रबंध बोर्ड की राय में, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग या अधिरोपित कर्त्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हैं ।

अध्यादेश किस प्रकार बनाएं

33. (1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश प्रबंधन बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे। कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन तथा राज्य सरकार के साथ परामर्श से प्रबंध बोर्ड द्वारा प्रथम अध्यादेश बनाया जाएगा;

परन्तु विश्वविद्यालय में प्रवेश या परीक्षा, अध्ययन, परीक्षा योजना, उपस्थिति तथा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित अध्यादेश तब तक मान्य नहीं होगी जब तक ऐसे अध्यादेश का प्रारुप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो ;

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अंतर्गत विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति प्रबंधन बोर्ड की नही होगी किंतु उसके समस्त या किसी भाग में प्रबंधन बोर्ड द्वारा सुझाए गये संशोधन के साथ विद्या परिषद् को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगी ;

(3) प्रबंधन बोर्ड द्वारा बनाए गये समस्त अध्यादेशों को अनुमोदन के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा एवं ऐसे समस्त अध्यादेश कुलाधिपति द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से प्रभावशील होंगे ।

विनियम

34. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, समितियां तथा अन्य निकाय, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किए गए हों, इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विनियम बना सकेंगे, जिनमें :–

(क) अपने सम्मिलन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को अधिकथित किया जा सकेगा;

परन्तु जब तक गणपूर्ति के लिए उपबंध करने वाले विनियम नहीं बनाए जाते, तब तक विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय का सम्मिलन करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति की संख्या वह संख्या होगी जिससे कि उन सदस्यों का बहुमत बनता हो जिनसे कि विश्वविद्यालय का ऐसा प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय तत्समय गठित होता हो;

(ख) ऐसे समस्त विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे जिनको कि इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के अनुसार, विनियमों द्वारा विहित किया जाना है;

(ग) ऐसे समस्त अन्य विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या अन्य निकायों से या समितियों से संबंधित हो जो उनके द्वारा नियुक्त की गई हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश द्वारा उपबंध नहीं किया गया है ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, समिति तथा निकाय ऐसे विनियम बनाएगा जिनमें ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय के सदस्यों को सम्मिलनों की तारीखों की तथा कामकाज की, जिस पर उन सम्मिलनों में विचार किया जाना हो, सूचना दिए जाने एवं सम्मिलन का कार्यवृत्त रखे जाने के लिए उपबंध हो,

परंतु जब तक सदस्यों को सूचना जारी करने के लिए विनियमन उपबंधित नहीं बनाये जाते तब तक नोटिस जारी करने की विधि बैठक दिनांक से कम से कम 10 दिवस पूर्व व्यक्तिगत तथा रजिस्टर्ड डाक से या कोरियर सेवा द्वारा होगी ।

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी, समिति या निकाय जिसका ऐसे उपांतरण या बातिलीकरण से समाधान न हो, कुलाधिपति को अपील कर सकेगा जिसका इस मामले में विनिश्चय अंतिम होगा ।

35.(1) विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए आवेदन करने वाला कोई महाविद्यालय कुल सचिव को एक आवेदन पत्र भेजेगा और विद्या परिषद् का यह समाधान करेगा– संबद्धता

(क) कि महाविद्यालय उस परिक्षेत्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, जहां महाविद्यालय स्थापित किया जाना है, भारतीय चिकित्सा पद्धति में निर्देशन और अध्यापन के बारे में परिक्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करेगा ;

(ख) कि विशेषाधिकार विधि/नियम के उपबंधों के अंतर्गत गठित शासकीय निकाय के प्रबंधन के अंतर्गत महाविद्यालय होगा;

(ग) कि उसके अध्यापन कर्मचारिवृन्द की संख्या तथा अर्हताएं और उनकी पदावधि को विनियमित करने वाली शर्तें ऐसी हैं कि महाविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए सम्यक उपबंध किये जा सकें,

(घ) कि भवन, जिनमें महाविद्यालय अवस्थित किया जाना है, उपयुक्त हैं और यह कि उन छात्रों के लिए, जो अपने माता–पिता या संरक्षक के साथ नहीं रह रहें हैं, महाविद्यालय में या महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित वासों में निवास के लिए और छात्रों के पर्यवेक्षण और कल्याण के लिए अध्यादेश के अनुरूप उपबंध किये जायेंगे;

(ङ) कि पुस्तकालय के लिए सम्यक् उपबंध किये गये हैं या किये जायेंगे;

(च) कि समुचित रूप से उपस्कृत प्रयोगशाला या संग्रहालय में चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षा देने के लिए, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुरूप इंतजाम किये गये हैं या किये जायेंगे;

(छ) कि जहां तक परिस्थितियां अनुज्ञात करें, प्राचार्य और अध्यापन कर्मचारिवृन्द के कुछ सदस्यों के निवास के लिए महाविद्यालय या छात्रों के निवास के लिए उपलब्ध कराये गये स्थान में या उसके निकट सम्यक् उपबन्ध किया जायेगा,

(ज) कि महाविद्यालय के वित्तीय संसाधन ऐसे हैं कि उनके निरन्तर अनुरक्षण और दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए सम्यक उपबन्ध किये जा सकें; और

(झ) कि छात्रों द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस, यदि कोई हो, नियत करने वाला नियम इस प्रकार विरचित नहीं किये गये हैं जिसमें उसी के पड़ोस में विद्यमान किसी महाविद्यालय के साथ ऐसी प्रतियोगिता अन्तर्वलित हो जाये, जो शिक्षा के हितों को नुकसान पहुँचाने वाली हो।

(2) कि आवेदन–पत्र में यह आश्वासन अन्तर्विष्ट होगा कि महाविद्यालय की संबद्धता के पश्चात् प्रबंध या अध्यापन कर्मचारिवृन्द में ऐसे किन्हीं परिवर्तनों और समस्त अन्य परिवर्तनों की, जिनके परिणामस्वरूप उप–धारा (1) में उल्लिखित अपेक्षाओं में से किन्हीं की पूर्ति नहीं हो पाये या पूर्ति नहीं होना जारी रहे, विद्या परिषद् को तत्काल रिपोर्ट की जायेगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विद्या परिषद्–

(क) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट विषयों और ऐसे अन्य विषयों के संबंध में जिन्हें आवश्यक और सुसंगत समझा जाये, किसी सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा कोई स्थानीय जांच किये जाने का निदेश करेगी;

(ख) ऐसी और जांच भी करेगी जो उसे इसके बारे में आवश्यक प्रतीत हो;

(ग) उसे संप्रेषित किन्हीं शर्तो के पुनर्विचार के लिए आवेदन द्वारा किये गये निवेदन पर, यदि कोई हो, सम्यक् विचार करेगी;

(घ) खण्ड (क) और (ख) के अधीन किसी जांच के परिणाम का कथन करते हुए, इस प्रश्न पर कि क्या आवेदन पत्र संपूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जाना चाहिए, अपनी राय अभिलिखत करेगी।

(4) कुल–सचिव आवेदन पत्र और समस्त कार्यवाहियों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, उस आवेदन या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी।

(5) जहां आवेदन पत्र या उसके किसी भी भाग को मंजूर कर लिया जाता है, वहां राज्य सरकार के आदेश में वह शिक्षण पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट होगा जिसके संबंध में महाविद्यालय को संबद्ध किया गया है, जहां आवेदन पत्र या उसका कोई भाग नामंजूर कर दिया जाता है, वहां ऐसी नामंजूरी के आधार कथित किये जायेंगे।

(6) राज्य सरकार अपना आदेश कर दे उसके पश्चात् यथासंभव शीघ्र कुल सचिव, प्रबंधन बोर्ड को आवेदन पत्र, उस पर धारा (3) से (5) के अधीन की गयी कार्रवाई और उससे संसक्त समस्त कार्यवाहियों के संबंध में एक संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) उप धारा (1) के अधीन किया गया कोई भी आवेदन पत्र–उप धारा (4) के अधीन किये गये आदेश से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

संबद्धता का विस्तार

36. जहां कोई महाविद्यालय शिक्षण पाठ्यक्रम को, जिससे वह संबद्ध है, विस्तारित करने की वांछा करता है वहां, जहां तक हो सके, धारा 36 में विहित प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा।

अनुसंधान एवं विशेषज्ञीय अध्ययन के संस्थानों की मान्यता

37. (1) विद्या परिषद् को महाविद्यालय से भिन्न किसी संस्था को चिकित्सा की भारतीय पद्धति अनुसंधान या विशेषज्ञीय ज्ञान की किसी मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) कोई संस्था जो ऐसी मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक हो, कुल सचिव को आवेदन–पत्र भेजेगी और आवेदन–पत्र में निम्नलिखित मामलों के बारे में पूर्ण जानकारी देगी, अर्थात् :–

(क) प्रबंध निकाय का गठन और उसके कार्मिक;

(ख) विषय और पाठ्यक्रम जिनके विषय में मान्यता ली जानी ;

(ग) वास सुविधा, उपस्कर, पुस्तकालय सुविधा और विद्यार्थियों की संख्या, जिनके लिए उपलब्ध किया गया है या प्रस्तावित किया जाना है ;

(घ) कर्मचारी वृन्द की संख्या, उनकी अर्हताएं और वेतन और उनके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य,

(ङ) उद्गृहीत फीस या उद्गृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित फीस और भवन और उपस्कर पर पूंजीगत व्यय, और संस्था के निरन्तर अनुरक्षण और उसके प्रभावी कामकाज के लिए किये गये वित्तीय उपबंध।

(3) विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने से पूर्व कोई और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे मांग सकेगी।

(4) यदि विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने का विनिश्चय करती है तो वह किसी सक्षम व्यक्ति या, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जांच का निदेश दे सकेगी। ऐसी स्थानीय जांच के परिणामस्वरूप तैयार की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जांच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विद्या परिषद् आवेदन पत्र या उसके किसी भी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी। जहां आवेदन या उसका कोई भाग मंजूर किया जाता है वहां विद्या परिषद् शिक्षा के उन विषयों और पाठ्यक्रमों को निर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में उस संस्था को मान्यता दी गयी है और प्रबंध बोर्ड उसकी अगली उत्तरवर्ती बैठक में रखने के लिए इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगी । जहां आवेदन या उसका कोई भाग नामंजूर किया जाता है वहां ऐसी नामंजूरी के आधार कथित किये जायेंगे।

संस्थानों का अनुमोदन

38. (1) विद्या परिषद् को एक एकल या अधिक अर्हित अध्यापक के मार्गदर्शन के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेषज्ञीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, इन्टर्नशिप, अनुसंधान या शैक्षणिक कार्य के लिए किसी संस्था को अनुमोदित संस्था के रूप में अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

(2) संस्था, जो ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक हो, कुल सचिव को एक आवेदन पत्र भेजेगी और आवेदन–पत्र में निम्नलिखित मामलों के संबंध में पूर्ण जानकारी होगी, अर्थात् –

(क) अध्यापक का नाम, अर्हताएं, अनुभव और अनुसंधान कार्य जिसके अधीन अनुमोदित कार्य किया जाना है;

(ख) कार्य की प्रकृति या विषय जिसके लिए कार्य किया जाना प्रस्तावित है;

(ग) वास–सुविधा, उपस्कर, पुस्तकालय सुविधा और विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए उपबन्ध किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है ;

(घ) उद्गृहीत या उद्गृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित फीस और भवन और उपस्कर पर पूंजीगत व्यय और संस्था के निरंतर अनुरक्षण और उसे प्रभावी कामकाज, के लिए किये गये वित्तीय उपबंध।

(3) विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने के पूर्व, कोई और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, मांग सकेगी।

(4) यदि विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने का विनिश्चय करती है तो वह सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जांच का निदेश दे सकेगी। ऐसी स्थानीय जांच के परिणामस्वरूप तैयार की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और ऐसी और जांच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विद्या परिषद् आवेदन पत्र या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी। जहां आवेदन पत्र या उसका कोई भाग मंजूर किया जाता है वहां विद्या परिषद् शिक्षा के उन विषयों और पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में उस संस्था को अनुमोदित किया गया है, और प्रबंध बोर्ड की उसकी अगली उत्तरवर्ती बैठक में रखने के लिए इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जहां आवेदन पत्र या उसका कोई भाग नामंजूर किया जाता है वहां ऐसी नामंजूरी के आधार वर्णित किये जायेंगे।

सम्बद्धता का प्रत्याहरण

39.(1) महाविद्यालय को सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार, यदि महाविद्यालय धारा 36 की उप–धारा (1) के किसी उपबंध का पालन करने में असफल रहता है या महाविद्यालय उससे संबद्धता की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है या महाविद्यालय ऐसी रीति से संचालित होता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, पूर्णतः या भागतः प्रत्याहृत किये जा सकेंगे या उपांतरित किये जा सकेंगे।

(2) ऐसा अधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण के लिए प्रस्ताव केवल विद्या परिषद् में आरंभ किया जायेगा। विद्या परिषद् का ऐसा सदस्य, जो ऐसा प्रस्ताव करने का आशय रखता है उसकी सूचना देगा और वे आधार लिखित रूप में कथित करेगा जिन पर ऐसा प्रस्ताव किया गया है।

(3) उक्त प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व विद्या परिषद् संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य को ऐसी सूचना सहित कि महाविद्यालय की ओर से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत किसी अभ्यावेदन पर विद्या परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा, सूचना की एक प्रति और उप धारा (2) में उल्लिखित लिखित कथन भेजेगीः

परन्तु यह कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि, यदि आवश्यक हो, विद्या परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(4) अभ्यावेदन की प्राप्ति या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर विद्या परिषद् प्रस्ताव सूचना, कथन और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् और सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऐसे निरीक्षण, और ऐसी और जांच को उसे आवश्यक प्रतीत हो, के पश्चात् प्रबंध बोर्ड को एक रिपोर्ट देगी।

(5) उप–धारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रबंध बोर्ड ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् मामले में अपनी राय अभिलिखित करेगाः

परन्तु संबद्धता के प्रत्याहरण की सिफारिश करने वाला प्रबंध बोर्ड का कोई संकल्प तब तक पारित हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि ऐसा संकल्प को प्रबंध बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत का समर्थन नहीं मिला हो, ऐसा बहुमत प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के आधे से कम नहीं होगा।

(6) कुल सचिव, प्रबंधन बोर्ड और विद्या परिषद् के उससे संबंधित प्रस्ताव और सभी कार्यवाहियां, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् ऐसा आदेश करेगी जो उसे उचित प्रतीत हो और उससे प्रबंधन बोर्ड को संसूचित करेगी।

(7) जहां उप धारा (6) के अधीन किये गये आदेश द्वारा संबद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकार पूर्णतः या भागतः प्रत्याहृत कर लिये गये हैं या उपांतरित किये गये हैं, वहां ऐसे प्रत्याहरण या उपान्तरण के आधार आदेश में कथित किये जायेंगे।

मान्यता या अनुमोदन का प्रत्याहरण

40. (1) किसी संस्था को मान्यता या अनुमोदन द्वारा प्रदत्त अधिकार विद्या परिषद् द्वारा, यदि संस्था उसकी मान्यता या अनुमोदन की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल हो गयी है या उसे समनुदेशित कार्य का संचालन ऐसी रीति से होता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक संस्था को छोड़ता है, प्रत्याहृत या किसी कालावधि के लिए निलंबित किये जा सकेंगे।

(2) किसी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्था के बारे में उप धारा (1) के अधीन प्राप्ति से एक मास के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करेगी कि क्यों न ऐसा आदेश कर दिया जाये। कारण दर्शित करने के लिए दी गयी ऐसी कालावधि, यदि आवश्यक हो, विद्या परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(3) सूचना के उत्तर में उस संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर और जहां ऐसा उत्तर प्राप्त न हुआ हो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर, विद्यापरिषद्, ऐसी जांच, यदि कोई हो, जो उस आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विनिश्चय करेगी कि क्या मान्यता या अनुमोदन प्रत्याहृत कर लिया जाये, या यथास्थिति, निलंबित कर दिया जाये और तद्नुसार आदेश करेगी।

विश्वविद्यालय निधि

41.(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसको विश्वविद्यालय निधि कहा जायेगा।

(2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि के भागरूप होंगे या उसमें संदत्त किये जायेंगे;

(क) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई भी अभिदान या अनुदान;

(ख) न्यास इच्छापत्र, दान, विन्यास एवं प्राप्त अनुदान ;

(ग) विश्वविद्यालय की, फीस, और प्रभारों से आय को सम्मिलित करते हुए समस्त स्त्रोतों से आय ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अन्य सभी प्राप्तियां ;

(3) विश्वविद्यालय, निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा, ।

उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा

42. (1) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये एवं निम्नलिखित क्रम में किया जावेगा:–

(क) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गये ऋणों में प्रतिसंदाय के लिये,

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों के अनुरक्षण के लिये तथा निवास स्थान छात्रावासों के अनुरक्षण के लिये,

(ग) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिए,

(घ) किन्हीं भी ऐसे वाद या ऐसी कार्यवाहियों के, जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, व्ययों के लिए,

(ड.) विश्वविद्यालयों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिये और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के प्रयोजन के लिये तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय नियोजित किये गये अध्यापकवृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के लिये, किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों या ऐसी स्थापना के सदस्यों को किसी भविष्य निधि के अभिदायों, उपादान तथा अन्य फायदों के संदाय के लिए,

(च) प्रबंधन बोर्ड, विद्या परिषद के सदस्यों और विश्वविद्यालयों के किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों और/या इस अधिनियम तथा या उसके अधीन बनाये परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या बोर्ड के सदस्यों के या भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिये,

(छ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिये,

(ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिये,

(झ) पूर्ववर्ती खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किये गये किन्हीं ऐसे अन्य व्ययों के, जो कि कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए व्यय घोषित किए गए हों, संदाय के लिए ।

(2) प्रबंध मण्डल द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल व्यय के लिये नियत की गई सीमा से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, प्रबंध मण्डल के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा ।

(3) उस व्यय से, जिसके कि संबंध में बजट में उपबंध किया गया है, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध मण्डल के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायेगा ।

वार्षिक प्रतिवेदन

43. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निर्देशन के अधीन तैयार की जाएगी तथा जो ऐसी तारीख को या उससे पूर्व कार्यपरिषद् में प्रस्तुत की जाएगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए और उसे प्रबंध मण्डल द्वारा अपनी बैठक में विचार किया जाएगा। प्रबंध मण्डल उस पर संकल्प पारित कर सकेगी तथा उसे कुलाधिपति को संसूचित करेगी । उसके पश्चात् विश्वविद्यालय उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे विधानसभा के पटल पर रखवायेगी ।

लेखाओं की संपरीक्षा

44.(1) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा, राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो 15 मास से अधिक न हो ।

(2) संपरीक्षक लेखाओं की प्रति और उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट प्रबंध मण्डल द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, तथा यथासंभव शीघ्र उसे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा ।

छात्रों का नामांकन

45. किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में तब तक नामांकित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह परिनियमों द्वारा यथा विहित अर्हताएं नहीं रखता है।

स्नातकोत्तर अध्यापन

46. (1) समस्त स्नातकोत्तर शिक्षण, अध्यापन, अनुसंधान और प्रशिक्षण ऐसे विषयों में जो परिनियमों में विहित किये जायें, विश्वविद्यालय या ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा संचालित किये जायेंगे।

(2) सभी स्नातकोत्तर विभाग और अनुसंधान केन्द्र सामान्यतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर स्थित होंगे। तथापि विश्वविद्यालय ऐसे किन्हीं विभागों या केन्द्रों को उसके मुख्यालय से बाहर के स्थान या स्थानों पर स्थापित कर सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित की जायें, विश्वविद्यालय केन्द्रों को विश्वविद्यालय के मुख्यालय से अन्य स्थानों पर भी बना सकेगा।

छात्रों का आवास

47. विश्वविद्यालय का छात्र, यदि अध्यादेशों द्वारा ऐसा वांछित हो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए या अनुमोदित आवास में निवास करेगा ।

48. यदि विद्या परिषद् के दो–तिहाई से अन्यून सदस्य यह सिफारिश करें कि किसी व्यक्ति को कोई सम्मानिक उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि इस आधार पर प्रदान की जाये कि वह उनकी राय में, विशिष्ट स्थिति और हैसियत के कारण, ऐसी उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है और जहां उनकी सिफारिश को, प्रबन्ध बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित प्रबन्ध बोर्ड के दो–तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत का, जिसमें प्रबन्ध बोर्ड से कम से कम आधे सदस्य समाविष्ट हों, समर्थन प्राप्त हो और कुलाधिपति द्वारा उस सिफारिश की पुष्टि कर दी जाती है तो प्रबन्ध बोर्ड ऐसे व्यक्ति को उससे कोई भी परीक्षा देने की अपेक्षा किये बिना इस प्रकार सिफारिश की गयी मानद् उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्रदान कर सकेगा। **मानद् उपाधि**

49.(1) कुलाधिपति, विद्या परिषद् और प्रबन्ध बोर्ड की सिफारिश पर, जिसे प्रत्येक निकाय के उराकी बैठक में उपस्थित दो–तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत का, जिसमें प्रत्येक निकाय के कम से कम आधे सदस्य समाविष्ट हों, समर्थन प्राप्त हो, किसी व्यक्ति को कोई उपाधि का डिप्लोमा वापस ले सकेगा, यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का, जो विद्या परिषद् और प्रबन्ध बोर्ड की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित गम्भीर अपराध हो, दोष सिद्ध ठहराया गया है। **उपाधि या पत्रोपाधि का वापस लिया जाना**

(2) इस धारा के अधीन कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को परिनियमों द्वारा विहित रीति से अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।

50. विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों को समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी। ऐसी समितियां ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित कर सकेंगी जो समिति को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं। **समितियां**

51. (1) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य जानकारी देगा जैसी की प्रबंध मंडल विद्या परिषद की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् संस्था की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिए अपेक्षित करें। **महाविद्यालय, तथा अन्य निकायों का निरीक्षण**

(2) प्रबंध मंडल समय–समय पर एक या एक से अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा जो कि प्रबंध मंडल द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए जाए, ऐसी संस्था का निरीक्षण करावेगी।

(3) प्रबंध मंडल ऐसे किसी महाविद्यालय या संस्था से, जिसका इस प्रकार निरीक्षण किया गया है, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी कार्यवाही करने के लिए अपेक्षा कर सकेगी जैसा की उसे आवश्यक प्रतीत हों।

52. (1) परिनियम के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए समस्त परीक्षक तथा परीक्षा के प्रश्नों के अनुसीमक कुलपति द्वारा उस समिति के परामर्श से नियुक्त किए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– **परीक्षकों एवं अनुसीमकों की नियुक्ति**

(क) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष जो समिति का अध्यक्ष होगा,

(ख) संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष,

(ग) संबंधित अध्ययन बोर्ड का एक सदस्य जो उस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

(2) यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षक किसी कारण से उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो कुलपति उस रिक्ति को भरने के लिए परीक्षक की नियुक्ति करेगा।

अध्यापन पदों पर नियुक्ति

53. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन के पद पर, जिसका वेतन विश्वविद्यालय निधि से संदेय हो, उपधारा (2) के अनुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा को छोड़कर, नियुक्त नहीं किया जायेगा, ।

परन्तु पूर्वोक्त किसी भी अध्यापन पदों पर नियुक्ति छः माह से अधिक जारी रखने की प्रत्याशा नहीं की जाएगी तथा विश्वविद्यालय के विभाग एवं संस्था के अहित के बिना विलंब नहीं किया जा सकेगा, प्रबंधन बोर्ड उपधारा (2) के अधीन गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त किये बिना ऐसी नियुक्ति कर सकेगा किन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सामान्य पद पर छः माह से अधिक कालावधि के लिए नहीं रह सकेगा या उक्त समिति की बिना अनुशंसा के विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(2) कुलपति, निम्नलिखित सदस्य को मिलाकर चयन समिति गठित करेगा :–

(क) कुलपति	:	अध्यक्ष
(ख) एक विशेषज्ञ, जो विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित ऐसे तीन विषय विशेषज्ञों की तालिका (पैनल) में से, जो विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संसक्त न हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,	:	सदस्य
(ग) तीन विषय विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय से किसी प्रकार से संसक्त न हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाऐंगे,	:	सदस्य
(घ) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग या उसके द्वारा नामांकित जो संयुक्त सचिव पद से अनिम्न हो,	:	सदस्य

(3) चयन समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

परन्तु कोई भी सिफारिश नहीं की जाएगी, यदि उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन नामनिर्देशित किए गए कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित न हों ।

(4) समिति, विभिन्न, अभ्यर्थियों के गुणागुण का अनुवेषण करेगी और गुणानुक्रम में क्रमांकित पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नाम प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करेगी।

(5) कुलपति, उपधारा (4) के अधीन इस प्रकार सिफारिश की गई नामों में से प्रबंधन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से प्रावीण्यता के क्रम में, व्यक्तियों को नियुक्त करेगा ।

अध्यापकों को विश्वविद्यालय द्वारा देय वेतन

54. अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को वेतन संदाय किया जाएगा ।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

55. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां शेष पदावधि के लिए यथाशीघ्र भरी जावेगी।

सेवा शर्तें

56.(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी लिखित आदेश के अधीन नियुक्त किए जायेंगे जो कि विश्वविद्यालय में रखी जायेगी।

(2) सेवा संबंधी मामले का कोई विवाद परिनियम और अध्यादेश के अनुसार न्यायनिर्णित किया जायेगा ।

पेंशन एवं भविष्य निधि

57.(1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकीय कर्मचारिवृन्द एवं अन्य कर्मचारियों के लिए ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जैसा कि परिनियमों द्वारा अवधारित किया जाए, ऐसे पेंशन, बीमा एवं भविष्य निधि का गठन करेगा और ऐसे अन्य लाभ भी संस्थित करेगा, जैसा कि उचित समझे ।

(2) जहां ऐसे कोई पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का इस प्रकार गठन किया गया हो या जहां ऐसे कोई पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का गठन महाविद्यालय द्वारा नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, किया गया हो, राज्य सरकार घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (क्र. 19 सन् 1925) के प्रावधान ऐसी निधियों पर लागू होंगे, जैसे कि शासकीय भविष्य निधि के लिए होते ।

शिक्षण देने के लिये अनुमोदन

58. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में –

(क) तब तक शिक्षण नहीं देगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विद्या परिषद द्वारा उस संबंध में निर्धारित की गई अर्हताएं न रखता हो और

(ख) ऐसे विषय या विषयों में तथा उसी स्तर पर जिसके लिये विद्या परिषद ने उसकी अर्हताएं अनुमोदित की हो, शिक्षण देगा, इसके सिवाय नहीं ।

अध्यापकों का

59. विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय और संस्थाओं के शिक्षकों का वर्गीकरण ऐसा होगा जैसा कि अध्यादेश में प्रावधानित किया जाए ।

राज्य सरकार कतिपय परिस्थितयों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी

60.(1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कतिपय कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी परिस्थिति उद्भूत हो गई है कि जिससे विश्वविद्यालय की स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी, कि विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय समय पर वैसी ही अधिसूचना द्वारा प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वे उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परंतु ऐसे प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यापालिक प्राधिकार का विस्तार इस प्रकार बढ़ जाएगा कि वह उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धांतों का, जो कि निर्देश में विनिर्दिष्ट है, अनुपालन करे और अन्य निर्देश दे सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे ।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्देश के अंतर्गत कोई ऐसा उपबंध कर सकेगा :–

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि बजट मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए,

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई हो कि वह प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव, जिसमें वित्तीय विवक्षा अन्तर्वलित है, मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए,

(तीन) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारी, शिक्षक व अन्य समस्त व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाये,

(चार) जिसमें यह अपेक्षा की गई कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये समस्त व्यक्तियों के या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाये,

(पांच) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या में कमी की जायें,

(छः) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दर को कम किया जाये, और

(सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दबाव कम हो जाये,

परन्तु कुलाधिपति यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे ।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी के लिये और विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आबद्धकर होगा कि वह इस धारा के अधीन किये गये निर्देशों को कार्यान्वित करें ।

(6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिये गये निर्देश के अनुपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरूपयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप में दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनशक्ति, नियोजन विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।

परन्तु हानि की रकम भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो ।

कतिपय परिस्थितियों में में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपांतरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्तियां

61. (1) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना, उसमें (अधिसूचना में) वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि धारा 11,13,19,20,21,27,34,43,44 और 70 के उपबंध करने की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को, लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार,

समय समय पर, उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि जैसा कि वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि जिसमें अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(3) कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किए जाने के साथ-साथ शासन के किसी वरिष्ठ, विशेषकर पात्र शैक्षणिक आधार वाले अधिकारी को कुलपति नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति अधिसूचना के कियान्वयन की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा तथा धारा 13 के अधीन नियुक्त किये गये कुलपति की समस्त शक्तियां होंगी।

परन्तु कुलपति,अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात तब तक पद धारण किए रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:-

(क) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारण किये हुए हो, इस बात के होते हुए भी उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपने पद को रिक्त कर देगा,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद या विद्या परिषद के सदस्य के रूप में पद धारण किये हुए हो, उस पद पर नहीं रह जायेगा।

(ग) जब तक यथास्थिति प्रबंधन बोर्ड या विद्या परिषद का यथा उपातंरित उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन हो जाए तब तक कुलपति जो यथा उपातंरित धारा 11 तथा 13 के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि प्रबंधन बोर्ड या विद्या परिषद को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हो या उन पर अधिरोपित किये गये हों। परन्तु यदि प्रबंधन बोर्ड तथा विद्या परिषद अधिसूचना के प्रवर्तन के कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाये तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक कि यथास्थिति प्रबंधन बोर्ड या विद्या परिषद का गठन इस प्रकार न हो जाये।

परिणाम जो धारा 61 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर होगा

62. धारा 61 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि के अवसान पर, इस अधिनियम के उपबंध, जैसे कि वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय के लिए लागू होने के संबंध में का अवसान होने पर उपातंरित किये गये हैं, उसके संबंध में प्रवृत्त नहीं रहेंगे और इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंध पुनः प्रवर्तित हो जायेंगे तथा ये लागू रहेंगे।

परन्तु अधिसूचना के प्रवर्तन के अवसान का -

(क) यथा उपातंरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उन उपबंधों या उस आदेश के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

(ख) यथा उपातंरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा या,

(ग) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा अन्वेषण या उपचार इस प्रकार संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो कि उपातंरित उपबंधों का लागू होना समाप्त नहीं हुआ हो।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद

63. यदि इस अधिनियम या किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के, संबंध में या इस संबंध में की क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यकरूपेण निर्वाचित, नियुक्त होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो मामला कुलाधिपति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा।

परन्तु कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व कुलाधिपति स्वयं या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी, ऐसे विनिश्चय के कारण प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के स्पष्टीकरण में,–

(क) "निकाय" में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित की गई कोई समिति सम्मिलित है, ।

(ख) "नियुक्त किया गया" में विश्वविद्यालय के वैतनिक पदों पर नियुक्तियॉ सम्मिलित नहीं है।

विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होगा

64. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी समिति या निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि :–

(क) उसमें कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है:

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, या नाम निर्देशन नियुक्ति में कोई त्रुटि है: या

(ग) उसकी प्रकिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

65. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेश या विनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावनापूर्वक किया जाना आशयित हो, कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्यों की पदावधि

66. (1) जब कभी इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार बारी–बारी से कोई पद धारण करना हो या किसी प्राधिकारी का सदस्य होना हो, तो ऐसी ज्येष्ठता इस अधिनियम में कोई प्रतिकूल उपबंध न होने पर परिनियमों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

परन्तु जब तक कि ऐसे परिनियम बनाए जाएं किसी विशिष्ट संवर्ग में ज्येष्ठता, ऐसे संवर्ग में की गई निरंतर सेवा की

अवधि के आधार पर अवधारित की जाएगी और जहाँ दो या अधिक व्यक्तियों की उसी संवर्ग में की गई सेवा की अवधि एक सी हो वहाँ ज्येष्ठता, आयु में ज्येष्ठता के आधार पर अवधारित की जायेगी ।

(2) जब कभी कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित ओहदे या पद के आधार पर या कोई विनिर्दिष्ट अर्हता रखने के आधार पर किसी प्राधिकारी का सदस्य बन जाता है, तो वह उस दशा में जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व ऐसे ओहदे या पद पर न रहें या उस दशा में जबकि उसकी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व उसमें ऐसी अर्हता न रह जाए, तत्काल ऐसे प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा।

परन्तु केवल इसी कारण से कि वह ऐसी कालावधि के लिये चार मास से अधिक न हो, छुट्टी पर चला गया हो, उसके संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह उस ओहदे या पद का धारणकर्ता नहीं रह गया है।

विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र

67.(1) प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद् या किसी अन्य विश्वविद्यालयीन प्राधिकारी या समिति के पदेन से भिन्न कोई भी अधिकारी, संकाय या संकायाध्यक्ष, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और त्यागपत्र कुलसचिव द्वारा पत्र प्राप्त किये जाने के समय से ही प्रभावशील हो जायेगा ।

(2) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से भिन्न कोई भी अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा हो, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ऐसा त्याग पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि वह उस प्राधिकारी द्वारा प्रतिग्रहीत कर लिया जाता है जो कि उस रिक्ति को भरने के लिए सक्षम है।

प्राधिकारी का सदस्य रहने के लिये निरर्हता

68.(1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा:–

(क) यदि वह विकृत चित्त का है, या

(ख) यदि वह बहरा है, मूक है या किसी सांसर्गिक रोग से पीड़ित है, या

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, या

(घ) यदि वह किसी विधि न्यायालय से किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमें कि नैतिक पतन अंतर्वलित हो,और उसके संबंध में कारावास से जो 6 माह से कम का न हो, दण्डित किया जा चुका है ।

(2) यदि इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति उपधारा (1) मे वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के अध्यधीन है या रहा था, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह प्रश्न कुलाधिपति के विनिश्चय के लिए विनिर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध किसी भी विधि न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी ।

स्नातकों के रजिस्टर से किसी स्नातक या पत्रोपाधिधारकों के नाम हटाने या विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति

69.(1) कुलाधिपति, प्रबंधन बोर्ड के निवेदन पर किसी भी व्यक्ति का स्नातकों या पत्रोपाधिधारकों के रजिस्टर से किसी भी व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से हटा सकेगा, यदि वह व्यक्ति—

(एक) घोर कदाचार का दोषी है, और

(दो) ऐसा कार्य करता है जो विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है:

परन्तु कुलाधिपति, ऐसी दशा में प्रारंभिक जांच करवायेगा तथा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह यथास्थिति पर लिखित आरोप–पत्र की तामील करेगा, जिसमें यथास्थिति कदाचार का या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य का कथन किया जाएगा ।

कठिनाईयों का निराकरण

70. यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम गठन या पुनर्गठन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, उस अवसर पर जैसा अपेक्षित हो उसके अनुसार, आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगी जो कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो ।

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक 8850/डी.242/21-अ/प्रा./छ. ग./08.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 21 of 2008)

THE AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH ACT, 2008

TABLE OF CONTENTS

Sections:-

1. Short title, extent and commencement.

2. Definitions.

3. Establishment and Incorporation of University.

4. Object of the University.

5. Powers and functions of University.

6. Jurisdiction and admission to privileges.

7. University to be open to all classes and creeds.

8. Officers of University.

9. Chancellor and his Powers.

10. Inspection or inquiry and direction by the Chancellor.

11. Appointment and Removal of Vice-chancellor.

12. Powers of Vice-chancellor.

13. Appointment, Powers and duties of Vice-chancellor for the Establishment of the University.

14. The Registrar.

15. Dean.

16. The Finance and Accounts Officer.

17. Other Officers.

18. Authorities of University.

19. Board of Management.

20. Powers and duties of the Board of Management.

21. Academic Council.

22. Powers and duties of the Academic Council.

23. Faculties.

24. Composition of Faculties.

25. Functions of Faculties.

26. Boards of Studies.

27. Finance and Accounts Committee.

28. Board for Sports and Students Welfare.

29. Other University Bodies.

30. Statutes.

31. Statutes how made.

32. Ordinances.

33. Ordinances how made.

34. Regulations.

35. Affiliation.

36. Extension of Affiliation.

37. Recognition of institutions of research and specialized studies.

38. **Approval of institutions.**

39. **Withdrawal of affiliation.**

40. **Withdrawal of recognition or approval.**

41. **University Fund.**

42. **Object to which University Fund may be applied.**

43. **Annual Reports.**

44. **Audit of Account.**

45. **Enrolment of Students.**

46. **Post Graduate teaching.**

47. **Residence of the students.**

48. **Honorary Degree.**

49. **Withdrawal of Degree or Diploma.**

50. **Committees.**

51. **Inspection of College and Other Body.**

52. **Appointment of Examiners and Moderators.**

53. **Appointment of teaching posts.**

54. **Salaries to the teachers payable by University.**

55. **Filling of casual vacancies.**

56. **Service Conditions.**

57. **Pension and Provident Fund.**

58. **Approval for imparting instructions.**

59. **Classification of teachers.**

60. State Government to assume financial control in certain circumstances.

61. Powers of State Government to apply Act in modified form with a view to provide for better administration of University in certain circumstances.

62. Effect on expiration of the period of notification under Section 61.

63. Dispute as to constitution of University authorities and bodies.

64. Proceedings of University and bodies not invalidated by vacancies.

65. Protection of action taken in good faith.

66. Terms of office of members of Authority of University.

67. Resignation of member or officer of University.

68. Disqualification for being member of authority.

69. Power to remove the name of any graduate or diploma holder from register or from membership of authority or body of the University.

70. Removal of difficulties.

***

CHHATTISGARH ACT
(No. 21 of 2008)

THE AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH ACT, 2008

An

Act

to establish and incorporate a teaching, research and affiliating university for the purpose of ensuring efficient and systematic education, training, research and development of Health sciences including Modern System of Medicine, Ayurved, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Homoeopathy, Dentistry, Pharmacy, Physiotherapy, Nursing, Public Health.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty Ninth Year of the Republic of India, as follows, :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the AYUSH and Health Sciences University of Chhattisgarh Act, 2008.
(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.
(3) It shall come into force on such date as the State Government may appoint by Notification in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires -
(a) "Affiliated institution" means an institution affiliated under Section 6 or 35;
(b) "Approved institution" means an institution approved under Section 6 or 38;
(c) "Authority" means an authority of the university specified in Section 18;
(d) "AYUSH" means the Ashtang Ayurved system of medicine, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy Systems, whether supplemented or not by such modern advances, as are consistent with the fundamental principles of Indian System of Medicine and as the university may from time to time determine;
(e) "Board of Management" means the Board specified in Section 19;
(f) "Central Council of Indian Medicine" means the council constituted under Section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (No.48 of 1970);
(g) "Central Council of Homoeopathy" means the council constituted under Section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (No59 of 1973);
(h) "Chancellor" means the Chancellor of the university;
(i) "College" means an institution admitted to the privileges of the university by or under the provisions of this Act and includes a University college;
(j) "Dental Council of India" means the Council constituted under Section 3 of the Dentists Act, 1948 (No. 16 of 1948);

(k) "Dean" means the Dean of a Faculty or a College;

(l) "Employee" means any person appointed by the university and includes teachers and other staff of the university;

(m) "Faculty" means the faculty of Modern System of Medicine, Ayurved, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Homoeopathy, Dentistry, Pharmacy, Physiotherapy, Nursing, Public Health or any other related faculty of study established by the University;

(n) "Finance Committee" means the Finance and Accounts Committee of the university constituted under sub-section(1) of Section 27;

(o) "Governor" means the Governor of the State of Chhattisgarh;

(p) "Health sciences" means the Modern System of Medicine, Ayurved, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Homoeopathy, Dentistry, Pharmacy, Physiotherapy, Nursing, Public Health and related faculties of study;

(q) "Hostel" means a unit of residence for students maintained by the university or affiliated college or a recognized or approved institution;

(r) "Institution" means an educational institution engaged in imparting instruction, teaching and training, research and development in the field of Health sciences, not being a college, maintained by the university;

(s) "Indian Nursing Council" means the Council constituted under Section 3 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (No. 48 of 1947).

(t) "Imparting instruction" means teaching and training or undertaking research and development or discharging such other responsibilities which the university may specify;

(u) "Medical Council of India" means the Council constituted under Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (No.102 of 1956);

(v) "Modern System of Medicine" means Allopathy System of Medicine and Allied Sciences.

(w) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes specified by the State Government vide Notification No. F 8-5/XXV-4-84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(x) "Principal" means the Head of a College and includes a Dean of a College;

(y) "Recognized institution" means an institution recognized under Section 6 or 37;

(z) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes specified in relation to the State of Chhattisgarh under Article 341 of the Constitution of India;

(aa) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes specified in relation to the State of Chhattisgarh under Article 342 of the Constitution of India;

(bb) "State Government" means the State Government of Chhattisgarh;

(cc) "Statute", "Ordinance" and "Regulation" mean respectively the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act, for the time-being in force;

(dd) "Teacher of the university" means a Professor, an Associate Professor, a Reader, an Assistant Professor, a Lecturer and such other person as may be appointed for imparting instruction in the university or in any college or institution maintained by the university under this Act;

(ee) "University college" means a college established or maintained by the University for the purposes of this Act, or a college transferred to the university and maintained by it.

(ff) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (No.3 of 1956);

(gg) "University" means the AYUSH and Health Sciences University of Chhattisgarh constituted under this Act;

(hh) "University department" means any research institution or department maintained by the university;

(ii) "Vice-chancellor" means the Vice-chancellor of the university;

(jj) "Visiting Professor" means a Professor invited by the Board of Management for a short term of not more than six months as stipulated in the contract.

Establishment and Incorporation of University.

3. (1) There shall be established in the State of Chhattisgarh a university by the name of the AYUSH and Health Sciences University of Chhattisgarh;

(2) The Chancellor, the first Vice-chancellor of the university appointed under Section 13 and the first members of the Board of Management and Academic Council of the university and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, shall constitute a body corporate by the name of the AYUSH and Health Sciences University of Chhattisgarh;

(3) The headquarter of the university shall be at Raipur;

(4) The university shall have perpetual succession and a common seal, and shall sue and be sued by the said name;

(5) The university shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sale or otherwise transfer any movable or immovable property which may vest in or be acquired by it for the purposes of the

university, to raise loans on the security of its assets and to contract and to receive donations and do all other things necessary for the purposes of the Act :

Provided no such lease, sale or transfer of immovable property shall be made without the prior approval of State Government;

Provided further that the power to raise any such loan shall be exercised after obtaining previous permission of the State Government.

Object of the University.

4. The object of the university shall be to disseminate, create and preserve knowledge of health sciences and understanding by teaching, research, extension of education and service by effective demonstration, in general and in particular the following object shall be:-

(1) to carry out its responsibility of new inventions, preservation and dissemination of knowledge of Health sciences;
(2) to extend the benefits of knowledge and skills for developing total health of individuals and society by associating the university closely with local and regional health problems;
(3) to facilitate research and specialization in Health sciences;
(4) to promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continuously offer opportunities of upgrading discovery in all fields of Health sciences with use of modern communication media and technologies;
(5) to built up financial self-sufficiency by undertaking academic and allied programme and resource generative services in a cost effective manner;
(6) to serve as an academic centre of excellence for all students from different parts of the country and outside;
(7) To maintain a uniform curriculum in all the institutions the affiliated to it;
(8) To conduct a entrance examination to the courses in all the institutions affiliated thereto; and
(9) To improve the standards of Medical Education including Research.

Powers and functions of University.

5. Subject to the provisions of this Act, the university shall have the following powers and shall perform the following functions, namely:-

(1) to formulate and maintain uniform curriculum and system of examinations for all the colleges and other institutions in the respective systems of health sciences;
(2) to conduct entrance examination for all the colleges in the respective systems of medicine, for the selection of students;
(3) to provide for instruction and training in such branches of medicine and allied sciences as may

be considered suitable and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge in health sciences;

(4) to make such provisions as would enable affiliated colleges, recognized institutions and approved institutions to undertake specialization of studies;

(5) to establish and organize common pharmaceutical laboratories, drug testing laboratories, libraries, museums, pharmacies and other equipments for teaching and research;

(6) to establish, takeover, maintain, manage and supervise colleges, affiliated colleges, departments, centres and institutes of research or specialized studies, recognized institutions and approved institutions;

(7) to institute professorship, readership, lectureship and any other posts of teachers required by the university;

(8) to appoint or recognize person as professor, reader or lecturer or otherwise as teacher of the university;

(9) to guide teaching in colleges, university departments or recognized and approved institutions;

(10) to institute degrees, titles, diplomas, certificates and other academic distinctions and to impart instruction for such courses of study as it may determine;

(11) to develop, upgrade and start departments in the medical specialties, as may be required and to impart instruction for such courses of study, as it may determine;

(12) to confer degrees, titles, diplomas and other academic distinctions on persons who shall have carried out research in the, university or in any other centre or institution recognized by the university under the conditions prescribed;

(13) to prescribe conditions under which the award of any degree, title, diploma and other academic distinction may be withheld;

(14) to hold examinations and to confer degrees, diplomas and other academic distinctions on persons who,-

(a) have pursued approved courses of study in the university or in an affiliated college unless exempted there from in the manner prescribed by the statutes, ordinances and regulations and have passed the examinations prescribed by the university; or

(b) have carried on research under conditions prescribed by the ordinances or regulations;

(15) to confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner laid down by the statutes;

(16) to grant certificates and diplomas and to impart instruction and training to persons not enrolled as students of the university as may be specified in the statutes, ordinances and regulations;

(17) to institute, maintain and administer university colleges, hospitals and laboratories and institutes of research, libraries or other institutions necessary to carry out the objects of the university;

(18) to affiliate, approve or recognize colleges and institutions and to withdraw such affiliation, approval or recognition;

(19) to admit educational institutions to the privileges of the university and to withdraw such privileges;

(20) to inspect colleges, recognized/approved institution and to take measures to ensure that proper standards of instructions, teaching or training are maintained by them and that adequate library and laboratory facilities are provided therein;

(21) to control and co-ordinate the activities of or to give financial aid to affiliated colleges, approved institutions and recognized institutions;

(22) to hold and manage trusts and endowments and to institute and award all kinds of fellowships scholarships, studentships, medals and prizes;

(23) to fix, demand and receive or recover such fees and other charges as may be prescribed by the ordinances;

(24) to supervise and control hostels and to regulate and enforce discipline among the students of the university and to make arrangements for promotion of their health and general welfare;

(25) to establish, maintain and manage hostels;

(26) to recognize hostels not maintained by the university, to inspect such hostels and to withdraw such recognition;

(27) to co-ordinate, supervise, regulate and control the residence, conduct and discipline of the students of the university and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(28) to co-ordinate, supervise, regulate and control the conduct of teaching and research work of university centres, affiliated colleges and the institutions recognized or approved by the university;

(29) to setup and manage any faculty or such departments in any faculty as may be provided in the statutes, ordinances or regulations;

(30) to make provisions for :-

(a) extra-mural teaching and the activities provided for in the statutes, ordinances or regulations;

(b) physical education, National Cadet Corps and National Social Service;

(c) sports and students welfare;

(31) to co-operate with other universities and authorities in such manner and for such purposes as the university may determine;

(32) to invite research-scholars, students, professors, Vaidyas, medical practitioners and other interested persons in the study of health sciences to give lectures, instructions or otherwise help in the study of health sciences and to fix their pay, honorarium and other expenses payable to them;

(33) to collect edit or publish manuscripts, books, periodicals, pamphlets and papers in the subject of health sciences and for that purpose to establish works and open printing press;

(34) to carry out or help surveys and research work in the field of health sciences;

(35) to appoint or recognize persons working in any other university or other organizations as adjunct professors, adjunct readers, adjunct lecturers, visiting professors of the university for specified periods;

(36) to receive funds for collaboration programmes from foreign agencies, universities, institutions etc. subject to the prevailing rules and regulations;

(37) to receive grants, subscriptions, donations and gift for the purpose of the university consistent with the object for which the university is established;

(38) to provide for periodical assessment of the performance of teachers and non-teaching employees of the colleges or institutions and the university;

(39) to do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not as may be requisite in order to further the objects of the university and generally to cultivate and promote health sciences as well as its allied themes of learning.

6. (1) No Medical, Dental, Nursing, Physiotherapy, Ayurvedic, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homoeopathy, institution or any faculty or any college established, approved, affiliated and recognized by the university within the State of Chhattisgarh shall, save with the permission of the university, be associated in any way with or seek admission to any privilege of any other university established by law;

Jurisdiction and admission to privileges.

(2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force in the State an institution or college of health sciences affiliated or recognized or approved as the case may be, by any university established in the State immediately before the commencement of this Act under any existing law shall, immediately after the commencement of this Act be deemed affiliated to, recognized or, approved by, as the case may be, this university subject to the provisions of this Act or the statutes, ordinances or regulations made under the Act, and its affiliation, recognition or approval by the other university shall be deemed to have discontinued;

Provided that State Government may by notification to be published in the Official Gazette, defer the application of sub-section (1) and (2) for such period, not exceeding 6 months from the date of incorporation of the university, as may be required for the university to become functional;

(3) Any institution of health sciences situated outside the State of Chhattisgarh may subject to the prevailing Acts or Rules governing that institution and subject to such conditions as may be prescribed under the Rules made by the State Government and the statutes, ordinances or regulations made by the university, be admitted to the privileges to the university.

7. The university shall be open to all persons irrespective of race, class, creed or sex;

University to be open to all classes and creed

Provided that the university may,-

(a) restrict the eligibility of admission to the courses of study of the university;

(b) make reservations in favour of the scheduled castes, the scheduled tribes, other backward classes, girls students and other categories in accordance with any law or orders of the State Government for the time being in force.

8. The following shall be the officers of the University, namely :-

Officers of University

(i) The Chancellor;

(ii) The Vice-chancellor;

(iii) The Registrar;

(iv) The Deans of Faculties;

(v) The Finance and Accounts Officer;

(vi) Such other officers in the service of the university as may be declared by the Statutes to be officers of the university.

Chancellor and his Powers.

9. (1) The Governor shall be the Chancellor of the university;

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the head of the university;

(3) The Chancellor when present shall preside over the convocation of the university;

(4) The Chancellor shall constitute the board of management and the Academic council of the university in accordance with the provisions of this Act;

(5) The Chancellor may issue directions to the Vice-chancellor to convene the meeting of any authority of the university for specific purposes, whenever necessary and the Vice-chancellor shall submit the minutes of such meetings to the Chancellor;

(6) The Chancellor may-

(a) call for any record or information relating to the affairs of the university; and

(b) after reasons, to be recorded, refer any matter except a matter falling under Section 62, or reconsideration to any officer or authority of the university, which has previously considered such matter;

(7) The Chancellor may cause an inspection by such person or persons as he may nominate, of the university and its buildings, centres, libraries, museums, workshops, equipments and examinations and also of any institution, college or hostel administered, controlled or maintained by the university as well as of the examination, teaching and other work conducted by the university;

(8) The Chancellor may cause an enquiry into any matter relating to administration or the finances of the university;

(9) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred upon or vested in him by or under this Act;

Inspection or inquiry and direction by the Chancellor.

10. (1) Where an inspection or inquiry has been ordered by the Chancellor of the university under sub-section (7) or (8) of Section 9, the university may depute one of its officers to represent it, in such inspection or enquiry;

(2) The result of the inspection or inquiry and the advice, if any, of the Chancellor shall be communicated by the Chancellor to the Vice- chancellor;

(3) The result and the advice referred to in subsection (2) shall be communicated by the Vice-chancellor with his comments to the Board of Management for such action as the Board may propose to take and the action so taken shall be communicated to the Chancellor through the Vice-chancellor.

(4) Where the Board of Management fails to take any action within reasonable time as required or does not take action to the satisfaction of the Chancellor, a direction may be issued by the Chancellor and the Board of Management shall comply with such direction.

Appointment and Removal of Vice-Chancellor.

11. (1) The Vice-chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of not less than three persons recommended by a committee constituted under sub-section(2) or sub-section (6):

Provided that if the Chancellor does not approve of any of the persons so recommended or the person or persons approved by the Chancellor out of those recommended by the committee are not willing to accept the appointment, the Chancellor may call for fresh recommendations from such committee;

Provided further that the first Vice-chancellor of the University shall be appointed as per provisions of Section 13;

(2) The Chancellor shall appoint a committee consisting of the following persons, namely :-

(a) A nominee of the Chancellor;

(b) A nominee of the State Government; and

(c) A nominee of the Board of Management;

The Chancellor shall appoint one of these three person to be the chairman of the committee.

(3) For constituting the committee under sub-section (2), the Chancellor shall, six months before the expiry of the term of Vice-chancellor, call upon the Board of Management, and the Secretary of the Department of Health and Family Welfare of the State Government to choose their nominees and if any or both of them fail to do so within one month of the receipt of the Chancellor's communication in this regard, the Chancellor may further nominate the person, on behalf of category (b) or (c) or for both, as the case may be

(4) No person who is connected with the University or any colleges shall be recommended or nominated on the committee under sub-section (2);

(5) The Committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further period not exceeding four weeks as may be extended by the Chancellor;

(6) If, for any reason the committee constituted under sub-section(2) fails to submit the panel within the period specified in the sub-section (5), the Chancellor shall constitute another committee consisting of three persons not connected with the university or any College, and one of them shall be designated as the Chairman. The Committee so constituted shall submit a panel of not less than three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified from the date of its constitution.

(7) If the committee constituted under sub-section (6) fails to submit the panel within the period specified therein, the Chancellor may appoint any person whom he deems fit to be Vice-Chancellor after consultation with the State Government;

(8) The Vice-chancellor shall be an educationist or administrator having experience and expertise in the field of Modern Medicine or Ayurveda;

(9) The Vice-chancellor shall be a full time salaried officer of the university and shall hold office during the pleasure of the Chancellor;

(10) The tenure of the office of Vice-chancellor shall be four years or till attaining the age of sixty seven years, whichever is earlier. The Vice-chancellor shall not be eligible for appointment for more than two terms;

(11) The Vice-chancellor may relinquish his office by resignation in writing under his hand addressed to the Chancellor which shall be delivered to the Chancellor normally 60 days prior to the date on which the Vice-chancellor wishes to be relieved from his office, but the Chancellor may relieve him earlier;

(12) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiry as may be deemed necessary, it appears to the Chancellor that Vice-chancellor:-

(a) has made default in discharging any duty imposed on him by or under this Act; or

(b) has acted in a manner prejudicial to the interest of the university; or

(c) is incapable of managing the affairs of the university, the Chancellor may notwithstanding the fact that the term of office of Vice-chancellor has not expired , by an order, in writing, stating the reasons therein, require Vice-chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

(13) No order under sub-section (12) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to Vice-chancellor and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order;

(14) As from the date specified in the order under sub-section(12),Vice-chancellor shall be deemed to have relinquished the office and the office of Vice-chancellor shall fall vacant;

(15) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the office of Vice-chancellor by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise, officer nominated by the Chancellor as per the provision of sub-section (3) of Section 61 shall act as Vice-chancellor until the Vice-chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (7), as the case may be, enter upon office;

Provided that the arrangements contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months.

Powers of Vice - chancellor.

12.(1) The Vice-chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall, in the absence of the Chancellor, preside at any convocation of the university;

(2) The Vice-chancellor shall be an ex-officio member and Chairman of the Board of Management, Academic Council and of the committees constituted under Section 50. He shall be entitled to be present with the right to speak, at any meeting of any other authority or body of the university, but shall not be entitled to vote unless he is a member of that authority or body;

(3) The Vice-chancellor shall have power to convene meetings of the Board of Management, the Academic Council and joint meeting of faculties and such other authorities of the university of which he is the Chairman. He may delegate this power to any other officer of the university;

(4) It shall be the duty of the Vice-chancellor to ensure that this Act, the statutes, ordinance and regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for the purpose;

(5) (a) In any emergency which, in the opinion of the Vice-chancellor, requires that immediate action should be taken, he shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer, authority or body as would have in the ordinary course dealt with the matter;

(b) When action taken by the Vice-chancellor under this sub-section affect any person in the service of the university, such person shall be entitled to prefer an appeal through the said officer, authority or body to the Board of Management within fifteen days from the date on which such action is communicated to him;

(6) The Vice-chancellor shall give effect to the orders of the Board of Management regarding appointment, dismissal, suspension and punishment of the person in the service of the university or teachers of the university or regarding the recognition or withdrawal of the recognition of any such teacher and shall exercise general control over the affairs of the university. He shall be responsible for the discipline of the university in accordance with this Act, the statutes and ordinance;

(7) The Vice-chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the statutes and ordinances.

Appointment, Powers and duties of Vice-chancellor for the establishment of the University.

13. To carryout the business of newly established university the State Government shall appoint the first Vice-chancellor, a person who shall be an educationist or Administrator having experience and expertise in the field of Modern Medicine or Ayurved for the period not exceeding five years and the person so appointed shall constitute Board of Management, Academic Council and other authorities of the university within a period of six months from the date of establishment of the university and till the said authorities are constituted, Vice-chancellor shall be deemed to be the Board of Management, Academic Council or such other Authority, as the case may be, and shall excercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on such authorities by or under this Act:

Provided that the Chancellor may, if he considers it necessary or expedient so to do, appoint a committee, after consultation with the State Government consisting

of an educationist and an administrative expert and representatives from various branches of health sciences to aid and advise Vice-chancellor in the exercise of his powers and performance of duties in lieu of each such authority.

The Registrar.

14. (1) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the university.

(2) The Registrar shall be a whole time salaried officer and shall act as Secretary of the Board of Management, Academic Council and such Authorities, Bodies and committees as prescribed by or under this Act;

(3) The Registrar shall be appointed by the Vice-chancellor with the prior approval of the Board of Management from the officers of the State University Service constituted under the Chhattisgarh University Adhiniyam, 1973 (No.22 of 1973) or from deputation;

Provided that Registrar shall be appointed by the State Government.

(4) The emoluments and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the statutes;

(5) The Registrar shall exercise such powers and discharge such duties as may be conferred or imposed on him by or under this Act or by statutes, ordinances and regulations;

Dean.

15.(1) There shall be Deans who shall be whole time salaried officer of the university and appointed by the Vice-chancellor with the prior approval of the Board of Management in accordance with the statutes made in this behalf;

(2) The emoluments and the conditions of service of the officers appointed under sub-section(1) shall be such as may be prescribed by the statutes;

(5) The Deans shall exercise such powers and discharge such duties as may be conferred or imposed on them by the statutes.

The Finance and Accounts Officer.

16.(1) The Finance and Accounts Officer shall be the principal finance accounts and audit officer of the university;

(2) The Finance and Accounts Officer shall be a whole time salaried officer and shall be appointed by the Vice-chancellor with the prior approval of the Board of Management

(3) The Finance and Accounts Officer shall be appointed from deputation from State Accounts Service;

(4) The emoluments and conditions of Service shall be such as prescribed by the statutes;

(5) The duties of Finance and Accounts Officer shall be to:-

(a) exercise general supervision over the funds of the university and to advise the Vice-chancellor in regard to the financial policies of the university;

(b) subject to the control of the Vice-chancellor manage the investment of the university;

(c) be responsible for seeing that all money are expended on the purpose for which they are granted or allotted and no expenditure not authorized in the budget, is incurred by the university;

(d) exercise such other powers as may be conferred on him by the statutes.

Other Officers.

17. The appointment of the officers of the university referred to in Section 8 shall be made in such manner and the conditions of their service and their powers and duties shall be such as may be prescribed by the statutes and regulations.

Authorities of University.

18. The following shall be the authorities of the university namely;-

(i) Board of Management;
(ii) Academic Council;
(iii) Faculties;
(iv) Boards of Studies;
(v) Finance and Accounts Committee;
(vi) Board for Sports and Student Welfare, and
(vii) Such other Bodies of the university as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

Board of Management.

19.(1) There shall be a Board of Management of the university which shall be the principle executive body of the university. The Chancellor shall, as soon as the Vice-chancellor is appointed, take action to constitute such Board in accordance with the provisions of this Act.

(2) The Board shall be consisting of the following members, namely :-

(a) The Vice-chancellor;	:	Chair Person
(b) Secretary, Incharge of Health and Family Welfare Department of the State Government or his nominee not below the rank of Joint Secretary;	:	Member,
(c) Secretary, Incharge of Finance Department of the State Government or his nominee not below the rank of Joint Secretary;	:	Member.
(d) One member nominated by the Ministry of Health and Family Welfare. Government of India;	:	Member.

(e)	One member nominated by the AYUSH Department Ministry of Health and Family Welfare, Government of India;	:	Member,
(f)	The Director Medical Education Chhattisgarh;	:	Member,
(g)	The Director Health Services Chhattisgarh;	:	Member,
(h)	The Director Ayurved, Yoga and Naturopathy Unani Siddha and Homoepathy (AYUSH) Chhattisgarh;	:	Member,
(i)	One Dean of Medical Colleges, by Rotation;	:	Member,
(j)	One Principal of Ayurved Colleges, by Rotation;	:	Member,
(k)	One Principal of Dental Colleges, by Rotation;	:	Member,
(l)	One Principal of Nursing Colleges, by Rotation;	:	Member,
(m)	Three distinguished educationists from the field of Health sciences nominated by the Chancellor	:	Member,
(n)	One Head of the Department, nominated by the Vice-Chancellor from amongst the heads of University departments	:	Member,
(o)	Three members nominated by the State Government;	:	Member
(p)	The Registrar of the university;	:	Member-Secretary,

(3) The quorum at the meeting of the Board of Management shall be of ten voting members. Member-Secretary shall not have the right to vote.

(4) In the absence of Vice-Chancellor one of the Members designated by the Vice-Chancellor shall preside over the meeting.

(5) There shall be not less than two meetings of the Board of Management in a year.

(6) The nominated members of the Board of Management shall hold office for a period of three years from the date of their nomination.

Powers and duties of the Board of Management.

20. The Board of Management shall exercise the following powers and discharge the following duties, namely:-

(a) to make such provisions, as may enable colleges and institutions to under take specialized studies and, where necessary or desirable, organize and make provisions for common libraries, museums, laboratories and equipments for teaching and research;

(b) to establish departments, colleges, institutions, hostels

and provide housing for staff, on the recommendation of the Academic Council ;

(c) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances subject to approval by the Chancellor;

(d) to control and supervise all administrative affairs of the university;

(e) to hold, control and arrange for administration of assets and properties of the university;

(f) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the university;

(g) to determine the form of a common seal for the university, and provide for its custody and use;

(h) to approve the budget estimates received from the Finance and Accounts Committee with its own modifications, if any;

(i) to consider and adopt the annual report, annual accounts and audit report;

(j) to accept, on behalf of the university, trusts, bequests, donations and transfer of any movable or immovable property to the university;

(k) to transfer by sale, or otherwise any movable property on behalf of the university;

(l) to borrow, land or invest funds and receive donations on behalf of the university as recommended by the finance and Accounts Committee;

(m) to lay down policy for administrating funds at the disposal of the university for specific purposes;

(n) to recommend to Chancellor for conferment of honorary degrees and academic distinctions;

(o) to institute and confer such degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions as recommended by the Academic Council and arrange for convocation for conferment of the same as provided by the statutes;

(p) to institute all kinds of fellowships, scholarships, studentship, exhibitions, awards, medals and prizes;

(q) to make rules for collaboration with other Universities, institutions and organizations for mutually beneficial academic programmes;

(r) to create posts for teachers, officers and other employees of the university, subject to prior approval of the State Government and to determine qualification for appointment thereon;

(s) to approve appointment of Professor, Reader, other teachers of the university, Registrar, Deputy Registrars, Finance and Accounts Officer and Deputy Finance and Accounts Officers;

(t) to regulate and approve the appointments of Visiting Professors, Emeritus Professors, Fellows and writers and to determine the terms and conditions of such appointments;

(u) to appoint consultants and other persons on contract basis;

(v) to prescribe procedure for selection and appointment of non-teaching employees of university;

(w) Subject to any law made by the State Government in this behalf, to prescribe rules and procedure for appointment of teachers, officers and other employees in all approved institutions and affiliated colleges and terms and conditions of their service;

(x) to prescribe fees and other charges;

(y) to prescribe honorarium, remunerations and fees and traveling and other allowances for paper setters, examiners and other examination staff, visiting faculty, and for such other services rendered to the University;

(z) to receive and consider report of the working of the University from the Vice-chancellor periodically;

(aa) to cause an inquiry to be made in respect of any matter concerning the proper conduct, working and finances of colleges, institutions or departments of the university;

(aa) to enforce discipline in teachers officers, employees and students; and

(cc) to do all such acts as are necessary to carry out the object of the university.

Academic Council

21.(1) The Academic Council shall be responsible for laying down the academic policies in regard to maintenance and improvement of standards of teaching, research, and collaboration programme in academic matters and evaluation of work load of the teachers.

(2) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

(a) The Vice-chancellor ;	:	Chairman.
(b) The Deans of all Faculties;	:	Member.
(c) Chairman of the Board of studies;	:	Member,
(d) Three Principals/Deans of affiliated Institutions nominated by Vice-chancellor from different disciplines;	:	Member.
(e) Two Heads of Departments from University departments or the departments of affiliated colleges to be nominated by the Vice-chancellor;	:	Member.

(f) One teacher representing each faculty to be co-opted by the Academic Council from amongst the teachers having not less than ten years teaching experience, other than principals of colleges, heads of university departments and heads of recognized or approved institutions; : Member,

(g) Two eminent experts in the field of health sciences to be nominated by the Chancellor; : Member,

(h) Registrar of the University : Member-Secretary.

(3) The Academic Council shall meet at least twice in a year.

(4) The Academic Council may constitute sub-committees on various disciplines as it may deem necessary,.

(5) The terms of the nominated or co-opted members of the Academic Council shall be three years:

Provided that a nominated member shall be eligible for re-nomination.

Powers and duties of the Academic Council.

22.(1) The Academic Council shall be the principal academic authority of the university and shall be responsible for regulating and maintaining the standards of teaching, research and examinations in the university.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Academic Council shall exercise the following powers and perform the functions namely:-

(a) to recommend to the Board of Management regarding institution of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(b) to recommend to the Board of Management to make, amend or repeal Ordinances on issues related to academic matters;

(c) to make, amend or repeal regulations on academic matters;

(d) to allocate subjects to the faculties;

(e) to make proposals for the establishment of colleges, departments, institutions, libraries, laboratories and museums in the university;

(f) to consider and make recommendations regarding new proposals for creation of posts of teachers and other academic staff required by the university;

(g) to make proposals to the Boards of Management for the institution of all kinds of fellowships, scholarships, studentship, medals and prizes and make regulations for their award;

(h) to prescribe qualifications and norms for appointment of paper setters, examiners, moderators and others, concerned with the conduct of examinations;

(i) to appoint committees to review periodically the utility and practicability of the existing courses of study and the desirability or necessity of reviewing or modifying them in the light of new knowledge or changing social requirements;

(j) to generally, advise the university on all academic matters and submit to the Board of Management feasibility reports on academic programmes;

(k) to exercise such other power and discharge such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act, statutes and ordinances.

Faculties.

23. There shall be following faculties in the university, namely:-

(1) Modern System of Medicine
(2) Dental;
(3) Ayurved;
(4) Yoga and Naturopathy;
(5) Unani;
(6) Siddha;
(7) Homoeopathy;
(8) Nursing;
(9) Physiotherapy;
(10) Public Health;
(11) Such other faculties as may be prescribed by the statutes.

Composition of Faculties.

24.(1) The faculties shall consist of the following, namely:-

(a) The Dean of the Faculty;
(b) Heads of Departments of the Faculty;
(c) Three eminent scholars to be co-opted by the Faculty concerned;
(d) Two teachers to be co-opted by the Faculty.

(2) The co-opted members of a faculty shall hold office for a period of three years.

Functions of Faculties.

25. Each Faculty shall perform the following functions, namely:-

(a) to recommend to the Academic Council courses of study and curricula and schemes of examination, after consulting the boards of studies;
(b) to recommend to the Academic council conditions for the award of degrees and other academic distinctions;
(c) to co-ordinate work in the subjects assigned to the Faculty;
(d) to organize research or to secure co-ordination therein when desirable;
(e) to deal with any matter referred to it by the Academic Council;

(f) to remit matters to Boards of Studies;
(g) to consider any matter within its purview referred to it by a Board of Studies ;
(h) to hold meeting with the sanction of the Vice-chancellor jointly with any other faculty or faculties, such joint meetings to be convened by the Vice-chancellor and to be presided over by him or by a Dean nominated by him, and
(i) to discharge such other functions as may be prescribed by the statutes, ordinances and regulations.

Boards of Studies.

26.(1) There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects as may be prescribed by the Statutes.
(2) The constitution, powers and duties of the Boards of Studies shall be as prescribed by the statutes.

Finance and Accounts Committee.

27.(1) There shall be a Finance and Accounts Committee consisting of the following namely:-

(a) The Vice-chancellor;	:	Chairman.
(b) Secretary, Incharge of Health and Family Welfare Department of the State Government or his nominee not below the rank of Joint Secretary;	:	Member.
(c) Secretary, Incharge of Finance Department of the State Government or his nominee not below the rank of Joint Secretary;	:	Member.
(d) One person, nominated by the Board of Management from amongst its members;	:	Member
(e) One person nominated by the Academic Council from amongst its members;	:	Member.
(f) The Registrar of the university	:	Member
(g) The Finance and Accounts Officer.	:	Member Secretary.

(2) The Committee shall meet at least four times a year to examine the accounts, the progress of expenditure and all new proposals involving fresh expenditure in the light of the provision available.
(3) The annual Statement of accounts and the financial estimates (budget) of the university, prepared by the Finance and Accounts Officer, shall be laid before the Finance and Accounts Committee for consideration and recommendation and for submission thereafter to the board of Management for such action as it thinks fit.
(4) The committee shall perform the following additional functions and discharge duties, namely:-

(a) to recommend to the Board of Management the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the university including the proceeds of loans for productive work;

(b) to recommend to the Board of management productive investment and management of university assets and resources;

(c) to explore the possibilities of, and resort to augmenting the resources for the development of the university;

(d) to take necessary steps to have the university accounts audited by auditors appointed by the Board of Management;

(e) to advise the board of Management of matter related to the proper administration of the funds of the university;

(f) to ensure proper implementation of the State Governments orders issued from time to time in respect of financial matters;

(g) to advise on financial matters referred to it by the Board of Management, Academic Council or any other authority, body or committee or any officer of the University;

(h) to report to the Vice-chancellor any lapse or irregularity in financial matters which comes to its notice who may take suitable prompt actions after assessing the seriousness of the matter or refer it to the Board of Management;

(5) The other powers and duties of the committee and the procedure at its meetings shall be such as may be prescribed by the statutes.

(6) The annual accounts of the university shall be open for audit by the auditors appointed by the State Government.

Board for Sports and Students Welfare

28.(1) The university shall establish a Board for Sports and Students Welfare.

(2) The constitution, powers and duties of the Board established under sub-section (1) shall be as prescribed by the Statutes.

Other University Bodies

29. The constitution, powers and duties of such other bodies as may be declared by the Statutes to be the authorities of the university shall be as prescribed by the Statutes.

Statutes.

30. Subject to the provisions of this Act, statutes may provide for all or any of the following matters, namely;-

(a) the constitution, powers and duties of such bodies as may be deemed necessary to constitute from time to time;

(b) the manner of election or appointment and the term of officers or the members of the bodies including the continuance in the office of the first members, and filling of the vacancies of members and all other matters relating to those bodies;

(c) emoluments and other terms and conditions of service of Vice-chancellor, his powers and duties;
(d) the term of office, conditions of service and emoluments of Registrar and his powers and duties;
(e) powers and duties of the other officers and employees of the university and the conditions of their service;
(f) to make provision for pension, provident fund, establishment of insurance scheme, gratuity and other benefits for the employees of the university;
(g) holding of convocation to confer degrees;
(h) conferment of honorary degrees;
(i) withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
(j) establishment and abolition of faculties, hostels, teaching departments and colleges maintained by the university;
(k) conditions under which colleges may be admitted to the privileges of the university and withdrawal of such privileges;
(l) extent of the autonomy which the teaching departments of the university or colleges may have and the matters in relation to which such autonomy may be exercised;
(m) qualifications of Professors, Readers, Lecturers and other teachers in affiliated colleges and recognized institutions, as per the norms set by regulatory bodies/Councils of various disciplines;
(n) administration of endowments and the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, bursaries, medals, prizes and other awards;
(o) emoluments and terms and conditions of service for the benefits of officers and teachers of the university payable from the university fund;
(p) mode of determining seniority for the purpose of this Act;
(q) maintenance of a register of registered graduates;
(r) acceptance and management of bequests, donations and endowments;
(s) terms, conditions and mode of affiliation of the colleges and Institutions;
(t) all other matters which, by this Act, are to be provided for by Statute.

Statutes how made.

31. (1) The first statutes with regard to matters set out in Section 30 shall be made by the State Government and a copy thereof shall be laid on the table of the Legislative Assembly.
(2) The Board of Management may, from time to time make new or additional Statute and may amend or repeal the Statute in the manner hereinafter provided.
(3) The Academic Council may propose to the Board of Management the draft of any new Statute or amendment of any existing Statute

to be passed by the Board of Management and such draft shall be considered by the Board of Management at its next meeting;

Provided the Academic Council shall not propose the draft of any Statute or of any amendment of a Statute affecting the status, power or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity to express its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be considered by the Board of Management.

(4) The Board of Management may approve any such draft as is referred to in sub-section (3) and pass the Statute or reject it or return it to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part or suggest any amendment.

(5) Any member of the Board of Management may propose to the Board of Management the draft of any new Statute or amendment to existing Statute and the Board of Management may either accept or reject the proposal if it relates to a matter not falling within the purview of the Academic Council. In case such draft relates to a matter within the purview of the Academic Council. the Board of Management shall refer it for consideration to the Academic Council, which may either report to the Board of Management that it does not approve the proposal, which shall then be deemed to have been rejected by the Board of Management or submit the draft to the Board of Management in such form as the Academic Council may approve and the provisions of this Section shall apply in the case of draft so submitted as they apply in the case of a draft proposed to the Board of Management by the Academic Council.

(6) No new statute shall be introduced or any addition or amendment or repeal of existing statute shall be made without the prior approval of the Chancellor.

Ordinances

32. Subject to the provisions of this Act and the statues made there under, the Board of Management may make ordinances to provide for all or any for the following matters namely:-

(a) the admission of students to the university:
(b) the courses of study and curricular to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the university;
(c) the conditions under which students shall be admitted to courses of study and curricular and examination for degrees, diplomas other academic distinctions;
(d) the recognition and inspection of hostels;
(e) conditions of residence, conduct, attendance and discipline of students of the university:
(f) conduct of examinations;
(g) recognition of supervisors for guiding research;

(h) emolument and condition of service of the university teachers;

(i) rules to be observed and enforced by affiliated colleges in respect of transfer of students;

(j) number, qualification and condition of appointment of teacher of the university;

(k) duties and powers of the committees to be appointed by the authorities;

(l) the mode of execution of contracts or agreements for, or on behalf of the university;

(m) condition of award of fellowships, scholarship, studentships, exhibitions, medal and prizes, bursaries etc;

(n) special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing for them special courses of study;

(o) management of colleges, and other institutions founded or maintained by the university;

(p) register of students to be kept by affiliated colleges and recognized institutions;

(q) rates of traveling allowances and daily allowances admissible to the members of the authorities, committees and other bodies of University, the examiners, the officers and staff of the university;

(r) constitution of students bodies and their mode of election.

(s) all other matters which, by this Act or the statutes or ordinance may be provided;

(t) generally, all matters for which provision is, in the opinion of the Board of Management, necessary for the exercise of the powers conferred, or the discharge of the duties imposed, upon the university authorities by this Act or statutes;

Ordinance how made.

33. (1) All ordinance except the first ordinances shall be made by the Board of Management. First ordinances shall be made by the Board of Management, in consultation with the State Government and approval by the Chancellor;

Provided that no ordinances concerning admission to the university or to its examination, courses of study, scheme of examination, attendance and appointment of examiners shall be considered unless a draft of such ordinance has been proposed by the Academic Council.

(2) The Board of Management shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under the proviso to sub-section (1) but may return it to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part, together with any amendment which the Board of Management may suggest.

(3) All ordinances made by the Board of Management shall be submitted to the Chancellor for approval and all such ordinances shall take effect from the date of its approval by the Chancellor.

Regulations.

34. (1) The authorities, committees and other bodies of university constituted by or under this Act may make regulations, subject to the provisions of this Act, the statute and ordinance:-

(a) laying down the procedure for the meetings and the number of members required to form a quorum:

Provided that until regulation providing for quorum are made, the quorum to constitute a meeting of any authority, committee or other body of the university shall be the number forming the majority of the members constituting such authority, committee or other body of the university, for the time being;

(b) providing for all matters which, by this Act, the statute or the ordinance, are to be prescribed by regulation; and

(c) providing for all other matters solely concerning such authority or other body or the committees appointed by them and not provided for by this Act, the statute or ordinance:

(2) Every authority, committee and body of the University shall make Regulation providing for issue of notice to the members of such authority, committee or body for the date of meetings and of the business to be considered at meetings and for keeping the minutes of the meeting;

Provided that until regulation providing for issue of notice to the Members is made, the mode of issue of notice shall be in person and by registered A.D. or by Courier Service issued before minimum ten days from the date of meeting;

Provided further that any authority, committee or body of the University which is not satisfied with any modification or annulment may appeal to the Chancellor whose decision in this matter shall be final.

Affiliation.

35.(1) An Institution applying for affiliation to the university shall apply in writing to the Registrar and shall satisfy the Academic Council:-

(a) that the college will supply a need in the locality in respect of instruction and teaching in the Health sciences having regard to the suitability of the locality where the college is to be established;

(b) that the college is to be under the management of a governing body constituted under the provisions of prevailing law/rule;

(c) that the strength and qualification of the teaching staff and the conditions governing their tenure of office are such as to make due provision for the course of instruction, teaching or training to be undertaken by the college;

(d) that the buildings in which the college is to be located are suitable and that provision will be made in conformity with the ordinances for the residence in the college or in lodgings approved by the college, for students not residing with their parents or guardians and for the supervision and welfare of students;

(e) that due provision has been made or will be made for a library;

(f) that arrangements have been or will be made in conformity with the statutes and ordinances for imparting instruction in Health sciences in a properly equipped laboratory or museum;

(g) that due provision will, as far as circumstances may permit, be made for the residence of the Principal and some members of the teaching staff in or near the college or the place provided for the residence of the student;

(h) that the financial resources of the college are such as to make due provision for its continued maintenance and efficient working; and;

(i) that the college rules fixing the fees if any to be paid by the students have not been so framed as to involve such competition with any existing college in the same neighborhood as would be injurious to the interests of education.

(2) The application shall contain an assurance that after the college is affiliated and changes in the management or teaching staff and all other changes, which result in any of the requirements mentioned in the sub-section (1) not being fulfilled or continued to be fulfilled, shall be forthwith reported to the Academic Council.

(3) On receipt of an application under sub-section (1), the Academic Council shall:-

(a) direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorized by it in this behalf in respect of the matters referred to in sub-section (1) and such other matters as may be deemed necessary and relevant;

(b) make such further inquiry as may appear to it be necessary;

(c) give due consideration to the request, if any made by the applicant for reconsideration of any of the conditions conveyed to him.

(d) record its opinion on the question whether the application should be granted or refused in whole or in part, stating the result of any inquiry under clauses (a) and (b).

(4) The Registrar shall submit the application and all proceedings to the State Government, which, after such inquiry as may appear to it to be necessary, shall grant or refuse the application or any part thereof.

(5) Where the application or any part thereof is granted, the order of the State Government shall specify the courses of instruction in respect of which the college is affiliated and where the application or any part thereof, is refused, the grounds of refusal shall be stated.

(6) As soon as possible after the State Government makes its order, the Registrar shall submit to the Board or Management a full report regarding the application, the action taken thereon under sub-sections (3) to (5) and of all proceedings connected therewith.

(7) An application under sub-section (1) may be withdrawn at any time before an order is made under sub-section (4)

Extension of affiliation.

36. Where a College desires to add to the courses of instruction in respect of which affiliated, the procedure prescribed by Section 35 shall, so as may be, be followed.

Recognition of institutions of research and specialized studies.

37.(1) The Academic Council shall have the power to recognize as a recognized institution any institution of research or specialized studies in health sciences other than a college.

(2) An institution which desires to have such recognition shall send an application to the Registrar and shall give full information in the application in respect of the following matters, namely:-

(a) constitution and personnel of the managing body;

(b) subject and course in regard to which recognitions is sought;

(c) accommodation, equipment, library facilities and the number of students for whom provision has been or is proposed to be made;

(d) the strength of the staff, their qualification and salaries and the research work done by them ;

(e) fees levied or proposed to be levied and the financial provision made for capital expenditure on building and equipment and for the continued maintenance and efficient working of the institution;

(3) Before taking the application into consideration the Academic Council may call for any further information which it may deem necessary;

(4) If the Academic Council decides to take the application into consideration, it may direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorized by it in this behalf. After considering the report made as a result of such local inquiry and making such further inquiry as may appear to it be necessary, the Academic Council shall grant or refuse the application or any part thereof. Where the application or any part thereof is granted, the Academic Council shall specify the subjects and course and course of instruction is respect of which the institution in recognized and make a report to that effect to the Board of Management at its next succeeding meeting. Where the application or any part thereof is refused, the grounds of such refusal shall be stated.

Approval of institutions.

38.(1) The Academic Council shall have the power to approve an institution as an approved institution for specialized studies, laboratory work, internship, research or other academic work in the health sciences under the guidance of one or more qualified teacher;

(2) An institution which desires to have such approval shall send an application to the Registrar and shall give full information in the application in respect of the following matters, namely:-

(a) the name, qualifications, experience and research work of the teacher under whom approved work is to be done;

(b) the nature of work or the subjects for which work is proposed to be done;

(c) accommodation, equipment, library facilities and the number of students for whom provision has been made or is proposed to be made;

(d) fees levied or proposed to be levied and the financial provision made for capital expenditure on buildings and equipment and for the continued maintenance and efficient working of the institution;

(3) Before taking the application into consideration the Academic Council may call for any further information, which may deem necessary;

(4) If the Academic Council decides to take the application into consideration, it may direct a local inquiry to be made by a competent person or persons a authorized by it in this behalf. After considering the report made as a result of such local inquiry and taking such further inquiry as may appear to it to be necessary, the Academic Council shall grant or refuse the application or any part thereof, where the application or any part thereof is granted, the Academic Council shall specify the subjects and course of instruction in respect of which the institution is approved and make a report to that effect to the Board of Management at its next succeeding meeting. Where the application or any part thereof is refused, the grounds of such refusal shall be stated.

Withdrawal of affiliation.

39.(1) The rights conferred on a college by affiliation may be withdrawn in whole or in part or modified if the college has failed to carry out any of the provisions of sub-section (1) of Section 35 or the college has failed to observe any of the conditions of its affiliation or the college is conducted in a manner which is prejudicial to the interests of education;

(2) A motion for the withdrawal or the modification of such shall be initiated only in the Academic Council. The member of the Academic Council who intends to move such a motion shall give notice of it and shall stated in writing the grounds on which it is made;

(3) Before taking the said motion into consideration, the Academic Council shall send a copy of the notice and written Statement mentioned in sub-section (2) to the Principal of the college concerned together with intimation that any representation in writing submitted within a period specified in such intimation on behalf of the college, will be considered by the Academic Council:

Provided that the period so specified may, if necessary, be extended by the Academic Council.

(4) One receipt of the representation or on the expiry of the period referred to in sub-section (3), the Academic Council after considering the notice of motion, statement and representation and after such inspection by competent person or persons authorized by it in this behalf and such further inquiry as may appear it to be necessary shall make a report to the Board of Management;

(5) On receipt of the report under sub-section (4) the Board of Management shall, after such further inquiry, if any, as may, appear it to be necessary, record its opinion in the matter:

Provided that no resolution of the Board of Management recommending the withdrawal of affiliation shall be deemed to have been passed by it unless the resolution has obtained the support of two- thirds of the members present at the meeting of the Board of Management, such majority comprising not less than one-half of the members of the Board of Management.

(6) The Registrar shall submit the proposal and all proceedings, if any, of the Board of Management and the Academic Council relating therefore, to the State Government which, after such further inquiry, if any, as may appear it to be necessary, shall make such order as it deems fit and communicate it to the Board of Management;

(7) Where by an order made, under sub-section (6), the rights conferred by affiliation is withdrawn in whole or in part or modified, the grounds for such withdrawal or modifications shall be stated in the order.

Withdrawal of recognition or approval.

40. (1) The rights conferred on an institution by recognition or approval may be withdrawn or suspended for any period by the Academic Council. if the institution has failed to observe any conditions of its recognition or approval or the work assigned to it, is conducted in a manner which is prejudicial to the interests of education, or the teacher recognized by the university leaves the institution;

(2) Before making an order under sub-section (1) in respect of any recognized or approved institution, the Academic Council shall by notice in writing, call upon the institution to show cause within one month from the date of the receipt of the notice, why such an order should not be made. The period so given for showing the cause may, if necessary, be extended by the Academic Council;

(3) On receipt of the explanation, if any, made by the institution in reply to the notice. and where no such reply is received, on the expiry of the period referred to in sub-section (2), the Academic Council shall, after such inquiry. if any, as may appear it to be necessary, decide whether the recognition or approval should be withdrawn or as the case may be, suspended and make, an order accordingly.

University Fund.

41.(1) The university shall establish a Fund to be called the university fund.

(2) The following shall form part of, or be paid into, the university Fund:-

(a) any rent, contribution or grant by Central or State Government or any body corporate: -

(b) trusts, bequests, donations, endowments and other grants:

(c) the income of the university from all sources including income from fees and charges:

(d) all other sums received by the university;

(3) The university Fund shall be kept in any Nationalized Bank

Object to which University Fund may be applied.

42.(1) The university Fund shall be applicable to the following objects, and in the following order:-

(a) payment of debts incurred by the university for the purpose of this Act and statute , the ordinance and regulation made there-under:

(b) upkeep of colleges, teaching departments, schools of studies established by the university, residences and hostels:

(c) payment of the cost of audit of the University Fund;

(d) expenses of any suit or proceedings to which university is a party:

(e) payment of salaries and allowances of the officers and employees of the university, members of the teaching staff and the establishment employed in the colleges maintained by the university for and in furtherance of the purposes of this Act, and the statute, the ordinance and regulation made there-under and to the payment of any Provident Fund Contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees, members of the teaching staff or the members of such establishment;

(f) payment of the traveling and other allowances of the members of the Board of Management, the Academic Council and any other authorities of the University or the members of any Committee or Board constituted by any of the authorities of the University in pursuance of any provision of this Act, and the Statute, Ordinance and Regulation made there-under;

(g) payment of fellowships, scholarships, studentships and other awards to students;

(h) payment of any expenses incurred by the university in carrying out the provisions of this Act, and the Statute, Ordinance and Regulation made there-under:

(i) payment of any other expenses not specified in any of the preceding clauses declared by the Board of Management to be the expenses for the purposes of the university.

(2) No expenditure shall be incurred by the university in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year fixed by the Board of Management without the previous approval of the Board of Management.

(3) No expenditure other than that provided for in the budget shall be incurred by the university without the previous approval of the Board of Management.

Annual Reports.

43. The annual report of the university shall be prepared under the direction of the Board of Management and shall be submitted to the Board of Management on or before such date as may be prescribed by the statute and shall be considered by the Board of Management at its meeting. The Board of Management may pass resolution thereon and communicate the same to the Chancellor. The university shall, thereafter send a copy of the annual report to the State Government and the State Government shall, cause the same to be laid on the table of the State Legislative Assembly.

Audit of Account.

44. (1) The accounts of the university shall be audited at least once in a year at intervals of not more than fifteen months by the examiner of local fund accounts of the State.

(2) The copy of the audited accounts together with the audit report shall be submitted by the Board of Management to the State Government and the same shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Enrolment of Students.

45. No students shall be enrolled as a student of the university unless he possesses such qualifications as may be prescribed by the statutes

Post Graduate teaching.

46.(1) All post- graduate instruction, teaching, research and training shall be conducted by the university or by such affiliated college or institutions and in such subjects as may be prescribed by the Statute.

(2) All post-graduate departments and research centres shall ordinarily be located at the headquarters of the university. How ever, the university may locate any of such departments or centres at a place or places outside of headquarters.

(3) The university may maintain university centres at places other than the headquarters of the university on such terms and conditions, as may be prescribed by the statutes and ordinances.

47. Student of the university shall reside in the accommodation provided or approved by the university if so required by the ordinances. **Residence of the students.**

48. If, not less than two thirds of the members of the Academic Council recommend that an honorary degree or other academic distinction be conferred on any person on the ground that he is in their opinion, by reason of eminent position and attainments a fit and proper person to receive such degree or other academic distinction and where their recommendation is supported by a majority of not less than two thirds of the member of the Board of Management present at a meeting of the Board of Management such majority comprising not less than one- half of the members of the Board of Management and the recommendation is confirmed by the Chancellor, the Board of Management may confer on such person the honorary degree or other academic distinction so recommended without requiring him to undergo any examination. **Honorary Degree.**

49.(1) The Chancellor may on the recommendation the Academic Council and the Board of Management supported by a majority of not less than two thirds of the members of each body present in its meeting, such majority comparing not less than one half of the members of each body, withdraw from any person a diploma or degree if he has been convicted by a court of any offence which in the opinion of the Academic Council and the Board of Management, is a serious offence involving moral turpitude. **Withdrawal of Degree or Diploma.**

(2) No action under this Section shall be taken unless the person concerned is given an opportunity of being heard in his defence in the manner prescribed by the statutes.

50. All the authorities of the university shall have power to appoint committees. Such committee may include persons who are not members of the authority appointing the committee. **Committees.**

Inspection of College and Other Body.

51. (1) Every college shall furnish such reports, returns and other information as the Board of Management, after obtaining the opinion of the Academic Council, may require to enable it to judge the efficiency of the institution.

(2) The Board of Management shall cause such institution to be inspected from time to time by one or more persons authorized by the Board of Management in this behalf.

(3) The Board of Management may call upon any such college or institution so inspected to take within a specified period, such action as may appear to it to be necessary.

Appointment of Examiners and Moderators.

52. (1) Subject to the provisions of the statute, all examiners and moderators of examinations shall be appointed by the Vice-chancellor, in consultation with a committee consisting of the following members:-

(a) Dean of the Faculty concerned who shall be the Chairman of the Committee;

(b) Chairman of the Board of the Studies concerned;

(c) a member of the concerned Board of Studies to be nominated by Vice-chancellor.

(2) If, during the course of an examination, an examiner becomes incapable of acting as such for that course, Vice-chancellor shall appoint another examiner for such course.

Appointment of teaching posts.

53.(1) No Person shall be appointed to any teaching post of the university whose salary is payable from the university fund except on the recommendation of a selection committee constituted in accordance with sub-section(2).

Provided that if appointment to any of the teaching posts aforesaid is not expected to continue for more than six months and cannot be delayed without detriment to the interest of the department and institution of the university, the Board of Management may make such appointment without obtaining the recommendation of the committee constituted under sub-section(2) but the person so appointed, shall not be retained on the same post for a period exceeding six months or appointed to another post in the service of the university except on the recommendation of the said committee.

(2) Vice-chancellor shall constitute a selection committee consisting of the following members:-

(a)	Vice-chancellor;	:	Chairman
(b)	one expert to be nominated by the Chancellor from a panel of three experts in the subject proposed by Academic Council not connected with the university in any manner;	:	Member
(c)	three subject experts not connected with the university in any manner to be nominated by the Chancellor;	:	Member
(d)	Secretary Health and Family Welfare or his nominee not below the rank of Joint Secretary to the State Government.	:	Member

(3) Three members of the selection committee shall form the quorum.

Provided that no recommendation shall be made, unless at least two experts nominated under clause (b) and (c) of sub-section (2) are present.

(4) The committee shall examine the merits of various candidates and recommend to the Board of Management the names of suitable persons for the post arranged in order of merit.

(5) Out of the names so recommended under sub-section(4) the Vice-chancellor shall appoint persons in order of merit with the prior approval of the Board of Management.

Salaries to the teachers payable by University.

54. The salaries to the teachers of the university shall be payable by the university in accordance with the ordinance.

Filling of casual vacancies.

55. Save as otherwise provided in this Act all casual vacancies of the members other than ex-officio members of any authority, committee or other body of the university shall be filled, as soon as possible for the remaining term.

Service Conditions.

56.(1) Every salaried officer, teacher and paid employees of the university shall be appointed under a written order which shall be lodged with the university.

(2) Any dispute regarding service matters shall be adjudicated upon in accordance with the statutes and ordinance.

Pension and Provident Fund.

57. (1) The university shall constitute, for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the statutes such pension, insurance and provident fund and institute such other benefits as it may deem fit;

(2) Where any such pension, insurance or provident fund has been so constituted or where any such pension, insurance or provident fund has been constituted by a college under rules which have been approved by the State Government, the State Government may declare Provisions of the Provident Fund Act, 1925 (No. 19 of 1925), shall apply to such fund as if it were a Government Provident Fund.

Approval for imparting instructions.

58. No person shall impart instructions in the university or any college-
   (a) unless such person possesses the qualifications laid down by the Academic Council in this behalf; and
   (b) except in such subject or subjects and upto the standard for which his qualifications have been approved by the Academic Council.

Classification of teachers.

59. Classification of teachers of the university the affiliated colleges and institutions shall be such as provided in the Ordinance.

State Government to assume financial control in certain circumstances.

60.(1) If the State Government is satisfied that owing to mal administration or financial mismanagement in the university a situation has arisen whereby financial stability of the university has become insecure, it may by notification, declare that the finances of the university shall be subject to the control of the State Government;

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, in the first instance, remain in operation for a period of one year from the date specified in the notification and the State Government may from time to time by notification, extend the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation does not exceed three years;

(3) During the period of the notification issued under sub-section(1) the executive authority of the State Government shall extend to give directions to the said university to observe such cannons of financial propriety as may be specified in the direction and to give such other directions as the State Government may deem necessary and adequate for the purpose;

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, any such direction may include:-
   (i) a provision requiring the submission of the budget to the State Government for sanction;

(ii) a provision requiring the university to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanctions;

(iii) a provision requiring the submission of every proposal for the revision of pay scale and rate of allowances of the officers, teachers, and other persons employed by the university to the State Government for the sanction;

(iv) a provision requiring the deduction of salaries and allowances of all or any class of persons employed by the university;

(v) a provision requiring the deduction in the number of posts of the officers, teachers and other persons employed by the university;

(vi) a provision requiring the lowering down of scales of pay and rate of allowances; and

(vii) a provision in regard to such other matters as may have the effect of reducing the financial strain on the university:

Provided that the Chancellor may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, and administrative expert and a financial expert to assist Vice-chancellor so appointed in exercise of such powers and discharge of such duties;

(5) Notwithstanding any thing contained in this Act, it shall be binding on every authority of the university and every officer of the university to give effect to the direction given under this Section;

(6) Every officer of the university shall be personally liable for misapplication of any fund or property of the university as a result of non-compliance of the direction given under this Section to which he shall have been a party or he shall have happened through or been facilitated by gross neglect of his duty as such officer, and the loss so incurred shall, on a certificate issued by the Secretary of Men Power and Employment be recovered from such officer as arrears of land revenue:

Provided that no action to recover the amount of loss as arrear of land revenue shall be taken until reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish explanation and such explanation has been considered by the State Government.

Powers of State Government to apply Act in modified form with a view to provide for better administration of University in certain circumstances.

61.(1) If the State Government on receipt of a report or otherwise, is satisfied that situation has arisen in which the administration of the university cannot be carried out in accordance with the provisions of this Act, without detriment to the interests of the university and it is expedient in the interest of the university so to do it may by notification, for reasons to be mentioned therein, direct that the provisions of Section 11, 13, 19,20, 21, 27, 34, 43, 44 and 70 shall as from the date specified in the notification (herein after in this Section referred to as the appointed date) not apply to the university.

(2) The Notification issued under sub-section(1) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period of such further period as it may think fit so, however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.

(3) the Chancellor shall simultaneously with the issue of the notification, appoint any senior Officer of the Government, preferably with suitable Academic background as Vice-chancellor and Vice-chancellor so appointed shall hold office during the period of operation of the notification and shall have the all powers of Vice-chancellor appointed under Section13.

Provided that Vice-chancellor may notwithstanding the expiration of the period of operation of the notifications, continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

(4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely:-

(a) Vice-chancellor, holding office immediately before, the appointed date, shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office;

(b) every person holding office as a member of the Board of Management or the Academic Council, as the case may be immediately before the appointed date shall cease to hold that office;

(c) until, the Board of Management or Academic Council, as the case may be is reconstituted in accordance with the provisions as modified, Vice-chancellor appointed under Section 11 and 13 as modified, shall exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Board of Management or Academic Council.

Provided that if the Board of Management and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, Vice-chancellor shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Chancellor till the Board of Management or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

Effect on expiration of the period of notification under Section 61.

62. On expiration of the period of operation of the notification issued under Section 61, the provisions of this Act, as modified in application to the university mentioned in the notification shall cease to operate in respect there of and the other relevant provisions of this act shall revive and continue to apply thereto.

Provided that the expiration of the operation of the notification shall not affect:-

(a) previous operation of or anything done or liability acquired, accrued or incurred under the provisions as modified or any order made there-under; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the provisions as modified or any order made there-under; or

(c) any investigation or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid and such investigation or remedy may be instituted or enforced as if the modified provisions had not ceased to apply.

Dispute as to constitution of University authorities and bodies.

63. If any question arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any statute, ordinance or regulation or as to whether any person has been duly elected, appointed as or, is entitled to be, a member of any authority or other body of the university, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided that before taking any such decision the Chancellor himself or an officer nominated by him shall give the person or persons affected thereby a reasonable opportunity of being heard;

Explanation- In this Section the expression-

(a) "body" includes any committee constituted by or under this Act;

(b) "appointed" does not include appointments to the salaried posts of the university.

Proceedings of University and bodies not invalidated by vacancies.

64. No act or proceeding of any authority, committee or body of the university shall be invalid merely by reason of;-

(a) any vacancy in or defect in the constitution thereof;

(b) any defect in the election, nomination or appointment of a person action as a member thereto; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

Protection of action taken in good faith.

65. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer, teacher or other employee of the university for anything which is in good faith done or intended to be done by him or her under this Act, or the statute or university ordinance or regulation.

Terms of office of members of Authority of University.

66.(1) Whenever in accordance with this Act, any person is to hold an office or to be a member of any authority, by rotation according to seniority, such seniority in the absence of any provisions to the contrary in the Act, shall be determined in accordance with the statute.

Provided that, till the statutes are made, the seniority in a particular cadre shall be determined by the length of continuous service in such cadre and where the length of continuous service of two or more persons in the same cadre is the same, then "seniority" shall be determined by seniority in age.

(2) Wherever any person becomes a member of any authority by virtue of the post or office held by him or by virtue of possessing a specified qualification, he shall forthwith cease to be a member of such authority if he ceases to hold such post or office or if he ceases to possess such qualifications before the expiry of term of his membership.

Provided that he shall not be deemed to have ceased to hold his post or office merely by reason of his proceeding on leave for a period not exceeding four months.

Resignation of member or officer of University.

67. (1) Any member other than an ex-officio member of the Board of Management, the Academic Council, or any other University Authority or Committee or Dean of a Faculty may resign by a letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as the letter is received by the Registrar.

(2) Any officer of the university, whether salaried or otherwise, other than a Dean may resign his office by a letter addressed to the Registrar. Such Resignation shall take effect from the date on which the same is accepted by the Authority competent to fill the vacancy.

Disqualification for being member of authority.

68.(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of any of the authorities of the university:-

(a) if he is of unsound mind; or

(b) if he is deaf, mute or suffering from any contagious disease; or

(c) if he is an un-discharged insolvent; or

(d) if he has been convicted by a Court of Law of an offence involving moral turpitude and sentence in respect there of to imprisonment for not less than six months;

(2) If any question arises as to whether a person is, has been subject to any of the disqualification mentioned sub-section(1) the question shall be referred for the decision of the Chancellor and his decision there on shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any court of law against such decisions.

Power to remove the name of any graduate or diploma holder from register or from membership of authority or body of the University.

69.(1) The Chancellor may, on the request of the Board of Management, remove the name of any person from the register of graduates or diploma holders or from membership of any authority or body of the university, if;-

(i) he is guilty of gross misconduct; and

(ii) he acts prejudicial to the interest of the university.

Provided that the Chancellor shall cause a preliminary enquiry to be made and if he is satisfied that prima facie case exists, he shall serve on such person charge-sheet, in writing, stating the misbehaviour or the act prejudicial to the interest of the university, as the case may be.

Removal of difficulties.

70. If any difficulty arises as to the first constitution or reconstitution of any authority of the university after commencement of the Act, or otherwise in giving effect to the provisions of this Act, the State Government, as occasion may require, may by order do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016— वैशाख 9, शक 1938

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-118/2006/9/55-4.—छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्र. 21 सन् 2008) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्र. 21 सन् 2008), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 के खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 2 का संशोधन.

"(ट-1) "विभाग" से अभिप्रेत है विश्वविद्याल द्वारा यथा घोषित विभाग."

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में,- धारा 3 का संशोधन.

(एक) "छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" के स्थान पर, शब्द "पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) अर्द्ध विराम चिन्ह ";", के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(तीन) उप-धारा (1) के नीचे, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि,-

(क) ऐसे समस्त लिखत, संविदायें, डिग्री, डिप्लोमा, आदेश, अधिसूचना जो छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से हस्ताक्षरित है ऐसे माने जायेंगे मानो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के नाम से जारी किये गये हों; और

(ख) किसी न्यायालय, अधिकरण, या प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रकरण, जिसमें छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पक्षकार हो, उसी रीति से निरंतर बने रहेंगे जैसे कि यह संशोधन न किया गया हो."

धारा 11 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (11) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(11) कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर लिखित त्यागपत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा."

धारा 14 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) कुलसचिव की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर, राज्य शासन द्वारा की जायेगी."

धारा 19 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (3) में, शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "सात" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 31 का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (6) में, शब्द "का पुर:स्थापन" का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 10-118/2006/9/55-4 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 27th April 2016

NOTIFICATION

No. F. 10-118/2006/9/55-4.—A bill further to amend the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh Act, 2008 (No. 21 of 2008).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh (Amendment) Act, 2016. Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. After clause (k) of Section 2 of the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh Act, 2008 (No. 21 of 2008), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :- Amendment of Section 2.

"(k-1) "Department" means department as declared by the University."

3. In sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act,- Amendment of Section 3.

(i) for the words "Ayush and Health Sciences University Chhattisgarh", the words "Pandit Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and Ayush University of Chhattisgarh" shall be substituted;

(ii) for the punctuation semi colon ";", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(iii) below sub-section (1), the following shall be inserted, namely :-

"Provided that,-

(a) All the instrument, contract, degree, diploma, order, notification signed in the name of the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh shall be deemed to be issued in the name of Pandit Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and Ayush University of Chhattisgarh; and

(b) The cases pending before any Court, Tribunal or Authority, in which the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh is a party shall continue in the same manner as if this amendment has not been made."

4. For sub-section (11) of Section 11 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- Amendment of Section 11.

"(11) The Vice-chancellor may relinquish his office by resignation in writing under his hand addressed to the Chancellor."

5. For sub-section (3) of Section 14 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:- Amendment of Section 14.

"(3) The Registrar shall be appointed on deputation by the State Government."

Amendment of Section 19.

6. In sub-section (3) of Section 19 of the Principal Act, for the word "ten", the word "seven" shall be substituted.

Amendment of Section 31.

7. In sub-section (6) of Section 31 of the Principal Act, the words "shall be introduced" shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
ALOK AWASTHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 मई 2012—ज्येष्ठ 8, शक 1934

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-16/2009/नौ/55.—छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्र. 21 सन् 2008) की धारा 31 की उप-धारा (1) के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रथम परिनियम बनाती है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ,रायपुर

परिनियम क्र.1

कुलपति की सेवा के निबंधन एवं शर्तें
(धारा 12, 30 (ग) देखिए)

परिलब्धियां–

1. कुलपति समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते, चिकित्सा सुविधा जैसा कि समान संवर्ग के राज्य शासन के अधिकारियों को पात्रता है, प्राप्त करेगा । यदि उसने कुलपति का पद अधिवार्षिकी की आयु पूर्ण होने के पश्चात ग्रहण किया हो तथा यदि वह पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो या तो उसका वेतन तथा भत्ता संराशिकरण के पूर्व उसके पेंशन राशि के कुल राशि से घटाकर दी जायेगी अथवा पेंशन का भुगतान उसके कुलपति के पद से भारमुक्त होने की तिथि तक स्थगित रखी जायेगी । दूसरे शब्दों में यदि कुलपति का पद अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर धारित हो तथा कुलपति को पूर्वपद पर पेंशन की पात्रता न हो तो उसे विश्वविद्यालय के पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।

आवास सुविधा–

2. कुलपति को उसके कुलपति के रूप में कार्यकाल के दौरान निःशुल्क सुसज्जित आवास सुविधा एस.टी.डी. फोन सुविधा सहित (रायपुर में) की पात्रता होगी । यदि विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति को आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता तब तक कुलपति को समान संवर्ग के राज्य शासन के अधिकारियों के समकक्ष मकान भाड़ा भत्ता की पात्रता होगी।

वाहन सुविधा–

3. कुलपति को कार्यालयीन कार्य हेतु विश्वविद्यालय वाहन सुविधा उपलब्ध होगी तथा निजी कार्य के लिए भी वह वाहन सुविधा का हकदार होगा बशर्ते राज्य शासन के अधिकारियों के समान राज्य शासन द्वारा वाहन सुविधा के संबंध में विहित नियमों के तहत निजी कार्यों के लिए वाहन सुविधा का भुगतान करना होगा ।

पेंशन तथा ग्रेज्युटी–

4. कुलपति को विश्वविद्यालय की सामान्य भविष्य निधि योजना के विकल्प की पात्रता हागी यदि उसका कार्यकाल प्रारंभ होने के पूर्व वह अधिवार्षिकी की सामान्य आयु पूर्ण नहीं किया हो तथा वह कुलपति का पदभार ग्रहण करने के पूर्व केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य स्वायत निकाय या केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की तरह पेंशन योजना की पात्रता होगी । यदि वह सामान्य भविष्य निधि पेंशन कम ग्रेज्युटी योजना के लिए विकल्प देता है तो पेंशन की गणना के लिए पूर्व सेवाओं को जोड़ने की पात्रता होगी। विश्वविद्यालय पेंशन एवं ग्रज्युटी के लिए राशि कुलपति के रूप में

पदभार ग्रहण करने के पूर्व में कार्यरत संस्थान से प्राप्त करेगा । कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय में दी गई सेवाओं की गणना अधिवार्षिकी आयु के बाद पेंशन लाभ के लिए नहीं की जायेगी ।

अवकाश एवं अवकाश वेतन–

5.कुलपति को राज्य शासन के समकक्ष अधिकारियों की भांति अवकाश एवं अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

6. कुलपति को राज्य शासन के समकक्ष अधिकारियों की भांति अवकाश एवं अवकाश वेतन की पात्रता होगी।

किन्तु यदि कुलपति के द्वारा कार्यकाल पूर्ण होने के मध्य ही त्याग पत्र दे दिया जाता है तो अवकाश की गणना अनुपातिक रूप से की जायेगी ।

कुलपति को पद छोड़ने के उपरांत राज्य शासन द्वारा समकक्ष अधिकारियों के लिए नियत अवकाश वेतन की पात्रता होगी जिसकी गणना नियमानुसार की जायेगी ।

अन्य सुविधाएं–

7. कुलपति अन्य समस्त सुविधाओं जैसे चिकित्सा परिचर्या एवं अवकाश यात्रा रियायत का हकदार होगा जैसा कि अन्य विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को स्वीकार्य है।

8. कुलपति, कुलपति के रुप में उसकी नियुक्ति पर स्थानांतरण पर तथा अपना पद भार छोड़ने के पश्चात यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

9. कुलपति यदि चिकित्सीय अनुशासन से नियुक्त हो, तो लोक हित में रोगियों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में स्वैच्छिक चिकित्सा परामर्श प्रदान कर सकेगा।

कुलपति की शक्तियां एवं कर्तव्य–

अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कुलपति निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा:

10. कुलपति को यह कर्तव्य तथा दायित्व होगा कि विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के विभिन्न स्नातक विभागों के साथ ही संबध्द महाविद्यालयों के स्नातक तथा स्नातकोत्तर विभाग शिक्षा का स्तर अधिनियम या अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबंधों का पूर्णतया पालन करते हुए सुधार पर हैं एवं समुचित रूप से संधारित हैं। वह विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासन तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

11. उसे विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या संचालित, या विश्वविद्यालय से संबध्द अन्य संस्थाओं या महाविद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक विभागों का निरीक्षण करने या देखने का अधिकार होगा तथा ऐसी रीति से जैसी कि वह उचित समझे सुधार के सुझाव सहित संबंधित प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

12. कुलपति यदि आवश्यक समझे, ऐसी समिति गठित कर सकेगा जो अधिनियम द्वारा या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसकी सहायता करेगा।

13. कुलपति को रु. 8 लाख तक अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार होगा।उसे विश्वविद्यालय के हित में रु. 1,00000.00 तक सीधे व्यय स्वीकृत करने का अधिकार होगा यदि कार्य अत्यावश्यक तथा जरुरी प्रकृति का हो।

14. कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी विशेष क्षेत्र में उचित मानदेय के भुगतान पर ऐसी रीति से जैसी कि वह उचित समझे, परामर्शी/विशेषज्ञ सेवा ले सकेगा। परंतु विशेषज्ञ सेवाओं के लिए कुलपति द्वारा नियत ऐसे मानदेय की रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड को उसकी आगामी बैठक में दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.2

कुलसचिव– उसकी परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, शक्तियां एवं कर्तव्य
(धारा 14 देखिए)

1. कुलसचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर की गई अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुसार वेतनमान पर वेतन प्राप्त करेगा। यदि कुलसचिव अखिल भारतीय सेवा/राज्य सेवा के सदस्यों में से नियुक्त हो तो वह उसके संबंधित संवर्ग का वेतन प्राप्त करेगा।
2. कुलसचिव की नियुक्ति अधिनियम की धारा 14 द्वारा शासित होगी।
3. (क) कुलसचिव, अवकाश, अवकाश वेतन, भत्ते, चिकित्सा, भविष्य निधि तथा अन्य लाभ, जैसी की राज्य सरकार या/और विश्वविद्यालय द्वारा विहित किया जाए, का हकदार होगा।
   (ख) कुलसचिव, राज्य सरकार या/विश्वविद्यालय द्वारा असुसज्जित आवास का हकदार होगा । आवास सुविधा उपलब्ध कराए जाने तक कुलपति राज्य सरकार के समान स्तर के अधिकारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता का हकदार होगा।
   (ग) कुलसचिव, विश्वविद्यालय वाहन, कार्यालय तथा निवास दोनों में एस टी डी टेलीफोन सुविधा का हकदार होगा।
   (घ) कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सुविधाओं का हकदार होगा।
4. कुलसचिव की सेवानिवृति की आयु विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार होगा।
5. कुलसचिव को रु. 20,000.00 तक अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार होगा किन्तु उसे विश्वविद्यालय के हित में रु. 50,000.00 तक सीधे व्यय स्वीकृत करने का अधिकार होगा यदि कार्य अत्यावश्यक प्रकृति का हो और ऐसे स्वीकृत व्यय की रिपोर्ट कुलपति को दी जाएगी।
6. कुलसचिव के कार्य निम्नानुसार होंगे–
   (क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य सील, तथा अन्य ऐसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेना, जब प्रबंध बोर्ड द्वारा उसे कार्यभार दिया जाय;
   (ख) प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद, तथा अधिनियम के अधीन गठित किन्ही निकायों या समितियों की समस्त बैठक आयोजन की समस्त सूचनाएं जारी करना जिसमें वह सचिव के रूप में कार्य करता है;
   (ग) विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद, तथा अधिनियम के अधीन गठित किन्ही निकायों या समितियों की समस्त बैठकों का कार्य विवरण रखना जिसमें वह सचिव के रूप में कार्य करता है;

(घ) विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड तथा अन्य निकायों के कार्यालयीन पत्राचार का संचालन करना जिसमें वह सचिव हो;

(ड.) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की व्यवस्था तथा अधीक्षण करना;

(च) कुलाधिपति को प्रेषित किये जाने वाले दस्तावेज–

(एक) विश्वविद्यालय प्राधिकार के (जिसमें की वह सचिव के रूप में कार्य कर रहा हो), बैठकों की कार्यसूची की प्रति, जैसे ही ऐसी अनुमोदित कार्यसूची जारी हो;

(दो) विश्वविद्यालय प्राधिकार की जिसमें की वह सचिव के रूप मे क़ार्य कर रहा हो, की बैठकों का कार्य विवरण, ऐसे बैठक के आयोजन के एक माह के भीतर ;

(तीन) ऐसे अन्य दस्तावेज एवं जानकारी जो कुलाधिपति समय समय पर प्रस्तुत करने निर्देशित करे;

(छ) विश्वविद्यालय में वित्त तथा लेखा अधिकारी नियुक्त न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय की आय का संग्रह, भुगतान का आहरण तथा लेखाओं का संधारण;

(ज) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाधिपति, कुलपति,या विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों या निकायों जिसमें वह सचिव के रूप में कार्य कर रहा हो, को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक तथा समीचीन हो;

(झ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो कुलपति द्वारा समय समय पर उसे सौंपे जाए जिसके लिए वह जिम्मेदार हो;

(ञ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो समय समय पर उसे परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों द्वारा सौंपे जाए; तथा

(त) कुलपति को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित सहायता करे;

(थ) प्रबंध बोर्ड की शक्तियों के अध्यधीन, कुलसचिव, यह जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धन का उपयोग उन्ही प्रयोजनों में किए गए हैं जिसके लिए वे स्वीकृत या आवंटित किए गए हैं।

(ज) जब तक अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित न हो विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति द्वारा, समस्त संविदाएं हस्ताक्षरित किए जाएंगे तथा दस्तावेज एवं अभिलेख प्रमाणित किए जाएंगे।

7. कुलपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए कुलसचिव को विश्वविद्यालय के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार होगा, तथा उन पर आनुशासिक नियंत्रण का प्रयोग कर सकेगा।

8. कुलसचिव, यदि किसी प्राधिकरण या निकाय जिसका कि वह सचिव हो, के अध्यक्ष द्वारा अपेक्षा किए जाने पर ऐसे प्राधिकरण या निकाय की बैठक को संबोधित कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर

परिनियम क्र. 3

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की सेवा की शर्तें, शक्तियां तथा कर्तव्य

(धारा 17 देखिए)

1. अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (I) से (5) में उल्लिखित अधिकारियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे यदि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो:—

पद

(1) संचालक, अनुसंधान
(2) विधि अधिकारी
(3) परीक्षा नियंत्रक
(4) विश्वविद्यालय ग्रंथपाल
(5) संचालक, शारीरिक शिक्षा
(6) अधिष्ठाता छात्र कल्याण
(7) विश्वविद्यालय यंत्री (प्रतिनियुक्ति)
(8) उप कुलसचिव
(9) सहायक कुलसचिव

उपरोक्त अधिकारियों के वेतनमान एवं पदों की संख्या वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं।

2. नियुक्ति प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।
3. उपरोक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट पदों के वेतनमान तथा संख्या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार होगी।

परंतु यदि कोई अधिकारी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या अशासकीय संस्था में सेवारत हो और विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हो तो उसकी परिलब्धियां, निबंधन तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के विवेक पर अधिकारियों की सेवा लेते समय रखा गया है।

परंतु यह और कि उपरोक्त दर्शित किसी पद पर यदि सेवानिवृत व्यक्ति नियुक्त होता है तो उसकी पिछली सेवा में आहरित अंतिम वेतन के बराबर राशि में से स्वीकार्य पेंशन की राशि घटा दी जाएगी तथा जहां यह राशि, पद के न्यूनतम वेतनमान से कम हो तो संबंधित पद का न्यूनतम वेतनमान, वेतन के रूप में आहरित किया जाएगा।

4. प्रबंध बोर्ड, राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारियों से भिन्न पदों के लिए अर्हता निर्धारित करेगा तथा चयन समिति के द्वारा प्रबंध बोर्ड के द्वारा निर्धारित अर्हता के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जावेगा ।

5. प्रबंध बोर्ड के द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जावेगा जिसमें कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे, प्रबंध बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य का नामांकन चयन समिति में किया जायेगा तथा चयन समिति के एक सदस्य का नामांकन कुलाधिपति के द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से किया जावेगा जो विश्वविद्यालय से संबद्ध न हो चयन समिति पैरा 1 में वर्णित अधिकारियों की नियुक्ति हेतु नामों की अनुशंसा करेगी, कुलसचिव चयन समिति में सचिव के रूप में कार्य करेंगे । इस प्रकार गठित चयन समिति के द्वारा प्रत्येक पद के लिए कम से कम दो नामों तथा अधिकतम तीना नामों की अनुशंसा प्रबंध बोर्ड के समक्ष की जायेगी । प्रबंध बोर्ड चयन समिति द्वारा सुझाए गये पेनल से प्रत्याशी का चयन करेगा ।

परंतु उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव के पद से भिन्न किसी पद पर नियुक्ति के मामले में चयन समिति के लिए सदस्यों की संख्या उपर वर्णित सदस्यों के अतिरिक्त होगी, दो सदस्य प्रबंध बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो जिसके पास यथास्थिति पुस्तकालय विज्ञान या शारीरिक शिक्षा का विशेष ज्ञान हो।

6. इस परिनियम मे वर्णित अधिकारी अवकाश, अवकाश वेतन, भत्ते, चिकित्सा लाभ, भविष्य निधि के हकदार होंगे तथा उनकी सेवानिवृति सहित सेवा की निबंधन व शर्तें वही होंगे जो सरकार द्वारा उसके अधिकारियों के लिए निधारित किए गए हों।

7. वित्त तथा लेखा अधिकारी को छोड़कर प्रत्येक अधिकारी के सेवा तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसी कि कुलपति द्वारा निर्धारित किए जाएं।

8. उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव तथा अन्य अधिकारियों के अन्य संवर्ग छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 (क्र.22 सन् 1973) के अधीन गठित राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारियों से भरी जाएगी या जैसा कि प्रबंध बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए। ऐसे अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में पद, प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारियों की सेवा सुनिश्चित कर भरी जाएंगी।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र. 4

छात्र कल्याण

(धारा 5 (24, 25, 26, 27) देखिए)

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जावेगा तथा वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

   परंतु वह 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुसार पद त्याग करेगा ।

   परंतु यह और कि प्रबंध बोर्ड अधिष्ठाता छात्र कल्याण की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व कुलपति के रिपोर्ट पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरांत यह समाधान होने के पश्चात कि उसका अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पद पर बने रहना उस कार्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है या विश्वविद्यालय के हित के लिए उसका हटाया जाना आवश्यक है, नियुक्ति समाप्त कर सकेगा ।

2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा जो

   एम.डी./एम.एस./पी.एच.डी. डिग्री या अन्य स्नातकोत्तर उपाधि धारक, स्नातकोत्तर कक्षाओं में पांच वर्ष अध्यापन का अनुभव तथा स्नातक पाठ्यक्रम में बारह वर्ष का अध्यापन अनुभव धारित करता हो तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन एवं विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण में दक्ष हो ।

3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण यदि विश्वविद्यालय अथवा संबद्ध महाविद्यालयों से पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हुआ है तो वह मूल पद पर धारणाधिकार रखेगा तथा उसे सभी लाभों की पात्रता होगी जो उसे अधिष्ठाता छात्र कल्याण के रूप में नियुक्ति के लिए प्राप्त होता । यदि वह विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से नियुक्त किया गया है तो उसे रूपये 1000.00 के मानदेय की पात्रता होगी अथवा प्रबंध बोर्ड द्वारा इस अतिरिक्त कार्य के लिए निर्धारित मानदेय प्राप्त होगा।

4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण अवकाश वेतन, भत्ते, भविष्य निधि, चिकित्सा एवं अन्य संलाभों का पात्र होगा जो उसे विश्वविद्यालय अथवा शासन द्वारा स्वीकृत किया जाये ।

5. (1) अधिष्ठाता छात्र कल्याण यदि प्रबंध बोर्ड अथवा विद्या परिषद के निर्देश पर ऐसे बैठकों में सहभागी होगा जिसमें छात्र कल्याण से संबंधित बिंदुओं पर विचार हो रहा हो।

   (2) अधिष्ठाता छात्र कल्याण कुलपति के नियंत्रण में

   (क) विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त आवास व्यवस्था

(ख) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार विद्यार्थियों की रोजगार की व्यवस्था

(ग) विद्यार्थियों के कल्याण के संबंध में अभिभावकों से संवाद

(घ) विद्यार्थियों के लिए यात्रा सुविधा

(ङ) छात्रों को अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति आदि प्राप्त करने में उनको उससे संबंधित जानकारी देते हुए सहायता करेगा

(च) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति के अनुमोदन से कुलसचिव द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं ।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र. 5

वित्त एवं लेखा अधिकारी के कार्य एवं कर्तव्य
(धारा 16 देखिए)

अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवायः–

1. कुलपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए वित्त एवं लेखा अधिकारी के निम्नलिखित कृत्य एवं कर्तव्य होंगे–
   (क) न्यास एवं विन्यास संपत्ति सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति धारित करना तथा प्रबंध करना तथा निवेश करना।
   (ख) यह सुनिश्चित करना कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए जो प्रबंध बोर्ड द्वारा जो सीमा निधारित है उससे अधिक नही है तथा धन उसी प्रयोजन में खर्च किए गए हैं जिसके लिए वे स्वीकृत या आवंटित किए गए हैं।
   (ग) नकद एवं बैंक बैलेंस के विवरण पर तथा निवेश के विवरण पर सतत् निगरानी रखना।
   (घ) विश्वविद्यालय के अतिरिक्त आंतरिक राजस्व प्राप्ति हेतु उपाय सुझाना।
2. कुलसचिव के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए वित्त एवं लेखा अधिकारी के निम्नलिखित कृत्य एवं कर्तव्य होंगे–
   (क) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह करना, भुगतान का आहरण तथा लेखाओं का संधारण करना।
   (ख) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय प्राक्कलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।
   (ग) विश्वविद्यालय की लेखाओं का नियमित आडिट कराना।
   (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा संधारित सभी कार्यालयों तथा संस्थाओं में भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपकरण के रजिस्टर अद्यतन रूप से संधारित किए जा रहे हैं तथा उपकरणों की तथा अन्य खपने वाली सामग्रियों की स्टाक चेकिंग की जा रही है।
   (ड.) अनाधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही सुझाएगा।
   (च) समस्त देयकों के समय पर भुगतान की कार्यवाही ।
   (छ) स्टाक रजिस्टर तथा समस्त बही खातों का संधारण करेगा तथा उन्हे नियमित अंतराल पर अद्यतन रखेगा।
   (ज) वित्त समिति के निर्देशानुसार वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करना तथा उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वित्त समिति के माध्यम से प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत करना।

(झ) विश्वविद्यालय के वित्तीय स्थिति पर लेखाओं का नियकालिक विवरण तैयार करना तथा उसे विचार हेतु वित्त समिति को प्रस्तुत करेगा।

(ञ) लेखाओं के वार्षिक विवरण से संबंधित आडिट रिपोर्ट तथा आंतरिक आडिट रिपोर्ट तथा वार्षिक बैलेंस शीट तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

3. वित्त तथा लेखा अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय या संस्था से जानकारी या विवरण मंगा सकेगा जो कर्तव्यों के पालन के लिए वह आवश्यक समझे।

4. वित्त तथा लेखा अधिकारी यह देखेगा कि भुगतान के लिए सभी देयकों का पूर्व आडिट हो चुका है।

5. इस अधिनियम, परिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय वित्त अधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे समय समय पर कुलपति/प्रबंध बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाए।

6. चेक, वित्त तथा लेखा अधिकारी और कुलसचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.6

अध्ययन शाखाएं

(धारा 5 (3) देखिए)

अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के प्रयोजन हेतु अध्ययन की निम्नलिखित शाखाएं होंगीः–

(1) विभिन्न विषयों का विशिष्ट अध्ययन
(2) महामारी शोध
(3) हीमोग्लोबिनोपैथी अध्ययन
(4) औद्योगिक श्रमिकों की व्यवहारिक समस्याएं
(5) हर्बल प्लांट्स के जर्म प्लाज्म का संरक्षण

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र. 7

संकाय
(धारा 23, 24, 25 देखिए)

1. अधिनियम की धारा 23,24 तथा 25 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित समस्त या उनमें से कोई भी संकाय होंगे:—
   (1) आधुनिक चिकित्सा पद्धति
   (2) दन्त चिकित्सा
   (3) आयुर्वेद
   (4) योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा
   (5) यूनानी
   (6) सिद्ध
   (7) होम्योपैथी
   (8) नर्सिंग
   (9) फिजियोथैरेपी
   (10) लोक स्वास्थ्य
   (11) फार्मेसी
   (12) इंटरडिसिप्लिनरी शोध संकाय
   (13) ऐसे अन्य संकाय जो परिनियम द्वारा विहित किए जाएँ।
2. **संकायों की संरचना:—**
   संकाय की संरचना तथा कार्य वही होंगे जो अधिनियम की धारा 24 तथा 25 में क्रमशः उल्लेखित हैं ।
3. **संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, शक्तियां एवं कार्य:—**
   एक. संकायाध्यक्ष, कुलपति की अनुसंशा पर कुलाधिपति द्वारा चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर तीन साल की कालावधि के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग के अथवा स्कूल आफ स्टडीज के संबंधित विषय के आचार्यों (प्रोफेसर) में से नियुक्त किया जाएगा ।

   परंतु विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग या स्कूल आफ स्टडीज में यदि उक्त विषय का अध्यापन करने वाला कोई भी आचार्य (प्रोफेसर) नहीं हों तो संकायाध्यक्ष की नियुक्ति संबद्ध महाविद्यालयों के आचार्यों में से जो उक्त विषय के अध्यापक हैं, नियुक्त किया जाएगा।

   परंतु यह और भी यदि विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग या स्कूल आफ स्टडीज या संबद्ध महाविद्यालयों में यदि उक्त विषय का अध्यापन करने वाला कोई भी अध्यापक न हो तो संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, संबद्ध महाविद्यालयों के

प्राचार्यों में से की जाएगी जो उक्त विषय के अध्यापक हैं परंतु जो महाविद्यालय आचार्य नही हैं ।

परंतु यह और भी कि यदि विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग या स्कुल आफ स्टडीज उक्त विषय का अध्यापन करने वाला कोई भी आचार्य न हो या संबद्ध महाविद्यालयों में उक्त विषयों का अध्यापन करने वाला कोई भी आचार्य न हो एवं संबद्ध महाविद्यालयों में उक्त विषय का अध्यापन करने वाला कोई भी प्राचार्य न हो तो कुलाधिपति अन्य संकाय के संकायाध्यक्ष को उक्त संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

दो. संकायाध्यक्ष संबंधित संकाय का अध्यक्ष होगा तथा संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक अनुशीलन के लिए उत्तरदायी होगा तथा अध्यापन एवं शोध के स्तर को बनाये रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

तीन. संकायाध्यक्ष को संकाय के अध्ययन बोर्ड के किसी भी बैठक में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु उसमें मत देने का अधिकार नही होगा।

4. संकायों की कार्य प्रणाली एवं कर्तव्यः–

एक. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक संकाय के निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्य होंगेः–

(क) विद्या परिषद के नियंत्रणाधीन संकाय को सौंपे गए विभागों के अध्यापन एवं शोध के क्रियाकलापों का आयोजन, समन्वय तथा विनियमन करना।

(ख) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संकाय में विभिन्न परीक्षाओं के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करना तथा मामले को अध्ययन बोर्ड को भेजना।

(ग) विद्या परिषद को उन अनिवार्यताओं की अनुशंसा करना जो उपाधि, पत्रोपाधि तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक है । विद्या परिषद को विभिन्न उपाधियों के संदर्भ में परीक्षा प्रणाली की अनुशंसा करना ।

(घ) विद्या परिषंद अथवा कुलपति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विभिन्न विषयों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करना, उसके कार्यक्षेत्र के अध्यधीन ऐसे अन्य विषयों से संबंधित कार्य करना।

(ड.) किसी अन्य संकाय या संकायों के साथ संयुक्त रूप से कुलपति के अनुमोदन से बैठक आयोजित करना, इस प्रकार संयुक्त बैठक का आयोजन तथा अध्यक्षता कुलपति द्वारा नामित संकायाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(च) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो उसे अध्यादेशों द्वारा सौंपे जाए।

दो. संकायाध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों के अतिरिक्त तथा संकायाध्यक्ष से भिन्न संकाय के सभी सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे।

5. संकाय के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य बैठक की गणपूर्ति हेतु आवश्यक हैं ।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.8

अध्ययन बोर्ड
(धारा 26 (1) देखिए)

नीचे दी गयी सारणी के कालम (एक) में दर्शित संकाय के अधीन उसके कालम (दो) में दर्शित विषयों के प्रत्येक या विषयों के समूह के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा:–

	कालम(एक)	कालम(दो)
स.क्र.	संकाय का नाम	विषय या विषयों का समूह
1	आधुनिक चिकित्सा पद्धति संकाय	(एक) शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, तथा जैवरसायन (दो) फार्मकोलॉजी, पैथालॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसीन (तीन) कम्युनिटी मेडिसीन, ईएनटी, आपथेल्मोलॉजी, मेडिसीन, टी.बी., साइकेट्री (चार)सर्जरी,एनेस्थेसिया,आर्थोपेडिक्स,रेडियोथेरेपी, रेडियोडायग्नोसिस एन्ड पल्मोनरी मेडिसीन (चेस्ट एन्ड टी.बी.) (पांच) आब्स्ट्रेटिक्स एन्ड गायनोकोलॉजी, पिडियाट्रिक्स
2	दन्त चिकित्सा संकाय	(एक) दन्त
3	आयुर्वेद संकाय	समूह एक : आयुर्वेद संहिता एवं पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद का इतिहास संस्कृत, अष्टांग चरक संहिता समूह दो : शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान समूह तीन : द्रव्य गुण, रसशास्त्र एवं भेषज्य समूह चार : अगदतंत्र एवं विधि, स्वास्थ्यवृत्त समूह पांच : रोगविकृत विज्ञान एवं काय–चिकित्सा समूह छः : शल्य एवं शालक्य तंत्र समूह सात : प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग एवं कौमार्यभृत्य
4	योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा संकाय	(एक) योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा
5	यूनानी संकाय	(एक) यूनानी

6	सिद्ध संकाय	(एक) सिद्ध
7	होम्योपैथी संकाय	(एक) होम्योपैथी
8	नर्सिंग संकाय	(एक) नर्सिंग
9	फिजियोथेरेपी संकाय	(एक) फिजियोथेरेपी
10	लोक स्वास्थ्य संकाय	(एक) लोक स्वास्थ्य
11	फार्मेसी संकाय	(एक) फार्मेसी
12	अन्तर्नुशासनिक संकाय शोध गतिविधि तथा अंतर्विश्वविद्यालयीन सहयोजन तथा शोध कार्य	कृषि, वानिकी, जैव तकनीक, माइक्रोबायोलॉजी, जैव रसायन, जीवविज्ञान तथा शोध एवं प्रोजेक्ट प्रयोजन के लिए

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र. 9

अध्ययन बोर्ड की संरचना, शक्तियॉ तथा कार्य
(धारा 26 (2) देखिए)

अध्ययन बोर्ड की संरचना:–

1. प्रत्येक बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा:–
   (एक) उन विषयों के, जिसके लिए बोर्ड का गठन किया गया हो विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग तथा स्कूल आफ स्टडीज के आचार्य।
   (दो) महाविद्यालयों के अध्यापन विभाग के दो विभागाध्यक्ष जो में स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, कुलपति द्वारा वरिष्ठता अनुसार रोटेशन द्वारा नामांकित किए जाएंगे।
   (तीन) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग तथा स्कूल आफ स्टडीज में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, कुलपति द्वारा वरिष्ठता अनुसार रोटेसन द्वारा नामांकित किए जाएंगे।
   (चार) महाविद्यालय में महाविद्यालय विभाग के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा वरिष्ठता अनुसार रोटेशन द्वारा नामांकित किए जाएंगे।
   (पांच) उक्त विषयों के दो से अनधिक अध्यापक कुलपति द्वारा नामांकित किए जाएंगे।
   (छः) दो सदस्य जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किए जाएंगे उनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया हो विश्वविद्यालय से बाहर का व्यक्ति होगा तथा मान्यता प्राप्त शोध संस्थान में कार्यरत होगा ।
2. कुलपति के द्वारा अध्यक्ष अध्ययन बोर्ड का नामांकन उपधारा (1) के खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट बोर्ड के सदस्यों में से किया जाएगा।

   परंतु यदि जहां खण्ड (एक) के अधीन कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष उपधारा (1) के खण्ड (दो) तथा (तीन) के अधीन बोर्ड के सदस्यों में से कुलपति द्वारा नामांकित किया जाएगा।

   परंतु यदि जहां खण्ड (एक), (दो) तथा (तीन) के अधीन भी कोई सदस्य न हो, अध्यक्ष खण्ड (चार) के अधीन बोर्ड के सदस्यों में से कुलपति द्वारा नामांकित किया जाएगा।
3. अध्ययन बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
4. प्रत्येक अध्ययन बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां होंगी:–

(क) विश्ववद्यालय के समस्त पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य विवरण, तैयार करना

(ख) अध्ययन मंडल प्रतिवर्ष विषय विशेषज्ञों से संपक्र कर पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगा तथा परिवर्तनशील ज्ञान के परिपेक्ष्य में तथा समाज की जरूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम में सुधार की अनुशंसा करेगा ।

(ग) विद्या परिषद एवं संकायों के लिए पाठ्क्रम संबंधी अध्यादेश एवं कार्य योजना तैयार करना ।

(घ) पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों के अनुवाद की योजना संबंधी अनुशंसा ।

5. अध्ययन बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि प्रबंधन बोर्ड, विद्या परिषद, संबंधित संकाय एवं कुलपति द्वारा अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुसरण में या उसे विनिर्दिष्ट किसी विषय पर विचार कर प्रतिवेदन दें ।

6. कोई दो या अधिक बोर्ड, प्रबंधन बोर्ड या विद्या परिषद के अनुरोध पर किसी विषय पर जो दोनों की क्षेत्र सीमा के भीतर लाया जाए, बैठक करेंगे तथा संयुक्त रिपोर्ट देंगे। ऐसे मामलों में, संयुक्त बोर्ड स्वयं अपना अध्यक्ष चुनेंगे तथा ऐसे संयुक्त बैठक के लिए कोरम, प्रत्येक बोर्ड के प्रतिनिधि कोरम क्री पूर्ति करेंगे, कोरम के निर्धारण के प्रयोजन के लिए एक से अधिक सदस्य की गणना नही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.10

विद्या परिषद की स्थायी समिति

(धारा 21 (4) देखिए)

1. धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन गठित किए जाने वाले विद्या परिषद की स्थायी समिति में ;
   (क) कुलपति
   (ख) कुलसचिव
   (ग) सभी संकाय के संकायाध्यक्ष
   (घ) कुलसचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
2. स्थायी समिति किसी विशेष मीटिंग के लिए तीन से अनधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे।
3. समिति की मीटिंग कुलपति के निदेशन के अधीन आयोजित की जाएगी।
4. स्थायी समिति का यह कर्तव्य होगा कि संबंधित संकाय के परामर्श से परीक्षाओं की समतुल्यता पर तथा ऐसे विषयों पर जो उसे विद्या परिषद, प्रबंध बोर्ड या कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, सलाह देना।
5. अधिनियम तथा परिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन समिति विद्या परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विषयों का निराकरण कर सकेगी। ऐसे प्रत्येक मामलों मे जहां स्थायी समिति द्वारा किसी मामले का निराकरण किया जाता है तो मामले की सूचना विद्या परिषद को दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.10

विद्या परिषद की स्थायी समिति

(धारा 21 (4) देखिए)

1. धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन गठित किए जाने वाले विद्या परिषद की स्थायी समिति में ;
   (क) कुलपति
   (ख) कुलसचिव
   (ग) सभी संकाय के संकायाध्यक्ष
   (घ) कुलसचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
2. स्थायी समिति किसी विशेष मीटिंग के लिए तीन से अनधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे।
3. समिति की मीटिंग कुलपति के निदेशन के अधीन आयोजित की जाएगी।
4. स्थायी समिति का यह कर्तव्य होगा कि संबंधित संकाय के परामर्श से परीक्षाओं की समतुल्यता पर तथा ऐसे विषयों पर जो उसे विद्या परिषद, प्रबंध बोर्ड या कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, सलाह देना।
5. अधिनियम तथा परिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन समिति विद्या परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विषयों का निराकरण कर सकेगी। ऐसे प्रत्येक मामलों मे जहां स्थायी समिति द्वारा किसी मामले का निराकरण किया जाता है तो मामले की सूचना विद्या परिषद को दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.11

वरिष्ठता सूची की तैयारी तथा संधारण
(धारा 20 (झ), (ञ) (ट), (ठ) देखिए)

1. कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इस परिनियम तथा इसके बाद दिए गए परिनियमों के अनुसरण में प्राचार्यों, आचार्यों, महाविद्यालय आचार्यों, उपाचार्यों, महाविद्यालय उपाचार्यों, व्याख्यातों के पूर्ण तथा अद्यतन वरिष्ठता सूची तैयार करे एवं उनका संधारण करे।
2. समस्त प्राचार्य/आचार्य/उपाचार्य/महाविद्यालय आचार्य/उपाचार्य/व्याख्याता, प्रत्येक वर्ष के 15 अक्टूबर के पूर्व महाविद्यालय प्राचार्य/ अध्यापन विभाग प्रमुख के माध्यम से संबंधित संवर्ग में अपने नाम शामिल करने हेतु आवेदन करेंगे। वे व्यक्ति जिनके आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण तथा आवश्यक प्रमाण से सहित, निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त नही होते हैं, सूची में शामिल करने हेतु विचार नही किया जाएगा। परंतु जो अध्यापक एक बार आवेदन कर चुके हों उन्हे स्थानांतरण या पदोन्नति द्वारा उनके संवर्ग परिवर्तित होने तक दुबारा आवेदन करने की आवश्यकता नही होगी। प्राचार्य/अध्यापन विभाग प्रमुख कुलसचिव को उन अध्यापकों के नामों की जानकारी देंगे जो संस्था छोड़ते हों।
3. कुलसचिव क्रमशः प्राचार्यों, आचार्यों, महाविद्यालय आचार्यों, उपाचार्यों, महाविद्यालय उपाचार्यों, विश्वविद्यालय व्याख्यातों,महाविद्यालय व्याख्यातों की परस्पर वरिष्ठता को दर्शाते हुए पृथक पृथक अंतरिम सूचियां तैयार करेगा तथा आपत्तियां आमंत्रित करते हुए उक्त सूची को प्रकाशित करेगा।
4. आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए सूची का प्रकाशन 15 नवंबर को या उसके पूर्व किया जाएगा उक्त सूची दो प्रतियों में होगी । एक प्रति महाविद्यालय/अध्यापन विभाग के स्टाफ सूचना पटल पर प्रदर्शन हेतु महाविद्यालय/अध्यापन विभाग को तथा दूसरी अध्यापन स्टाफ के सदस्यों के संदर्भ हेतु उपलब्ध कराया जावेगा ।
5. (1) कोई भी प्राचार्य/आचार्य/महाविद्यालय आचार्य/विश्वविद्यालय उपाचार्य/महाविद्यालय उपाचार्य/महाविद्यालय व्याख्याता/विश्वविद्यालय व्याख्याताजो उक्त सूची में की गयी किसी प्रविष्टि या लोप से संतुष्ट न हो, महाविद्यालय/अध्यापन विभाग के स्टाफ सूचना पटल पर सूची के प्रकाशन की तिथि से बीस दिनों के भीतर अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य सहित कारणों का उल्लेख करते हुए कुलसचिव को संबोधित कर आपत्ति दर्ज कर सकेगा। यदि वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता हो तो वह इसका विशेष उल्लेख करेगा।

(2) कुलपति 30 नवंबर के पूर्व प्रत्येक वर्ष एक समिति का गठन करेगा जिसमें प्रबंध बोर्ड का एक सदस्य दो प्राचार्य/आचार्य जो प्रबंध बोर्ड से संबद्ध न हो, शामिल होंगे । यह समिति शिक्षकों की वरिष्ठता संबंधी आपत्तियों का निराकरण करेगी । कुलपति उक्त समिति के किसी एक सदस्य को संयोजक नामित करेगा ।

(3) कुलपति द्वारा गठित समिति की बैठक ऐसे समय तथा ऐसी तिथि को होगी जैसी कि समिति के संयोजक द्वारा नियत किया जाए।

(4) समिति जहां आवश्यक हो, संबंधित पक्षकारों को आहूत कर सकेगी, विश्वविद्यालय के या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या संबद्ध किसी महाविद्यालय के किसी दस्तावेज, फाइल, रजिस्टर या अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगी।

(5) समिति, आपत्तिकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी यदि आपत्तिकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई चाहता हो।

(6) समिति अपने निर्णय की उसके कारणों सहित रिपोर्ट देगी।

(7) समिति का प्रत्येक निर्णय बहुमत द्वारा ली जाएगी तथा प्रत्येक वर्ष में जो 24 दिसंबर के बाद न हो, कुलसचिव को संसूचित की जाएगी।

6. (1) समिति द्वारा अंतिम रूप दी गयी वरिष्ठता सूची, कुलसचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष के जो 31 दिसंबर के बाद न हो, दो प्रतियों में, एक प्रति महाविद्यालय/अध्यापन विभाग के स्टाफ सूचना पटल पर प्रदर्शन हेतु महाविद्यालय/अध्यापन विभाग को तथा दूसरी प्रति अध्यापन स्टाफ के सदस्यों के विनिर्देश हेतु उपलब्ध कराने के लिए अग्रेसित करते हुए प्रकाशित किया जाएगा।

(2) आपत्तिकर्ता, अनुरोध पर, समिति के निर्णय की प्रति, कुलसचिव से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त कर सकेगा।

7. इस प्रकार अंतिम रूप से प्रकाशित सूची प्रकाशन के बाद के वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगी।

8. इस परिनियम के परिनियमों 2, 4, 5 (1), 5 (7) तथा 6 (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राचार्यों/आचार्यों/महाविद्यालय आचार्यों/उपाचार्यों/महाविद्यालय उपाचार्यों/व्याख्यातों द्वारा वरिष्ठता सूची में नाम जोड़े जाने हेतु कुलसचिव को इस परिनियम में संलग्न प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए, सूची के प्रकाशन के लिए, आपत्तियों के लिए, सूची पर आपत्ति दर्ज करने के लिए, आपत्तियों के निराकरण के लिए समिति गठित करने के लिए, आपत्तियों पर समिति के निर्णय से संसूचित करने के लिए, तथा वरिष्ठता सूची तैयार करने का प्रथम वर्ष होने की स्थिति में अधिनियम के प्रवृत होने के तत्काल बाद की तिथि में अंतिम तिथि के प्रकाशन के लिए, ऊपर वर्णित परिनियम द्वारा विहित संबंधित तिथियों की भिन्नता में ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करने के पश्चात जो ऐसी भिन्नता के लिए आवश्यक हो, तिथियां, क्रमशः कुलपति द्वारा निर्धारित की जा सकेगी।

9. इन परिनियमों के उपबंधों के अनुशरण में प्राध्ययन केन्द्रों/विभागों तथा संबद्ध महाविद्यालयों के संविदा अध्यापकों की विश्वविद्यालय द्वारा पृथक सूची तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय को ऐसे संविदा अध्यापकों को ऐसी रीति में कार्य सौंपने की शक्ति होगी जैसी कि उचित हो।

प्रारूप

(संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/आचार्य/संबद्ध आचार्य/उपाचार्य/सहायक आचार्य/व्याख्याता) की सूची में शामिल करने के लिए आवेदन

प्रति,

कुलसचिव

.....विश्वविद्यालय

महोदय,

निवेदन है कि मेरा नाम .....(पदनाम) की वरिष्ठता सूची में जोड़ा जाए।मेरी सेवा का विवरण निम्नानुसार है:–

1. नाम
2. जन्मतिथि
3. अध्यापन का विषय
4. वर्तमान धारित पद
5. वर्तमान धारित पद की तिथि
6. वर्तमान पद का वेतनमान
7. शैक्षणिक योग्यता
8. अध्यापन अनुभव ..... वर्ष ..... माह ..... डिग्री कक्षाएं ..... स्नातकोत्तर कक्षाएं
9. प्रमाणित

प्राचार्य/प्राध्ययन केन्द्र प्रमुख

10. वर्तमान पद में नियुक्ति के पूर्व धारित अध्यापन पद (कालानुक्रमिक)

पद का नाम	संस्था का नाम जिसमे पदस्थ था	अवधि .....से ..... तक	वेतनमान

टीपः– (1) अध्यापक जो छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा में विभिन्न महाविद्यालयों, जिसमें वह विशिष्ट हैसियत से पदस्थ रहा हो, के नाम दिया जाना आवश्यक नही है।

(2) प्रत्येक स्थिति में नियुक्ति की तिथि तथा वेतनमान सहित संवर्ग में परिवर्तन (जैसे– व्याख्याता, आचार्य), का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

मैं घोषित करता हूं कि दिया गया विवरण सही है।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

पद

महाविद्यालय/अध्यापन विभाग

टेलीफोन/मोबाइल नं.

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र. 12

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची
(धारा 19, 21, 26 तथा 30 देखिए)

इन परिनियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो:

1. (1) अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के प्रयोजन हेतु अध्यापकों की वरिष्ठता निम्नलिखित रीति से होगी, अर्थात:—

समूह 'क' विश्वविद्यालय द्वारा संधारित अध्यापन विभाग, अध्ययन शाला / महाविद्यालय:—

(क) आचार्य

(ख) उपाचार्य

(ग) व्याख्याता

समूह (ब) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय:—

(क) महाविद्यालय व्याख्याता

(ख) उपाचार्य

(ग) व्याख्याता

(घ) संविदा,व्याख्याता

(2) "सेवा" से अभिप्रेत है, शिक्षण विभाग स्कूल आफ स्टडीज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या संबध्द महाविद्यालय प्राध्ययन केन्द्र और / या केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित कोई अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संधारित शिक्षण विभाग स्कूल आफ स्टडीज या संचालित अथवा संबद्ध महाविद्यालय में की गई सेवा ।

(3) यदि कोई अध्यापक जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का स्थायी पद धारण करता हो अवकाश या प्रतिनियुक्ति पर, चाहे किसी भी आधार पर हो, छः माह से अनधिक कालावधि के ऐसे अवकाश के दौरान तथा प्रतिनियुक्ति की कालावधि के दौरान शैक्षणिक प्रयोजन के लिए तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के अवकाश दौरान उसकी पद में सेवाएं अकादमिक प्रयोजन के लिए निरंतर मानी जाएगी ।

(4) वे अध्यापक जो भारत विनियामक प्राधिकरण / राज्य सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं योग्यता एवं चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किए गए हों, वरिष्ठता सूची में शामिल किए जाएंगे।

(5) पूर्ण कालिक वेतन आहरण करने वाले ऐसे प्राचार्य जो महाविद्यालय के आचार्य से भिन्न हो उनकी वरिष्ठता महाविद्यालयों के प्राचार्यों के संबंध में अंकित परिनियम के प्रावधानों के तहत की जावेगी।

2. आचार्य, महाविद्यालय आचार्य, महाविद्यालय उपाचार्य या व्याख्याता की वरिष्ठता सूची ऐसे व्यक्ति की किसी संवर्ग में जो कि उसके संबंधित संवर्ग के समकक्ष या उससे उच्च हो, में उसकी निरंतर सेवा की अवधि के साथ संबंधित संवर्ग में उसकी निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

परंतु जहां कोई प्राचार्य, महाविद्यालय आचार्य के संवर्ग में शामिल हो उसकी वरिष्ठता महाविद्यालय आचार्य के रूप में निम्नानुसार निर्धारित की जाएगा।

(क) ऐसे प्राचार्य के रूप में उसकी निरंतर सेवा की अवधि यदि ऐसे प्राचार्य के रूप में उसकी नियुक्ति के पूर्व वह महाविद्यालय आचार्य नही था।

(ख) महाविद्यालय आचार्य के रूप में उसकी निरंतर सेवा की अवधि यदि ऐसा प्राचार्य उसकी नियुक्ति के पूर्व महाविद्यालय आचार्य था।

टीपः– वरिष्ठता के प्रयोजन के लिएः

(एक) महाविद्यालय आचार्य का पद संबद्ध महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग में आचार्य पद से निम्न माना जाएगा।

(दो) उपाचार्य का पद विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग/अध्ययन शाला में महाविद्यालय में उपाचार्य के पद के समकक्ष माना जाएगा।

(तीन) महाविद्यालय में व्याख्याता/सहायक आचार्य का पद विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग/प्राध्ययन केन्द्र में व्याख्याता पद के समकक्ष पद माना जाएगा।

3. यदि किसी संवर्ग में ऊपर इस परिनियम के पैरा 2 के अनुसार परिकलित दो या अधिक अध्यापकों की सेवावधि समान हो तो उनकी परस्पर वरिष्ठता ठीक नीचे संवर्ग में उसकी निरंतर सेवा की अवधि, यदि कोई हो, के अनुसार अवधारित की जाएगा।

4. उपर इस परिनियम के पैरा 3 के अनुसार परिकलित के पश्चात यदि किसी संवर्ग में दो या अधिक अध्यापकों की परस्पर वरिष्ठता समान हो तो उनकी परस्पर वरिष्ठता ठीक नीचे संवर्ग में उसकी निरंतर सेवा की अवधि, यदि कोई हो, ऊपर पैरा 3 के अनुसार अवधारित की जाएगी।

5. जहां तक संभव हो पूर्वगामी परिनियम के अनुसार परिकलन के पश्चात यदि किसी संवर्ग में दो या अधिक अध्यापकों की परस्पर वरिष्ठता समान हो तो उनकी परस्पर वरिष्ठता किसी संवर्ग में अध्यापक के रूप में उसकी निरंतर सेवा की कुल कालावधि, के अनुसार अवधारित की जाएगी।

6. जहां तक संभव हो पूर्वगामी प्रावधान के अनुसार दो या अधिक अध्यापकों की परस्पर वरिष्ठता समान हो तो उनकी परस्पर वरिष्ठता आयु में वरिष्ठता के अनुसार अवधारित की जाएगी।

7. विभागीय चैनल या मेरिट पदोन्नति योजना द्वारा पदोन्नत आचार्य/उपाचार्य जिसमें समयबद्ध पदोन्नति योजना तथा वे अधिकारी जो लोक सेवा आयोग या प्रमाणित/अनुमोदित चयन समिति द्वारा नियुक्त हैं, में प्रभेद नही किया जाएगा।

8. अध्यापक जो अधिवार्षिकी को प्राप्त हो चुका हो परंतु पुनर्नियुक्ति या विस्तार पर हो वरिष्ठता सूची में शामिल नही किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.13

प्राचार्यों की वरिष्ठता सूची
(धारा 19, 21, 26 तथा 30 देखिए)

1. अधिनियम और परिनियम के प्रावधानों के अधिन प्राचार्य की वरिष्ठता विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय अथवा/या केन्द्रिय एवं राज्य अधिनियम द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय में उनके द्वारा प्राचार्य के रूप में की गई निरंतर सेवाओं के आधार पर की जाएगी ।
2. ऊपर पैरा 1 के अनुसार परिकलित दो या अधिक प्राचार्यों की सेवावधि समान हो तो उनकी परस्पर वरिष्ठता किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय/महाविद्यालयों में आचार्य के रूप में उसकी निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जाएगी।
3. ऊपर पैरा 2 के अनुसार परिकलित दो या अधिक प्राचार्यों की सेवावधि समान हो तो उनकी परस्पर वरिष्ठता किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय और/या किसी अन्य विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में उसकी निरंतर सेवा की अवधि, के अनुसार अवधारित की जाएगी।
4. जहां तक संभव हो पूर्वगामी प्रावधान के अनुसार दो या अधिक प्राचार्यों की परस्पर वरिष्ठता समान हो तो उनकी परस्पर वरिष्ठता, आयु में वरिष्ठता के अनुसार अवधारित की जाएगी।
5. यदि कोई प्राचार्य जो महाविद्यालय में स्थायी पद धारण करता हो अवकाश या प्रतिनियुक्ति पर, चाहे किसी भी आधार पर हो, छः माह से अनधिक कालावधि के ऐसे अवकाश के दौरान तथा प्रतिनियुक्ति की कालावधि के दौरान शैक्षणिक प्रयोजन के लिए तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के अवकाश दौरान उसकी पद में सेवाएं अकादमिक प्रयोजन के लिए निरंतर मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.14

संबद्ध महाविद्यालयों में विभागाध्यक्षों की परस्पर वरिष्ठता
(धारा 24, 26 देखिये)

1. संबध्द महाविद्यालयों में विभागाध्यक्षों की परस्पर वरिष्ठता नीचे दिए गए संवर्गों के क्रम में होगी:–
   (क) महाविद्यालय आचार्य
   (ख) पूर्णकालिक तथा वैतनिक प्राचार्य जो महाविद्यालय के आचार्यों से भिन्न हों
   (ग) उपाचार्य
   (घ) व्याख्याता/सहायक आचार्य
2. उपर विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन संबध्द महाविद्यालयों में विभागाध्यक्षों की परस्पर वरिष्ठता यथास्थिति महाविद्यालय आचार्य, प्राचार्य, महाविद्यालय उपाचार्य व्याख्याता के रूप में उनकी वरिष्ठता द्वारा निर्धारित की जाएगी।

   यदि महाविद्यालय का विभागाध्यक्ष छः माह से अधिक की कालावधि के लिए अवकाश पर जाता हो तो उसका पद रिक्त माना जाएगा तथा महाविद्यालय का प्राचार्य बिना विलंब के उत्तरवर्ती विभागाध्यक्ष का नाम कुलसचिव को संसूचित करेगा।

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.15

महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से संबद्धता दिया जाना तथा उसका प्रत्याहरण
(धारा 35 (1) देखिए)

महाविद्यालयों की संबध्दता

अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय तथा इसके अतिरिक्तः–

1. **संबद्धता के लिए कौन आवेदन करेगा :–**

विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्था/महाविद्यालय को आवेदन विहित प्रारूप में निम्नलिखित द्वारा किया जाएगाः

एक. शासन के द्वारा नियंत्रित एवं धारित महाविद्यालय/नए महाविद्यालयों के लिए/ऐसे महाविद्यालय /संस्था में जोड़े जाने वाले नये विषय/संकाय/स्नातकोत्तर कक्षा के मामले में, शासन द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा।

दो. क. किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के स्वामित्व में संधारित किये जाने वाले महाविद्यालय/संस्था स्थिति में संकल्प द्वारा प्राधिकृत सोसाइटी के सचिव द्वारा

ख. महाविद्यालय/संस्था का स्वामित्व तथा संधारण पूर्णतः किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने की स्थिति में, संस्थापक द्वारा, तथा

ग. शासन द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय/संस्था में जोड़े जाने वाले नये विषय/संकाय/ स्नातकोत्तर कक्षा के मामले में शासी निकाय के अध्यक्ष मंडल के संकल्प द्वारा प्राधिकृत महाविद्यालय/संस्था के प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

2. **संबद्धता के लिए आवेदन हेतु पात्रताः–**

क. जब राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय विनियामक परिषद से अनुमति प्राप्त हो जाए तब संबद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा।

ख. ऐसा आवेदन समय समय पर प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय द्वारा विहित फीस सहित ।

3. **आवेदन तथा संबद्धता शुल्क की अंतिम तिथिः**

(एक) जब से संबद्धता चाहा गया हो उसके पूर्व शिक्षा सत्र का 15 दिसंबर।

(दो) परिशिष्ट–क में विहित अनुसार संबद्धता शुल्क सहित।

परंतु कुलपति 30 प्रतिशत विलंब शुल्क सहित एक माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा। अनुकंपा अवधि पश्चात आगामी सत्र हेतु आवेदन ग्राह्य नही होगा।

4. **आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजः**
नए महाविद्यालय तथा डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रम में नए विषय की संबद्धता के लिए आवेदन में निम्नलिखित सहबद्ध किए जाएंगेः

एक. अशासकीय महाविद्यालयः–

(क) संस्थापक सोसाइटी के गठन की प्रति (प्रतिष्ठान ज्ञापन)

(ख) ट्रस्ट विलेख तथा संपत्ति के स्वत्व विलेख की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो;

(ग) छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित संचालनालय से प्रमाण पत्र।

(घ) भारतीय विनियमाक संस्थान स्वास्थ्य विज्ञान नई दिल्ली का प्रमाण पत्र संस्था द्वारा चाहे गये नवीन कार्यक्रम/विषय जोड़ने, या नया संकाय खोलने, प्राप्त में वृद्धि किए जाने, एक या अधिक डिप्लोमा कार्यक्रम या अधिक पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भारतीय विनियामक परिषद का प्रमाण पत्र।

(ड.) संबद्धता दिये जाने के पूर्व इस आशय का करारनामा कि संस्थापक सोसाइटी, महाविद्यालय संहिता, परिनियम के द्वारा वांछित विश्वविद्यालय द्वारा न्यास राशि (Endowment Fund) अपेक्षानुसार संस्था की विश्वविद्यालय दान निधि के साथ जमा करेगी।

(च) किसी संस्था के शासन द्वारा संधारण व व्यवस्थापन न किए जाने की स्थिति में आवेदन इस आशय के करार सहित विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के तीन माह के भीतर संस्था, परिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासी निकाय का गठन किया जाएगा । शासी निकाय की संरचना में यदि कोई परिवर्तन या संस्थापक सोसाइटी या संस्थापक से संबंधित प्रबंधन का कोई स्थानांतरण या परिवर्तन अथवा अध्यापन स्टाफ में कोई परिवर्तन हो तो वह विश्वविद्यालय को तत्काल सूचित करेगी।

दो. शासकीय महाविद्यालयः– शासन के स्वामित्व/ द्वारा संधारित महाविद्यालय की स्थिति में खण्ड 4 (क,ख,ड.,च) में अंतर्विष्ट प्रावधान लागू नही होंगे।

5. **आवेदन के साथ जानकारीः–** संस्थापक सोसाइटी का प्राधिकृत अधिकारी या सचिव या शासी निकाय का अध्यक्ष या संस्थापक, यथास्थिति निम्नलिखित विषयों के संबंध में विहित आवेदन में जानकारी प्रदान करेगा, अर्थातः–

(क) संबंधित भारतीय विनियामक परिषद के मापदण्डों की पूर्ति संबद्धता हेतु अनुमति प्राप्त करने के पूर्वः–

(एक) भवन

(दो) अध्यापन स्टाफ

(तीन) वित्तीय संसाधन

(चार) छात्रों का प्रवेश

(पांच) पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष

(छः) शारीरिक कल्याण कक्ष (विद्यार्थियों के लिए)

(सात) चिकित्सालय सुविधाः यदि संबद्धता किसी ऐसी अध्ययन इकाई के लिए चाहा गया हो जिसमें चिकित्सा सुविधा, आवश्यक होः—

(क) संस्था/महाविद्यालय का उनका संलग्न चिकित्सालय होना चाहिए।

(ख) यदि महाविद्यालय का स्वयं का चिकित्सालय उपलब्ध न हो तो ऐसे चिकित्सालय से वचन पत्र जो महाविद्यालय के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजी हो, चिकित्सालय में उपलब्ध बिस्तर, स्टाफ, सामग्री/उपकरण के पूर्ण ब्यौरे सहित वचन पत्र।

तथापि, ऐसा चिकित्सालय जो अन्य महाविद्यालयों को भी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तैयार हो वह राष्ट्रीय विनियामक परिषद के मानकों का पालन करता हो।

परंतु यह और भी कि छात्रों के प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजी चिकित्सालय को चिकित्सालय में उपलब्ध बिस्तर, स्टाफ, उपकरण/औजार एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में पूर्ण ब्यौरा देते हुए विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रेशन/मान्यता प्राप्त करना जरूरी होगा।

(आठ) प्रयोगशाला तथा संग्रहालय।

1. प्रयोगशाला में गैस एवं जल प्रदाय, उपकरण, कम्प्यूटर, परीक्षण सेट, रसायन, तथा डिजाइन एवं प्रयोगशाला में विद्युत व्यवस्था तथा जल आपूर्ति तथा संग्रहालय में समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित मापदण्डों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।

2. यह कि, संस्था/महाविद्यालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुरूप आधुनिक प्रयोगशाला सहित संस्था/महाविद्यालय में आवश्यक अधोसंरचना होगी।

ख. यह कि संस्था/महाविद्यालय यदि शासन द्वारा संधारित न हो तो न्यास निधि के रूप में जमा करने हेतु पर्याप्त निधि होना चाहिए तथा संस्थापक सोसाइटी का संस्थापक ऐसी रीति में जैसी कि प्रबंध बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए, विशेषाधिकार देने के सिद्धांत की शर्त अनुसार तथा विश्वविद्यालय को महाविद्यालय के स्टाफ के सुरक्षा धन तथा वेतन, यदि ऐसा वेतन तीन माह से अधिक की कालावधि के लिए इकट्ठा बकाया हो, के भुगतान के लिए अपने विवेक अनुसार राशि के उपयोग हेतु प्राधिकृत करने विश्वविद्यालय के साथ बंधपत्र तैयार करेगा।

ग. यह कि, छात्र द्वारा भुगतान योग्य, फीस, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय/शासन द्वारा विहित दर के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

परंतु छात्र द्वारा भुगतान किया गया समस्त शुल्क चाहे किसी भी प्रयोजन से हो, महाविद्यालय के लेखा बुक में लेखित की जाएगी तथा ऐसा शुल्क महाविद्यालय के प्राप्ति का भाग होगा।

घ. छात्र द्वारा भुगतान किये जाने वाले शुल्क के संबंध में संस्था/महाविद्यालय समीप में विद्यमान संस्था/महाविद्यालय के छात्रों को आकर्षित करने की दृष्टि से नियम नही बनाएगी

ड. आवेदन के अन्य बिन्दु ऐसे होंगे जैसा कि विश्वविद्यालय/शासन/विनियामक परिषद द्वारा समय समय पर विहित किया जाए।

6. **संबद्धता का विस्तार :–**

(1) जहां कोई संस्था/महाविद्यालय को सीमित कालावधि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई हो और वह महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय से आगामी सत्र के लिए संबद्धता हेतु समय सीमा बढ़ाने अथवा स्थायी संबद्धता प्राप्त करने का इच्छुक है ऐसी स्थिति में महाविद्यालय/संस्था द्वारा अधिकृत अधिकारी अथवा शासी निकाय का अध्यक्ष (शासी निकाय का गठन परिनियम के प्रावधानों के तहत हुआ हो) ऐसे प्रपत्र में संबद्धता के विस्तार अथवा स्थायी संबद्धता हेतु आवेदन कर सकेगा तथा ऐसे आवेदन के साथः–

(एक) इस परिनियम तथा साथ ही भारत विनियामक परिषद और विश्वविद्यालय परिनियम में उल्लेखित आवश्यकताओं के साथ संपूर्ण जानकारी आवश्यक तथ्यों सहित पालन स्वरूप उपलब्ध कराएगा।

(दो) सीमित अवधि के लिए दी गई संबद्धता के संबंध में प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी शर्तों के पालन से संबंधित पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी।

(तीन) ऐसी अन्य जानकारी जो प्रबंध बोर्ड द्वारा मांगा जाय।

(2) कोई संस्था या महाविद्यालय तब तक स्थायी संबद्धता के लिए पात्र नही होगा जब तक ऐसे महाविद्यालय/संस्था के द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम/योजना के लिए निरंतर अस्थायी संबद्धता की 10 वर्ष की अवधि पूर्ण न की गयी हो, महाविद्यालय/संस्था का स्वयं का भवन हो तथा भवन का क्षेत्र पाठ्यक्रम के प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो, एक उपयुक्त ग्रंथालय सर्वसुविधायुक्त प्रयोगशाला जो पाठ्यकम के संचालन के लिए आवश्यक हो एवं आधुनिक प्रशासनिक कार्यालय एवं आवश्यक संख्या में उपयुक्त योग्यता/अनुभव वाले शिक्षक जैसा कि स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित भारतीय विनियामक आयोग निर्धारित करे तथा भारतीय विनियामक आयोग के द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मापदण्डों की पूर्ति।

(3) वार्षिक संबद्धता हेतु आवेदन, कुलसचिव, को विगत शिक्षा सत्र के मध्य 15 दिसंबर को या उसके पूर्व करना होगा तथा तत्संबंध में समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विहित अनुसार शुल्क जमा करना होगा। संबद्धता शुल्क तब तक वापसी योग्य नही होगा जब तक निरीक्षण कर लिए जाने

राज्यपाल के अवर सचिव
Under Secretary to Governor

सत्यमेव जयते

दूरभाष Telephone -
कार्यालय Office : +91-771-2331101/06
निवास Res. :
फैक्स Fax : +91-771-2331104
राजभवन, रायपुर : 492001
RAJ BHAVAN, RAIPUR-492001

क्रमांक 2985/10894/2019/रास/यू.10 रायपुर, दिनांक 22/06/2020

प्रति,

कुलसचिव,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं
आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा,
सेक्टर–40, अटल नगर, रायपुर।

विषय :– परिनियम क्रमांक 15 की कंडिका 6(2) में संशोधन संबंधी।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. F-116/6548/डी.यू.एच.एस/अका./2019 दि. 19.12.2019

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा 31 (6) में निहित प्रावधान अनुसार माननीय कुलाधिपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, नवा रायपुर द्वारा परिनियम क्रमांक 15 की कंडिका 6(2) में अंकित शब्द **"सर्वसुविधायुक्त प्रयोगशाला"** के आगे शब्द **"एवं 100 बिस्तरों वाला स्वयं का चिकित्सालय"** को जोड़ने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित/स्वीकृत किया गया।

(एम.पी. पटेल)
राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़

के पूर्व आवेदन वापस नही ले लिया जाता। कुलपति 30 प्रतिशत अधिभार सहित इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात भी आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। विलंब शुल्क दिये जाने के पश्चात भी संबद्धता हेतु आवेदन करने की निर्धारित तिथि के एक माह बाद अनुग्रह अवधि में कुलपति द्वारा वृद्धि नहीं की जावेगी।

7. **आवेदन तथा निरीक्षण के लिए प्रक्रिया:**

इस परिनियम के पैरा 1 से 6 के अधीन प्राप्त आवेदन कुलसचिव को प्रस्तुत की जाएगी। वह आवेदन को विद्या परिषद की स्थायी समिति /कुलपति को तीन से अनधिक व्यक्तियों को मिलाकर एक निरीक्षण समिति गठित करने तथा वह तिथि निर्धारित करने के लिए जिसको कि या पहले समिति की रिपोर्ट देगी निर्दिष्ट करेगा, सामान्यतया यह तिथि निरीक्षण समिति के गठन से 15 से 20 दिवस होगी।

परंतु जहां विद्या परिषद की शीघ्र बैठक होने की संभावना नही है, विद्या परिषद की स्थायी समिति प्रबंध बोर्ड को अनुशंसा कर सकेगी तथा ऐसी अनुशंसा की रिपोर्ट स्थायी समिति द्वारा विद्या परिषद को उसके ठीक आगामी बैठक में दी जाएगी।

8. **निर्णय:**

1. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन तथा विद्या परिषद/स्थायी समिति की अनुसंशा पर विचार करने के पश्चात तथा ऐसी जांच के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे, प्रबंध बोर्ड या तो :–
   (क) संस्था/महाविद्यालय को कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता प्रदान करेगा; या,
   (ख) उसका कारण दर्शाते हुए आवेदन को निरस्त कर सकेगा।

2. जहां प्रबंध बोर्ड आंशिक संबद्धता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित करता है, वह विनिर्दिष्ट करेगा:

   (क) संस्था/महाविद्यालय का कार्यक्रम/पाठ्यक्रम तथा प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की नियत संख्या तथा संस्था/महाविद्यालय द्वारा संबद्धता हेतु निर्धारित मापदण्ड ।
   (ख) शर्तें यदि कोई हो, जो प्रबंध बोर्ड अधिरोपित करना चाहे तथा ऐसी शर्तों को पूरा करने के लिए समय तथा रीति।

3. उपरोक्त पैरा (1) के खण्ड (ख) या उप पैरा (2) के अधीन पारित आदेश कुलसचिव द्वारा आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

4. इसी प्रकार संबंधित संचालनालय, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा को भी संसूचित किया जाएगा।

9. **व्यावृति खण्ड:**

एक. विश्वविद्यालय संबद्धता आदेश जारी करने के पूर्व पुनर्निरीक्षण/आकस्मिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

दो. विश्वविद्यालय को भारतीय विनियामक परिषद की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबद्धता आदेश को स्थगित करने का अधिकार होगा। संतुष्ट हो जाने के पश्चात विश्वविद्यालय संबद्धता आदेश या तो जारी कर दिया जाएगा या आगे विनिश्चय के लिए मामला प्रबंध बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा।

10. संस्था/महाविद्यालय को दी गई संबद्धता वापस लिया जाना:–

(1) जहां कहीं भी, प्रतिकूल रिपोर्ट या अन्यथा के परिणाम के रूप में प्रबंध बोर्ड संस्था/महाविद्यालय को प्रदत्त समस्त या किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए दी गई संबद्धता को वापस लेने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करना आवश्यक समझे, प्रबंध बोर्ड, शासी निकाय या शासन को, यथास्थिति प्रबंध बोर्ड के आशय की सूचना देगा तथा यह अपेक्षा करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न प्रबंध बोर्ड द्वारा वांछित कार्यवाही की जाए ?

परंतु जहां संस्था/महाविद्यालय किसी निर्धारित अवधि के लिए विश्वविद्यालय से संबद्ध है तथा निर्धारित अवधि का विस्तार नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय/संस्था को विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं मान्य किया जावेगा ।

(2) उप पैरा (1) के अधीन नोटिस में निम्न विवरण होगा:–

(क) कारण जिसके लिए आशयित कार्यवाही अनुध्यात है; तथा

(ख) अवधि जिसके भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पास पहुंच जाना चाहिए।

(3) प्रबंध बोर्ड, महाविद्यालय/संस्था द्वारा दिये गये कारणों पर विचार करते हुए, समय समय नोटिस के जवाब के लिए अवधि का विस्तार कर सकेगा परंतु कुल कालावधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।

(4) पैरा (2) तथा (3) के अधीन संस्था/महाविद्यालय को दिए गए कालावधि के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर प्रबंध बोर्ड जवाब तथा प्रस्तुति के प्रकाश में मामले पर विचार करेगा, यदि कोई हो, और यदि जवाब प्राप्त नही होता है तो उक्त कालावधि के अवसान पर मामले पर विचार किया जा सकेगा तथा विद्या परिषद/विद्या परिषद की स्थायी समिति से परामर्श के पश्चात संस्था/महाविद्यालय को प्रदत्त समस्त या पाठ्यक्रम विशेष के लिए दी गई संबद्धता को वापस लेने के संबंध में आदेश जारी करेगा जैसा वह समझे ।

(5) जहां प्रबंध बोर्ड द्वारा किसी संस्था/महाविद्यालय को प्रदत्त पूर्णतः या भागतः किसी विशेषाधिकार को वापस लेने का संकल्प पारित किया जाता है, उसकी एक प्रति शासन, संस्था/महाविद्यालय शासी निकाय के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। शासन, अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(6) यदि, संस्था/महाविद्यालय किसी कारण से किसी कार्यक्रम/विषय जिसके लिए संबद्धता प्रदान की गयी है, दो वर्ष तक उस पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण देने में असमर्थ रहता है तो ऐसी संबद्धता समाप्त मानी जाएगी।

11. विविधः

(1) प्रत्येक संस्था/महाविद्यालय जिसे विश्वविद्यालय द्वारा जिस अवधि के लिए संबद्धता दी गयी हो विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं विनियमन के समस्त प्रावधानों तथा प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद द्वारा दिया गया कोई आदेश या पारित कोई संकल्प का अनुपालन कर संबद्धता हेतु पात्र होगा ।

(2) पैरा 8 (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संस्था/महाविद्यालय विशिष्टतया निम्नलिखित उपबंधों का पालन करेगाः–

(क) प्रवेश देते समय प्रवेश हेतु महाविद्यालय/संस्था पर अधिरोपित समस्त शर्तों का सम्यक अनुपालन ।

(ख) किसी पाठ्यक्रम के लिए जिसके संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्था को संबद्धता दी गयी है, विश्वविद्यालय को 6 माह पूर्व नोटिस दिये जाने के पश्चात ही पाठ्यक्रम का संचालन स्थगित करेगा ।

(ग) परिनियमों के उपबंधों के अधीन संबद्धता दिये जाने के तीन माह के भीतर शासी निकाय का गठन किया जाना आवश्यक है शासी निकाय परिनियम द्वारा वांछित कर्तव्यों को पूरा करेंगे ।

(घ) महाविद्यालय/संस्था के प्रबंधन में कोई परिवर्तन विश्वविद्यालय को तत्काल प्रतिवेदित किया जाएगा।

(ड.) भारतीय विनियामक परिषद के मापदण्डों तथा परिनियम में उल्लेखित उपबंधों के अधीन महाविद्यालय/संस्था में शिक्षकों की भर्ती पर्याप्त संख्या में एवं आवश्यक योग्यता एवं अनुभव के साथ की जाएगी उनके नियुक्ति की प्रकिया एवं सेवा शर्तों के संबंध में परिनियम के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

(च) महाविद्यालय/संस्था के शिक्षकों के स्थान परिवर्तन की सूचना विश्वविद्यालय को उनके अन्यत्र कार्य ग्रहण करने के एक माह के भीतर दिया जाना आवश्यक होगा ।

(छ) सामान्यतः एक कक्षा में साठ से अधिक विद्यार्थियों को समाहित नहीं किया जावेगा जब तक विद्या परिषद प्रत्येक व्याख्यान कक्ष के आकार, संरचना, बैठक व्यवस्था तथा श्राव्य विशेषताएं तथा शिक्षण की व्यवस्था पर विचार करते हुए, छात्रों की ऐसी अधिक संख्या की अनुमति नही देता हो जैसी कि विद्या परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाए;

(ज) सामान्यतः प्रयोगशाला कार्य के लिए एक शिक्षक के अधीन एक बैच में छात्रों की अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होगी।

(झ) संस्था/महाविद्यालय के अध्यापन स्टाफ में प्रत्येक रिक्ति जो कि एक माह से अधिक कालावधि के लिए नही भरी गयी हो विश्वविद्यालय को उसके कारण सहित प्रतिवेदित की जाएगी;

(ञ) महाविद्यालय/संस्था समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निदेशों के अनुसार अभिलेखों तथा रजिस्टरों का संधारण करेगा।

(ट) महाविद्यालय/संस्था ऐसे वार्षिक तथा नियतकालिक विवरण तथा अन्य जानकारी ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करे जैसी कि विश्वविद्यालय प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने की अपेक्षा किया जाए।

(3) विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई के पूर्व समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संबद्धता फीस का भुगतान करेगा यदि संस्था/महाविद्यालय ऐसा करने में असफल रहता है तो संबद्धता वापस ले ली जाएगी।

परंतु कुलपति उपर दर्शित तिथि से एक माह की कालावधि के भीतर अपेक्षित फीस के तीस प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त राशि के साथ अपेक्षित शुल्क का भुगतान की अनुमति दे सकेगा। असंबद्ध महाविद्यालय/संस्था के मामले में विश्वविद्यालय ऐसे आवश्यक उपाय कर सकेगा जो छात्रों के हित में हो।

(4) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्य तथा अध्यापक, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के लिए तत्संबंधी भारतीय विनियामक परिषद/शासकीय संस्था के द्वारा स्वीकृत से निम्न वेतनमान पर नियुक्त नही किए जाएंगे।

(5) संस्था/महाविद्यालय में अंशकालीन अध्यापक को समय समय पर निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा उसे आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के लिए अखिल भारतीय विनियामक परिषद के मानकों के अनुसार प्रत्येक सप्ताह व्याख्यान देना होगा।

(6) महाविद्यालय के लेखा, रजिस्टर, बैठकों की कार्यवाहियां तथा अन्य अभिलेख किसी भी प्रकार के निरीक्षण किए जाने के लिए प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति के लिए खुला रहेगा।

(7) प्रत्येक संस्था/महाविद्यालय आउटडोर तथा इनडोर खेलों तथा शारीरिक व्यायाम के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराएगा।

(8) (एक) प्रत्येक संस्था/महाविद्यालय अपने समस्त छात्रों के लिए प्रबंध बोर्ड द्वारा विहित रीति में चिकित्सा परीक्षा तथा महाविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्रों चिकित्सा सहायता के लिए व्यवस्था करेगा।

(दो) उपरोक्त प्रयोजन के लिए संस्था/महाविद्यालय छात्रों से महाविद्यालय द्वारा विहित दर पर शुल्क लेने का हकदार होगा।

(9) कुलसचिव के निर्देश पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन हेतु प्रत्येक संस्था/महाविद्यालय के भवन, प्रयोगशाला, फर्नीचर, उपकरण तथा स्टाफ उपलब्ध कराएगा।

(10) प्रबंध बोर्ड विद्या परिषद के परामर्श से किसी संस्था/महाविद्यालय से स्थायी या किसी विशेष अवधि के लिए केन्द्रीय प्रवेश प्रणाली में भाग लेने के लिए या किसी कार्यक्रम/कक्षा या विषय में छात्रों की संख्या निर्बंधित करने या कुछ विशिष्ट शाखाओं में ही महाविद्यालय में अध्यापन की अपेक्षा कर सकेगा। प्रबंध बोर्ड का ऐसा कोई निदेश या आदेश निदेश या आदेश प्राप्त होने के पश्चात आगामी शिक्षा सत्र के प्रारंभ से प्रभावशील होगा।

(11) छात्रों तथा अध्यापकों की उपस्थितिः छात्रों तथा अध्यापकों की उपस्थिति का अभिलेख दाशमिक प्रणाली या अन्य इलेक्ट्रानिक युक्तियों जैसी कि विश्वविद्यालय सहमत हो, सहित संधारित की जाएगी।

परिशिष्ट–(क)
परिनियम क्र.15 से सुसंगत (देय फीस)

आवेदन के साथ देय शुल्क निम्नानुसार होगाः

नया महाविद्यालय	स्नातक पाठ्यक्रम	स्नातकोत्तर/अधि विशेषज्ञता प्रति विषय
1. चिकित्सा	50,000.00	25,000.00
2. दन्त चिकित्सा	40,000.00	20,000.00
3. फिजियोथेरेपी	25,000.00	10,000.00
4. नर्सिंग	25,000.00	10,000.00
5. फार्मेसी	25,000.00	10,000.00
6. आयुर्वेद/होम्योपैथी/ योग/यूनानी/सिध्द	20,000.00	10,000.00
7. उपरोक्त से भिन्न कोई अन्य सह–चिकित्सा	10,000.00	5,000.00

वार्षिक संबद्धता शुल्क

स.क्र.	पाठ्यक्रम	शुल्क
1.	चिकित्सा– एक. एम.बी.बी.एस.	10,000.00
2.	दो. स्नातकोत्तर उपाधि/ पत्रोपाधि	10,000.00 (प्रति विषय)
3.	दन्त चिकित्सा	10,000.00
4.	फिजियोथेरेपी	10,000.00
5.	बी.फार्मा	10,000.00
6.	आयुर्वेद/होम्योपैथी/ योग/	

	यूनानी / सिध्द	10,000.00
7.	उपरोक्त से भिन्न कोई अन्य सह–चिकित्सा	10,000.00

नोटः उपरोक्त के अतिरिक्त रू. 10,000 / – या समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुसार निरीक्षण शुल्क प्रत्येक निरीक्षण के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.16

महाविद्यालय संहिता

(धारा 30 (ट) तथा 35 (1) देखिए)

भाग– एक

अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय तथा उसके अतिरिक्तः–

उद्देश्य–

(एक) शिक्षा के स्तर का ऊंचा उठाना तथा संधारण।

(दो) महाविद्यालय अध्यापकों की सेवाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना।

(तीन) छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना।

1. इस परिनियम में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विपरीत न हो:

परिभाषाएं–

(क) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार दिया गया शिक्षण संस्था।

(ख) "संस्थापक सोसाइटी" से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रेसन के लिए किसी विधि द्वारा रजिस्टर्ड या निगमित निकाय या व्यक्ति या शासकीय निगमन जो शिक्षण संस्थान स्थापित तथा संधारित करते हैं।

(ग) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, परिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित शासी निकाय।

(घ) "अध्यापक" से अभिप्रेत है, प्राचार्य सहित महाविद्यालय का अध्यापन स्टाफ।

(ड.) "संस्थापक सोसाइटी के अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो संस्थापक सोसाइटी (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए) द्वारा इसके अध्यक्ष के रूप में समुचित रूप से निर्वाचित।

(च) "दानदाता" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय के उपयोग हेतु नकद या स्थावर संपत्ति के रूप में दान देने वाली संस्थापक सोसाइटी से भिन्न वैयक्तिक, संघ, धर्मार्थ ट्रस्ट या कोई अन्य संस्था। महाविद्यालय उपयोग के लिए दिया गया दान नगद अथवा स्थायी संपति पांच लाख से कम का न हो ।

परंतु यदि दान किसी फर्म, संघ, ट्रस्ट या ऐसे दानदाता द्वारा समय समय पर नामांकित प्रतिनिधि द्वारा दिया जाता है तो इसे इस संहिता के प्रयोजन के लिए दिया गया दान समझा जाएगा।

(छ) "ग्रांटी महाविद्यालय से अभिप्रेत है, कोई महाविद्यालय जो राज्य सरकार से नियमित संधारण अनुदान प्राप्त करता है।

(ज) "नॉन ग्रांटी महाविद्यालय से अभिप्रेत है, कोई महाविद्यालय जो राज्य सरकार से नियमित संधारण सहायता प्राप्त नही करता है।

(झ) "निजी महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, कोई महाविद्यालय जो स्वसहायता योजना द्वारा संचालित हो।

(ञ) " राज्य सरकार से" अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार।

प्रभावशीलता–

(ट) महाविद्यालय संहिता ग्रांटी, नान ग्रांटी, स्वायत्त शासी महाविद्यालय संहिता विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार से स्वीकृत महाविद्यालयों पर लागू होगा परंतु स्वायत्त शासी महाविद्यालयों के मामले में महाविद्यालय संहिता के केवल वही प्रावधान लागू होंगे जो स्वायत्त शासी महाविद्यालयों द्वारा बनाए गए किसी अन्य परिनियम/अध्यादेश या विनियम में विशिष्ट प्रावधान नही है, सिवाय कि राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या प्रबंधित महाविद्यालय।

भाग–दो

संस्थापक सोसायटी

2. महाविद्यालय की संस्थापक सोसायटी विश्वविद्यालय/भारतीय विनियामक परिषद द्वारा अपेक्षित मानक के महाविद्यालय के संधारण तथा उन्नति के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी।

3. महाविद्यालय का कर्मचारी जिसमें मानदेय अंशकालीन जिसे मानदेय का भुगतान किया जाता है संस्थापक सोसाइटी के पदाधिकारी या सदस्य नही होंगे।

4. (1) प्रत्येक महाविद्यालय की संस्थापक सोसायटी नीचे दिए गए मान के अनुसार कुलसचिव तथा महाविद्यालय के संयुक्त नाम से फिक्स डिपोजिट फार्म रिसिप्ट में दान निधि जमा करेगी।

(क) अंडरग्रेजुएट स्तर पर केवल एक संकाय वाले महाविद्यालय	1,00,000=00
(ख) अंडरग्रेजुएट स्तर पर प्रत्येक अतिरिक्त संकाय	50,000=00
(ग) प्रथम पाठ्यक्रम के लिए पोस्टग्रेजुएट स्तर पर प्रत्येक संकाय	75,000=00
(घ) पोस्टग्रेजुएट स्तर पर प्रत्येक अतिरिक्त पाठ्यक्रम	40,000=00

(2) इस परिनियम के प्रभावशील होने की तारीख से संस्थापक सोसाइटी आवश्यक संदान निधि विश्वविद्यालय में जमा करेगी।

(3) संदान निधि निर्माण करने के लिए जमा, छात्रों से फीस के रुप में महाविद्यालय को प्राप्ति से या महाविद्यालय को प्राप्त अनुदान से या महाविद्यालय स्टाफ से ऋण से नही की जाएगी।

5. (1) संदान निधि से आय महाविद्यालय को उसके उपयोग हेतु उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) जब अध्यापकों को देय वेतन का भुगतान तीन माह से नही किया गया है तो विश्वविद्यालय, संदान निधि के उपयोग की अनुमति दे सकेगा तथा

संस्थापक सोसाइटी से उसके द्वारा आहरित राशि वापस जमा करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) महाविद्यालय के बंद होने की घटना में या शासन द्वारा महाविद्यालय को अधिग्रहित किए जाने की घटना में महाविद्यालय के अध्यापकों सहित कर्मचारियों को देय सुरक्षा निधि तथा वेतन संदान निधि से पहले भुगतान की जाएगी ।

6. संस्थापक सोसाइटी विश्वविद्यालय के सभी निर्देशों का पालन करेगी तथा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार महाविद्यालय का संधारण तथा संचालन करेगा:–

परंतु यदि महाविद्यालय ग्रांटी संस्था है तो ग्रांटी महाविद्यालय का संस्थापक सोसाइटी, शासन के अनुदान की शर्त के अनुसार महाविद्यालय का संधारण तथा संचालन करेगी। परंतु यह भी कि स्वायत्त शासी महाविद्यालय इस प्रयोजन के लिए परिनियम के अनुसार कार्य करेगी।

7. (1) महाविद्यालय संहिता में दिए गए इसके समस्त या किसी बाध्यता को पूरा करने हेतु संस्थापक सोसाइटी की भूमिका पर असफल होने की घटना में विश्वविद्यालय युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात निम्नलिखित में से कोई कार्यवाही कर सकेगा:–

(क) महाविद्यालय के शासी विकाय के अध्यक्ष सहित उसके नियुक्त किए गए लोगों के अधिकार का प्रत्याहरण;

(ख) परिनियम द्वारा संस्थापक सोसाइटी में निहित शक्तियों का प्रत्याहरण;

(ग) महाविद्यालय की संबद्धता का प्रत्याहरण;

(घ) शासी निकाय को अतिष्ठित करने तथा प्रशासक नियुक्ति के लिए शासन को सिफारिस।

(2) जहां पैरा (1) के अधीन प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो संस्थापक सोसाइटी, प्रबंध बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगी। राज्य सरकार तथा प्रबंध बोर्ड के बीच निर्णय में मतभेद होने की स्थिति में मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

संस्थापक सोसाइटी की शक्तियां:

8. (1) संस्थापक सोसाइटी की शक्तियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात:–

(क) शासी निकाय गठित होने तक या महाविद्यालय को प्रथम बार विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जाने की तारीख से नब्बे दिवस की कालावधि के अवसान तक, जो भी पहले हो, इस संहिता के उपबंधों के अनुसार महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य तथा अध्यापन विभाग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना।

(ख) शासी निकाय की अनुसंशा पर नया विभाग खोलने तथा नवीन अध्यापन पद सृजित करने की स्वीकृति देना जिसमें संस्थापक सोसाइटी पर

अतिरिक्त वित्तीय भार अंतर्वलित हो, परंतु नवीन विषय खोलने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

परंतु जहां संस्थापक सोसाइटी, शासी निकाय द्वारा निर्मित पर शासी निकाय द्वारा इसे प्रस्तुत किए जाने के साठ दिवस के भीतर कोई निर्णय नही लेता है तो प्रस्ताव संस्थापक प्रस्ताव सोसाइटी द्वारा अनुमोदित मान लिया जाएगा।

(ग) नए व्यय के मदों की स्वीकृति देना जिसमें संस्थापक सोसाइटी पर अतिरिक्त वित्तीय भार अंतर्वलित हो।

(घ) आय तथा व्यय के वार्षिक प्राक्कलन तथा शासी निकाय द्वारा उसके विचारण हेतु प्रस्तुत आडिट रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना।

परंतु जहां संस्थापक सोसाइटी, शासी निकाय को महाविद्यालय के आय तथा व्यय के वार्षिक प्राक्कलन प्रस्ताव पर शासी निकाय द्वारा इसे प्रस्तुत किए जाने के साठ दिवस के भीतर अपने निर्णय से संसूचित नही करता है तो यह मान लिया जाएगा कि संस्थापक सोसाइटी को शासी निकाय के वार्षिक प्राक्कलन पर कोई टिप्पणी नही करना है और शासी निकाय वार्षिक प्राक्कलन को कटौती सहित या बिना कटौती के स्वीकृत तथा अनुमोदित मानकर कार्यवाही करेगा।

(ड.) शासी निकाय से महाविद्यालय के कृत्य के संबंध में जानकारी आहूत करना तथा शासी निकाय को महाविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए सुझाव देना।

(च) रजिस्ट्रार फर्म तथा सोसाइटी द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से महाविद्यालय के आडिटरों की नियुक्ति करना।

परंतु यह और भी कि संस्थापक सोसाइटी महाविद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप नही करेगा।

(2) संस्थापक सोसाइटी तथा शासी निकाय के बीच मतभेद होने की स्थिति में, उनमें से कोई भी प्रबंध बोर्ड को मामला विनिर्दिष्ट कर सकेगा तथा प्रबंध बोर्ड का निर्णय बंधनकारी होगा।

9. महाविद्यालय के किसी व्यक्ति द्वारा संधारित तथा संचालित किए जाने स्थिति में संस्थापक सोसाइटी की बाध्यताएं तथा शक्तियां उस व्यक्ति पर निहित होगी।

भाग–तीन
शासी निकाय

10. (1) महाविद्यालय के प्रबंध हेतु एक शासी निकाय होगी। यह निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी;

(क) संस्थापक सोसाइटी द्वारा इसके सदस्यों के बीच से या महाविद्यालय का संधारण करने वाले संस्थापक द्वारा नियुक्त शासी निकाय का अध्यक्ष;

(ख) संस्थापक सोसाइटी द्वारा इसके सदस्यों के बीच से या महाविद्यालय का

संधारण करने वाले संस्थापक द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति;

(ग) संस्थापक सोसाइटी के सदस्यों से भिन्न कुलपति द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि जिसमें से कम से कम दो सदस्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अध्यापकों जहां तक संभव हो जहां महाविद्यालय स्थित हों एक ही शहर से न हो।

(घ) महाविद्यालय के दानदाताओं का एक प्रतिनिधि उन दानदाताओं द्वारा चुने जाएंगे।

(ङ.) एक सदस्य संयुक्त संचालक/उप संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य शिक्षा/आयुष, यथास्थिति की श्रेणी से निम्न न हो।

(च) महाविद्यालय के अध्यापकों द्वारा चयनित दो प्रतिनिधि, महाविद्यालय परिषद में विहित रीति से, उनमें से जिन्होने महाविद्यालय में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

परंतु प्राचार्य इस प्रवर्ग की सदस्यता के लिए पात्र नही होगा।

परंतु यह और भी कि दो वर्ष की सेवा का निर्बंधन महाविद्यालय के अस्तित्व में आने से प्रथम तीन वर्ष के लिए लागू नही होगा।

(छ) महाविद्यालय का प्राचार्य पदेन सदस्य सचिव होगा:

परंतु निम्नलिखित, खण्ड (1) के अधीन शासी निकाय के सदस्य के लिए पात्र नही होंगे:–

(एक) व्यक्ति जो किसी महाविद्यालय के किसी सदस्य से संबंधित हो;

(दो) व्यक्ति जो महाविद्यालय के कार्य में धन संबंधी हित रखता हो;

(तीन) महाविद्यालय का कर्मचारी।

(2) पदेन सदस्य के अतिरिक्त शासी निकाय के अध्यक्ष एवं सदस्य दो वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) शासी निकाय या सोसाइटी के अतिष्ठित होने के पूर्व संस्थापक सोसाइटी द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य शासी निकाय या सोसाइटी के अतिष्ठित होने पर पद छोड़ देंगे तथा उनकी जगह, सोसाइटी के कार्य प्रबंध हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा ले लिए जाएंगे।

(4) शासी निकाय का पदाधिकारी या सदस्य शासी निकाय के सचिव को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से शासी निकाय से त्यागपत्र दे सकेगा और उसका त्यागपत्र सचिव को प्राप्त होने की तिथि से ही प्रभावशील होगा। शासी निकाय का सचिव उस स्थिति में समस्त रिक्तियों को भरने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा।

(5) जब कोई पद की रिक्ति, पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के, उसके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व हो जाए तो उस सदस्य की रिक्ति यथासंभव शीघ्र निर्वाचन, नामांकन या नियुक्ति, यथास्थिति द्वारा भरी जाएगी जो उतने अवधि के लिए पद धारण करेगा कि जिसके स्थान पर वह निर्वाचित, नामांकित या नियुक्त ,यथास्थिति किया जाना है वह इसे धारण करता, यदि रिक्ति नही होती।

(6) महाविद्यालय के शासी निकाय के पदाधिकारियों या सदस्यता में प्रत्येक परिवर्तन की रिपोर्ट सचिव द्वारा विश्वविद्यालय को तत्काल दी जाएगी।

(7) शासी निकाय एक वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगी। शासी निकाय के पांच सदस्यों से कोरम पूरा होगा। नोटिस में दिए गए समय के तीस मिनट के भीतर यदि कोरम की पूर्ति न हो तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी। स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नही होगी।

(8) शासी निकाय की बैठक अध्यक्ष के परामर्श से सचिव द्वारा आयोजित की जाएगी। सचिव द्वारा बैठक नही बुलाए जाने की स्थिति में, जब अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने के लिए निदेशित किया जाए, अध्यक्ष द्वारा बैठक आहूत किया जाएगा।

(9) (क) सचिव शासी निकाय के सामान्य बैठक की सूचना कम से कम दस दिन पूर्व देगा।

(ख) शासी निकाय के आवश्यक बैठक की सूचना तीन पूर्ण दिवस की सूचना पर आयोजित की जाएगी।

(ग) कम से कम चार सदस्यों द्वारा, संचालित किए जाने वाले कार्य को दर्शाते हुए हस्ताक्षरित मांग पर शासी निकाय की आवश्यक बैठक, ऐसी मांग प्राप्त होने के बीस दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी। विशेष बैठक की सूचना कम से कम दस दिवस पूर्व दी जाएगी।

(घ) प्रत्येक बैठक का एजेन्डा सदस्यों को नोटिस के साथ भेजा जाएगा। नोटिस जारी करने के पूर्व किसी सदस्य से सचिव को प्राप्त प्रस्ताव एजेन्डा में शामिल की जाएगी। विशेष बैठक का एजेन्डा सिर्फ मांग में कार्य दर्शाए जाने पर ही शामिल किया जाएगा।

(ङ.) एजेन्डा में शामिल से भिन्न कार्य, सिवाय अध्यक्ष की अनुमति के संचालित नही किया जाएगा तथा जब तक उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नही दे दी जाती।

(10) अध्यक्ष जब उपस्थित हो शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेगा। किसी बैठक में अध्यक्ष के उपस्थित न होने पर उपस्थित सदस्य अध्यापक से भिन्न किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता के लिए चुनेंगे। अन्यथा उपबंधित के सिवाय शासी निकाय के समस्त कार्य तथा इसकी बैठक में आने या उठाए जाने वाले समस्त प्रश्न उसके ऐसे सदस्यों के बहुमत द्वारा, जो बैठक में उपस्थित हों तथा वोट दें, निपटाए या निर्णित किए जाएंगे।

(11) शासी निकाय की प्रत्येक बैठक का कार्य विवरण सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा तथा अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात बैठक के पन्द्रह दिवस के भीतर सदस्यों को वितरित की जाएगी।

(12) शासी निकाय पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि का यह कर्तव्य होगा कि वह कुलपति को महाविद्यालय के सुकर संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले तथा विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या विनिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित निर्णय की रिपोर्ट दे।

(13) शासी निकाय के कार्य या कार्यवाही सिर्फ इसकी सदस्यता में कोई रिक्ति या सदस्य की नियुक्ति, नामांकन, या इसके निर्वाचन में अनियमितता के कारण से अवैध नही होगी।

शासी निकाय की शक्तियां एवं कर्तव्यः–

(14) (क) शासी निकाय निम्नलिखित सहित महाविद्यालय के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगीः–

(एक) महाविद्यालय के वित्त, लेखाओं, निवेशों, संपत्ति तथा अन्य आस्तियों का प्रबंधन तथा विनियमन।

परंतु महाविद्यालय की कोई संपत्ति का व्ययन संस्थापक सोसाइटी की अनुमति के बिना नही किया जाएगा या इसका कोई भाग महाविद्यालय द्वारा प्रयुक्त या शासी निकाय द्वारा प्रबंधित कोई संपत्ति या आस्ति का शासी निकाय या सरकार की सहमति के बिना प्रत्याहरण या व्ययन नही किया जाएगा।

(ख) संस्थापक सोसाइटी की टिप्पणी, यदि कोई हो, पर विचारण के पश्चात, महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत बजट को संशोधन सहित या बिना संशोधन के अंगीकृत करना।

(ग) महाविद्यालय में नवीन शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों तथा नवीन विभागों की स्थापना तथा समाप्ति।

परंतु नए विभाग या नए पद की स्थापना में यदि संस्थापक सोसाइटी पर अतिरिक्त वित्तीय भार अंतर्वलित हो तो इस शक्ति का प्रयोग संहिता के पैरा 8 (1)(ख) के अध्यधीन रहते हुए करेगा।

परंतु यह भी कि अध्यापन विभाग या अध्यापन पद, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के समाप्त नही की जाएगी।

(घ) महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति, निलंबन तथा शास्ति तथा उनकी सेवाओं को प्रभावित करने वाले अन्य भाग।

परंतु ग्रांटी महाविद्यालय की स्थिति में प्रबंध बोर्ड तथा शासन के पूर्वानुमोदन के बिना, विशिष्ट कालावधि के लिए अवकाश रिक्ति या अस्थाई रूप में किसी नियुक्ति से भिन्न किसी अध्यापक की सेवाएं, चाहे किसी भी कारण से हो, समाप्त नही की जाएगी।

परंतु यह भी कि ऐसा अनुमोदन, किसी अध्यापक को (जो परिवीक्षा पर नियुक्त हो) परिवीक्षावधि के दौरान या ऐसी परिवीक्षावधि की समाप्ति पर, ऐसी कालावधि के दौरान उसका कार्य संतोषजनक नही होने के आधार पर पद से हटाए जाने के मामले में आवश्यक नही होगा।

परंतु यह और भी कि नियुक्ति की शक्ति इस परिनियम के उपबंधो के अध्यधीन होगी। महाविद्यालय का संधारण विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शैक्षणिक मानक के अनुसार होगा तथा महाविद्यालय द्वारा अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियमन तथा समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

(दो) महाविद्यालय के प्रबंधन के मामले में, शासी निकाय, विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश, विनियमन तथा निर्देशों तथा ऐसे नियम जो शासी निकाय द्वारा निर्मित तथा जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों,विनियमों से असंगत न हो, द्वारा आबद्ध अंतिम प्राधिकारी होगा।

15. शासी निकाय संस्थापक सोसाइटी को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा:–

(एक) संस्थापक सोसाइटी द्वारा नियुक्त किसी आडिटर द्वारा आडिट रिपोर्ट तथा शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून के ठीक पूर्व महाविद्यालय के कार्य तथा प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट सहित तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष के महाविद्यालय के वार्षिक लेखाओं का विवरण जो प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई के बाद न हो।

(दो) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए महाविद्यालय का बजट प्राक्कलन जो प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर के बाद न हो।

(तीन) अनावर्ती व्यय के मामले में रु. 10,000/– से अधिक, आवर्ती व्यय के मामले में रु. 4,000/– से अधिक नवीन व्यय के ऐसे मदों के लिए प्रस्ताव जिसमें संस्थापक सोसाइटी का अतिरिक्त वित्तीय भार अन्तर्वलित हो।

16. शासी निकाय निम्नलिखित विषयों के संबंध में अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों के से संगत नियम बना सकेगी–

(क) उसकी बैठक में पालन की जाने वाली प्रक्रिया।

परंतु अध्यापकों की सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय शासी निकाय की बैठक में नही लिया जाएगा जिसमें कम से कम एक अध्यापक प्रतिनिधि तथा एक विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि उपस्थित न हो।

(ख) महाविद्यालय का प्रबंधन, तथा

(ग) वह रीति जिससे उसका निर्णय प्रभावी किया जाएगा।

17. शासी निकाय उन समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता में अन्यथा उपबंधित न हो तथा अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से असंगत न हो।

18. शासी निकाय की बैठक में भाग लेने वाले विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार के नामांकिती को विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन विश्वविद्यालय के प्राधिकार के सदस्यों को स्वीकार्य दर पर टीए तथा डीए का भुगतान महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

19. (एक) शासी निकाय, महाविद्यालय के विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जाने की तिथि से नब्बे दिनों की कालावधि के भीतर इस परिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित की जाएगी।

(दो) शासी निकाय जो इस परिनियम के प्रवृत होने के तत्काल पूर्व विद्यमान हो तब तक कार्य करती रहेगी जब तक परिनियम के उपबंधों के अनुसार नया शासी निकाय का गठन नही हो जाता, परंतु ऐसी कालावधि इस परिनियम के प्रवृत होने की तिथि से नब्बे दिन की कालावधि से अधिक नही होगी। परंतु यदि किसी कारण से पूर्वोक्त कालावधि के भीतर परिनियम के उपबंधों के अनुसार शासी निकाय का गठन नही हो पाता तो प्रबंध बोर्ड उक्त कालावधि को साठ दिवस से अनधिक कालावधि के लिए और बढ़ा सकेगी।

भाग–चार

महाविद्यालय परिषद

11. (1) प्रत्येक महाविद्यालय के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य तथा समस्त अध्यापकों को मिलाकर एक महाविद्यालय परिषद का गठन किया जाएगा। महाविद्यालय के प्राचार्य तथा उप प्राचार्य यदि कोई हो, परिषद के क्रमशः पदेन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होंगे।

(2) सचिव का चयन परिषद के द्वारा उसके सदस्यों में से किया जाएगा; वह एक वर्ष के लिए, परंतु दो से अनधिक लगातार कार्यकाल के नही, पद धारण करेगा । वह प्राचार्य के निर्देशानुसार परिषद की बैठक आयोजित करेगा।

(3) परिषद एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम तीन बैठकें करेगी। यह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी:–

(क) महाविद्यालय में शिक्षा के विकास के लिए विचार विमर्ष करना।

(ख) छात्रों तथा अध्यापकों की आवश्यकताओं को शासी निकाय के ध्यान में लाना।

(ग) महाविद्यालय के शैक्षणिक कार्य कुशलता, क्रियाशीलता में सुधार हेतु प्राचार्य तथा शासी निकाय को सिफारिस करना।

(घ) महाविद्यालय के आंतरिक प्रबंध तथा उसके छात्रों के अनुशासन, जैसा कि वह समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, से संबंधित विषयों पर प्राचार्य को सुझाव देना।

(ड.) महाविद्यालय की समय सारिणी तैयार करना, अध्यापकों का कार्य आबंटन अतिरिक्त कार्यकलापों के लिए पाठ्यक्रम के गठन में प्राचार्य को परामर्श एवं सहायता प्रदान करना।

(च) अध्यापक संवर्ग के हितों, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को प्रभावित करने वाले विषयों पर विचार करना तथा शासी निकाय के ध्यान में लाना।

(छ) यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक संबंधित भारत विनियामक परिषद द्वारा परिकल्पित अनुसार आचार संहिता का पालन कर रहे हैं।

भाग—पांच

प्राचार्य की शक्तियां तथा कर्तव्य

12. (1) प्राचार्य महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा शैक्षणिक प्रमुख होगा तथा वह महाविद्यालय के अध्यापन कार्य में भाग लेगा।

(2) शासी निकाय के समान्य नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए प्राचार्य निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगाः—

(क) समान्यतया विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए संस्थान के रुप में महाविद्यालय के प्रशासन ;

(ख) महाविद्यालय पुस्तकालय तथा छात्रावास के प्रबंधन ;

(ग) महाविद्यालय के लेखाओं, प्राप्तियों तथा व्यय के संधारण ;

(घ) महाविद्यालय के पत्राचार तथा महाविद्यालय के अभिलेखों की अभिरक्षा ;

(ड.) सम्मेलित निधि के प्रशासन ;

(च) शासी निकाय के विनिश्चयों के निष्पादन ;

(छ) अध्यापन तथा अध्ययन प्रक्रिया की गुणवत्ता की देखरेख तथा महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध शिक्षा के स्तर।

(3) प्राचार्य को निम्नलिखित शक्तियां होगी अर्थातः—

(क) शासन के निर्देशानुसार तथा संबंधित अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश देना।

(ख) महाविद्यालय के अध्यापन तथा अन्य स्टाफ को अध्यापन, प्रशासनिक कार्य तथा अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाकलाप के संबंध में कर्तव्य सौपना तथा उसके समुचित पालन को देखना।

(ग) महाविद्यालय के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति निलंबन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही।

परंतु जहां निर्णय प्राचार्य द्वारा लिया गया है तो अपील शासी निकाय को की जाएगी।

(घ) महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखना।

परंतु किसी छात्र के विरुद्ध प्राचार्य द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही अंतिम होगी तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण के योग्य नही होगी, सिवाय जहां विश्वविद्यालय के परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अनुज्ञात हो;

परंतु यह और भी कि महाविद्यालय से छात्र के निर्बंधन के मामले में महाविद्यालय परिषद प्राचार्य के निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(ड.) ऐसे समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो उसे परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा प्रदत्त किया जाए।

भाग 6

महाविद्यालय के अध्यापक

13. 1. महाविद्यालय के किसी अध्यापन पद पर प्राचार्य के पद सहित, परंतु अंशकालीन नियुक्तियों, अस्थायी नियुक्तियों जो छः माह से अधिक के लिए निरंतर नही हैं, तथा उन पदों पर नियुक्तियां जिन्हे पदोन्नति से भरा जाना है, को छोड़कर नियुक्ति नही दिया जाएगा सिवाय इसके कि–

(क) युक्तियुक्त समयावधि दर्शाते हुए स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के लिए भारतीय विनियामक परिषद द्वारा विहित न्यूनतम योग्यता सहित पद का समुचित तथा विस्तृत विज्ञापन के पश्चात जिससे अवेदक, विज्ञापन में दिए गए समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर सके।

(ख) नान ग्रान्टी महाविद्यालय के लिए नीचे दिए गए पैरा (2) के प्रावधानों के अनुसार गठित चयन समिति की अनुसंशा पर तथा ग्रान्टी महाविद्यालय के मामले में नियम तथा प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि समय समय पर प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए।

2. (1) प्राचार्य की नियुक्ति के लिए समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी–

(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नामनिर्देशिती–अध्यक्ष

(दो) अध्यापकों के प्रतिनिधियों से भिन्न उनके सदस्यों में से उनके द्वारा नामांकित शासी निकाय का एक प्रतिनिधि

(तीन) संकायों के संकायाध्यक्षों में से एक जिसमें महाविद्यालय में अध्यापित विषय/ अध्यापन किए जाने हेतु प्रस्तावित विषय समाविष्ट हैं, कुलपति या महाविद्यालय विकास परिषद के संकायाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित

(चार) प्रबंध बोर्ड द्वारा नामांकित एक सदस्य

(पांच) अजा/अजजा/अल्प संख्यक समुदाय से एक प्रतिनिधि शासन द्वारा नामांकित

परंतु शासी निकाय के अध्यक्ष की बजाय संस्थापक सोसाइटी द्वारा प्रथम प्राचार्य की नियुक्ति के मामले में संस्थापक सोसाइटी का अध्यक्ष चयन समिति का अध्यक्ष होगा तथा संस्थापक सोसाइटी द्वारा उसके सदस्यों में नामांकित एक सदस्य शासी निकाय के प्रतिनिधि के स्थान पर चयन समिति के सदस्य होंगे।

परंतु यह और भी कि चयन समिति की अनुसंशा प्रबंध बोर्ड या प्रबंध बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु

रखी जाएगी। प्रबंध बोर्ड का अनुमोदन नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखे जाने हेतु महाविद्यालय को संसूचित की जाएगी।

(2) प्राचार्य को छोड़कर महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:–

(क) विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नामनिर्देशिती–अध्यक्ष

(ख) शासी निकाय का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती

(ग) अध्यापकों के प्रतिनिधियों से भिन्न उनके सदस्यों में से उनके द्वारा नामांकित शासी निकाय का एक प्रतिनिधि

(घ) कुलपति द्वारा नामांकित संबंधित विषय का एक विशेषज्ञ।

(ड.) एक विषय विशेषज्ञ शासन के संबंधित संचालनालय द्वारा नामांकित

(च) अजा/अजजा/अल्प संख्यक समुदाय से एक प्रतिनिधि

(छ) महाविद्यालय का प्राचार्य–सदस्य सचिव

(3) चयन समिति की बैठक के लिए कोरम निम्नानुसार होगी:–

(एक) प्राचार्य के पद हेतु चयन के मामले में समस्त सदस्य।

(दो) प्राचार्य के पद से भिन्न अध्यापकों के पद हेतु चयन के मामले में अध्यक्ष तथा तीन सदस्य।

(4) चयन समिति विज्ञापित योग्यता के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी का साक्षात्कार, मेरिट की जांच करेगी तथा व्यक्ति या व्यक्तियों, यदि कोई हो, के मेरिट क्रम में बनाए गए नामों की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को देगी जिन्हे वह विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंशा करती हो।

परंतु प्राचार्य से भिन्न अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंशा तब तक विधि मान्य नही मानी जाएगी जब तक जिसमें अनुशंशा का निर्णय लिया गया है उसका कम से कम एक विषय विशेषज्ञ चयन समिति की बैठक में उपस्थित न हो।

(5) (1) कोई भी व्यक्ति इस परिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति की अनुशंशा के सिवाय महाविद्यालय में नियमित पूर्ण कालिक अध्यापक नियुक्त नही किया जाएगा।

परंतु यदि अध्यापन पद की नियुक्ति के छः माह से अधिक निरंतर रहने की संभावना नही है तथा संस्था के हित में बिना अहित के विलंब नही किया जा सकता तो शासी निकाय, चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त किए बिना ऐसी नियुक्ति कर सकेगा परंतु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, चयन समिति की अनुशंसा के सिवाय महाविद्यालय

की सेवा में उस पद पर छः माह से अधिक की कालावधि के लिए ऐसे पद पर नही रहेगा या अन्य पद पर नियुक्त नही किया जाएगा।

(2) पूर्ण कालिक अध्यापक पदों की नियुक्तियां संस्थापक सोसाइटी या शासी निकाय यथा स्थिति द्वारा उन व्यक्तियों के बीच में से जो व्याख्याता/सहायक आचार्य के लिए विहित न्यूनतम योग्यता धारित करते हों, प्राचार्य की अनुशंशा पर किया जाएगा।

(3) संविदा आधार पर अध्यापक पद की नियुक्ति संविदा नियुक्ति के लिए प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यापक कम से कम एक शिक्षा सत्र के लिए अध्यापन स्टाफ का सदस्य होगा ऐसे संविदा अध्यापक का नाम एक ही शिक्षा सत्र में किसी अन्य महाविद्यालय के अध्यांपक की सूची में शामिल नही किया जाएगा।

14. इस परिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति जो नियुक्ति के समय प्रवृत परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार नियुक्त किए गए थे विधि मान्य माने जाएंगे।

15. (1) (एक) प्राचार्य तथा अन्य अध्यापन स्टाफ के सदस्य अंशकालीन अवकाश रिक्ति के आधार पर अथवा अस्थाई आधार पर नियुक्त के सिवाय प्रारंभ में एक वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाएंगे। परिवीक्षावधि एक वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जाएगी इस प्रकार परिवीक्षा की कुल कालावधि दो वर्ष से अधिक नही होगी।

(दो) जहां कोई नियुक्ति अस्थाई आधार पर किया जाता है, चाहे वह अवकाश रिक्ति या अन्यथा कारणों से किया गया हो, ऐसी अस्थाई नियुक्ति के कारण से प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय को संसूचित किया जाएगा।

(2) यदि परिवीक्षाधीन का कार्य संतोषजनक नही पाया जाता है तथा परिवीक्षावधि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व शासी निकाय द्वारा इसकी सूचना उसे नही दिया जाता तो परिवीक्षावधि समाप्त होने पर उसकी नियुक्ति स्थाई मान लिया जाएगा।

(3) (एक) अंशकालीन या स्थाई आधार पर नियुक्त अध्यापक से भिन्न प्रत्येक अध्यापक परिशिष्ट में विहित प्ररुप में लिखित संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे। संविदा की एक प्रति अध्यापक को दी जाएगी तथा एक प्रति विश्वविद्यालय में रखी जाएगी।

(दो) शासी निकाय का यह कर्तव्य होगा कि उस तारीख से जब से नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करता है, से एक माह की कालावधि

के भीतर ऐसी संविदा निष्पादित कराई जाए। परंतु शासी निकाय संविदा निष्पादित कराएगाः–

(क) संस्थापक सोसाइटी द्वारा नियुक्ति किए जाने की स्थिति में शासी निकाय कार्य प्रारंभ किए जाने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर।

(ख) उस तारीख के पूर्व की जाने वाली समस्त नियुक्तियों की स्थिति में परिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो माह की कालावधि के भीतर।

(तीन) परिशिष्ट में दिए गए प्ररुप में संविदा तथा अध्यापक एवं महाविद्यालय अथवा उसके शासी निकाय के बीच किसी अन्य संविदा में विरोधाभाष की स्थिति में परिशिष्ट के अनुसार संविदा की निबंधन तथा शर्तें लागू मानी जाएगी।

16. आचार्यों के पद समान्यतः महाविद्यालय के योग्य अध्यापकों में से वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

परंतु महाविद्यालय में ठीक निम्न संवर्ग के अध्यापक जिससे पदोन्नति किया जाना है, अपेक्षित योग्यता नही रखते तो आचार्यों के पद, चयन समिति के अनुशंसा पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

17. (1) प्राचार्य सहित महाविद्यालय में शिक्षकों के विभिन्न संवर्ग के लिए वेतन मान ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार या भारत विनियामक परिषद द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के लिए समय समय पर विहित किया जाए।

(2) अंशकालीन अध्यापक को ऐसे मानदेय की दर से भुगतान किया जाएगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा या भारत विनियामक परिषद द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के लिए समय समय पर विहित किया जाए।

(3) प्रत्येक अध्यापक का वेतन विगत माह की जिससे वेतन संबंधित है उसके बाद के माह की पांच तारीख से पूर्व उसके पक्ष में चेक आहारण के द्वारा भुगतान कर की जाएगी।

(4) शासी निकाय या संस्थापक सोसाइटी, महाविद्यालयों के अध्यापक सहित कर्मचारियों से कोई दान या ऋण की अपेक्षा या स्वीकृति नही करेगी।

(5) अंशकालीन अध्यापक से भिन्न प्रत्येक अध्यापक, देय तिथि पर विहित वेतन मान में वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होगा, जब तक सम्यक जांच के पश्चात यह रोका न जाए।

18. यदि किसी प्रयोजन के लिए महाविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवावधि में मूल नियुक्ति के पूर्व कालावधि के दौरान सेवा में व्यवधान नही है तो उसकी प्रथम नियुक्ति की तारीख से की गयी गणना में, 7 दिवस से अनधिक के छोटे सेवा व्यवधान को माफ किया जा सकेगा।

19. अस्थायी अध्यापक जो महाविद्यालय में पूरे शिक्षा सत्र के लिए महाविद्यालय की सेवा में हो आगामी अवकाश के लिए पूर्ण वेतन का हकदार होगा। यदि कोई

अध्यापक एक पूर्ण शिक्षा सत्र से कम किन्तु तीन माह से अधिक के लिए सेवा में हो तो वह शिक्षा सत्र में कुल कालावधि के लिए सेवा देने वाले की भांति ही आगामी अवकाश के लिए वेतन का हकदार होगा।

परंतु ऐसा अध्यापक ग्रीष्मावकाश के लिए वेतन का हकदार नही होगा जहां ऐसा अध्यापक उक्त अवकाश के लिए वेतन आहरित करने के लिए हकदार अन्य अध्यापक के अवकाश पर उसके स्थान पर स्थानापन्न तौर पर हो।

आदेशात्मक उपबंधः

20. (1) प्राचार्य सहित प्रत्येक अध्यापक कर्तव्य के प्रति हमेशा पूर्ण सत्यनिष्ठ तथा समर्पित रहेंगे तथा ऐसा कुछ भी नही करेंगे जो उसे अध्यापक होने से वंचित करे।

(2) महाविद्यालय के अंशकालीन अध्यापक को छोड़कर शैक्षणिक स्टाफ, प्राचार्य के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से तथा प्राचार्य के मामले में शासी निकाय के अध्यक्ष के माध्यम से किसी अन्य प्राधिकारी के अधीन पद के लिए आवेदन नही करेगा।

(3) अंशकालीन अध्यापक से भिन्न कोई भी अध्यापक महाविद्यालय का पूर्णकालिक अध्यापक होगा तथा शासी निकाय की बिना पूर्वानुमति के अपने को निजी ट्यूसन या किसी व्यापार या व्यवसाय या किसी अन्य व्यापार करने या परीक्षक या किताब के लेखक के अतिरिक्त, जिससे उसके नियुक्ति के कर्तव्यों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो, नही लगाएगा।

(4) कोई भी अध्यापक शासी निकाय से बिना लिखित पूर्वानुमति के साहित्यिक पत्रिका से भिन्न किसी समाचार पत्र के प्रकाशन या प्रबंधन में भाग नही लेगा।

(5) (एक) अध्यापक महाविद्यालय के प्राचार्य तथा शासी निकाय के समस्त विधिपूर्ण निदेशों का पालन करेगा। अध्यापक के रूप में उसके सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त वह ऐसे कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो उसे महाविद्यालय के सहपाठ्यचर्या तथा अतिरिक्त पाठ्यचर्या क्रियाकलापों के संबंध में या परीक्षाओं, प्रशासन के कर्तव्यों तथा महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए उसे सौंपे जाए।

(दो) अध्यापक के लिए स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा हेतु भारत विनियामक परिषद के नियमों के अनुसार अध्यापन पीरियड्स लेना आवश्यक होना।

(6)(एक) कोई भी अध्यापक महाविद्यालय के हितों के प्रतिकूल रीति में कार्य नही करेगा या ऐसी किसी गतिविधि में स्वयं को संबद्ध नही करेगा जो शासी निकाय की राय में महाविद्यालय के हित में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो।

(दो) कोई भी अध्यापक किसी राजनैतिक दल या ऐसे किसी संगठन जो राजनीति में भाग लेता हो, का न तो सदस्य होगा या अन्यथा सहयुक्त होगा और न ही किसी राजनीतिक संचालन या गतिविधि में भाग लेगा

या सहयोग करेगा, न ही किसी विधानसभा या स्थानीय प्राधिकरण के किसी चुनाव में प्रचार या अन्यथा हस्तक्षेप या उसके संबंध में अपना प्रभाव का उपयोग करेगा या भाग लेगा।

परंतुः—

(1) कोई कर्मचारी ऐसे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा तथा वोट देने के लिए अर्ह होगा, परंतु जब वह ऐसा करता है, मत देने के लिए प्रस्ताव को या दिए गए वोट को किसी भी रूप में प्रकट नही करेगा।

(2) कोई कर्मचारी सिर्फ इस कारण से कि यदि वह तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्य के पालन में किसी चुनाव के संचालन में सहायता करता है, इस परिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया जाना नही माना जाएगा।

(7) कोई अध्यापक विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा अध्यादेशों के अनुरूप शासी निकाय द्वारा बनाए गए आचरण नियम, यदि कोई हो, द्वारा शासित होंगे।

(8) महाविद्यालय संहिता का अतिलंघन, अनुशासन का विध्वंस माना जाएगा तथा कदाचरण की श्रेणी में आएगा तथा ऐसे अध्यापक के विरूद्ध आनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ किया जाना न्यायोचित होगा।

21. कोई अध्यापक जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु पूर्ण नही कर लेता तब तक या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित अनुसार, महाविद्यालय की सेवा में बना रहेगा। सेवानिवृति की आयु के पश्चात सेवा वृद्धि प्रदान नही किया जाएगा।

परंतु जहां अध्यापक की सेवानिवृति की तिथि, शिक्षा सत्र के दौरान आता हो तो शासी निकाय अध्यापक की सेवा शिक्षा सत्र के पूर्ण होने तक जारी रखने की अनुमति दे सकेगा।

22. अस्थायी सेवा का कोई अध्यापक एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन दिए बिना महाविद्यालय की सेवा नही छोड़ सकेगा। उसी प्रकार शासी निकाय किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्त करे तब एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देगा।

परंतु जब किसी अस्थायी अध्यापक की सेवा निरंतर नही है या नियत कार्यकाल जिसके लिए वह नियुक्त किया गया हो, की समाप्ति पर सेवा समाप्त किया गया हो तो नोटिस दिया जाना आवश्यक नही होगा।

23. किसी अध्यापक की सेवा, जो कि परिवीक्षा पर नियुक्त हो, परिवीक्षावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकेगा यदि उसका कार्य संतोषजनक नही पाया जाता।ऐसे नोटिस में ग्रीष्मावकाश या उसका कोई भाग शामिल नही होगा तथा अध्यापक यदि वह शिक्षा सत्र के दौरान तीन माह से अधिक

के लिए सेवा में रहता है तो वह शिक्षा सत्र में कुल अवधि के लिए सेवा में रहने वालों की तरह आगामी ग्रीष्मावकाश के लिए वेतन का हकदार होगा। अध्यापकों की परिवीक्षावधि के समापन के पूर्व शासी निकाय को लिखित में एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकेगा।

24. (1) अस्थाई या अंशकालीन आधार पर या परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्तियों से भिन्न अध्यापक की सेवा निम्नलिखित आधार की पुष्टि के सिवाय तथा प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन के बिना समाप्त नही की जाएगी:–

(एक) कर्तव्य की उपेक्षा के प्रयास सहित कदाचरण।

(दो) संविदा की शर्तो का भंग।

(तीन) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता।

(चार) अक्षमता, परंतु अक्षमता का अभिवचन अध्यापक के विरूद्ध, उसके स्थाई होने के दो वर्ष के पश्चात प्रयुक्त नही किया जाएगा।

(पांच) प्रदान नही किया गया है आदेशित नही किया जाएगा।

परंतु यह और भी कि शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता के आधार पर किसी अध्यापक की सेवा समाप्ति की कार्यवाही राज्य सरकार के चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के आधार के सिवाय नही की जाएगी।

(2) सिवाय इसके जहां किसी अध्यापक की सेवाएं कर्तव्य की अवहेलना सहित कदाचरण या संविदा की शर्तों के भंग के आधार पर समाप्त की गयी है, न तो शासी निकाय और न ही शिक्षक, दूसरे पक्ष को तीन कलेण्डर माह का नोटिस या तीन माह के वेतन के बराबर राशि, जो संबंधित अध्यापक उस समय प्राप्त करता है, का भुगतान किए बिना करार समाप्त नही करेगा। नोटिस की अवधि में ग्रीष्मावकाश या उसका कोई भाग शामिल नही होगा।

भाग सात
निलंबन, शास्ति तथा अनुशासनिक प्राधिकारी

14. महाविद्यालय के कर्मचारियों का निलंबन, शास्ति तथा अनुशासनिक कार्यवाही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के प्रावधान के अनुसार परिनियम द्वारा शासित होंगे।

तथापि, महाविद्यालय के कर्मचारियों/अध्यापकों के मामले में अनुशासनिक तथा नियुक्ति प्राधिकारी प्राचार्य/शासी निकाय होंगे।

15. (1) नियुक्ति प्राधिकारी सही और पर्याप्त कारणों से महाविद्यालय के किसी कर्मचारी (अध्यापक सहित) पर संबंधित परिनियम में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए उपबंधित किए गए अनुसार दण्ड आरोपित कर सकेगी:–

(क) परिनिन्दा

(ख) आदेश की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा महाविद्यालय को उसके द्वारा पहुंचायी गयी आर्थिक हानि की संपूर्ण या उसके भाग की उसके वेतन से वसूली

(ग) वेतनवृद्धि रोकना

(घ) निम्नतर वेतनमान, श्रेणी या पद पर लाना

(ड.) अनिवार्य सेवानिवृति

(च) सेवा से हटाया जाना

(छ) पदच्युति जो सामान्यतया भविष्य में महाविद्यालय में नियोजन हेतु निरर्हता होगी

उपरोक्त के अलावा महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए छोटी मोटी असावधानी, समय की अनपाबंदी, आलस्य या इसी तरह छोटे प्रकृति के कदाचरण के लिए शास्ति आरोपित की जा सकेगी जो पचास रूपये से अनधिक होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी महाविद्यालय के कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा।

(3) अर्थदण्ड से भिन्न उपरोक्त उप पैरा (1) में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति आरोपित करने का आदेश, शासन द्वारा शासकीय सेवकों पर शास्ति आरोपित करने तथा तत्समय प्रवृत प्रक्रिया अनुसार संबंधित महाविद्यालय कर्मचारी के विरूद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जांच के आदेश के सिवाय नही की जाएगी।

परंतु महाविद्यालय की सेवा में स्थायी अध्यापक की श्रेणी या वेतन में कमी या उसे सेवा से हटाने या पदच्युत करने या अनिवार्य सेवानिवृति देने का प्रस्ताव शासी निकाय द्वारा पारित किया गया नही माना जाएगा जब तक शासी निकाय की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित न हो जिसमें यह विचारण के लिए लाया जाता है तथा जहां यह समुचित रूप से निर्णय लिया जाता है तो यह तब तक प्रभावशील नही किया जाएगा जब तक यह प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित नही कर दिया जाता।

(4) प्राचार्य सहित महाविद्यालय के अध्यापक की भूमिका पर निम्नलिखित चूक पर कदाचरण संस्थित किया जाएगा:

(एक) व्याख्याताके रूप में अपने शैक्षणिक कर्तव्यों के पालन, प्रदर्शन, निर्धारण, मार्गदर्शन, सावधानी में इत्यादि में असफल।

(दो) छात्रों के निर्धारण में घोर पक्षपात, जानबूझकर अधिक अंक देना/कम अंक देना या किसी भी आधार पर पीड़ा पहुंचाना।

(तीन) छात्रों को अन्य छात्रों, सहकर्मियों या प्रशासन के विरूद्ध उकसाना। यह, सेमीनार या अन्य स्थानों में जहां छात्र उपस्थित हों, अध्यापक के सैद्धांतिक मतभेद अभिव्यक्त करने के अधिकार को बाधित नही करता।

(चार) सहकर्मियों के साथ उसके संबंध में जाति, पंथ, धर्म, मूलवंश या लिंग का प्रश्न उठाना तथा उक्त विचारों का उसके भावी सुधार के लिए प्रयोग करना।

(पांच) विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारी/निकाय तथा/या महाविद्यालय के शासी निकाय/प्राचार्य के निर्णय के पालन से इंकार करना। यह, उसके नीतियों या विनिश्चय से उसके मतभेद को अभिव्यक्त करने के उसके अधिकार से वंचित नही करता।

अपीलीय प्राधिकारीः

16. (1) जब महाविद्यालय के किसी कर्मचारी पर प्राचार्य द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित किया जाता है, संबंधित कर्मचारी उस तिथि से जिससे उसे आवेदक को अपील के विरुद्ध आदेश की प्रति प्रदान की जाती है, से तीस दिनों के भीतर महाविद्यालय के शासी निकाय को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) जहां किसी अध्यापक को श्रेणी या वेतन में कमी या सेवा से हटाए जाना या पदच्युति या अनिवार्य सेवा निवृति से भिन्न कोई शास्ति अधिरोपित किया जाता है तो वह उस तिथि से जिससे आवेदक को अपील के विरुद्ध आदेश की प्रति प्रदान की जाती है, से तीस दिनों के भीतर प्रबंध बोर्ड को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) (एक) जहां किसी अध्यापक को श्रेणी या वेतन में कमी या सेवा से हटाए जाना या पदच्युति या अनिवार्य सेवा निवृति की कोई शास्ति अधिरोपित किया जाता है तो शासी निकाय के उस आदेश के विरुद्ध अपील निम्नलिखित से मिल कर बने अधिकरण को की जाएगी।

(क) कुलपति का नाम निर्देशिती, प्रबंध बोर्ड के सदस्य से भिन्न जो अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा।

(ख) व्यथित अध्यापक का नाम निर्देशिती जो उसके अपील में अपीलार्थी द्वारा नामांकित होगा, तथा

(ग) शासी निकाय का नाम निर्देशिती

परंतु उपरोक्त खण्ड (ग) में किसी व्यक्ति के मामले में संबंधित निकाय द्वारा तीन माह के भीतर नाम निर्देशित नही किया जाता है तो कुलपति को संबंधित निकाय की ओर से नियुक्ति करने का अधिकार होगा, नाम निर्देशिती किसी भी रीति में विश्वविद्यालय से संबंधित नही होगा।

परंतु यह और भी कि इस उप–पैरा के अधीन कोई अपील कुलपति को आवेदक को अपील के विरुद्ध आदेश की प्रति प्रदान किए जाने की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(4) कोई अपील अन्यथा उपबंधित के सिवाय उस प्राधिकारी को जिसको अपील किया जाना हो, प्रस्तुत की जाएगी, अपील की एक प्रति अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकारी को जिसके आदेश के विरुद्व अपील किया गया है को अग्रेसित किया जाएगा। इसमें उन समस्त तथ्यों तथा तर्कों का जिस पर अपीलार्थी राहत चाहता है, उल्लेख करेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार के निरादर या अनुचित भाषा का प्रयोग नही करेगा तथा अपने आप में पूर्ण होगा।

(5) प्राधिकारी, जिसके द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया गया हो, अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे अपीलीय प्राधिकारी को, सुसंगत अभिलेखों सहित उस पर अपनी टिप्पणी सहित, बिना कोई विलंब किए तथा अपीलीय प्राधिकारी के किसी निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना अग्रेसित करेगा।

(6) (एक) अपीलीय प्राधिकारी शास्ति की पुष्टि, वृद्धि, कमी या अपास्त कर सकेगा या प्राधिकारी को जिसके द्वारा शास्ति आरोपित किया गया है को मामला ऐसे निर्देशों के साथ जैसी कि मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझा जाए वापस कर सकेगा।

(दो) प्राधिकारी, जिसके द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया गया हो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को प्रभावशील कराएगा।

भाग आठ
भविष्य निधि तथा अवकाश

17. (1) शासी निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए परिनियम में बनाए गए उपबंधों के अनुसार अपने कर्मचारियों के हित के लिए भविष्य निधि संधारित करेगी।

18. (1) महाविद्यालय के अध्यापक सहित कर्मचारी छत्तीसगढ़ शासन में प्रवृत तथा अवकाश और बिना अवकाश विभाग के शासकीय सेवकों के लिए लागू अवकाश नियम के अनुसार अवकाश के हकदार होंगे। प्राचार्य के अतिरिक्त अध्यापक के सभी पद अवकाश विभाग के पद होंगे।

(2) अध्यापकों के मामले में आकस्मिक अवकाश के सिवाय अवकाश, शासी निकाय द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। आकस्मिक अवकाश, प्राचार्य के मामले में शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा तथा अन्य अध्यापकों में मामले में प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

भाग नौ
विविध

19. (1) महाविद्यालय की स्वयं की एक निधि होगी तथा महाविद्यालय की समस्त प्राप्तियां जैसे फीस, दान, अनुदान, निवेश तथा दान निधि पर ब्याज तथा ऋण, निधि में जमा की जाएगी।

(2) निधि के समस्त के धन ऐसे बैंक में जमा किए जाएंगे या ऐसी रीति से निवेशित किए जाएंगे जैसी कि शासी निकाय विनिश्चित करे।

(3) समस्त व्यय, जैसी कि महाविद्यालय के लिए शासी निकाय द्वारा स्वीकृत किया जाय, निधि से पूर्ति किया जाएगा।

(4) महाविद्यालय की निधि का उपयोग बैठक के लिए किसी व्यय में या संस्थापक सोसाइटी को कोई ऋण देने के लिए या संस्थापक सोसाइटी द्वारा कोई और संस्था चलाने के लिए नही किया जाएगा।

20. (1) ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेख जिसे शासी निकाय संधारित करने की अपेक्षा करे, के अतिरिक्त, प्रत्येक महाविद्यालय ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेख संधारित करेगा जैसी कि प्रबंध बोर्ड द्वारा विहित किया जाए।

(2) महाविद्यालय के लेखा, रजिस्टर, मीटिंग की कार्यवाही तथा अन्य अभिलेख, समस्त कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान शासी निकाय के समस्त सदस्यों द्वारा तथा प्रबंध बोर्ड/विद्या परिषद/कुलपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

21. महाविद्यालय के प्रबंधन से संबंधित कोई व्यक्ति तथा प्राचार्य या अन्य शिक्षक या उसका कोई कर्मचारी, किसी छात्र से या उसकी ओर से महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने या उसमें किसी पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन कराने के नाम पर विश्वविद्यालय द्वारा विहित के अतिरिक्त या उससे अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई अंशदान, दान, फीस या कोई इस प्रकार का भुगतान चाहे नकद या अन्य प्रकार से नही लेगा या प्राप्त नही करेगा या नही लिवाएगा या प्राप्त नही करवाएगा तथा छात्र द्वारा अदा की गयी समस्त रकम महाविद्यालय की प्राप्ति का भाग माना जाएगा।

22. महाविद्यालय के शासी निकाय तथा उसके किन्ही शिक्षकों के बीच सेवा की संविदा के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अध्यापक या शासी निकाय के अनुरोध पर कुलपति के द्वारा प्रबंध बोर्ड के एक सदस्य से भिन्न कुलपति का एक नाम निदेशिती जो कि अध्यक्ष होगा तथा अध्यापक तथा शासी निकाय प्रत्येक के एक एक नाम निदेशिती से मिलकर बने अधिकरण को विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

23. इस परिनियम के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा का अशासकीय महाविद्यालय, संस्था के उपविधियों/विनियमों के अनुसार गठित संस्था के कार्यपालिक निकाय, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, के द्वारा प्रशासित होगी।

परंतुः–

(एक) संस्था के कार्यपालिक निकाय में प्राचार्य को छोड़कर संस्था के शिक्षक द्वारा उनके बीच से चुने गए कम से कम दो प्रतिनिधि इसके सदस्यों में से होंगे जो कि संस्था में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए हों।

(दो) संस्था में शिक्षक के पद से निम्न तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले पद से भिन्न अध्यापक पदों पर समस्त नियुक्तियां चयन समिति की अनुसंशा जिसके कम से कम दो सदस्य कुलपति द्वारा नामांकित संबंधित विषय के विशेषज्ञ होंगे, द्वारा किया जाएगा।

(तीन) इस परिनियम के "भाग सात–निलंबन,शास्तियां तथा अनुशासनिक प्राधिकारी" के प्रावधान, संस्था के अध्यापन तथा गैर अध्यापन दोनों कर्मचारियों के लिए लागू होंगे।

परिशिष्ट

अध्यापकों के लिए सेवा के अनुबंध का प्ररुप

यह अनुबंध ..... दिनांक को ..... श्री ..... (जिसे इसके बाद अध्यापक कहा जाएगा) तथा प्रथम पक्षकार तथा शासी निकाय ..... महाविद्यालय (जिसे उसके पश्चात शासी निकाय कहा जाएगा) जो उसके अध्यक्ष/सचिव के रुप में कार्यरत द्वितीय पक्षकार के बीच निष्पादित किया गया।

चूंकि शासी निकाय द्वारा श्री ..... को ..... महाविद्यालय के अध्यापन स्टाफ के सदस्य के रुप में निम्नलिखित निबंधन तथा शर्तों पर तथा महाविद्यालय संहिता परिनियम में उपबंधित अनुसार नियुक्त किया गया है। अतः प्रथम पक्षकार तथा शासी निकाय, एतद्द्वारा निम्नलिखित साक्षियों के बीच निम्नानुसार इकरार करते हैं तथा संविदा करते हैं:–

1. यह कि यह अनुबंध ..... दिनांक से ..... तक जैसा कि इसके पश्चात निर्धारित होगा।
2. यह कि प्रथम भाग का पक्षकार एक वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जाता है तथा रु. ..... वेतन मान में रु. ..... मासिक वेतन भुगतान किया जाएगा। परिवीक्षावधि ऐसी कालावधि के लिए और बढ़ाई जा सकेगी जैसी कि द्वितीय पक्ष का पक्षकार उचित समझे, परंतु परिवीक्षा की कुल कालावधि किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नही होगी। अध्यापक अपनी नियुक्ति में तब तक स्थायी माना जाएगा जब तक शासी निकाय उसके समाप्ति के पूर्व जो एक माह के बाद न हो, उसे लिखित में निरंतर नही रखने के आशय की लिखित में उसे सूचना नही देता।
3. यह कि स्थायीकरण के पश्चात शासी निकाय, शिक्षक को नियुक्ति की निरंतरता के दौरान रु. ..... वेतनमान में वेतन का भुगतान करेगा तथा शासी निकाय के अनुमति के बिना वेतन वृद्धि नही रोका जाएगा।
4. यह कि अध्यापक उसकी नियुक्ति निरंतरता के दौरान महाविद्यालय संहिता में दिए गए प्रावधान के अनुसार शासी निकाय द्वारा संधारित भविष्य निधि के लाभ का हकदार होगा।
5. यह कि प्रथम पक्ष के पक्षकार की जन्मतिथि .....है तथा अधिवार्षिकी की आयु 62 वर्ष होगी, सेवा निवृत्ति की वास्तविक तिथि 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के वर्ष शिक्षण सत्र के अंतिम दिन होगी।
6. यह कि अध्यापक महाविद्यालय संहिता के प्रावधानों के अनुसार अवकाश का हकदार होगा।
7. यह कि अध्यापक पूरे समय महाविद्यालय की सेवा में निरत रहेगा तथा शासी निकाय की अनुमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में निजी ट्यूशन या किसी व्यापार या व्यवसाय या अन्य लाभकारी कार्य जो कि उसके कर्तव्य के समुचित निर्वहन में बाधक हो नही करेगा परंतु यह प्रतिबंध उसके परीक्षक या किताब के लेखक या उसके साहित्यिक उपलब्धि से उसे प्राप्त होने वाले लाभ पर लागू नही होगा।

8. यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों से भिन्न ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो महाविद्यालय के सामाजिक, बौद्धिक, या खेलकूद गतिविधि या महाविद्यालय की परीक्षा या प्रशासन या अनुशासन बनाए रखने से संबंधित हो।

9. यह कि स्थायीकरण के पश्चात प्रथम पक्ष का पक्षकार निम्नलिखित आधार पर सेवा से हटाया जा सकेगा:–

(क) जान बूझ कर कर्तव्य की उपेक्षा सहित कदाचरण;
(ख) संविदा के किसी शर्तों का भंग;
(ग) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;
(घ) पद की समाप्ति।

परंतु

(एक) अक्षमता का अभिवचन प्रथम पक्ष के पक्षकार के विरुद्ध उसके स्थायीकरण के पश्चात द्वितीय पक्ष के पक्षकार को दो वर्ष या उससे अधिक की सेवा प्रदान करने के पश्चात प्रयुक्त नही किया जाएगा।

(दो) प्रथम पक्ष के पक्षकार की सेवाएं शासी निकाय द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड से संसक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना उपखंड (ग) के अधीन समाप्त नही की जाएगी।

(तीन) प्रथम पक्ष के पक्षकार की सेवाएं कार्यपालिक परिषद के पूर्वानुमोदन के बिना किसी कारण से समाप्त नही की जाएगी।

10. उपर पैरा 9 के उपखंड (क) या (ख) अधीन सेवा समाप्ति के सिवाय न तो प्रथम पक्ष का पक्षकार और न ही द्वितीय पक्ष का पक्षकार इस अनुबंध का लिखित में अन्य पक्षकार को तीन माह का नोटिस या तीन माह के वेतन के बराबर की राशि जो कि प्रथम पक्ष के पक्षकार उस समय प्राप्त करता हो, का भुगतान करने के सिवाय समाप्त नही की जाएगी। उपर विनिर्दिष्ट कालावधि में ग्रीष्मावकाश या उसका कोई भाग शामिल नही होगा।

11. इस अनुबंध की कोई भी बात महाविद्यालय संहिता के पैरा 42 के अधीन गठित अधिकरण के इस अनुबंध में उत्पन्न किसी मतभेद या विवाद निविर्दिष्ट करने के लिए लागू प्रथम पक्ष के पक्षकार के अधिकार को प्रभावित नही करेगी।

12. इस अनुबंध की समाप्ति चाहे किसी भी कारण से हो, अध्यापक शासी निकाय को समस्त पुस्तकों, यंत्रों, अभिलेखों तथा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से संबंधित उन अन्य वस्तुओं को जो कि उसके कब्जे में हो परिदत्त करेगा। शासी निकाय, शिक्षक के वेतन के बकाए के संबंध में, यदि कोई हो तथा अन्य देयक जो उसे महाविद्यालय से भुगतान किया जाना हो, अनुबंध की समाप्ति के तीन माह के भीतर एकाउंट क्लीयर करेगा।

हस्ताक्षर ..... दिनांक ..... 20.....

(1) .....(प्रथम पक्ष का पक्षकार)

(2) .....(द्वितीय पक्ष का पक्षकार)

की उपस्थिति में

(1) .....(साक्षी 1)

(2) .....(साक्षी 2)

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.17

संबद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों की योग्यता

(नियम 20 (ड) देखिए)

1. संबद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों की योग्यता समय समय पर स्वास्थ्य शिक्षा के लिए भारत विनियामक परिषद द्वारा विहित अनुसार होगी।
2. इस परिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस परिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व किसी विश्वविद्यालय के परिनियमों/अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किसी संकाय में प्राचार्य से भिन्न किसी प्रवर्ग का कोई अध्यापक संबंधित प्रवर्ग में अध्यापक के रूप में बने रहने का हकदार होगा।

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.18

विन्यास का प्रशासन
नियम 20 (ढ) देखिए

1. प्रबंध बोर्ड, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, वजीफों, पदकों तथा आवर्ती स्वरूप के अन्य पारितोषकों के प्रदाय हेतु एक विन्यास सृजित करने के लिए दान स्वीकृत कर सकेगी।
2. (1) प्रत्येक विन्यास, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 या भारत में स्थावर संपत्ति में वर्णित सुरक्षा में निवेश द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। नकद प्राप्त धन, प्रबंध बोर्ड द्वारा उपर निर्दिष्ट किसी सुरक्षा में या अधिसूचित बैंक में सावधि जमा में निवेशित की जाएगी।
   (2) अवार्ड स्थापित करने के लिए विन्यास का मूल्य प्रबंध बोर्ड द्वारा विहित की जाएगी।
3. प्रबंध बोर्ड समस्त विन्यासों का प्रशासक होगा।
4. अवार्ड, विन्यास की वार्षिक आय में दी जाएगी, आय का कोई भाग जो उपयोग में नही लाया गया हो विन्यास में जमा कर दी जाएगी।
5. विद्या परिषद, विद्या परिषद की स्थायी समिति दानदाताओं से परामर्श के पश्चात अवार्ड की शर्त विहित करेगी तथा जहाँ तक संभव हो उसकी/उसकी इच्छा से प्रभावशील करेगी।
6. प्रत्येक विन्यास स्वीकृत करने की दशा में, प्रबंध बोर्ड, दानदाताओं के नाम, प्रारंभिक मूल्य तथा विन्यास का प्रयोजन देते हुए विनियम बना सकेगी।
7. सामान्यतया, विन्यास एक ही प्रयोजन के लिए जिसके लिए विन्यास पूर्व से स्थापित की गयी है प्रदाय/अवार्ड हेतु सृजित नही की जाएगी, तथापि यदि दानदाता ऐसा चाहे, एक द्वितीय दानखाता उसी प्रयोजन हेतु प्रदाय/अवार्ड हेतु सृजित की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.19

मानद उपाधि
(धारा 30 (ज) तथा 48 देखिए)

1. मानद उपाधि प्रदान किए जाने के लिए प्रस्ताव, विद्या परिषद की स्थायी समिति द्वारा सर्वसम्मति से तैयार की जाएगी। यह कुलपति, कुलाधिपति के एक नामांकिती तथा संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष से मिलकर बनी समिति के समक्ष रखी जाएगी। यदि समिति सर्वसम्मति से अनुसंशा करती है कि किसी व्यक्ति को मानद उपाधि इस आधार पर दिया जाए कि, उसकी राय में, ऐसी उपाधि उचित और सही व्यक्ति को दिया जा रहा है, उसकी अनुसंशा विद्या परिषद के समक्ष रखी जाएगी। विद्या परिषद के अनुमोदन पर यह प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

यदि प्रबंध बोर्ड के कम से कम दो तिहाई सदस्य समिति/तथा विद्या परिषद प्रस्ताव का अनुमोदन कर देती है तथा उस व्यक्ति को प्रदाय के ऐसे अनुमोदन की कुलाधिपति द्वारा पुष्टि कर दी जाती है तो इस प्रकार की गयी अनुसंशा पर ऐसे व्यक्ति को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी।

परंतु अत्यावश्यक स्थिति में कुलाधिपति, प्रबंध बोर्ड की अनुसंशा पर कार्य कर सकेगा।

परंतु यह और भी कि अत्यावश्यक परिस्थिति में यदि समिति की उक्त अनुसंशा का प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो ऐसे प्रस्ताव की कुलाधिपति द्वारा पुष्टि की जाएगी।

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.20

वार्षिक रिपोर्ट

(धारा 20 (झ) (एक) देखिए)

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय तथा अतिरिक्तः–

1. विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट विगत 1 जुलाई से 30 जून की कालावधि तक की होगी तथा उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात आयोजित उसके वार्षिक बैठक में प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
2. विश्वविद्यालय, उसके पश्चात राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्रेषित करेगी तथा राज्य सरकार इसे यथासंभव शीघ्र राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाएगी।

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.21

उपाधियों का प्रत्याहरण
(धारा 49 (झ) देखिए)

1. छत्तीसगढ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 49 के उपबंधों के अनुसार उपाधि का प्रत्याहरण किया जा सकेगा।
2. जब किसी व्यक्ति द्वारा उपाधि का प्रत्याहरण किए जाने का मामला प्रबंध बोर्ड के ध्यान में लाया जाता है, उस पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उपाधि के प्रत्याहरण के योग्य स्थिति है तो वह उसके स्वयं के सदस्यों में से तीन से अनधिक व्यक्ति से एक समिति गठित करेगा। यह समिति उस व्यक्ति से जिससे उपाधि वापस लेना प्रस्तावित है उसे अपने बचाव में सुनवाई का पर्याप्त अवसर देगा। वह या तो व्यक्तिगत सुनवाई कर सकेगा या अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करा सकेगा।
3. आधार जिस पर उपाधि के प्रत्याहरण की कार्यवाही किया जाना है उसका विवरण नोटिस के प्ररूप में किया जाएगा, प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित रजिस्टर्ड डाक से उसके पते पर तामिल की जाएगी। उक्त नोटिस, प्रबंध बोर्ड के आदेश पर ऐसे अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी जो सहायक रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से निम्न न हो। संबंधित व्यक्ति को नोटिस, सुनवाई की तिथि से कम से कम एक कैलेण्डर माह पूर्व जारी की जाएगी। उसे कारण बताओ जवाब के लिए विश्वविद्यालय कार्यालय से नोटिस जारी होने की तिथि से तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि नोटिस तामिल हो चुकी है और विहित कालावधि के भीतर जवाब प्राप्त नही होता है तो एकपक्षीय जांच की जाएगी। यदि रजिस्टर्ड नोटिस विश्वविद्यालय को परिवर्जन द्वारा या अन्य किसी कारण से लौट आता है और पुनः तामिली संभव नही है तो संबंधित व्यक्ति को समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु सूचित करते हुए समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि संबंधित व्यक्ति उपस्थित नही होता है तो समिति एकपक्षीय कार्यवाही करेगी तथा अपनी अनुसंशा निश्चित करेगी।
4. यदि समिति, कारण बताओ सूचना के जवाब के अध्ययन तथा संबंधित व्यक्ति को अपने बचाव में व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात यह महसूस करता है कि जहां तक हो सके उपाधि के वापस लिए जाने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक नही है तो ऐसी अनुसंशा प्रबंध बोर्ड को दी जाएगी। यदि समिति को यह लगता है कि उपाधि को वापस लिये जाने की कार्यवाही किया जाना चाहिए तो ऐसी अनुसंशा के लिए विशिष्ट आधार देते हुए प्रबंध बोर्ड को ऐसी अनुसंशा कर सकेगी
5. प्रबंध बोर्ड, समिति की अनुसंशा पर अधिनियम की धारा 49 के अनुसार कार्यवाही करेगी।

6. अधिनियम की धारा 49 द्वारा अनुध्यात अनुसार कुलाधिपति के विनिश्चय के पश्चात विश्वविद्यालय का अभिलेख प्राप्त होता है तो तद्नुसार संशोधित किया जाएगा तथा संबंधित व्यक्ति को उपाधि को समर्पित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाएगा। इसे प्रभावी करने की अधिसूचना विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर प्रमुख स्थान में प्रदर्शित किया जाएगा। की गयी कार्यवाही प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी तथा उसकी सूचना शासकीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्राधिकारियों को भी दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.22

दीक्षांत समारोह
(धारा 30 (छ) देखिए)

1. स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने तथा अवार्ड देने के प्रयोजन के लिए दीक्षांत समारोह, सामान्यतया प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी तथा यह ऐसी तिथि को आयोजित की जाएगी जैसी कि आवश्यक हो तथा आयोजन तिथि कुलपति द्वारा कुलाधिपति के अनुमोदन से नियत किया जाएगा।

   परंतु विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्कॉलर्स अवार्ड तथा सम्मान के लिए एकमात्र विशेष दीक्षांत समारोह आयोजित कर सकेगा।

2. सामान्यतया दीक्षांत समारोह के लिए कुलसचिव द्वारा कम से कम चार सप्ताह की नोटिस दी जाएगी। विशेष दीक्षांत के मामले में अथवा किसी अन्य मामले में जहां ऐसा मामला कुलपति द्वारा शीघ्र निपटाने योग्य माना जाए उक्त कालावधि 10 दिन तक घटायी जा सकेगी ।

3. अभ्यर्थी यदि उपाधि व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना चाहे तो विहित प्ररूप में दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहने का आशय सूचित करते हुए रू. 800/– की फीस सहित दीक्षांत समारोह के लिए नियत तिथि से 15 स्पष्ट दिवस पूर्व कुलसचिव को आवेदन करना होगा। परंतु कुलसचिव विशेष प्रकरण में दीक्षांत समारोह के सात दिवस पूर्व तक विलंब से प्राप्त आवेदनों को मंजूर कर सकेगा यदि ऐसा आवेदन रू. 100/– के विलंब शुल्क सहित हो।

4. ऐसा अभ्यर्थी जो दीक्षांत समारोह में स्वयं उपस्थित होने में सक्षम नही हो दीक्षांत समारोह के एक माह पश्चात रू. 800/– के शुल्क सहित विहित प्रारूप में उसकी अनुपस्थिति में उपाधि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

5. प्रत्येक उपाधि, कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित रहेगा। उपाधियों में तिथि, चाहे दीक्षांत समारोह में या अन्यथा अवार्ड दिया जाना हो, विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह की तिथि ही रहेगी।

6. कुलाधिपति, कुलपति, संकायों के संकायाध्यक्ष, प्रबंध बोर्ड के सदस्य, विद्या परिषद तथा कुलसचिव, विश्वविद्यालय का शैक्षणिक पोशाक जिसके वे स्नातक हों या प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित गाउन या कोई अन्य पोशाक धारण करेंगे।

7. दीक्षांत समारोह में अभ्यर्थी प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित पोशाक धारण करेंगे या कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पोशाक के बिना दीक्षांत समारोह में प्रवेश नही करेगा।

8. दीक्षांत समारोह में उपस्थित अभ्यर्थियों को उपाधि का वितरण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुसार दीक्षांत समारोह के पूर्व या बाद अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान, समय तथा दिन पर किया जाएगा।

9. कुलाधिपति, कुलपति, संकायों के संकायाध्यक्ष, प्रबंध बोर्ड विद्या परिषद के सदस्य तथा कुलसचिव अधिसूचित स्थान पर, नियत समय पर एकत्र होंगे तथा निम्नलिखित क्रम से दीक्षांत स्थल पर प्रक्रमण करेंगे–

(1) कुलसचिव
(2) विद्या परिषद के सदस्य
(3) प्रबंध बोर्ड के सदस्य
(4) संकाय के संकायाध्यक्ष
(5) कुलपति
(6) मुख्य अतिथि, यदि कोई हो
(7) कुलाधिपति।

10. कुलाधिपति, मुख्य अतिथि, कुलपति, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, संकायों के संकायाध्यक्ष, प्रबंध बोर्ड के सदस्य, कुलसचिव तथा प्रबंध बोर्ड, द्वारा नामांकित ऐसे अन्य सदस्य मंच पर तथा विद्या परिषद के सदस्य मंच के दोनो ओर उनके लिए आरक्षित स्थान में अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

11. दीक्षांत समारोह में उपस्थित अभ्यर्थी दीक्षांत समारोह पंडाल में जुलूस के प्रवेश के पूर्व अपने लिए आरक्षित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, सभी के उपस्थित होने पर जुलूस के सदस्यों के अपना स्थान ग्रहण कर लेने तक उठकर के खड़े रहेंगे।

12. कुलसचिव, कुलाधिपति की अनुमति से या उनकी अनुपस्थिति में कुलपति की अनुमति से दीक्षांत समारोह के प्रारंभ की घोषणा करेगा। कुलाधिपति या उनकी अनुपस्थिति में कुलपति से निवेदन पर कुलपति अभ्यर्थियों को उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करेगा। उपस्थिति का क्रम निम्नानुसार होगाः–

(1) मानद उपाधि, यदि कोई हो
(2) डी. एम., एम. सी. एच.
(3) पी एच डी
(4) स्नातकोत्तर उपाधि
(5) स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
(6) निम्नलिखित संकायों में उपाधिः–

एक. आधुनिक चिकित्सा पद्धति संकाय
दो. दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय
तीन. आयुर्वेद संकाय
चार. योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा संकाय
पांच. यूनानी संकाय
छः. सिद्ध संकाय
सात. होम्योपैथी संकाय

आठ. नर्सिंग संकाय
नौ. फिजियोथेरेपी
दस. लोक स्वास्थ्य संकाय
ग्यारह. फार्मेसी संकाय
बारह. अन्तर्अनुशासिक गवेषणा संकाय
तेरह. अन्य संकाय –

13. अपने संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष, संकाय के अधीन विभिन्न उपाधियों के लिए अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करेंगे तथा तथा संबंधित उपाधियों को अभ्यर्थियों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति में भी स्वीकार करेंगे। संकाय के संकायाध्यक्ष तथा कुलपति के प्रोद्धरण प्रबंध बोर्ड द्वारा विहित अनुसार होगी। उपाधियों की प्राप्ति जब संकायाध्यक्ष तथा कुलपति द्वारा स्वीकार किया जाए तो उपाधि अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा। उपाधियों के प्रदान कर दिए जाने के पश्चात कुलसचिव दीक्षांत समारोह में प्रदान किए गए उपाधियों की तथा अनुपस्थिति में प्रदान किए गए उपाधियों की संख्या की भी घोषणा करेगा।

14. मानद उपाधियां प्रदान किए जाने की स्थिति में प्राप्तकर्ता को दिए जाने वाला प्रोद्धरण समुचित रीति में कुलाधिपति द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

15. कुलाधिपति या उसकी अनुपस्थिति में कुलपति जब पदकों तथा पुरस्कारों को, पदकों तथा पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं को भेंट करेगा तब वे कुलसचिव द्वारा उनको वैयक्तिक रूप से बुलाये जाएंगे और कुलसचिव द्वारा विवरण पढ़े जाने तक कुलाधिपति के समक्ष खड़े रहेंगे।

16. कुलपति द्वारा मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री को क्रमशः उनके उद्बोधन हेतु निवेदन किया जाएगा, यदि वे उपस्थित हों।

17. कुलाधिपति की अनुमति से, कुलपति उसके बाद मुख्य अतिथि को दीक्षांत समारोह को संबोधित करने हेतु निवेदन करेगा।

18. कुलपति तत्पश्चात कुलाधिपति को उसके अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु निवेदन करेगा।

19. कुलाधिपति के अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात कुलसचिव, कुलाधिपति की अनुमति से,

या उसकी अनुपस्थिति में कुलपति की अनुमति से, दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करेगा और जुलूस को दीक्षांत समारोह पंडाल से विदा करेगा। सारे लोग जुलूस दीक्षांत समारोह पंडाल से क्रमशः विदा होने तक खड़े रहेंगे।

20. इस परिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए कुलाधिपति वार्षिक दीक्षांत समारोह या दीक्षांत समारोहों को स्थगित रख सकता है। ऐसी स्थिति में उपाधियां कुलपति द्वारा समुचित हस्ताक्षर पश्चात अभ्यर्थियों को उनके पते पर भेज दी जाएगी। कुलसचिव दीक्षांत समारोह के स्थगन को अधिसूचित करेगा और उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करेगा तथा ऐसा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि नियत करेगा। उपाधि उन अभ्यर्थियों को प्रेषित कर दी जाएगी जिन्होने उपाधियां प्राप्त करने के लिए रू. 800/– शुल्क का भुगतान कर दिया है। अभ्यर्थी जिन्होने उपाधियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित तिथि के

भीतर आवेदन नही किया है उन्हे उनके अनुपस्थित रहने की स्थिति में तथा अनुपस्थिति की स्थिति में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपाधि प्रदान किया जाएगा। ऐसे उपाधि का दिनांक विद्या परिषद की स्थायी समिति की अनुसंशा पर कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ,रायपुर

परिनियम क्र.23

संकायाध्यक्ष–नियुक्ति, शक्ति तथा कृत्य
(धारा 15 (एक) देखिए)

अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय तथा इसके अतिरिक्तः

क. नियुक्ति–

(एक) संकाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से प्रथम बार के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा, यदि वहां अध्यापन विभाग है, उसके बाद विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग के आचार्यों के बीच से पदोन्नति के माध्यम से किया जाएगा। यदि विश्वविद्यालय में अध्यापन विभाग नही है तो ऐसे संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख तक प्रास्थगन में रखी जाएगी। संकायाध्यक्ष की योग्यता भारत विनियामक परिषद या समय समय पर चिकित्सा महाविद्यालयों में संकायाध्यक्षों के लिए शासन द्वारा विहित अनुसार होगी।

ख. **परिलब्धियां एवं सेवा की शर्तें:–**

संकायाध्यक्ष का वेतनमान एवं सेवा की शर्तें वही होंगे जो समय समय पर चिकित्सा महाविद्यालयों में संकायाध्यक्षों के लिए शासन द्वारा विहित किया गया हो।

ग. **शक्तियां तथा कृत्यः**

(एक) संकायाध्यक्ष को अध्यापन विभाग के प्रमुखों की बैठक आयोजित करने का अधिकार होगा; वह विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागं के अंतःप्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। वह कुलसचिव की पूर्वानुमति से आकस्मिक अवकाश को छोड़कर विश्वविद्यालय के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी का अवकाश स्वीकृत करेगा। वह अंतःप्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(दो) नए पाठ्यक्रमों के विभागों तथा स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा में शोध के बीच सेतु बनना तथा उचित स्तर के माध्यम से प्राधिकारी के विचार हेतु प्रस्ताव भेजना।

(तीन) अध्यापन विभाग में स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के समग्र सुधार तथा विकास के लिए कुलपति की सहायता करना।

(चार) कुलपति के नियंत्रण के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग, अध्यापकों तथा छात्रों का प्रबंध करना तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करना।

(पांच) संकायाध्यक्ष, ऐसे व्यय स्वीकृत करने की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो उसे प्रबंध द्वारा सौंपे जाए, परंतु भुगतान, क्रय तथा वित्तीय नियमों के अनुसार वित्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.24

पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर का संधारण

(धारा 30 (थ) देखिए)

1. निम्नलिखित व्यक्ति में पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर उनके नाम की प्रविष्टि कराने के हकदार होंगे या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर में प्रविष्टित माने जाएंगे:–
   (क) विश्वविद्यालय के स्नातक
   (ख) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय जो इस अधिनियम के अधीन गठित है, स्वास्थ्य विज्ञान में उपाधि धारक ।
2. स्नातक, रू. 200/– के एकमुस्त राशि के भुगतान पर पंजीकृत किए जाएंगे।
3. पंजीयन के लिए आवेदन वर्ष में किसी भी समय निम्नलिखित साक्ष्य के साथ इससे संलग्न प्ररूप में किया जाएगा।
   (एक) उसकी उपाधि/अंतिम परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति। सत्यापन या तो किसी राजपत्रित अधिकारी या महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष/प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य द्वारा कराया जाना होगा।
4. आवेदक का नाम विश्वविद्यालय द्वारा संधारित रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा।

परिशिष्ट

प्ररूप–क

प्रति,

कुलसचिव

.....

.....

महोदय जी

मैं छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ,रायपुर के पंजीकृत स्नातक के रूप में पंजीयन कराना चाहता हूं। मैं इसके साथ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त 200/– नकद की राशि संलग्न कर रहा हूं।

1. नाम
2. (क) स्नातक उपाधि प्रदान किए जाने का वर्ष
   (ख) स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान किए जाने का वर्ष
3. विश्वविद्यालय का नाम जिसके द्वारा डिग्री/उपाधि दिया गया है। आवश्यक सत्यापित प्रति संलग्न है।

भवदीय

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पता

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.25

भविष्य निधि तथा पेंशन योजना
(धारा 30 (च) देखिए)

अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

1. परिभाषा:

(क) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, मूल पद पर स्थायी रूप से नियुक्त प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी तथा इसमें वे कर्मचारी शामिल हैं जिनकी नियुक्ति एक निश्चित कालावधि जो तीन वर्ष से कम न हो, के लिए हुई हो परंतु वे व्यक्ति शामिल नहीं है जिनकी सेवाएं विश्वविद्यालय ने शासन से प्राप्त किया है।

(ख) "आश्रित" से अभिप्रेत है, मृतक अभिदाता का कोई रिश्तेदार जैसे पत्नि, पति, पुत्र, पुत्री, माता–पिता, अवयस्क भाई तथा अविवाहित बहन और जहां अभिदाता के माता पिता जीवित न हो, पैतृक दादा–दादी;

(ग) "ब्याज" से अभिप्रेत है, ब्याज जो कि समय समय पर डाक घर या अधिसूचित बैंक के खाते में जमा किया जाना हो;

(घ) "वेतन" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय कर्मचारी द्वारा निम्नानुसार मासिक आहरित राशि:–

(एक) वेतन, उसकी व्यक्तिगत योग्यता के बदले में विशेष वेतन या अतिरिक्त वेतन से भिन्न, जो कि उसके द्वारा मूल या स्थानापन्न हैसियत से धारित किसी पद के लिए स्वीकृत किया गया है या जो वह किसी संवर्ग में उसकी स्थिति के कारण हकदार है;

(दो) विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, तकनीकी वेतन तथा;

(तीन) कोई अन्य परिलब्धियां, जो कि राज्य शासन द्वारा वेतन के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत है;

(ड.) "पेंशन" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय कर्मचारी को उसके सेवानिवृति के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा देय राशि जो ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार के कर्मचारी नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अधीन हकदार हो, यदि उसने यह विकल्प दिया हो, तथापि, प्रतिनियुक्त या राज्य विश्वविद्यालय सेवा का व्यक्ति को उस पेंशन योजना का लाभ मिलता रहेगा जिसके कि वे सदस्य हैं।

परंतु विश्वविद्यालय सिर्फ या तो शासन की भविष्य निधि योजना के लिए या नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए अंशदान करेगी।

(च) "सेविंग बैंक" से अभिप्रेत है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 11) के अनुसार परिभाषित कोई डाकघर या कोई

अधिसूचित बैंक का सेविंग बैंक;

(छ) "अभिदाता" से अभिप्रेत है, कोई कर्मचारी जिसके नाम पर इस परिनियम के अधीन जमा किया जाता है;

(ज) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ सरकार;

(झ) शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इस परिनियम में प्रयुक्त हैं पर परिभाषित नही हैं उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं।

2. विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी उसके वेतन से अन्य विश्वविद्यालय कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा विनिश्चित दर पर भविष्य निधि के लिए अभिदान करेगा जिसके लिए सेविंग बैंक में खाता खोला गया है। कटौती, प्रत्येक वेतन बिल से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इस कटौती की गणना में, रूपयों के भाग को विलोपित कर दिया जाएगा। इस प्रकार की गयी कटौती पैरा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के अंशदान सहित सेविंग बैंक में जमा की जाएगी। मासिक कटौती तथा अंशदान के संबंध में भुगतान जहां तक संभव हो धन प्राप्ति के दो दिवस के भीतर बैंक को कर दिया जाएगा जिससे कि ब्याज प्राप्त हो सके। निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी:–

डाकघर या अधिसूचित बैंक वैयक्तिक अभिदाता के भविष्य निधि के नाम से एक खाता खोलेगा। खाते का संचालन कुलसचिव वित्त अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा तथा इस खातों में जमा की गयी समस्त राशियां डाक घर या बैंक को निम्नलिखित के साथ भेज दी जाएगी:–

(क) सेविंग बैंक पास बुक तथा

(ख) कुलसचिव द्वारा विहित प्ररूप में,प्रत्येक खाते में जमा किए गए राशि का विवरण दर्शाते हुए एक सूची।

नोट:–

(एक) भविष्य निधि अभिदाता को उसके भविष्य निधि अभिदान को उसके द्वारा आहरित वेतन से अनधिक किसी राशि तक बढ़ाने का विकल्प होगा।

(दो) कोई अभिदाता यदि अर्जित अवकाश पर हो तो उक्त खाते में अभिदान न करने का विकल्प होगा। वह अवकाश पर जाने के पूर्व कुलसचिव को लिखित में अवकाश के दौरान अभिदान नही किए जाने के आशय से सूचित करेगा। अभिदाता का अभिदान जब वह भत्ते सहित अवकाश पर हो उसके वेतन की पूर्ण राशि पर अवधारित की जाएगी अवकाश वेतन पर नही।

(तीन) कोई अभिदाता निधि में अभिदान नही करेगा जबकि वह अर्ध औसत वेतन अवकाश पर हो या बिना वेतन के अवकाश पर हो या बिना अवकाश के अनुपस्थित हो या जबकि वह निलंबनाधीन हो।

3. विश्वविद्यालय उस दर पर अभिदान करेगी जैसी कि शासन द्वारा अन्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए निर्धारित है।

परंतु विश्वविद्यालय द्वारा उसके निधि को उस कालावधि के लिए अभिदान नही किया जाएगा जिसके लिए अभिदाता अनुमति नही देता है या नही दिया गया है।

परंतु यह और भी कि परिनियम के इस पैरा के उपबंध सिर्फ उन कर्मचारियों के संबंध में लागू होंगे जो शासन की नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं परंतु अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित किया जाना जारी है।

4. (1) अभिदाता को उसके भविष्य निधि में जमा रकम को डाक घर नकद प्रमाण पत्र या शासकीय प्रतिभूति या बैंक का सावधि जमा में निवेश हेतु इस शर्त पर अनुमति योग्य होगा यदि ऐसा चाहने वाला अभिदाता द्वारा प्रतिभूति/सावधि जमा प्राप्ति जिसका अंकित मूल्य रू.1000/– से कम न हो, एक बार में निवेश नही किया जाता है।

(2) डाक घर नकद प्रमाण पत्र, प्रतिभूति या सावधि जमा प्राप्ति कुलसचिव की अभिरक्षा में रहेगी।

(3) कुलसचिव द्वारा डाक घर या बैंक में इस प्रकार निवेश की गयी कर्मचारी के अभिदान की रकम पर प्रदान किया जाने वाला ब्याज, समय समय पर राज्य सरकार द्वारा उसकी संचित निधि पर निर्धारित दर से कम नही होगी।

5. (1) कुलपति, ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाए जीवन बीमा पॉलिसी, या भविष्य निधि खाते में उसके व्यक्तिगत अभिदान मे से अभिदाता के जीवन पर पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान की अनुमति दे सकेगा। अभिदाता के सेविंग बैंक खाते में जमा की जाने वाली रकम ऐसे प्रीमियम तक कम की जाएगी। ऐसे समस्त मामलों में जीवन बीमा पॉलिसी जिसके लिए ऐसा प्रीमियम अदा किया गया है विश्वविद्यालय के पक्ष में समनुदेशित होगा।

(2) अभिदाता के विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृति पर पॉलिसी विश्वविद्यालय द्वारा उसे पुनःसमनुदेशित कर दी जाएगी। अभिदाता के विश्वविद्यालय की सेवा के दौरान पॉलिसी के मेच्योर हो जाने की स्थिति में पॉलिसी की पूरी रकम अभिदाता के खाते में जमा कर दी जाएगी। अभिदाता के विश्वविद्यालय की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी की पूर्ण रकम भविष्य निधि के हकदार मृतक के विधिक प्रतिनिधि को भुगतान की जाएगी।

6 (1) जब अभिदाता की विश्वविद्यालय में सेवा, उसके सेवानिवृति, त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा द्वारा समाप्त हो जाती है तो अंतिम आहरण की अनुमति दी जाएगी, परंतु–

(क) कोई कर्मचारी जिसकी सेवाएं अभिमुक्त किया गया है और प्रबंध बोर्ड की राय में घोर कदाचरण है, इस निमित विश्वविद्यालय द्वारा अंशदान की रकम प्राप्त करने तथा उस पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार नही होगा।

(ख) कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा उसके निमित अंशदान की रकम प्राप्त करने तथा उस पर ब्याज प्राप्त करने का तब तक हकदार नही होगा जब तक वह भविष्य निधि के अभिदान करने की अनुमति दिए जाने की तारीख से 12 माह की निरंतर कालावधि के लिए विश्वविद्यालय की सेवा में न हो तथा उसकी नियुक्ति से त्याग पत्र देने की अनुमति न दे दिया गया हो।

(2) इस परिनियम के अधीन रोका गया कोई अंशदान तथा उस पर ब्याज, विश्वविद्यालय को दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय निधि में जमा किया जाएगा।

7. कुलपति, निधि में अभिदाता की जमा स्थायी राशि से अभिदाता को अस्थाई अग्रिम लेने की अनुमति दे सकेगा। अस्थाई अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य होगा:–

(एक) अभिदाता या उस पर वास्तविक आश्रित कोई व्यक्ति की लम्बी बीमारी से संबंधित व्यय के भुगतान हेतु।

नोटः–लम्बी बीमारी से संबंधित व्यय में नकली दांत तथा श्रवण यंत्र सेट जैसे बैटरी श्रवण यंत्र की खरीदी पर आने वाला व्यय भी शामिल है।

(दो) अभिदाता या उस पर वास्तविक आश्रित कोई व्यक्ति के स्वास्थ्य कारणों अथवा उच्च शिक्षा के लिए विदेश में किए गए व्यय के भुगतान हेतु।

(तीन) शिक्षा के खर्च की पूर्ति हेतु।

(चार) अभिदाता की प्रास्थिति के अनुसार उचित अनिवार्य खर्च के भुगतान हेतु जो कि परंपरागत रीति रिवाज से अभिदाता को अभिदाता के विवाह या अन्य समारोह अथवा उस पर वास्तविक आश्रित कोई व्यक्ति के विवाह, अंतिम संस्कार और अन्य समारोह के संबंध में खर्च करने पड़ते हैं।

(पांच) अभिदाता के हित में विश्वविद्यालय धन की हानि की भरपाई करने।

(छः) विभागीय जांच या विधिक कार्यवाही जिसमें अभिदाता पक्षकार हो, से संबंधित व्यय की पूर्ति करने।

(सात) अभिदाता के भवन के लिए भू खंड की खरीदी तथा अभिदाता के भवन की मरम्मत से संबंधित व्यय की पूर्ति करने।

परंतु अग्रिम राशि, अभिदाता के 9 माह के वेतन से अनधिक या उसके द्वारा अभिदान के राशि के उस पर जमा राशि के ब्याज सहित 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, होगी।

परंतु यह और भी कि भू खंड खरीदी के लिए तथा अभिदाता के स्वयं के भवन निर्माण के लिए अग्रिम की स्थिति में अग्रिम राशि, निधि में अभिदाता के जमा रकम के 75 प्रतिशत से अनधिक होगी।

नोटः–(एक) किसी कर्मचारी को जिसने उसे स्वीकृत प्रथम अग्रिम की कम से कम छः नियमित मासिक किस्त का भुगतान कर लिया हो उसे द्वितीय अग्रिम प्रदान किया जा सकेगा। किसी कर्मचारी को प्रबंध बोर्ड द्वारा

विशेष परिस्थिति में तृतीय अग्रिम भी स्वीकृत किया जा सकता है यदि उसने द्वितीय अग्रिम की कम से कम छः नियमित मासिक किस्त का भुगतान कर लिया हो।

(दो) जहां अभिदाता को उसके स्वयं के भवन के निर्माण के लिए अग्रिम स्वीकृत किया जाता है। उसके पूरे सेवा अवधि के दौरान द्वितीय भवन निर्माण के लिए और अग्रिम स्वीकृत नही किया जाएगा पर उसके स्वयं के भवन के विस्तार के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।

8. पैरा 7 के अधीन अग्रिम की रकम समस्त मामलों में 36 समान किस्तों में निधि में जमा की जाएगी, सिवाय कि जब अग्रिम अभिदाता के स्वयं के भवन निर्माण के लिए भू खंड खरीदी के लिए है उस स्थिति में किस्तों की संख्या 96 होगी। तथापि अभिदाता अपने विकल्प पर किस्तों की कम संख्या में भुगतान कर सकेगा या एक ही समय दो या अधिक किस्तों का भुगतान कर सकेगा अग्रिम स्वीकृति के पश्चात पूरे माह के वेतन के प्रथम भुगतान के प्रारंभ से मासिक वसूली की जाएगी। किस्तों का भुगतान वेतन से या अवकाश वेतन से अनिवार्य कटौती द्वारा किया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त समान्यतः अभिदान से किया जाएगा।

9. (1) प्रत्येक अभिदाता को विश्वविद्यालय के कार्यालय में ऐसे प्ररूप में जैसी कि कुलसचिव द्वारा विहित किया जाए, यह दर्शाते हुए कि उसकी मृत्यु हो जाने पर या विक्षिप्त हो जाने पर निधि में अभिदान की गई उसकी समुचित रकम वह किसे देना चाहता है, नामांकन दाखिल करना होगा;

परंतु यदि अभिदाता को आश्रित प्राप्त हो गया है तो वह उसे किसी बाहरी व्यक्ति को नामांकित करने की अनुमति नही दी जाएगी।

परंतु यह और भी कि जहां अभिदाता का नामांकन के समय कोई आश्रित नही है परंतु बाद में एक या दो आश्रित हो गया हो तो वह यथासंभव शीघ्र ऐसे आश्रित या आश्रितों के पक्ष में नामांकन परिवर्तित करेगा।

(2) अभिदाता समय समय पर कुलसचिव को समुचित गवाह सहित लिखित में अपने नामितों को परिवर्तित कर सकेगा। ऐसे नामितों का रजिस्टर कुलसचिव की व्यक्तिगत अभिरक्षा में विश्वविद्यालय कार्यालय में रखा जाएगा।

10. अभिदाता का उसके मृत्यु के समय निधि में जमा कोई स्थायी राशि तथा अभिदाता के किसी आश्रित को देय राशि या ऐसा कोई व्यक्ति इस निमित्त भुगतान प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाए, परिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती के अध्यधीन आश्रित में निहित की जाएगी तथा अभिदाता के मृत्यु के पूर्व आश्रित द्वारा अन्य देय उपगत कोई ऋण से मुक्त होगा।

परंतु यदि अभिदाता द्वारा कोई नामांकन नही किया गया है तो ऐसी राशि पैरा 1 के खण्ड (घ) दिए गए प्राथमिकता क्रम में भुगतान की जाएगी।

11. जब किसी जमाकर्ता के खाते में राशि बकाया हो तो देय कोई बकाया, यदि प्रबंध बोर्ड निदेशित करे, उसमें से कटौती की जाएगी और विश्वविद्यालय से अभिदाता द्वारा लिए गए देयता के अधीन कोई राशि विश्वविद्यालय निधि में भुगतान की जाएगी परंतु विश्वविद्यालय के अभिदान की कोई राशि या राशियों तथा उस पर ब्याज या अन्य लाभ से अनधिक होगी।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.26

विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें
(धारा 30 (ड.) देखिए)

इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, इसके अतिरिक्त, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

भाग–एक

1. परिभाषाएं:

(क) " **अधिनियम**" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ,रायपुर अधिनियम क्र.21/2008.

(ख) "आश्रित" से अभिप्रेत है, मृत अभिदाता का कोई रिश्तेदार जैसेः पत्नि, पति, पुत्र, पुत्री, माता पिता, अवयस्क भाई तथा अविवाहित बहिन और जहां अभिदाता के माता पिता जीवित न हो, पैतृक दादा दादी;

(ग) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है; मूल पद पर स्थायी नियुक्त विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी तथा इसमें कम से कम तीन वर्ष से कम निश्चित कालावधि के लिए संविदा पर नियुक्त शामिल हैं परंतु वे व्यक्ति शामिल नही हैं जिनकी सेवाएं शासन द्वारा विश्वविद्यालय को दी गयी हैं;

(घ) "वेतन" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय कर्मचारी द्वारा निम्नानुसार मासिक आहरित राशिः–

(एक) वेतन, विशेष वेतन के अतिरिक्त या उसकी व्यक्तिगत योग्यता की दृष्टि से स्वीकृत अतिरिक्त वेतन, जो उसके मूल या स्थानापन्न हैसियत से धारित पद के लिए स्वीकृत है या जो किसी संवर्ग में उसकी स्थिति के कारण हकदार हो;

(दो) विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, तकनीकी वेतन तथा;

(तीन) कोई अन्य परिलब्धियां जो राज्य सरकार द्वारा वेतन के रूप में विशेष दर्जा दिया गया हो;

(ड.) "औसत वेतन" से अभिप्रेत है, औसत मासिक वेतन जो विश्वविद्यालय कर्मचारी अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व के दस पूर्ण माह के दौरान प्राप्त करता है;

(च) "अवकाश पद" से अभिप्रेत है, शीत एवं ग्रीष्म अवकाश के हकदार शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षण कार्य में शामिल पद;

(छ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(ज) शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इस परिनियम में प्रयुक्त हैं परंतु परिभाषित नही हैं उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं।

भाग दो—पदों का वर्गीकरण, नियुक्ति तथा कार्यकाल

विश्वविद्यालय में पदों का वर्गीकरण तथा वेतनमान निम्नानुसार होगा:

स.क्र.	पद	वेतनमान
प्रथम श्रेणी		
1.	कुलसचिव	समय समय पर छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसार
2.	उप कुलसचिव / वित्त अधिकारी / विश्वविद्यालय ग्रंथपाल / संचालक शारीरिक शिक्षा / परीक्षा नियंत्रक / विधि अधिकारी / संचालक, अनुसंधान	समय समय पर छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसार
3.	विश्वविद्यालय अभियंता	समय समय पर छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसार
द्वितीय श्रेणी		
4.	सहायक कुलसचिव	समय समय पर छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसार
तृतीय श्रेणी		
5.	सहायक कुलसचिव से निम्न सभी पद	समय समय पर छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसार

शिक्षण पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार होगा:

स.क्र.	पद	वेतनमान
प्रथम श्रेणी 1.	आचार्य तथा उपाचार्य	समय समय पर छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसार
द्वितीय श्रेणी 2.	व्याख्याता / सहायक व्याख्याता	समय समय पर छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसार
तृतीय श्रेणी 3.	व्याख्याता / सहायक व्याख्याता से निम्न सभी पद	समय समय पर छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसार

2. (1) विश्वविद्यालय में पदों तथा वेतनमान ऐसी होगी जैसी कि समय समय पर राज्य सरकार स्वीकृत किया जाए।

(2) वेतन मान में आहारित वेतन पर मंहगाई भत्ते की दर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उसके कर्मचारियों के तत्स्थानी वेतन मान में स्वीकृत अनुसार होगा।

3. (1) (क) प्रबंध बोर्ड को विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की जाने वाली विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कुलाधिपति, कुलपति तथा राज्य विश्वविद्यालय सेवाओ के अन्य अधिकारियों जैसा कि अधिनियम की धारा 8 में उपबंधित है, को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(ख) कुलपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए कुलसचिव को रोजगार कार्यालय से नाम प्राप्त कर या खुला विज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय के तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, कार्य भारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की शक्ति होगी। तथापि कुल सचिव एक चयन समिति गठित कर सकेगा जो चयन की प्रक्रिया/विधि निर्धारित करेगा तथा मेरिट की जांच पश्चात, मेरिट क्रम से तैयार नामों की नियुक्ति के लिए अनुसंशा करेगा।

परंतु विश्वविद्यालय की सेवा में सीधी भर्ती या पदोन्नति से भरे जाने वाले पद, छत्तीसगढ़ लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के प्रवधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(2) (क) परिनियम तथा अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता ऐसी होगी जैसी कि समय समय पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।

(ख) पदों का प्रवर्ग (विश्वविद्यालय के शिक्षण पद तथा अधिकारियों के पद सहित) पदोन्नति तथा निम्न प्रवर्ग से जिससे ऐसी पदोन्नति दिया जाना है, से भरे जाने वाले ऐसे पदों का प्रतिशत समान्यतया प्रबंध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। ऐसी पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्यतया वर्ष में एक बार अक्टूबर माह में विचारण किया जाएगा। समस्त पदोन्नतियां वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर की जाएगी।

(3) अध्यापकों से भिन्न विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा निवृति की आयु 60 वर्ष या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार होगी तथा विश्वविद्यालय की शिक्षकों की आयु भारत विनियामक परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुसार होगी। परंतु विशेष प्रकरण में प्रबंध बोर्ड किसी कर्मचारी या शिक्षक को जो अधिवार्षिकी की आयु को प्राप्त हो चुका है, पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए और संविदा पर नियुक्त कर सकेगा यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि ऐसी नियुक्ति विश्वविद्यालय के हित में है।

4. (1) सामान्यतया स्थायी पदों पर नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष की कालावधि के लिए परिविक्षा पर होगी। परिवीक्षा की कालावधि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी और कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी जैसी कि वह उचित समझे परंतु किसी भी दशा में परिवीक्षा की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नही होगी।

(2) कोई भी व्यक्ति समान्यतया विश्वविद्यालय की सेवा में किसी पद पर चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिए गए स्वास्थ्य तथा शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना नियुक्त नही किया जाएगा। प्रमाण पत्र कर्मचारी के प्रथम वेतन बिल में चस्पा किया जाएगा। ऐसे परीक्षण के प्रकरण में निर्धारित फीस का भुगतान कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।

5. अस्थाई नियुक्ति, अस्थाई पद या स्थायी पद के विरुद्ध अवकाश रिक्ति में किया जाएगा। जहां अस्थाई पद बाद में किसी समान वेतन मांन पर स्थायी कर दिया जाता है या अवकाश रिक्ति स्थायी हो जाता है तो अस्थाई नियुक्त, यदि स्थायी आधार पर पद को भरने के लिए प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया है तो उसकी निरंतर सेवा की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया माना जाएगा तथा परिवीक्षा की विहित कालावधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर स्थायीकरण का हकदार होगा।

6. (1) विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक कर्मचारी पर विश्वविद्यालय का अधिकार होगा तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा किसी भी रीति में बिना किसी अतिरिक्त लाभ के लगाया जा सकेगा।

(2) (क) प्रबंध बोर्ड किसी विश्वविद्यालय कर्मचारी को किसी निजी व्यक्ति, निकाय या शासन को विशिष्ट सेवा के निर्वहन करने तथा उससे फीस के रूप में परिलब्धि प्राप्त करने की अनुमति दे सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि यह उसके कार्यालयीन कर्तव्यों तथा दायित्वों का अहित किए बिना किया जा सकेगा।

परंतु इस प्रकार प्राप्त फीस की आधी रकम, छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 47 के स.क्र.2 के अपवाद के अंतर्गत आने वाले मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय की निधि में जमा की जाएगी।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी, विश्वविद्यालय कर्मचारी को, किए गए उस कार्य के लिए, जो कि आकस्मिक स्वरूप के हैं, परिलब्धि के रूप में मानदेय प्राप्त करने की स्वीकृति या अनुमति दे सकेगा। परंतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना तथा परिलब्धि की रकम पहले से ही तय किया जाना चाहिए।

(ग) कुलपति/प्रबंध बोर्ड, किसी विश्वविद्यालय अधिकारी/अध्यापक/कर्मचारी को किसी निजी संस्था/निकाय या शासन की किसी विशिष्ट सेवा के निर्वहन के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकेगा। प्रतिनियुक्ति की निबंधन तथा शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रवृत नियमों के अनुसार होगी।

7. शाखा, विभाग या संस्था का प्रमुख जिसमें कर्मचारी कार्य करता है, कुलपति द्वारा विहित प्ररूप में कुलसचिव को भेजेगा:—

(क) प्रत्येक वर्ष 31 मई के पूर्व, कर्मचारी द्वारा विगत वर्ष के 31 मार्च की समाप्ति के दौरान किए गए कार्य तथा आचरण की रिपोर्ट।

(ख) विश्वविद्यालय कर्मचारी के परिवीक्षावधि की समाप्ति की तिथि के कम से कम एक माह पूर्व सेवा में स्थायीकरण हेतु कर्मचारी की उपयुक्तता तथा अन्यथा के संबंध में अपनी राय देते हुए स्थायी पद पर नियुक्त कर्मचारी के कार्य तथा आचरण के संबंध में रिपोर्ट।

8. अस्थायी नियुक्ति किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस या उसके बदले में संबंधित कर्मचारी का एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। ऐसा नोटिस या एक माह का वेतन, कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के मामले में आवश्यक नही होगा।

9. (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कर्मचारी या परिवीक्षाधीन का कार्य तथा/या आचरण संतोषजनक नही है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। परिवीक्षा पर कर्मचारी की सेवा समाप्ति के मामले में उसे एक माह का नोटिस दिया जाएगा या नोटिस के बदले में उसे एक माह का वेतन दिया जाएगा।परिवीक्षाधीन भी एक माह का नोटिस या एक माह का वेतन देकर अपनी नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

(2) यदि परिवीक्षाधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया है तथा उसका कार्य तथा/या आचरण संतोषजनक नही है तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर उसे पदावनत कर सकेगा तथा ऐसी पदावनति शास्ति नही माना जाएगा।

(3) पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन स्थायी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिवीक्षावधि के संतोषजनक समाप्ति पर उस पद पर स्थायीकरण के लिए पात्र होगा।

10. स्थायी पद पर स्थायीकरण पर विश्वविद्यालय कर्मचारी उस पद पर धारणाधिकार अर्जित करता है। विश्वविद्यालय कर्मचारी स्थायी मूल पद धारण करता है, यदि

अन्य पद पर मूलतः नियुक्त है तो द्वितीय पद पर धारणाधिकार रखता है तथा प्रथम एक पर धारणाधिकार खो देता है।

11. स्थायी कर्मचारी यदि त्याग पत्र देना चाहे तो उसे तीन माह का नोटिस या ऐसे नोटिस के बदले में तीन माह का वेतन विश्वविद्यालय को देना आवश्यक होगा यदि विश्वविद्यालय स्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्त करता है तो जिस तिथि को वह हटाया जाता है उस तिथि के तीन माह पूर्व उसे ऐसा नोटिस तामिल किया जाएगा। ऐसे नोटिस के अभाव में विश्वविद्यालय उसे तीन माह का वेतन भुगतान करेगा। यदि कर्मचारी सेवा से हटाया गया है पदच्युत या अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है तो ऐसा नोटिस दिया जाना आवश्यक नही होगा।

12. (1) विश्वविद्यालय कर्मचारी की सेवाएं निम्नलिखित किसी आधार पर समाप्त की जा सकेगीः

(एक) जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा

(दो) कदाचरण

(तीन) शारीरिक या मानसिक अक्षमता

(चार) जब धारित पद समाप्त कर दिया जाता है

(पांच) किसी न्यायालय में नैतिक अधमता के अपराध में शामिल होने पर सिद्ध दोष होने पर

(2) निम्नलिखित चूक विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग/प्राध्ययन केन्द्र/घटक महाविद्यालय में अध्यापन पद धारक व्यक्ति की भूमिका पर कदाचरण संस्थित करेगाः

(एक) अपनी शैक्षणिक कर्तव्यों जैसे प्राध्यापन, प्रदर्शन, निर्धारण, नियमित मार्गदर्शन इत्यादि प्रकार के निर्वहन में असफलता।

(दो) छात्रों के निर्धारण में घोर पक्षपात, जानबूझकर अधिक अंक देना/कम अंक देना या किसी भी आधार पर पीड़ा पहुंचाना।

(तीन) छात्रों को अन्य छात्रों, सहकर्मियों या प्रशासन के विरूद्ध उकसाना। यह, सेमीनार या अन्य स्थानों में जहां छात्र उपस्थित हों, शिक्षक के सैद्धांतिक मतभेद अभिव्यक्त करने के अधिकार को बाधित नही करता।

(चार) सहकर्मियों के साथ उसके संबंध में जाति, पंथ, धर्म, मूलवंश या लिंग का प्रश्न उठाना तथा उक्त विचारों का उसके भावी सुधार के लिए प्रयोग करना।

(पांच) विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारी/निकाय तथा/या महाविद्यालय के शासी निकाय/प्राचार्य के निर्णय के पालन से इंकार करना। यह उसके नीतियों या विनिश्चय से उसके मतभेद को अभिव्यक्त करने के उसके अधिकार से वंचित नही करता।

13. किसी कर्मचारी द्वारा विश्वविद्यालय की सेवा छोड़ने के पूर्व, यदि वह अस्थायी या परिवीक्षा पर या अस्थायी नियुक्त है, पदभार ग्रहण करने के लिए समुचित रूप से प्राधिकृत कर्मचारी को अपना पदभार सौंपेगा तथा उसे उसके उपयोग

के लिए प्रदान की गयी समस्त वस्तुओं को विश्वविद्यालय को लौटाएगा तथा उसके द्वारा उपभोग की गयी आवास गृह के लिए देय समस्त प्रभारों का नगरपालिक कर, जल तथा विद्युत प्रभार इत्यादि सहित, यदि कोई हो, भुगतान करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो संस्था का शाखा प्रमुख जिसमें वह नियुक्त था, को समय समय पर उसे देय वेतन के बकाए की राशि से या उसके भविष्य निधि के विश्वविद्यालय अंशदान से, यदि उसका कोई हो, या किसी अन्य संसाधन से वसूली का अधिकार होगा।

14. विश्वविद्यालय कर्मचारी को संबंधित परिनियम के प्रावधानानुसार भविष्यनिधि में अंशदान देना होगा।

15. विश्वविद्यालय कर्मचारी उसके पद का अनुलग्न वेतन तथा भत्ते का आहरण, यदि कोई हो, उस तारीख से, जब से उसने उस पद पर कार्यभार ग्रहण किया है, प्रारंभ करेगा तथा उस कर्तव्य का निर्वहन छोड़ते ही उसका आहरण बंद करेगा।

16. (1) विश्वविद्यालय कर्मचारी को किसी भी प्रकार का निरंतर पांच वर्ष से अधिक कालावधि के लिए अवकाश स्वीकृत नही किया जाएगा।

(2) जब विश्वविद्यालय कर्मचारी पांच वर्ष के निरंतर अवकाश के पश्चात कार्यभार ग्रहण नही करता है, यह मान लिया जाएगा कि उसने त्यागपत्र दे दिया है तथा तदनुसार विश्वविद्यालय से उसका नियोजन समाप्त हो जाएगा।

17. विश्वविद्यालय कर्मचारी का समयमान वेतनमान पर वेतन जिस पर उसकी नियुक्ति हुई है, छत्तीसगढ़ शासन के मूलभूत नियम द्वारा विनियमित किया जाएगा। वार्षिक वेतनवृद्धि सामान्यतया आहरित किया जाएगा जब तक इसे रोका न जाए।

भाग तीन
आवास स्थान

18. प्रबंध बोर्ड ऐसे भवनों या उसके किसी भाग के आवंटन शासित करने हेतु सिद्धांत बनाने के लिए विनियम बना सकेगी जैसी कि आवासीय प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कर्मचारियों को सेवा उपलब्ध हो सके।

19. जब विश्वविद्यालय कर्मचारी को असुसज्जित विश्वविद्यालय आवास उपलब्ध होता है तो वह शासन के नियमानुसार मासिक किराए का भुगतान करेगा।

नोटः किराया, उसके द्वारा उपभोग की जाने वाली जल तथा विद्युत उर्जा प्रभार के अतिरिक्त होगा।

20. जब कर्मचारी को विश्वविद्यालय द्वारा आवास उपलब्ध नही कराया जाता तो ऐसा कर्मचारी शासन द्वारा उसके कर्मचारियों को स्वीकृत दर पर ऐसा भत्ता स्वीकृत करने के लिए शासन द्वारा बनाए गए शर्तों के अध्यधीन गृह भाड़ा भत्ता का पात्र होगा।

21. आकस्मिक अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश से भिन्न सभी प्रकार के अवकाश के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नियम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लागू होंगे।

22. **(1) आकस्मिक अवकाश**

(एक) आकस्मिक अवकाश कर्तव्य द्वारा अर्जित नही होगा। आकस्मिक अवकाश पर अनुपस्थित नही माना जाएगा तथा उसका वेतन नही रूकेगा, आकस्मिक अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नही किया जाएगा तथा यह हमेशा अत्यावश्यकता के अध्यधीन तथा एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 13 दिवस के अध्यधीन होगा।

(दो) आकस्मिक अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी के विवेक पर स्वीकृत किया जाएगा, परंतु अनुपस्थिति की कुल कालावधि रविवार तथा अन्य अवकाश को मिलाकर एक बार में 8 दिवस से अधिक नही होगा।

नोटः बीच में पड़ने वाला अवकाश या रविवार की आकस्मिक अवकाश के रूप में गणना नही होगी। यह अन्य किसी अवकाश के साथ जोड़ा नहीं जावेगा ।

(2) विशेष आकस्मिक अवकाशः

(एक) जब कोई कर्मचारी किसी सिविल या अपराधिक मामले में साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष निर्णायक, निर्धारक के रूप में सेवा हेतु या साक्ष्य देने हेतु आहूत किया जाता है जिसका परिणाम उसका निजी हित नही है विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकेगा। इस प्रकार दिया गया अवकाश आवश्यक अनुपस्थिति की कालावधि को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

(दो) ऐसा अवकाश तब भी दिया जा सकेगा जब कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय के हित में अन्य संस्थाओं के संदर्भ ग्रंथालय तथा सम्मेलन या विद्वान तथा व्यावसायिक सभा या अन्य शैक्षणिक कार्य में जो भारत विनियामक परिषद द्वारा गठित समिति पर कार्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व्याख्यान तथा परीक्षा कार्य या ऐसा कार्य जैसी कि प्रबंध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(तीन) उपर खण्ड (एक) के अधीन विशेष आकस्मिक अवकाश सिर्फ बिना पारिश्रमिक कार्य या एक कैलेन्डर वर्ष में पन्द्रह दिवस से अनधिक केलिए ही स्वीकार्य होगा।

परंतु यह और भी कि विश्वविद्यालय कर्मचारी के सांस्कृतिक आदान प्रदान/राष्ट्रीय व्याख्यान/आदान प्रदान कार्यक्रम इत्यादि प्रायोजक निकाय के अधीन शिष्ट मंडल के सदस्य के रूप में या भारत

या विदेश में विशेषीकृत व्याख्यान देने के लिए चयन होने की दशा में विश्वविद्यालय से अनुपस्थिति की कालावधि की गणना कर्तव्य में की जाएगी।

23. अवकाश में नीचे वर्णित अनुसार वृध्दि किया जा सकेगा पर किसी भी स्थिति में प्रत्येक के सम्मुख दर्शित प्राधिकारी द्वारा, अर्जित कालावधि से अधिक स्वीकृत नही किया जा सकेगाः—

1. आकस्मिक अवकाशः

प्रवर्ग	स्वीकृति अधिकारी
(एक) विभागाध्यक्ष तथा कुलसचिव	कुलपति
(दो) विभागीय कर्मचारी(विभागाध्यक्ष से भिन्न शिक्षक) प्रयोगशाला, लिपिकवर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	संबंधित विभागाध्यक्ष
(तीन) कुलसचिव के कार्यालयीन स्टाफ .	कुलसचिव परंतु यह और भी कि अपने संबंधित शाखाओं के लिपिकवर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक समय में पांच दिवस तक का आकस्मिक अवकाश उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

2. विशेष आकस्मिक अवकाश.

कुलपति के अतिरिक्त समस्त कर्मचारी	कुलपति

ग. आकस्मिक या विशेष आकस्मिक अवकाश से भिन्न अवकाश

	प्रवर्ग	स्वीकृति अधिकारी	स्वीकृति की अधिकतम कालावधि, यदि कोई हो
(एक)	कुलपति	कुलाधिपति	अधिकतम विस्तार दो माह से अधिक
(दो)	विभागाध्यक्ष तथा कुलसचिव	कुलपति प्रबंध बोर्ड	तीन माह तक
(तीन)	समस्त प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी कर्मचारी	कुलपति प्रबंध बोर्ड	अधिकतम तीन माह
(चार)	अध्यापन विभाग/अध्ययन शाला में तृतीय श्रेणी तथा	कुलसचिव, कुलपति की पूर्वानुमति से संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष	एक माह तक

(पांच)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपरोक्त(चार)से भिन्न तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कुलसचिव कुलपति	एक माह तक एक माह अधिकतम

24. विश्वविद्यालय कर्मचारी को अर्जित अवकाश के समर्पण तथा नगदीकरण का लाभ समय समय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

भाग चार
निलंबन, शास्तियां तथा अनुशासिक प्राधिकारी

अधिनियम परिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय नियुक्ति प्राधिकारी तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए किसी अधिकारी को अनुशासिक प्राधिकारी नामांकित कर सकेगा।

25. (1) अनुशासिक प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी कर्मचारी को आदेश द्वारा निलंबित रख सक सकता है जहां कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही अनुध्यात है या लंबित है या जहां कर्मचारी के विरूद्ध कोई दाण्डिक अपराध से संबंधित अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है।

(2) कोई कर्मचारी निलंबन में रखा गया माना जाएगा यदिः–

(क) उसके निरूद्ध किए जाने के दिनांक से, यदि उसे या तो किसी दाण्डिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालीस घंटे से अधिक कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरोध क़िया गया है।

(ख) उसे दोष सिद्ध ठहराए जाने के दिनांक से, यदि वह, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने की दशा में, अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए दण्डादिष्ट किया गया हो, और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत न कर दिया गया हो या सेवा से हटा न दिया गया हो या अनिवार्यतः सेवानिवृत न कर दिया गया हो।

26. नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी पर सही और और पर्याप्त कारण के लिए आनुशासिक प्राधिकारी की अनुसंशा पर निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा–

(क) परिनिन्दा

(ख) उपेक्षा से आदेशों के भंग द्वारा विश्वविद्यालय को उसके द्वारा पहुंचाई गयी किसी आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की उसके वेतन से वसूली

(ग) वेतनवृद्धि रोका जाना

(घ) अवनत करके निम्नतर समयमान, ग्रेड या पद पर लाया जाना

(ङ) अनिवार्य सेवानिवृति

(च) सेवा से हटाया जाना

(छ) सेवा से पदच्युत किया जाना जो सामान्यतया विश्वविद्यालय में भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी। उपरोक्त के अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर छोटी मोटी असावधानी करने, समय का पालन न करने, आलस्य तथा लघु प्रकार के वैसे ही दुराचरण के लिए रू. 50/- से अनधिक जुर्माने की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध आनुशासिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा।

(3) उपरोक्त उप पैरा (1) में विनिर्दिष्ट जुर्माने के अतिरिक्त किसी शास्ति को अधिरोपित करने का आदेश, राज्य सरकार द्वारा शासकीय सेवकों पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए विहित नियमों के अनुसार जांच किए बिना नहीं की जाएगी।

27. (1) जहां किसी कर्मचारी के विरूद्ध कुलसचिव द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी उस दिनांक से, जिसको कि अपीलार्थी को उस आदेश की जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, प्रतिलिपि दी गयी है, तीस दिनों के भीतर, प्रबंध बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(2) जहां किसी कर्मचारी के विरूद्ध प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई शास्ति अधिरोपित किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी उस दिनांक से, जिसको कि अपीलार्थी को उस आदेश की जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, प्रतिलिपि दी गयी है, तीस दिनों के भीतर, कुलाधिपति को अपील कर सकेगा।

(3) अपील उस प्राधिकारी को, जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गयी है उसकी प्रति सहित प्रस्तुत की जाएगी, जिसको कि अपील होती हो। उसमें वे समस्त सारवान कथन तथा तक्र अंतर्विष्ट होंगे जिनपर कि अपीलार्थी निर्भर हो। अपील की एक प्रति अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने कि वह आदेश दिया हो जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी हो।

(4) वह प्राधिकारी जिसने ऐसा आदेश दिया हो, अपील की एक प्रति प्राप्त होने पर, उसे सुसंगत अभिलेखों के साथ, परिहार्य विलंब के बिना तथा अपीलीय प्राधिकारी से किसी निर्देश की प्रतीक्षा न करते हुए अपीलीय प्राधिकारी की ओर अग्रेषित करेगा।

(5) (एक) अपीलीय प्राधिकारी शास्ति की पुष्टि कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा, उसमें कमी कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा या उस मामले को ऐसे प्राधिकारी की ओर, जिसने कि शास्ति अधिरोपित की हो, ऐसे

निर्देश सहित जैसी कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भेज सकेगा।

(दो) जब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मामले को ऐसे प्राधिकारी की ओर भेजा जाता है, जिसने वह आदेश दिया हो जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, वह प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को या प्रभावी बनाएगा।

28. निलंबाधीन विश्वविद्यालय कर्मचारी का अवकाश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

29. कोई निलंबनाधीन कर्मचारी शासकीय नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता का हकदार होगा। वह वेतन के आधार पर समय समय पर स्वीकार्य किन्ही अन्य भत्तों का भी हकदार होगा यदि कर्मचारी निरंतर ऐसा खर्च प्राप्त करता है जिसके लिए वे स्वीकृत किए गए हैं।

परंतु यह भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कर्मचारी ऐसा प्रमाण पत्र नही दे देता कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय या पेशे में नही लगा है।

30. जब कोई विश्वविद्यालय कर्मचारी जो कि पदच्युत, सेवा से हटाया गया या निलंबित है, बहाल किया जाता है, सक्षम प्राधिकारी बहाल किए जाने हेतु विशेष आदेश करेगा।

(क) कर्तव्य से उसकी अनुपस्थिति की कालावधि के लिए कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाले वेतन तथा भत्तों के संबंध में, तथा

(ख) उक्त कालावधि समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर व्यतीत कालावधि मानी जावे अथवा नही।

31. इन परिनियमों तथा अध्यादेशों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निलंबन, शास्तियां, बहाली तथा आनुशासिक प्राधिकारी के संबंध में नियम/आदेश/प्रक्रियाएं ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए बनाए गए हों।

भाग–पांच
प्रकीर्ण

32. प्रत्येक कर्मचारी सदैव ही:

(क) पूर्ण रूप से संनिष्ठ रहे।

(ख) कर्तव्यपरायण रहे, तथा

(ग) ऐसा कोई कार्य न करे जो विश्वविद्यालय कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो।

33. कोई भी कर्मचारी ऐसे किसी संगठन में भाग नही लेगा या सदस्य नही रहेगा जिसका उद्देश्य या गतिविधियां विश्वविद्यालय के हित या लोक आदेश, शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल हो।

34. कोई भी कर्मचारी :

(1) स्वयं को किसी प्रदर्शन में नही लगाएगा या भाग नही लेगा जो विश्वविद्यालय के हित या लोक आदेश, शिष्टता या नैतिकता के प्रतिकूल हो या जिसमे न्यायालय की अवमानना, अपकीर्ति या किसी अपराध के लिए उद्दीपन अंतर्वलित हो, या

(2) उसकी सेवा या किसी कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी मामले में किसी भी रूप में हिंसा का आश्रय नही लेगा या दुष्प्रेरित नही करेगा।

35. (1) कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय की पूर्व मंजूरी बिना किसी समाचार पत्र या नियतकालीन प्रकाशन का पूर्णतः या अंशतः न तो स्वामित्व रखेगा और न उसका संचालन करेगा और न उसके संपादन अथवा प्रबंधन में भाग लेगा।

(2) कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना के बिना, या अपने कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर न तो किसी रेडियो प्रसारण में भाग लेगा और न किसी समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिका में अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर, कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या कोई पत्र लिखेगा या किताब लिखेगा।

परंतु ऐसी कोई मंजूरी आवश्यक नही होगी यदि ऐसा प्रसारण या ऐसा लेख विशुद्ध साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का हो।

36. कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण में कार्य करने की अवस्था को छोड़कर या उसे सौंपे गए कर्तव्यों का सद्भावना से पालन करने की स्थिति को छोड़कर किसी अन्य कर्मचारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसको कि ऐसा दस्तावेज या जानकारी देने के लिए वह प्राधिकृत न हो, कोई शासकीय दस्तावेज या उसका कोई भाग या जानकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नही देगा।

37. कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों के विषय में अपने हितों की वृद्धि के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव न तो डालेगा और न डलवाने का प्रयत्न करेगा।

38. विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय की लिखित पूर्व अनुमति के बिना विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा में किसी महाविद्यालय/विद्यालय में भाग नही लेगा या तैयारी नही करेगा। कक्षाओं में उपस्थित होने या परीक्षा में शामिल होने की अनुमति केवल विश्वविद्यालय के हित से सुसंगत होने पर ही दिया जाएगा परंतु यह अधिकार के रूप में दावा नही किया जा सकेगा।

39. विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी अंशकालीन आधार पर विशेष नियोजन के सिवाय, विश्वविद्यालय की लिखित पूर्व अनुमति के बिना विश्वविद्यालय के बाहर किसी अन्य पद के लिए आवेदन नही करेगा।

40. परिनियम के पैरा 33 से 39 के उपबंधों का कोई उल्लंघन कदाचरण माना जाएगा तथा आनुशासिक कार्यवाही के लिये दायी होगा।

41. ऐसे समस्त मामले जिनके संबंध में परिनियम में उपबंध नही किए गए हैं, राज्य शासन के नियम लागू होंगे।

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर

परिनियम क्र.27

खेल समिति
(धारा 28 (1) तथा (2) देखिए)

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय तथा उसके अतिरिक्तः–

1. गठन

छात्रों को खेल तथा शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन हेतु एक खेल समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(एक) कुलपति, पदेन – अध्यक्ष

(दो) महाविद्यालयों के दो प्रचार्य तथा कुलपति द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय अध्ययन शाला या अध्यापन विभाग के तीन से अनधिक व्याख्याता

(तीन) संबद्ध महाविद्यालय से तीन शिक्षक जिसमें से एक कुलपति द्वारा नामांकित अध्ययन शाला या अध्यापन विभाग का शिक्षक हो

(चार) प्रबंध बोर्ड द्वारा नामांकित दो व्यक्ति जिनमें से एक गैर शिक्षक हो

(पांच) खेल समिति द्वारा सहयोजित किए जाने हेतु खेल शाखा या शाखाओं के विशेषज्ञ ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्ति

(छः) कुलपति द्वारा नामांकित महाविद्यालय या प्राध्ययन केन्द्र या अध्यापन विभाग के दो शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक/खेल अधिकारी

(सात) कुलाधिपति द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय की टीम के दो कप्तान जो विगत वर्ष के दौरान अंतर्विश्वविद्यालयीन खेल का प्रतिनिधित्व किए हों तथा अध्ययनरत छात्र हो ।

(आठ) कुलसचिव

(नौ) संचालक, शारीरिक शिक्षा, पदेन सदस्य सचिव।

2. कार्यकाल

पदेन सदस्य सचिव तथा छात्र सदस्यों का छोड़कर सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। छात्र सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। पांच सदस्य कोरम पूरा करेंगे। सामान्यतया, कोई भी सदस्य आगामी कार्यकाल के लिए दुबारा नामांकन के लिए पात्र नही होंगे।

3. खेल समिति की बैठक सामान्यतया वर्ष में दो बार होगी। बैठक की तिथि सचिव द्वारा कुलपति के अनुमोदन से नियत की जाएगी।

4. शक्तियां तथा कृत्यः

(1) प्रबंध बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन खेल समिति या तो स्वयं या विभिन्न उपसमितियों के माध्यम से अंतर्महाविद्यालयीन खेल तथा प्रतियोगिता का आयोजन, नियंत्रण, प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण करेगा।

(2) प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन खेल समिति विश्वविद्यालय के समस्त संबद्ध महाविद्यालयों, अध्ययन शालाओं तथा अध्यापन विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले समस्त नियम बनाएगी तथा अनुकूलन करेगी।

(3) यह विनिश्चित करेगा कि क्या विश्वविद्यालय अंतर्विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में भाग लेगा तथा प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाए गए संपूर्ण बजटीय सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए ऐसे भागीदारी में अंतर्वलित व्यय का बजट तैयार करेगा।

5. **समिति की निम्नलिखित शक्तियां होगी**

(एक) जहां आवश्यक हो अंतर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता संचालन तथा प्रबंध करने हेतु आयोजन समिति गठित करना।

(दो) खिलाड़ियों को खेल में दक्षता का प्रमाण पत्र जारी करना।

(तीन) अंतर्महाविद्यालयीन खेल एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन।

(चार) अंतर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए विश्वविद्यालय टीम चयन करने हेतु चयन समिति गठित करना।

(पांच) प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन हेतु बजट तैयार करना।

(छः) अंतर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टीम हेतु प्रबंधक, कोच तथा कप्तान नियुक्त करना।

(सात) खेल नियमों, विनियम का उल्लंघन के लिए तथा कदाचरण के लिए, चाहे खेल मैदान में या बाहर किया गया हो, खिलाड़ियों तथा महाविद्यालय टीम के विरूद्ध आनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करना।

(आठ) खेल गतिविधियों का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

(नौ) खेल गतिविधियों के प्रभावी नियंत्रण तथा कार्यान्वयन हेतु नियम बनाना, उपान्तरण या संशोधन करना।

(दस) अंतर्विश्वविद्यालय या अंतर्महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह तथा प्रमाणपत्र या दोनों प्रदान करना।

(ग्यारह) महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के प्राध्ययन केन्द्र या अध्यापन विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण आयोजित करना।

(बारह) महाविद्यालय, अध्ययन शाला या अध्यापन विभाग में खेल तथा क्रीड़ा से संबंधित समस्त विषयों पर प्रबंध बोर्ड को परामर्श देना।

(तेरह) ऐसे कार्य करना जो अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में आवश्यक हो तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जैसी कि प्रबंध बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाए।

छत्तीसगढ़ आयुष तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ,रायपुर

परिनियम क्रं.28

भवन समिति

1. एक भवन समिति होगी जिसमें निम्न पदाधिकारी होंगे:–
   (क) कुलपति पदेन अध्यक्ष
   (ख) आयुक्त रायपुर संभाग
   (ग) मुख्य अभियंता लो नि वि (भ तथा स) छ.ग. या उसका नाम निर्देशित जो अधीक्षण यंत्री से निम्न स्तर का न हो – सदस्य
   (घ) कलेक्टर रायपुर
   (ड.) प्रबंध बोर्ड द्वारा नामांकित दो सदस्य जो उनके बीच से होना आवश्यक नही
   (च) कुलसचिव– सदस्य
   (छ) विश्वविद्यालय अभियंता – सदस्य सचिव
2. भवन समिति के चार सदस्य कोरम पूरा करेंगे तथा पदेन सदस्य के अतिरिक्त सदस्य दो वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।
3. भवन समिति–
   (क) प्रबंध बोर्ड को भवनों के निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन, वर्तमान भवन को जोड़ने से संबंधित समस्त विषयों में परामर्श देगा, जो कि आवश्यक या जरूरी हो।
   (ख) प्रबंध बोर्ड द्वारा अर्जन के लिए साइट का चयन तथा अनुसंशा करेगा।
   (ग) विस्तृत योजना तथा प्राक्कलन के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करेगा।
   (घ) निविदा का चयन स्वीकृति तथा अनुसंशा करेगा।
   (ड.) प्रबंध बोर्ड द्वारा आवंटन के अध्यधीन प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए व्यय स्वीकृत करेगा।
   (च) किए जाने वाले कार्य के आदेश संबंध में प्रबंध बोर्ड को अनुसंशा करेगा।
   (छ) बजट में निधि की उपलब्धता के अध्यधीन प्रबंध बोर्ड को इंजीनियरिंग स्टाफ के पदों के सृजन की अनुसंशा करेगा।
   (ज) भवन समिति अपने निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए उपसमितियां गठित करेगा।

रायपुर, दिनांक 29 मई 2012

क्रमांक एफ 21-16/2009/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 29th May 2012

NOTIFICATION

No. F 21-16/2009/IX/55.— In pursuance of sub-section (1) of Section 31 of the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh Act, 2008 (No. 21 of 2008) the State Government, hereby, makes the first statute of the Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh, Raipur which shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 1

TERMS & CONDITIONS OF SERVICE OF THE VICE- CHANCELLOR

[Refer Section 12, 30 (c)]

Emoluments-

1. Since the state government has accepted the recommendation of University Grants Commission pertaining to pay scale, the Vice Chancellor shall receive monthly salary as announced by UGC and accepted by state government from time to time and other allowances and medical facilities admissible to Officers of similar status in government of Chhattisgarh. If he assumes his charge after attaining the normal age of superannuation and receiving pension then either his pay and allowances will be reduced by gross amount of his pension amount prior to commutation or the payment of pension shall be held in abeyance up to date of his relinquishing charge of the post of the Vice Chancellor. On the other hand, if he assumes charge after attaining the normal age of superannuation and he was on a non-pensionable post, he will not be entitled to pension scheme of the University.

Accommodation -

2. During his tenure of office, the Vice-Chancellor shall be entitled to a rent free furnished residential accommodation maintained by the university with STD telephone facilities at Raipur. Till the residential accommodation is made available, the Vice Chancellor shall be entitled for house rent allowance, admissible to officers of similar status in Government of Chhattisgarh.

Conveyance -

3. The Vice Chancellor shall be entitled to have a university vehicle for official purposes. The Vice Chancellor shall also be eligible to use the university vehicle for private purposes, however, for such journey, he will be liable to pay such charges as per the rules prescribed by the government time to time for the private use of government vehicles by the government officers.

Pension & Gratuity -

4. The Vice-Chancellor shall be eligible to opt for the general provident fund-pension-gratuity scheme of the university if he has not attained the normal age of superannuation prior to commencement of his tenure and provided he has been eligible for pension schemes as an employee of a Central/ State Government or a Central/State autonomous body or a central/ state university before joining as Vice Chancellor. If he opts for G.P.F. cum Pension-cum-Gratuity Scheme of the University, the Vice Chancellor shall be entitled to benefit of combining his past services with the service as Vice Chancellor up to the normal age of superannuation for the purpose of pension. The University will receive pension/ contributory provident fund liability from the previous organization. The period of service rendered by him in the university beyond the normal age of superannuation shall not qualify for the purpose of pensionary benefits. The pension-cum-gratuity benefits shall be payable only from the date of his relinquishing the post of the Vice Chancellor. If the Vice Chancellor assumes his office either after superannuation or superannuates during the tenure, he shall be entitled to join contributory provident fund- gratuity scheme from the date of his joining the post, if already superannuated or the date of his superannuation during the tenure as applicable.

Leave and Leave Salary -

5. The Vice-Chancellor shall be entitled to all kind of leave and leave salary as is admissible to the officers of the state Government.

6. The Vice-Chancellor shall be entitled to all kind of leave and leave salary as is admissible to the officers of the state Government.

Provided that if the Vice-Chancellor assumes/ relinquishes the charge of the office of the Vice-Chancellor during the middle/ half year, the leave shall be credited proportionately at the rate $2^{1/2}$ days for each completed month of service.

The Vice-Chancellor on relinquishing the charge of his office shall be entitled to receive a sum equivalent to the leave salary admissible for the number of days of leave on full pay due to him at the time of his relinquishment of charge subject to a maximum of days as is fixed by the government for its officers.

Other Facilities -

7. The Vice-Chancellor shall be entitled to all other benefits such as medical attendance and leave travel-concession as admissible to other university employees.

8. The Vice-Chancellor shall be entitled to traveling allowance on transfer on his appointment as Vice-Chancellor and after relinquishment of his charge.

9. The Vice-Chancellor if appointment from medical discipline may render voluntary medical advice in the field of medical science to patients in the interest of society.

Powers and duties of the Vice-Chancellor –

Save as otherwise provided in the Act, the Vice-Chancellor shall exercise the power and perform the duties as follows:

10. It shall be the duty and responsibility of the Vice-Chancellor to see that the academic standards in different post-graduate departments of Health Sciences Education of the University as well as undergraduate and post-graduate departments of affiliated colleges are improved and properly maintained in strict adherence with the provisions of the Act, the statutes, the ordinances, regulations or rules framed under the Act. He shall also be responsible for maintenance of proper administration and discipline of the university.

11. He shall have the right to inspect or visit Academic and Administrative departments of the university and other institutions or colleges maintained or managed by, or affiliated to the university and submit a report to the relevant authority with suggestion for improvement in the manner as he may deem fit and proper.

12. The Vice-Chancellor may constitute such committees as he deems necessary to help him for discharging of the duties entrusted to him by or the Act.

13. The Vice-chancellor shall have power to sanction advances up to Rs. 8 lacs. He shall also have power to sanction expenditure directly up to Rs. 1,00,000.00 in the interest of the university, if the work is emergent and urgent in nature.

13. The Vice-Chancellor may engage consultancy/expertise services in a particular field for the university on payment of a suitable honorarium in the manner he deems fit. Provided that the honorarium so fixed by the Vice-Chancellor to the expertise services shall be reported to the Board of Management in its next meeting.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE NO. 02

THE REGISTRAR-HIS EMOLUMENTS AND CONDITIONS OF SERVICE, POWERS AND DUTIES

(Refer section 14)

1. The Registrar shall receive salary in the scale as sanctioned by the Government on the recommendation of the university grants commission from time to time. The Registrar, if appointed from amongst the members of All India Services/ State Services he shall receive salary of their respective cadres.
2. The appointment of the Registrar shall be governed by section- 14 of the Act.
3. (a) The Registrar shall be entitled to leave, leave salary, allowances, medical, provident fund and other benefits as prescribed by state government or/and the university.
   (b) The Registrar shall be entitled to unfurnished accommodation by the state government/ university. Till the accommodation is made available he shall be entitled to house rent allowance as admissible to officers of similar status in the government.
   (c) The Registrar shall also be entitled to university vehicle, STD telephone facility both in office and residence.
   (d) The Registrar shall be entitled to other facilities as decided by the university from time to time.
4. The age of retirement of the Registrar shall be as decided by the state government from time to time.
5. The Registrar may sanction advances upto Rs. 20,000=00 but in case of emergency and urgency he shall have power to sanction expenditure upto Rs. 50,000=00 directly in the interest of the university and expenditure so sanctioned shall be reported to the Vice-Chancellor.
6. It shall be the duty of the Registrar –
   (a) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University, as the Board of Management shall commit to his charge;
   (b) To issue all notices convening meeting of the Board of Management, the Academic Council, and any bodies or committees appointed under the Act. of which he is to act as Secretary;
   (c) To keep the minutes of all meetings of the Board of Management, and any bodies or committees of the university appointed under the Act. of which he is to act as Secretary;
   (d) To conduct the official correspondence of the university, the Board of Management, and other bodies to which he is Secretary.
   (e) To arrange and superintend the examinations of the university;
   (f) To submit to the Chancellor –
      (i) Copies of the agenda of the meetings of the university authorities of which he is to act as Secretary, as soon as such approved agenda is issued;

(ii) The minutes of the meetings of the university authorities of which he is to act as secretary, within a month of the holding of such meetings; and

(iii) Such other papers and information as the Chancellor may direct him to supply from time to time;

(g) To collect the income, disburse the payments and maintain the accounts of the University, in case no Finance and account officer is appointed in the university;

(h) To exercise all such powers as may be necessary or expedient for carrying into effect the orders of the Chancellor, Vice-Chancellor or various authorities or bodies of the university of which he acts as secretary;

(i) To discharge such other functions as may be assigned to him from time to time by the Vice-Chancellor to whom he shall be responsible for the same;

(j) To perform such other duties as may, from time to time, be entrusted to him by the Statutes, Ordinances or Regulations; and

k) To render such assistance as may be desired by the Vice-Chancellor in the performance of his official duties.

l) Subject to the power of Board of Management, the Registrar shall, be responsible to check that all moneys are utilized only for the purpose for which they are granted or allotted.

m) Unless, otherwise provided for by or under the Act, all contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the university.

7. Subject to the control of the Vice-Chancellor the Registrar shall have power to appoint the Class III and Class IV staff of the university and shall exercise disciplinary control over them.

8. The Registrar may, if desired by the Chairman of any authority or body, of which he is the secretary, speak at a meeting of such authority or body.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE NO. 03

OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY CONDITIONS OF SERVICE, POWER AND DUTIES

(Refer section 17)

1. In addition to the officers mentioned in clauses (i) to (v) of Section 8 of the Act. the following shall be the officers of the university if sanctioned by the state government:-

Designation

(i) Director Research
(ii) Law Officer
(iii) Controller of Examination
(iv) University Librarian
(v) Director of Physical Education
(vi) Dean of Students Welfare
(vii) University Engineer (Deputation)
(viii) Deputy Registrar
(ix) Asstt. Registrar

Pay Scales of above officers shall be the same as decided by state government.

2. The appointing authority may appoint above officers as per the setup sanctioned by the state government.

3. The scales of pay and the number for the posts mentioned in paragraph (I) above shall be as decided by the government from time to time.

Provided that where an officer serving under the central government or state government or non government institutions is on deputation to the university his emoluments and terms and conditions of service shall be such as laid down by the government while placing the service of the officer at the disposal of the university.

Provided further that where a retired person is appointed to any of the posts mentioned above he shall draw salary equal to the last pay drawn in past service minus the pension admissible to him and where this amount is less than the minimum of the scale of pay of the post he shall draw as his salary at the minimum of pay of the post concerned.

4. The Board of Management shall prescribe the qualification which a candidate should possess for being eligible to hold any post other than the officers of State University Service Rules- 1983. The selection committee shall select the candidates for such post with due regard to the prescribed qualifications.

5. The Board of Management shall appoint a selection committee consisting of the vice-chancellor who shall be the chairman of the selection committee, one nominee of the board of management from amongst its members and one nominee of the chancellor not connected with the university to recommend the names of candidates for appointment to the officers mentioned in Para 1. The registrar shall be the secretary of the selection committee. The committee so constituted shall recommend not more than three and not less than two names for each post in order of merit and the board of management shall make appointment from the panel.

Provided that in case of appointment to any post other than the post of deputy registrar and assistant registrar, the selection committee shall have, in addition to the members mentioned above, two members appointed by the board of management not connected with the university who have special knowledge of library science or physical education, as the case may be.

6. The officers mentioned in this statute shall be entitled to leave, leave salary, allowances, medical benefit, provident fund and their terms and conditions of service including the age of retirement shall be the same as has been decided by the government for its officers.

7. The powers and duties of each officer except the finance and account officer shall be such as the vice-chancellor may determine.

8. The post of Deputy Registrar, Asst. Registrar and such other cadres of other officers shall be filled from the officers of the state university services constituted under the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Act 1973 (No. 22 of 1973)/ or as decided by the Board of Management. In case of non-availability of such officers, the posts shall be filled by the government by securing services of suitable officers on deputation.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 04

STUDENT WELFARE

(Refer Section 5 (24, 25, 26, 27))

1. The Dean of students' welfare shall be appointed for a term of three years and shall be eligible for reappointment.

Provided that he shall cease to hold office on completing the age of sixty-two years or as decided by the government from time to time.

Provided further that before the expiry of his term of three years the board of management may, on a report from the vice-chancellor, terminate the appointment of Dean of student's welfare if he is satisfied that further continuance of the Dean students' welfare will be detrimental to the cause for which he has been appointed or in the interests of the university, after giving reasonable opportunity of being heard.

2. Where the Dean of students' welfare is a full-time salaried officer, he shall;
   (a) Possess at least MD/ MS, PhD Degree or other post graduate degree and five years of experience of teaching post-graduate classes or twelve years experience of teaching degree classes, preferably experience of guiding extra-curricular activities of students' problems.
   (b) Draw salary in the pay scale of Reader.

3. The Dean of Students' Welfare, if appointed on full time basis from amongst the teachers of the university/affiliated colleges, shall continue to hold his lien on his substantive post and shall be eligible to all the benefits that would have otherwise accrued to him for his appointment as Dean of Students' Welfare. If he is appointed from amongst the teachers of the University, he shall be entitled to receive an honorarium of Rs. 1000/- or as decided by the Board of Management for discharging additional duties.

4. The Dean of Students' Welfare shall be entitled to leave, leave salary, allowances, provident fund, medical and other benefits as admissible to the officers of the University/ State Government.

5. (1) The Dean of Students' Welfare shall, if the Board of Management, or the Academic Council so desires, be present at any meeting of the authority concerned when matters relating to Students' Welfare come up for consideration therein.
   (2) Subject to the control of the Vice- Chancellor, the Dean of Students' Welfare shall
      (a) Make arrangements to ensure suitable housing facilities for students;
      (b) Arrange for employment of students in accordance with the plans approved by the Vice- Chancellor.
      (c) Communicate with the guardians of the students regarding the welfare of students;
      (d) Obtain travel facilities for students;
      (e) Assist the students in obtaining scholarship, studentships, etc. by giving them information relating thereto;
      (f) Perform such other duties as may be assigned to him from time to time by the Registrar with the approval of the Vice- Chancellor.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE NO. 05

FUNCTIONS AND DUTIES OF FINANCE & ACCOUNTS OFFICER

(Refer section 16)

Save as otherwise provided in the Act:-

1. Subject to the control of Vice-Chancellor it shall be the duty of the Finance and Accounts officer.
   - (a) To hold and manage the property and investments of the University including trusts and endowed property.
   - (b) To ensure that the limits fixed by Board of Management for recurring and nonrecurring expenditure for a year are not exceeded and that all monies are expended for the purpose for which they are granted or allotted.
   - (c) To keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investment.
   - (d) To suggest measures of additional internal revenue generation for the university
2. Subject to the control of the Registrar, the Finance & Account Officer shall: -
   - (a) Collect the income, disburse the payments and maintain the accounts of the University.
   - (b) Be responsible for the preparation of annual accounts and the financial estimates of the University for the next financial year .
   - (c) Have the accounts of the university regularly audited.
   - (d) Ensure that the registers of building, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that the stock checking of equipment and other consumable materials in all offices and institutions maintained by the University.
   - (e) Suggest appropriate action against persons responsible for unauthorized expenditure and for other financial irregularities.
   - (f) Processing of all bills and ensure payment of the same without any undue delay.
   - (g) The maintenance of stock register and all account books and keeping them up-to-date at regular intervals.
   - (h) The preparation of annual financial estimates as preferred by the Finance Committee and presentation of the same through the finance committee to Board of Management in accordance with the provisions of the Act.
   - (i) Preparation of periodical statements of accounts to review the finances of the University and presentation of the same to finance committee for consideration.
   - (k) Preparation of annual statement of accounts and the audit report relating to annual statement of accounts, the internal audit report and the annual balance sheet and submission of the same to the state government.
3. The Finance and Accounts Officer may call from any office or institution of the university information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.
4. The Finance and Accounts Officer shall see that all bills for payments be pre- audited.
5. Notwithstanding anything contained in the Act, Statute, the University Finance Officer shall perform the other duties as assigned by the Vice-Chancellor/Board of Management/State Government from time to time.
6. The cheques shall jointly be signed by the Finance and Accounts Officer and the Registrar.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 06

BRANCHES OF LEARNING

(Refer Section 5 (3))

The following shall be the Branches of learning for the purpose of subsection 3 of section 5 of the Act. :-

(i) Super specialties of different subjects.

(ii) Epidemiology Research.

(iii) Study of Hemoglobinopathies.

(iv) Behavioral problems of industrial labours.

(v) Protection of Germ-plasm of herbal plants.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 07

FACULTIES

(Refer Section 23, 24, 25)

1. As enumerated in sections 23, 24 and 25 of the Act there shall be all or any of the following faculties:-
   - (i) Modern system Medicine.
   - (ii) Dental.
   - (iii) Ayurved.
   - (iv) Yoga and Naturopathy.
   - (v) Unani.
   - (vi) Siddha.
   - (vii) Homeopathy.
   - (viii) Nursing.
   - (ix) Physiotherapy.
   - (x) Public Health.
   - (xi) Pharmacy.
   - (xii) Faculty of Interdisciplinary Research
   - (xiii) Such other faculties as may be prescribed by the statutes.

2. **Composition of the faculties:-**
The composition and the function of the faculty shall be the same as enumerated in section 24 and 25 respectively in the Act.

3. **Appointment of Dean of the faculty, his powers and functions:-**

I. The Dean shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor preferably by rotation according to seniority for a period of three years from amongst the professors of the University Teaching Department or Schools of Studies who are teachers in the subject assigned to the faculty.

Provided further that if there is no Professor of the University Teaching Department or schools of studies teaching the said subject the Dean shall be appointed from amongst the affiliated college professors who are teachers in the said subject.

Provided further that if there is no Professor of the university Teaching Department or Schools of Studies or affiliated college professor teaching the said subjects, the Dean shall be appointed from amongst the Principals of affiliated colleges who are teachers in the said subjects, but who are not college professors.

Provided also that if there is no Professor of University Teaching Departments or schools of studies or affiliated college professor or principal teaching the said subjects, the Chancellor may appoint Dean of any other faculty to act as the Dean of the faculty.

II. The Dean shall be the chairman of the faculty and shall be responsible for the due observance of the Statutes, the Ordinances and the Regulations relating to the Faculty and for the conduct and maintenance of standards of teaching and research.

III. The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of any Board of Studies of the Faculty but shall not have right to vote there at.

4. Functions and duties of the faculties:-

I. Subject to provision of the Act, each faculty shall have the following functions and duties:-

(a) Subject to the control of the Academic Council to organize, co-ordinate and regulate teaching and research activities of the Departments assigned to the faculty.

(b) To approve the courses of studies for the different examination in the faculty proposed by the Board of Studies and to remit matters to Board of Studies.

(c) To recommend to the Academic Council the conditions for the award of degree diplomas and other distinctions including the scheme of examination for different degrees.

(d) To deal with such other matters relating to the subjects with in its purview as may be referred to it by the Academic Council or the Vice-chancellor.

(e) To hold meetings with the approval the Vice-chancellor jointly with any other faculty or faculties, such joint meeting to be convened and presided over by a Dean nominated by the Vice-chancellor

(f) Such other powers as any be assigned to it by the Ordinances.

II. All members of the faculty other than ex-officio and the Dean shall hold office for a term of three years.

5. One-Third of the total membership of the faculty shall constitute a quorum.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 08

BOARD OF STUDIES

(Refer Section 26 (1))

There shall be a board of studies of each of the subjects or group of subjects mentioned in column (ii) of the table below under the faculty mentioned in column (i) thereof:-

	column (i)	column (ii)
S.No.	Name of Faculty	Subject or Group of Subjects
1	Faculty of Modern System of Medicine.	(i) Anatomy, Physiology and Biochemistry (ii) Pharmacology, Pathology, Microbiology, Forensic Medicine, (iii) Community Medicine, ENT, Ophthalmology, Medicine, T.B., Psychiatry (iv) Surgery, Anesthesia, Orthopedics, Radiotherapy, Radiodiagnosis and Pulmonary Medicine (Chest & T.B.) (v) Obstetrics and Gynecology, Pediatrics
2	Faculty of Dentistry	(i) Dental
3	Faculty of Ayurveda	समूह –एक : आयुर्वेद संहिता एवं पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद का इतिहास संस्कृत, अष्टांग चरक संहिता समूह– दो : शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान समूह– तीन : द्रव्य गुण, रसशास्त्र एवं भेषज्य समूह– चार : अगदतंत्र एवं विधि, स्वास्थ्यवृत्त समूह– पांच : रोगविकृत विज्ञान एवं काय– चिकित्सा समूह– छः : शल्य एवं शालक्य तंत्र समूह– सात : प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग एवं कौमार्यभृत्य
4	Faculty of Yoga and Naturopathy	(i) Yoga and Naturopathy
5	Faculty of Unani	(i) Unani
6	Faculty of Siddha	(i) Siddha
7	Faculty of Homeopathy	(i) Homeopathy
8	Faculty of Nursing	(i) Nursing
9	Faculty of Physiotherapy	(i) Physiotherapy
10	Faculty of Public Health	(i) Public Health
11	Faculty of Pharmacy	(i) Pharmacy
12	Faculty of Interdisciplinary research activity and interuniversity Collaboration and research.	Agriculture, Forest, Bio-Technology, Microbiology , Biochemistry and Biosciences for research and project purposes.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 09
COMPOSITION, POWER & FUNCTION OF THE BOARD OF STUDIES
(Refer section 26 (2))

Composition of Board of Studies:-

1. Each Board shall consist of the following members:-

   (i) Professors of University Teaching Departments and Schools of Studies in subjects for which the Board is constituted.

   (ii) Two Heads of Department in colleges teaching the said subject upto the postgraduate level to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority.

   (iii) One Reader from the University Teaching Department and schools of studies teaching the said subjects to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority.

   (iv) Two Heads of College Department in Colleges teaching the said subjects upto the degree level to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority.

   (v) Not more than two teachers in the said subjects to be nominated by the Vice-Chancellor.

   (vi) Two members to be co-opted by the Board, one of whom shall be an expert from outside the university and shall be from recognized research institute, if any, in the subject of group of subjects for which the board is constituted.

2. The Chairman of the Board of Studies shall be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the members of the Board referred to in clause (i) of sub-section (1)

   Provided that if there is no member under clause (i), the Chairman shall be nominated by the Vice-Chancellor from amongst the members of the Board under clause (ii) and (iii) of sub-section (1).

   Provided also that it there is no member under clauses (i), (ii) and (iii), the Chairman shall be nominated from amongst the member of the Board under clause (iv).

3. The term of the Board of Studies shall be three years.

4. Each Board shall have the following powers, namely –

   (a) To make syllabus for all the courses of the University,

   (b) To consult specialist regularly each year to review the syllabus and course, scheme and recommend the modifications necessary to keep pace with changing knowledge base and requirement of the society.

   (c) To proposes examination scheme and ordinance of the examinations for consideration of Faculty and Academic Council.

   (d) To recommend schemes for preparation and translation of books in the subject or subjects with which it deals.

5. It shall be the duty of the Board of Studies to consider and report on any matter referred to it in accordance with the Act, Statutes, Ordinances or Regulations by the Board of Management or by the Academic Council or by the Faculty concerned or by the Vice-Chancellor.

6. Any two or more Boards may, and, at the request of the Board of Management or the Academic Council shall meet and make a joint report upon any matter which lies within the purview of both. In such cases, the joint meeting shall elect its own Chairman and the quorum for such a joint meeting shall include the full quorum of each Board represented, no member shall be counted more than once for the purpose of determining the quorum.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 10

STANDING COMMITTEE OF THE ACADEMIC COUNCIL

(Refer section 21 (4)

1. The Standing Committee to be constituted under sub section (4) of Section 21 shall consist of ;
   a) The Vice-Chancellor
   ii) The Registrar, and
   iii) Deans of all the Faculties.
   iv) The Registrar shall act as the Secretary of the Committee.

2. The Standing Committee may invite such other persons not exceeding three as it may deem fit for any particular meeting.

3. Meeting of the Committee shall be convened under the direction of the Vice Chancellor.

4. It shall be the duty of the standing committee to render, advice on equivalence of examinations in consultation with the Faculty concerned and such matters as may be referred to it by the Academic Council, the Board of Management or the Vice-Chancellor.

5. Subject to the provisions of the Act and the Statutes, the committee can dispose of other matters referred to it by the Academic Council. In every case where the Standing Committee disposes of any matter, the matter shall be reported to the Academic Council.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 11

PREPARATION AND MAINTENANCE OF SENIORITY LISTS

(Refer section 20 (i) (j) (k) (l))

1. It shall be the duty .of the Registrar to prepare and maintain in respect of Principals, Professors, College Professors, Readers, Readers in Colleges, and Lecturers complete and up- to-date seniority lists in accordance with procedure laid down in the statutes of this statute hereinafter appearing.
2. All Principals/Professors/Readers/College Professors/Readers in Colleges/Lecturers shall apply for inclusion of their names in the cadre concerned through the Principals of the College/Head of the Teaching Department by 15th October each year at the latest. Persons, whose applications, complete in every respect and supported by the necessary evidence are not received within the prescribed date, shall not be considered for inclusion in the list. Provided that the teachers who had applied once need not apply again till their respective cadre is changed or altered by transfer or promotion. The Principal/Head of Teaching Department shall communicate to the Registrar the names of teachers who leave the institution.
3. The Registrar shall prepare separate lists showing the inter-se seniority of Principals, Professors, College Professors, Readers, College Readers, Lecturers in University, Lecturers in colleges respectively and publish the said lists for inviting objection.
4. The publication of the lists for inviting objections shall be made on or before the 15th November and shall be effected by forwarding two Copies of the lists to each college/Teaching Department for displaying one copy on the staff notice board of the college/Teaching Department and the other for making it available for reference to the members of the Teaching Staff.
5. (1) Any Principal/Professor/College Professor/University Reader/Reader in College/Lecture of College/University who feels aggrieved by any entry or omission made in the said lists may, within twenty days from the date of the publication of the lists on the staff notice board of the college/Teaching Department, file an objection stating the reasons with evidence in support of his contention addressed to the Registrar. If the objector desires to be heard in person he shall specifically state the same.

   (2) The Vice-Chancellor shall before the 30th November appoint a Committee consisting of a member of the Board of Management and two Principals/ Professors other than those who are members of the Board of Management for dealing with objections that may be filed to the seniority lists. The Vice-Chancellor shall nominate one of them to be the convener of the committee.

   (3) The Committee appointed by the Vice-Chancellor shall meet at such time and on such dates `as the convener of the committee may fix.

   (4) The Committee may, where necessary, call for the parties concerned, or inspect any document, file, register or record in the possession of the University or any College maintained by or affiliated to the university,

(5) The Committee shall provide reasonable opportunity to hear the objector if the objector desires to be heard in person.

(6) The Committee shall report its decision as also the reasons thereof.

(7) All decisions of the committee shall be taken by majority and Communicated to the Registrar not later than 24th December in each year.

6. (1) The seniority list, as finalized by the Committee shall be published by the Registrar not later-than 31st December each year by forwarding two copies to each College/ teaching Department for displaying one copy on the staff notice-board of the college/ teaching department concerned and the other copy for making it available for reference to the members of the staff of the college.

(2) The objector may, on request, obtain a copy of the decision of the Committee from the Registrar on payment as decided by the university.

7. The list so published finally, shall remain in force from Ist January to 31st December of the Calendar year following the publication of the list.

8. Notwithstanding anything contained in the Statutes 2, 4, 5 (1), 5 (7), and 6 (1) of this Statute the dates respectively for the submission of the application in the form appended to this Statute to the Registrar for inclusion of name in the seniority list by Principals/ Professors/ Readers/College Professor/ Readers in colleges/ Lecturers, for publication of lists, for objections, for filing objection to the lists, for appointment of Committee to deal with objections, for communication of the decision of the committee on objections, and for publication of finalized seniority lists in the case of the first year of preparation of seniority lists immediately following the date on which the Act came into force, may be determined by the Vice-Chancellor in variation of the respective dates prescribed by the above mentioned statutes after considering such curriculum as may necessitate such variation.

9. A separate seniority list of contractual teachers of the school of studies/ departments and affiliated colleges in accordance with the provisions of these statutes shall be prepared by the university. The university shall have power to assign work to such contractual teachers in the manner deemed fit.

Format

Application for inclusion in the list of

(Dean/ Principal/ Professor/ Asso. Professor/Reader/ Asstt. Professor/ Lecturers)

To,

The Registrar

---------- University,

Sir,

I request that my name be included in the seniority list of ---------- (Designation). Particulars of my service are as under:-

1. Name
2. Date of Birth
3. Subject Teaching
4. Post held at present
5. Date from which present post is held
6. Scale of pay in the present post
7. Academic qualifications
8. Teaching Experience ----------Years --------- Months --------- Degree Classes ------ ---------- Post –graduate classes ---------- ----------
9. Certified

Principal /Head of School Studies.

10. Teaching posts held (Chronologically) prior to appointment to the present post;

Designation of Post	Name of Institution in which post was held	Period From to	Scale of pay

NB : 1) A teacher in service under the Chhattisgarh Government need not give the name of various colleges to which he has posted in any particular capacity.

2) Change in the cadre (e.g. Lecturer, Professor) together which the date of appointment in each case and the pay scale should be clearly stated.

I declare that particular given are correct.

Place

Date

Signature of applicant
Full Name
Designation
College/ Teaching Deptt.-
Phone/ Mobile No-

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 12

SENIORITY OF TEACHERS OF THE UNIVERSITY

(Refer section 19, 21, 26 & 30)

In this Statute, unless the context otherwise requires:

1. (1) For The purpose of the Act, the statues and the ordinances, the Seniority of the teachers shall be in the following manner, namely: -

Group "A" The teaching department, schools of studies/ Colleges maintained by the University: -

(a) Professor,
(b) Reader,
(c) Lecturer,

Group "B" The Colleges affiliated to the University: -

(a) Full time and salaried Principal other than College Professor,
(b) College Professor,
(c) Reader,
(d) Lecturer,
(e) Lecturer, contract basis

(2) "Service" shall mean service in a Teaching Department/ School of Studies, or colleges maintained by or affiliated to the University, and/or in a Teaching Department/ School of Studies, or colleges maintained by or affiliated to any other university established under any Central or State Act.

(3) If a teacher who holds a permanent post in the University or a College is on leave or on deputation' he shall be deemed to be in continuous service in his post during the period of such leave not exceeding six months on any ground whatsoever and during the period of deputation not exceeding three years for academic purposes.

(4) Those teachers who have been appointed in accordance with the norms, qualifications as laid down by regulatory authorities of India/ State Government/ University and the procedure of university shall be included in the seniority list.

(5) The inter-se-seniority of full time salaried Principals other than college Professors shall be determined in accordance with the provision of the statute relating to the seniority of Principals.

2. The seniority of a Professor, College Professor, Reader in College or Lecturer shall be determined in accordance with length of continuous service of such person in the cadre concerned taken together with length of continuous service in a cadre which is equivalent to or superior to the cadre concerned.

Provided that where a Principal is included in the cadre of College Professor, his seniority as College Professor shall be determined in accordance with: -

(a) The length of continuous service as such Principal if he was not a College Professor prior to his appointment as such Principal.

(b) The length of total service as a College Professor if the Principal was a College Professor prior to his appointment as such Principal.

N.B.:- For the purpose of seniority:-

(i) The post of Professor in a college shall be deemed to be lower than the post of Professor in a University Teaching Department in a constituent college,

(ii) The post of a Reader in the University Teaching Department/Schools of Studies shall be deemed to be equivalent to the post of Reader in a college,

(iii) The post of Lecturer/Asstt. Professor in a college and Lecturer in the University Teaching Departments/ Schools of Studies shall be deemed to be equivalent posts.

3. If the length of service of two or more teachers in any cadre calculated in accordance with Para 2 of this Statute above is equal, their inter-se seniority shall be determined in accordance with the length of continuous service in the cadre immediately below, if any.

4. If after calculation in accordance with Para 3 of this Statute above, the inter-se seniority of two or more teachers in any cadre is equal, their inter-se seniority shall be determined in accordance with the length of continuous service in the cadre, if any, immediately below the cadre considered under Para 3 above.

5. If after calculation in accordance with the foregoing provisions to the extent possible, the inter-se-seniority of two or more teachers in any cadre is equal, their inter-se seniority shall be determined by the total period of continuous service as a teacher in any cadre.

6. If after applying the foregoing provisions to the extent possible the seniority of two or more teachers is equal, their inter-se-seniority shall be determined in accordance with the seniority in age.

7. Professor/ Reader promoted by departmental channel or merit promotion scheme including time bound promotion and those officers recruited from public service commission or by authentic/approved selection committee shall not be distinguished.

8. The teachers, who have superannuated but re-appointed or on extension shall not be included in the seniority list.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 13

SENIORITY OF PRINCIPALS

(Refer section 19, 21, 26 & 30)

1. For the purpose of the Act and the statutes, the seniority of a Principal, shall be determined in accordance with the length of continuous service as the Principal of a College/Colleges affiliated to the university or any other university established under any Central or State Act.
2. If the length of service of two or more Principals calculated in accordance with paragraph (1) above, is equal, their seniority inter-se shall be determined in accordance with the length of continuous service as College Professor in a college/colleges affiliated to the university or to any other university established under any central or state Act.
3. If after calculation in accordance with paragraph (2) above the seniority inter-se of two or more Principals is equal, their seniority shall be determined by the total period of continuous service as a teacher in the university and/or in any other university established under any central or state Act.
4. If after applying the forgoing provisions the seniority of two or more Principals is equal, their seniority inter-se shall be determined in accordance with seniority in age.
5. If a Principal who holds a permanent post as Principal in a college is on leave or deputation, he shall be deemed to be in continuous service in his post during the period of such leave not exceeding six months on any ground whatsoever and during the period of deputation not exceeding three years for academic purposes.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 14

SENIORITY OF HEAD OF DEPARTMENT IN AFFILIATED COLLEGES

(Refer section 24, 26)

1. The seniority of Heads of Departments inter-se in affiliated colleges shall be in the order of cadres given below:-
   (a) College Professor.
   (b) Full time and salaried Principals other than college Professors.
   (c) Reader
   (d) Lecturer/ Assistant Professor
2. The seniority of the Heads of Departments under each of the categories specified above inter-se seniority shall be determined by their seniority as a college Professor, Principal, Reader in a College of Lecturer as the case may be.
   If the Head of a Department in a college proceeds on leave for a period exceeding six months his office shall be deemed to have become vacant and the Principal of the college shall communicate to the Registrar without delay the name of the successor Head of the Department.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 15

ADMISSION OF COLLEGES TO THE PRIVILEGES OF THE UNIVERSITY AND WITHDRAWAL THEREOF

(Refer section 35 (1))

AFFILIATION OF COLLEGES

Save as otherwise provided in the Act and in addition:-

1. **WHO SHALL APPLY FOR AFFILIATION:-**

An application for admission for an educational institution/college to the privileges of the University shall be made in the prescribed form:

I. In the case of a college to be owned and maintained by Government for new college/subject/faculty/post-graduate class to be added, in such college/institution, by an Officer authorized by Government in writing.

II. a. In the case of a college/institution to be owned and maintained by a Society or a Trust by the Secretary of the Society, authorized by a resolution.

b. In the case of a college to be owned and maintained solely by a person by the Founder; and

c. In case of a new subject/faculty/post-graduate class to be added in an existing Non-Government college/institution aided by the government by the Chairman of the governing body, Principal of the college/institution authorized by a resolution of Board of Governors to make the application to the Registrar of the university.

2. **ELIGIBILITY FOR APPLICATION OF AFFILIATION:-**

a. The application for affiliation shall be made when the permission from the state govt. and National Regulating Council are obtained.

b Such applications shall be made in the form prescribed by the Board of Management of the University along with the fees prescribed by the University from time to time.

3. **LAST DATE FOR APPLICATION & AFFILIATION FEE:**

(i) 15th December of preceding the academic year from which affiliation is sought.

(ii) With affiliation fee as prescribed in annexure – 'A'.

Provided that the Vice-Chancellor may permit with 30% late fee to submit application with in within a month. No application shall be entertained after grace period for the ensuing session.

4. **DOCUMENTS TO ATTACH WITH APPLICATION:**

The application for affiliation for new college and in a new subject in Diploma, graduate or post- graduate program shall be accompanied by: -

I. Non-Government college:-

(a) A copy of the constitution of the Foundation Society (Memorandum of Understanding);

(b) Certified copies of Trust deeds and title deeds of the property, if any;

(c) A certificate from respective Directorate of Government of Chhattisgarh.

(d) A certificate from the Regulatory Council of India for Health Sciences Education, New Delhi.

addition of new program/ subject, or opening of new faculty, increase in intake or one or more diploma programs or more courses or postgraduate courses sought by the institution;

(e) An undertaking to the effect that the Foundation Society shall deposit with the University Endowment Fund as required by the College Code Statute, before the Institution is granted affiliation.

(f) In case of a Institution not maintained or managed by Government, the application shall also be accompanied by an undertaking that within three months of the admission of the Institution to the privileges of the University the Institution shall be put under the control of a Governing Body constituted in accordance with the provisions of the Statutes and any change in the composition of the Governing Body or any transfer of management in respect of the Foundation Society or Founder or any change in the teaching staff shall be forthwith to the University.

II. Government college:- In case of a college owned/ maintained by the government the provisions contained in clause-4 (a,b,e and f) shall not apply.

5. **INFORMATION WITH APPLICATION:-** The authorized officer or the Secretary of the Foundation Society, or the chairman of the governing body or the founder as the case may be, shall supply information in the prescribed application, with respect to the following matters, namely:-

(a) Fulfillment of requirements of concerned Regulatory Council of India while granting permission for the program with request to:-

(i) Buildings

(ii) Teaching staff

(iii) Financial resources

(iv) Students admission

(v) Library and reading room.

(vi) Physical Welfare of the students

(vii) Hospital facility: if admission is sought in any program/branch which requires the hospital facilities:-

(a) The institution/ college must have their attached hospital.

(b) If own hospital of the institution is not available an undertaking from the management of the hospital which agreed to provide hospital facility for training of students of the particular college with full details of the bed, staff, equipments/ instruments available in the hospital.

However, a hospital may agree to provide hospital facility to other college also provided that the norms of National Regulatory Councils are fulfilled mutatis-mutandis.

Further provided that the hospital agreed to provide facility to a college for training of the students shall be required to get the registration/ recognition from the university giving full details of the hospital with respect to staff, equipment/ instruments and number of beds and other facilities.

(viii) Laboratories and museum.

1. The gas and water-supply, the apparatus, computers, test set-ups and the chemicals, and the design and general electrical and water fittings in the laboratories, lecture-rooms and museums shall conform to such requirements as may be prescribed from time to time.
2. That the Institution/College has significant infrastructure including modern laboratories commensurate with the requirements of the courses being offered in the institution/College.

b. That the institution/College, if not maintained by the Government has sufficient funds to deposit as Endowment Fund and the founder of the Foundation Society is prepared to pledge the same with the University in such manner as may be decided by the Board of Management as a condition precedent to the grant of admission and to authorize the University to utilize the amount at its discretion for payment of the caution money and the salaries of the staff of the college if such salaries fall into arrears for a period of more than three months;

c. That the fees, if any, payable by the students, shall be fixed in accordance with the rates prescribed by the University/Government:
Provided that all fees, by whatever name, called, paid by the students shall be accounted for in the books of account of the college and shall form part of the receipts of the college

d. That the rules regarding payment of fees by students in institution/college shall not be framed with a view to attracting student away from an existing institution in the same neighborhood.

e. Other requirements as are prescribed by the university/ government/ regulatory councils from time to time.

6. **EXTENSION OF AFFILIATION:-**

(1) where an institution/College has been given admission to the privileges of the University for a limited period and desires to apply for extension of admission for a further period or permanently, the authorized officer or the Chairman of the Governing Body constituted in accordance with the Statutes shall apply in the form prescribed for the purpose and so far as may be necessary supply:-

(i) Full factual information pertaining to the compliance of all the requirements in this Statute and also of the Regulatory Council of India.

(ii) Full factual information about compliance of any conditions laid down by the Board of Management at the time of giving admission for a limited period.

(iii) Such other information as the Board of Management may call for.

(2) An institution/College shall not be eligible for permanent affiliation unless it has 10 years standing as affiliated Institution/College in the program/ courses concern, it has its own buildings adequate for its purpose, a suitable library, adequately equipped laboratories commensurate with the course requirements and a modern administrative office and adequate faculty as per regulatory Council of India for Health Science Education norms and such conditions as may be prescribed by regulation for the purpose.

(3) For yearly affiliation, the application shall be made to the Registrar on or before the 15th December of the year preceding the academic year from which the extension of affiliation is sought and shall be accompanied by a fee as prescribed by the university from time to time. The affiliation fees shall not be refunded unless the application is withdrawn before inspection has taken place. The Vice-Chancellor may permit to submit application with 30% surcharge after the last date fixed for the purpose. Grace period of not more than a month shall be granted against payment of late fees.

7. PROCESSING OF APPLICATION AND INSPECTION:

The application received under Para 1 or 6 of this Statute shall be submitted to the Registrar. He shall refer the application to the Standing Committee of the Academic Council/ Vice-chancellor for appointing a Inspection Committee consisting of not more than 3 persons and for specifying the date on/or before which the report of the Committee shall be submitted, normally such date shall be 15 to 20 days form the date the Inspection Committee is constituted.

Provided that where the Academic Council is not likely to meet early, the Standing Committee of the Academic Council may make recommendations to the Board of Management and such recommendation shall be reported to the Academic Council at its meeting immediately following such recommendation by the Standing Committee.

8. DECISION:-

1. After considering the report of the Inspection committee and the recommendations of the Academic Council/Standing Committee and making such further enquiry as it deems fit, the Board of Management may either:-
   a) Grant affiliation to the institution/College for the programs/ courses; or
   b) Reject the application, mentioning reasons thereof.
2. Where the Board of Management proposes to grant the affiliation or any part thereof it shall specify:
   a) The program/course or courses of instruction with intake capacity in which and the standard up to which the institution/College is to be admitted to the privileges of the University; and
   b) The conditions, if any, which the Board of Management considers it proper to impose and the time and manner of fulfillment of such conditions.
3. The orders passed under clause (b) of sub-Para (1) or sub-Para (2) above shall be communicated to the applicant by the Registrar.
4. Communicate to the concerned Directorate of Health Sciences Education about the same,

9. SAVINGS CLAUSE:

i. The university shall have power to re-inspection/ sudden inspection before issuing affiliation order.

ii. The university shall have power to withhold affiliation order to ascertain fulfillment of condition of Regulatory Councils. After being satisfied the order of affiliation either may be issued or the matter may be referred to the Board of Management for further decision.

10. WITHDRAWAL OF PRIVILEGES GRANTED TO A INSTITUTION/ COLLEGE

(1) Wherever, as a result of a prejudicial report or otherwise the Board of Management considers it necessary to initiate action for the withdrawal of all or any of the privileges granted to an institution/College, the Board of Management shall issue a notice to the Governing Body or the Government as the case may be, apprising the said body of the intention of the Board of Management and requiring the said body to show cause why action as intended should not be taken.

Provided that where an institution/College is admitted to the privileges of the University for a definite period and the admission is not extended for a further period, it shall not amount to withdrawal of privileges.

(2) The notice under sub-Para (1) shall state:

(a) The reasons for which the intended action is contemplated; and

(b) The period within which the reply to the show cause notice must reach the Registrar of the University.

(3) The Board of Management, for reasons considered sufficient by it, may extend the period for reply from time to time but the total period shall not exceed three months.

(4) On receipt of the reply of the show cause notice within the period allowed to the institution/College under sub Para (2) and (3), the Board of Management may consider the matter in the light of the reply and representation made, if any, by the institution/College concerned, and if no such reply is received, it may consider the matter on the expiration of the said period, and may after consulting the Academic Council/Standing Committee of the Academic Council make such order as may appear to it proper including the withdrawal of all or any of the privileges granted to the institution/College.

(5) Where a resolution withdrawing wholly or partially the privileges granted to an institution/College is passed by the Board of Management, a copy of the same shall be sent to the Government, Chairman of the Governing Body of the institution/College concerned. The government may take action as per provision of the Act.

(6) If, for any reason, an institution/college is unable to impart instruction for two years in any program/ subject for which it is granted affiliation, such affiliation shall be regarded as lapsed.

11. MISCELLANEOUS:

(1) Every institution/college admitted to the privileges of the University shall, during all the time continues to enjoy such privileges, comply with all the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances, the Regulations, and any orders directions given or resolutions passed by the Board of Management or Academic Council in so far as they apply to such college.

(2) Without prejudice to the generality of the provision contained in Para 8(1) the institution/College shall in particular comply with the following provisions.

(a) All conditions imposed at the time of granting admission shall be duly fulfilled with proper check.

(b) It shall not suspend any course of instruction in respect of which it is admitted to the privileges of the University without giving 6 months prior notice to the University;

(c) The Governing Body required to be constituted under the Statutes shall be so constituted within three months from the date of admission and all matters assigned to it by the Statute shall be administered by it;

(d) Any transfer of management shall be reported to the University forthwith;

(e) The qualifications and adequacy of the teaching staff and the conditions governing their recruitment and term of employment shall be strictly according to the provisions of the Statutes and norms set by the Regulatory Councils of India for Health Sciences Education.

(f) All changes in the teaching staff shall be reported to the University within one month of their taking place;

(g) Ideally no lecture shall be delivered to more than sixty students at a time unless the Academic Council, considering the size, structure, seating arrangements and acoustic properties of each lecture room, and arrangements for tutorials, permits a large number of students as may be decided by the Academic Council;

(h) Ideally the maximum number of students in a batch for laboratory work under one teacher shall not exceed 15.

(i) Every vacancy in the teaching staff of the institution/College that remains unfilled for a period of more than one month shall be reported to the university together with a statement of reasons therefore;

(j) It shall maintain records and registers in accordance with directions issued by the University from time to time;

(k) It shall submit such annual and periodical returns and other information, in such form and in such manner, as may be required to be submitted by any authority or officer of the University.

(3) Every College or Institution admitted to the privileges of the University shall pay to the university each year by the 31st July -an annual affiliation fee as prescribed by the university from time to time, if the –institution/college fails to do so the affiliation may be withdrawn

Provided that the Vice-Chancellor may permit the requisite fee to be paid together with an additional amount equal to 30% of the requisite fee within a period of one month from the date mentioned above. In the case of such disaffiliation, the University may take such necessary steps as are feasible in the interest of the students.

(4) The Principal and the Teachers in a college admitted to the privileges of the University shall not be appointed on scales of pay lower than those sanctioned by the regulatory councils of India of health sciences education/ government for the principals and teachers of corresponding status in government institution/ colleges/ all India regulatory councils for Ayush and Health Sciences Education.

(5) A part-time teacher in an institution/College shall be paid monthly honorariums prescribed by the university from time to time and he has to deliver lectures per week as per norms of all India regulatory councils for Ayush and health sciences education.

(6) Accounts, registers, proceedings of meetings, and other records of a college shall be open at all times for inspection by the persons appointed for the purpose or authorized by the Board of Management or the Academic Council to conduct any inspection.

(7) Every institution/college shall provide adequate and suitable space for outdoor and indoor games and physical exercises.

(8) (i) Every institution/college shall arrange for medical examination of all its student in the manner prescribed by the Board of Management and for the medical aid of student residing in hostel of the college.

(ii) For the above purpose, the institution/college shall be entitled to levy an annual fee from each student at the rate prescribed by the University.

(9) Every institution/College shall, when called upon by the Registrar to do so, make available its institution/College building, laboratories, furniture, equipment and staff for the conduct of University examinations.

(10) The Board of Management may, in consultation with the Academic Council, require any institution/College either permanently or for a specified period to participate in a system of centralized admission by the University or to restrict the number of students in any program/class or subject, or require the teaching in a college to be confined only to some particular branch. Any such direction or order of the Board of Management shall be given effect from the beginning of the ensuing academic year after the direction or order is received.

(11) Attendance of students and teachers: The record of attendance of the students and the teachers shall be maintained with Bio-metric system or other electronic devices as agreed by the university.

Annexure – (A)

Relevant to STATUTE No. 15 (Fee – Payable)

Admission of Colleges to the Privileges of the University

The fee payable with application as under:

	New College	U.G. course	PG/ Super specialty per Subject
1	Medical	50,000.00	25,000.00
2	Dental	40,000.00	20,000.00
3	Physiotherapy	25,000.00	10,000.00
4	Nursing	25,000.00	10,000.00
5	Pharmacy	20,000.00	10,000.00
6	Ayurveda/Homeopathy/ Yoga/Unani/ Sidha	20,000.00	10,000.00
7	Any para-medical course other than above	10,000.00	5,000.00

ANNUAL AFFILIATION FEE

S.No.	Course	Fee
1	Medical - i. M.B.B.S.	10,000.00
	ii. Post Graduate Degree/ Diploma	10,000.00 (per subject)
2	Dental	10,000.00
3	B.Sc. Nursing/ M.Sc. Nursing	10,000.00
4	Physiotherapy	10,000.00
5	B.Pharma	10,000.00
6	Ayurveda/ Homeopathy / Yoga/Unani/ Sidha	10,000.00
7	Any course other than above	10,000.00

Note: In addition to the above, an inspection fee of Rs. 10,000/- or as prescribed by the University from time to time, will be payable by the concerned college for each inspection .

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 16

COLLEGE CODE

(Refer Section 30(k) & 35 (1))

PART - I

Save as otherwise provided in the Act and in addition:-

Objectives -

(i) To promote and maintain academic standard.

(ii) To provide adequate security of services to the college teachers.

(iii) To promote Health Sciences Education in Chhattisgarh.

1 In this statute unless there is any thing repugnant in the subject or the context:

Definitions -

a) "College" means an educational institution admitted to the privileges of the University.

b) "Foundation Society" means a body of persons, registered or incorporated under any law for registration or statutory incorporation which founds and maintains an educational institution.

c) "Governing Body" means the governing body constituted in accordance with the provisions of this Statute.

d) "Teachers" means members of the teaching staff of a college includes the Principal.

e) "President of the Foundation Society" means a person who is duly elected as its president (by whatever name called) by the foundation society.

f) "Donor" means an individual, association, charitable trust or any other institution other than the foundation society giving a donation of not less than five lacs rupees in cash or immovable property for the use of the college.

Provided that if the donation is given by any firm, association, trust or institution, the representative nominated by such donor from time to time shall be deemed to be the donor for the purpose of this code.

g) "Grantee College" means a college receiving maintenance grant from state government.

h) "Non-Grantee College" means a college not receiving the regular maintenance grant from the state government.

i) "Private College" means a college, which is running on self-financed scheme.

j) "State Government" means the government of Chhattisgarh.

Applicability --

k) The college code shall apply to the colleges admitted to the privileges of the university including grantee, non-grantee and autonomous colleges provided that in case of autonomous colleges only those provisions of the college code will apply for which there is no specific provision in any other statute/ordinance or regulation framed by the autonomous colleges except in the colleges maintained or managed by state government or the university.

Part - II

The Foundation Society

2. The Foundation Society of a college shall be responsible for providing the necessary funds for the maintenance and upkeep of the college up to standard required by the University/ Regulatory Councils of India.

3. No employee of the college including an honorary or part time who is paid an honorarium shall be an office bearer or member of the foundation society.

4. (1) The foundation society of every college shall deposit endowment fund in accordance with the scale given below with the university in the form of fixed deposit receipts in the joint name of the Registrar and the college.

a)	the college has only one faculty only at the undergraduate level	1,00,000=00
(b)	every additional faculty at the Under Graduate level	50,000=00
(c)	For each faculty post graduate level for the first course	75,000=00
(d)	each additional course at the post graduate level	40,000.00

(2) In case of a college in existence on the date of coming into force of this statute the foundation society shall deposit with the university the endowment fund necessary.

(3) The deposit for creating the endowment fund shall not be made from the receipts of the college in the form of fees from students or grants received by the college or from loans from the staff of the college.

5 (1) The income from the endowment fund shall be made available to the college for its use.

(2) When the salary due to the teachers is not paid for three months, the university may permit the use of the endowment fund and require the foundation society to deposit back the amount drawn there from.

(3) In the event of closure of the college or in the event of college being taken over by the government the caution money and the salary due to the employees, including teachers, of the college shall be the first charge on the endowment fund.

6. The foundation society shall carry out all directions of the university and shall maintain and run the college in accordance with the Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made there under:-

Provided that if a college is grantee institution the foundation society of the grantee college shall maintain and run the college in accordance with the condition of grant of the government. Provided also that the autonomous college shall function in accordance with the statute for the purpose.

7. (1) In the event of the failure on the part of foundation society to meet all or any of its obligations as laid down in the college code university may take any of the following actions after giving reasonable opportunity:-

(a) Withdrawal of the right to have its appointees including the chairman of the governing body of the college;

(b) Withdrawal of the powers vested in the foundation society by this statute;

(c) Withdrawal of the affiliation of the college.

(d) Supercession of governing body and recommend to the government for appointing administrator.

(2) Where any action is taken by the Board of Management under the para (1) the foundation society may appeal to the state government against the decision of the Board of Management. In the event of the difference between the decisions of State Govt. & the Board of Management the matter shall be referred to the chancellor whose decision shall be final.

POWERS OF THE FOUNDATION SOCIETY:

8. (1) The Foundation Society shall have the following powers, namely:-

(a) To appoint the first principal and other members of the teaching staff of the college in accordance with the provisions of this code till the Governing Body is constituted or till the expiry of the period of ninety days from the date on which the college is first admitted to the privileges of the University whichever is earlier.

(b) To sanction on the recommendation of the governing body the opening of a new department or the creation of new teaching posts which involve additional financial obligation on the foundation society, provided the procedure of opening of new subjects are followed.

Provided that where the foundation society does not take a decision on the proposal made by the governing body within a period of sixty days from the date on which the governing body submits its proposal, the proposal shall be deemed to have been approved by foundation society.

(c) To sanction items of new expenditure which involve additional financial obligation on the foundation society.

(d) To consider and pass resolutions on the annual estimates of income and expenditure and the audit report of the college submitted by governing body for its consideration.

Provided that if the foundation society does not communicate to the governing body its observations on the annual estimates of income and expenditure of the college within sixty days of its submission by the governing body it will be presumed that the foundation society has no observation to make on the annual estimate and the governing body may proceed to consider and approve the annual estimate with or without reductions.

(e) To call for information regarding the functioning of the college from the governing body and to suggest to the governing body measures for the improvement and development of the college.

(f) To appoint the auditors of the college from out of a panel of names approved by the registrar of firms and societies.

Provided further that the foundation society shall not interfere with the day-to-day administration of the college.

(2) In case of any difference of opinion between the foundation society and the governing body, any of them may refer the matter to the board of management and decision of the board of management shall be binding.

9. In case the college is maintained and run by an individual the obligations and powers of the foundation society shall vest in such individual.

Part - III

Governing Body

10. (1) There shall be a governing body for the management of the college. It shall comprise of :

(a) The Chairman of the governing body appointed by the foundation society from amongst its members or by the founder maintaining the college;

(b) Two persons appointed by the foundation society from amongst its members or by the founder maintaining the college.

(c) Two representative of the university other than the members of foundation society nominated by the vice-chancellor at least one of them shall be from the teachers of the university/ colleges as far as possible not from the same town where the college is located.

(d) one representative of the donors of the college to be elected by the donors Themselves.

(e) One nominee not below the rank of Joint Director/ Deputy Director of the Directorate of Health Education/ Ayush as the case may be.

(f) Two representatives selected by the teachers of the college who have completed two years of services in the college from amongst themselves in the manner as prescribed in the college council.

Provided that the Principal shall not be eligible to be a member under this category.

Provided further that the restriction of two years service shall not apply for the first three years of the existence of the College.

(g) The Principal of the college- ex-officio member secretary

Provided that the following shall not be eligible to be members of the governing body under clauses (1) above: -

(i) A person who is related to any member of the college;

(ii) A person having pecuniary interest in the affairs of the college; and

(iii) An employee of the college.

(2) The chairman and member of the governing body other than ex-officio member shall hold office for a period of two years.

(3) The chairman and members appointed by the foundation society before the super cession of the governing body or the society shall cease to hold office on the super cession of the governing body or the society and their places shall be filled by the appointees of the person/persons appointed by the state government to manage the affairs of the society.

(4) An office bearer or member of the governing body may resign from the governing body through a letter of resignation addressed to the secretary of the governing body and the resignation shall take effect as soon as the letter is received by the secretary. The secretary of governing body shall take steps to fill all vacancies as they occur.

(5) When a vacancy occurs in the office of a members other than a ex-officio member, before the expiry of his term, the vacancy shall be filled, as soon as may be, by the election, nomination or appointment as the case may be, of a member who shall hold office so long as the member in whose place he has been elected, nominated or appointed, would have held it if the vacancy had not occurred.

(6) Every change in the office-bearers or membership of the governing body of a college shall be reported immediately to the university by the secretary.

(7) The Governing body shall meet at least thrice a year. Five members of the Governing body shall form a quorum. If the quorum is not present within thirty minutes of the time given in the notice the meeting shall be adjourned. No quorum shall be necessary for an adjourned meeting.

(8) Meeting of the governing body shall be convened by the Secretary in consultation with the Chairman. In case the Secretary does not call a meeting when directed by the Chairman to do so, the chairman may call the meeting

(9) (a) The Secretary shall give at least ten days notice of an ordinary Meeting of the Governing Body.

(b) An emergent meeting of the governing body can be convened on three clear days notice.

(c) On a requisition signed by not less than four members specifying the business to be transacted, a special meeting of the governing body shall be convened within twenty days of the receipt of such requisition. At least ten days notice to a special meeting shall be given.

(d) The agenda of every meeting shall be sent with the notice to the members. Proposals from any member received by the secretary before the issue of notice shall be included in the agenda. The agenda of a special meeting shall include only the business indicated in the requisition.

(e) No business other than that included in the agenda shall be transacted at a meeting except with the permission of the chairman and unless permission is given to introduce it by the majority of the members present.

(10) The Chairman shall, when present, preside at meeting of the Governing Body. In absence of the Chairman from any meeting the members present shall elect one of the members other than a teacher to preside at the meeting. Except as provided otherwise all acts of the Governing body and all questions coming or arising at its meeting shall be dealt and decided by the majority of such members thereof as are present and vote at the meeting.

(11) The minutes of every meeting of the governing body shall be drawn up by the secretary and after approval by the chairman circulated among the members within fifteen days of the meeting.

(12) It shall be the duty of the representatives of the university on the governing body to report to the Vice-Chancellor regarding decisions affecting adversely the smooth working of the college and violation of the Statutes, Ordinances, Regulations or instructions of the university.

(13) No act or proceeding of the governing body shall be invalid merely by reason of any vacancy in its membership or any defect or irregularity in the appointment, nomination or election of a member.

Powers and Functions of the Governing Body:-

(14) (a) The governing body shall be responsible for the general administration of the college including :-

(i) Management and regulation of the finances, accounts, investments, property and other assets of the college.

Provided that no property of the colleges shall be disposed of without the approval of the Foundation Society or its part shall not withdraw or dispose of any property or asset used by the college or managed by the governing body without the consent of the governing body and the government.

(b) Adoption with or without modification of the budget submitted by the Principal of the college after considering the observations, if any of the foundation society.

(c) The institution and abolition of new department of studies of new teaching and non-teaching posts in the college.

Provided that if the institution of a new department or a new teaching post involves additional financial obligation on the foundation society. Exercise of this power shall be subject to the provisions of paragraph 8 (1)(b) of the code.

Provided also that no teaching department or teaching post shall be abolished without the prior approval of the Board of Management.

(d) Appointment, promotion, suspension and punishment of the teachers of the colleges and any other section affecting their services.

Provided that the services of a teacher other than one appointed in a leave vacancy or temporarily for a specified period, shall not be terminated, for any reason whatsoever, without the prior approval of the Board of Management and the government in the case of grantee college.

Provided also that such approval shall not be necessary in case of discharge of a teacher (who is appointed on probation) during or on the expiry or the period of such probation on the ground that his work during such period was not satisfactory.

Provided further that the power of appointment shall be subject to the provisions of this statute. Maintenance of the college upto the academic standard required by the university and compliance by the college of the Act, Statutes, Ordinance, Regulations and directions issued by the university from time to time.

ii) In the matter of the management of the college, the governing body shall be the Final authority bound by Statutes , Ordinance, Regulations and directions of the university and such rules as are framed by the governing body and which are not inconsistent with the Act, the Statues, Ordinances and Regulations of the university.

15. The governing body shall submit to the Foundation Society --

(i) Not later than the 31st July of each year a statement of annual accounts of the college for the financial year immediately preceding together with the audit report by an auditor appointed by the foundation society and annual report on the work and progress of the college for the academic year ending 30th June immediately preceding.

(ii) Not later than the 30th September each year the budget estimates of the college for the following financial year.

(iii) Proposals for such items of new expenditure exceeding Rs. 10,000/- in the case of non-recurring expenditure exceeding Rs. 4,000/- in the case of recurring expenditure which involve additional financial obligation of the foundation society.

16. The Governing body may make rules consistent with the provisions of the Act, Statutes, Ordinances, with regard to -
    a) The procedure to be observed at its meeting.
    Provided that no decision affecting the service conditions of teachers shall be taken at a meeting of the governing body in which at least one teacher representative and one university representative are not present.
    b) The management of the college and
    c) The manner in which its decisions shall be given effect to .

17. The governing body shall exercise all powers not otherwise provided for in this code and not inconsistent with the provisions of the Act, Statutes and Ordinances.

18. The T.A. & D.A. of a nominee of the University or the State Government attending a meeting of the Governing body shall be paid by the college at the rates admissible to a member of the authorities of the University under the rules made by the University.

19. i) The Governing body shall be constituted in accordance with provisions of this statutes within a period of ninety days from the date of admission of the college of the privileges of the university.
    ii) The Governing body shall in existence on the date immediately preceding the date of enforcement of these statutes shall continue to function till the new Governing body is constituted in accordance with the provisions of the statute, but such period shall not extend beyond a period of ninety days from the date of enforcement of these Statutes.
    Provided that if, for any reason, the governing body is not constituted in accordance with the provisions of this statutes within the aforesaid period, the Board of Management may extend the period by a further period not exceeding sixty days.

Part - IV
The College Council

11. (1) There shall be, for each college, a college council consisting of the Principal and all teachers of the college. The Principal and the Vice Principal if any, of the college shall respectively be the ex-officio President and Vice President of the council.
    (2) The Secretary shall be elected by the Council from amongst its members; He shall hold office for one year, but not more than two consecutive terms. He shall convene meetings of the college council under the directions of the Principal.
    (3) The council shall meet at least thrice during the academic year. It shall perform the following duties namely: -
    (a) To discuss the progress of studies in the college;
    (b) To bring to the notice of the Governing Body, the needs of the students and teachers;
    (c) To make recommendations to the Principal or the governing body for improvement of the academic efficiency, effectiveness of the college;

(d) To advice the Principal on such matters relating to the internal management of the college and discipline of its students as may be referred to it from time to time;

(e) To advice and assist the Principal in the preparation of the time table, allocation of teaching work and for the organization of the extra-curricular activities of the college;

(f) To consider and to bring to the notice of the governing body matters effecting the interests, rights and privileges of the teachers cadre.

(g) To ascertain that the teachers adhere to the code of conduct as envisaged by the respective regulatory councils of India.

Part - V
The Powers and Duties of the Principal

12. (1) The Principal shall be the Chief Executive Officer and the academic head of the college and he shall participate in the teaching work of the college.

(2) Subject to the general control of the governing body, the Principal shall be responsible for :-

(a) The administration of the college generally as an institution admitted to the privileges of the university;

(b) The management of the college library and hostels;

(c) Maintenance of the accounts, receipts and expenditure of the college;

(d) Correspondence of the college and custody of the records of the college;

(e) Administration of the amalgamated fund;

(f) Execution of the decisions of the governing body;

(g) Maintenance of quality of teaching and learning process and standard of education provided by the college.

(3) The Principal shall have the following powers namely :-

(a) To admit students to the college; as per directions of the government and as per provisions of the concerned ordinances.

(b) To assign duties in respect of teaching, administrative work and extra-curricular activities to the teaching and other staff of the college and see to the proper performance thereof;

(c) To appoint, promote, grant leave, suspend and take disciplinary action against the class III and class IV employees of the college.

Provided where decision is taken by the Principal, appeal shall lie with the governing body.

(d) To maintain discipline in the college.

Provided that disciplinary action taken by the Principal against any student shall be final and shall not be liable to be revised by any other authority except where such revision is permitted by the Statutes and Ordinances of the University;

Provided further that in the case of rustication of student from the college, the college council may review the decision of the Principal;

(e) To exercise all such other powers as may be conferred on him by the Statutes, Ordinances and Regulations.

Part VI
Teachers of the College

13. (1) No appointment to any teaching post in the college, including the post of the Principal but excluding part-time appointments, temporary appointments which are not to continue for more than six months and appointments to posts which are to be filled by promotion, shall be made except-

(a) After duly and widely advertising the post together with the minimum qualifications as prescribed by the Regulatory Council of India for Health Sciences Education giving reasonable time within which the applicants may in response to the advertisements, submit their applications;

(b) On the recommendation of the selection committee constituted in accordance with the provisions of paragraph 13 (2) below for the "Non – grantee colleges" and in case of grantee colleges the rules and procedure shall be such as prescribed by the authority from time to time.

2. (1) The selection committee for the appointment of the Principal shall consist of -

(i) Vice-Chancellor of the university or his nominee - Chairman.

(ii) One representative of the governing body nominated by it from amongst its members other than the teachers representatives.

(iii) One of the Deans of Faculties, which comprise subjects taught/ proposed to be taught in the Colleges, nominated by the Vice-Chancellor or Dean College Development Council.

(iv) One person nominated by the Board of Management.

(v) One representative of the government from amongst SC/ST/ minority community.

Provided that in case of the appointment of the first Principal by the foundation society instead of the chairman of the governing body, the President of the foundation society shall be the chairman of the selection committee and one representative of the foundation society nominated by it from amongst its members shall be a member of the selection committee instead of the representative of the governing body.

Provided further that the recommendation of selection committee shall be placed before the Board of Management or the authority authorized by the Board of Management for approval. The approval of the Board of Management shall be communicated to the college for placing before the appointing authority for appointment.

(2) The Selection Committee for the appointment of teachers of the college, other than the Principal shall consist of:

(a) Vice-Chancellor of the University or his nominee- Chairman.

(b) The Chairman of the Governing body or his nominee.

(c) One representative of the Governing Body, other than Teachers representatives nominated by it from amongst its members.

(d) One expert in the subject concerned nominated by the Vice-Chancellor

(e) One expert in the subject concerned nominated by the respective Directorate of the Government.

(f) One subject expert from amongst SC/ST/ minority communities nominated by the government.

(g) The Principal of the College-Member Secretary.

(3) The quorum for the meeting of the selection committees shall be-

(i) All the members in the case of the selection for the post of Principal.

(ii) Chairman and three members in the case of the selection to the post of a teacher other than the Principal.

(4) The Selection Committee shall interview, adjudge the merits of each candidate in accordance with the qualifications advertised and report to the appointing authority the names arranged in order of merit, of the person or persons, if any, whom it recommends for appointment to the post advertised.

Provided that in case of an appointment of a teacher, other than the Principal no recommendation made by the selection committee shall be considered to be valid unless at least one of the experts in the subject is present in the meeting of the selection committee in which the recommendation is decided upon.

(5) (1) No person shall be appointed to a regular full time teaching post in the college except on the recommendation of the Selection Committee, constituted in accordance with the provisions of this Statute.

Provided that if the appointment to a teaching post is not expected
to continue for more than six months and can not be delayed without detriment to the interests of the institution, the governing body may make such appointment without obtaining the recommendation of the selection Committee but the person so appointed shall not be retained on the same post for a period exceeding six months or appointed to another post in the service of the college except on the recommendation of the Selection committee.

(2) Appointments to part-time teaching posts may be made by the foundation
society or the governing body as the case may be on the recommendation of the Principal from amongst persons who possess the minimum qualifications prescribed for a lecturer/ Asst. Professor.

(3) Appointment to teaching post on contract basis may be made following the procedure for contractual appointment and the teacher so appointed shall be the member of teaching staff of the college for at least one academic session. The name of such contractual teacher shall not be included in the list of teachers of any other college in the same academic session.

14. The appointment of every teacher made prior to the coming into force of this Statute in accordance with the Statutes and Ordinances in force at the time the appointment was made shall be deemed to be validly made.

15. (1) (i) The Principal and the other members of the teaching staff except those appointed in leave vacancies on part-time basis or on temporary basis shall be appointed initially on probation for one year. The period of probation shall not be extended by more than one year so that the total period of probation does not exceed two years;

(ii) Where an appointment is made on temporary basis, whether in a leave vacancy or otherwise the reasons for such temporary appointment shall be communicated by the Principal to the university.

(2) The work of the probationer is found to be unsatisfactory and he is not informed for the same by the Governing body at least one month before the expiry of the probation period, the probationer shall be deemed to have been confirmed in his appointment, on the expiry of the period of probation.

(3) (i) Every teacher other than the teacher appointed on part-time or temporary basis shall be appointed on a written contract in the form prescribed in the appendix. A copy of the contract shall be given to the teacher and a copy shall be lodged with the University;

(ii) It shall be the duty of the governing body to get such contract executed within a period of one month from the date on which the appointee joins the post. Provided that the governing body shall get the contract executed: -

(a) Within a period of one month from the date on which the Governing body starts functioning in case of appointments made by the Foundation Society.

(b) Within a period of two months form the date on which this Statute comes into force in the case of all appointments made prior to such date.

(iii) In case of any conflict between the contract in the form prescribed in the appendix and any other contract between a teacher and the college or its Governing Body, the terms and conditions laid down in the contracts as in the Appendix shall be deemed to apply.

16. The post of Professors shall ordinarily be filled by promotion from amongst the qualified teachers in the college on the basis of seniority-cum-merit.

Provided that when no teacher of the college in the immediately lower cadre from which promotion is to be made possesses the requisite qualification, the post of professor may be filled by direct recruitment on the recommendation of the Selection Committee.

17. (1) The scales of pay for different categories of teachers in the college including the Principal shall be such as are prescribed from time to time by the State government or by Regulatory Councils of India for health sciences education.

(2) A part-time teacher shall be paid honorarium at the rates prescribed by the state government or the Regulatory Councils of India from time to time.

(3) Salary of every teacher shall be paid by a cheque drawn in his favour latest by the 5th of the month following the month to which the salary relates.

(4) The governing body or the foundation society shall not require or accept any donation or loan from the employees including the teachers of the colleges.

(5) Every teacher other than the part-time teacher shall be entitled to annual increment in the prescribed pay scale on the due date as a matter of course unless it is withheld after due enquiry.

18. If there is no break of service during the period preceding the substantive appointment the period of service of a teacher of the college for any purpose, shall be counted from the date of his first appointment, short breaks of service not exceeding 7 days may be condoned.

19. A temporary teacher who has been in the service of a college for a full academic year, shall be entitled to full pay for the ensuing vacation. If such teacher is in the service for less than a full academic year but for more than three months he shall be entitled to salary for the ensuing vacation in the same proportion as the period of his service bears to the total period in the academic year.

Provided that such teacher shall not be entitled to any pay for the summer vacation where such teacher is officiating in place of another teacher on leave entitled to draw pay for the said vacation.

MANDATORY PROVISIONS:

20. (1) Every teacher including the Principal shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall do nothing which is unbecoming of a teacher.

(2) No member of the teaching staff except a part-time teacher of a college shall apply for any post under any other authority except through the Principal and in the case of the Principal through the Chairman of the governing body.

(3) A teacher other than a part-time teacher shall be a whole time employee of the college and shall not without the previous approval of the governing body, engage himself in private tuition or in any trade or business or take up any occupation or work other than as an examiner or author of books which is likely to interfere with the duties of his appointment.

(4) No teacher shall except with the prior written sanction of the governing body participate in the editing or management of any newspaper other than learned journals.

(5) (i) A teacher shall obey all lawful directions of the Principal and the governing body of the college. He shall in addition to the ordinary duties as a teacher perform such other duties as may be entrusted to him by the Principal in connection with the co-curricular and extra-curricular activities in the college or duties in connection with examinations, administration and the keeping of discipline in the college.

(ii) Teacher shall be required to take teaching periods as per rules of Regulatory Councils of India for Health Sciences Education.

(6) (i) No teacher shall act in a manner prejudicial to the interests of the college or associate himself with any activity, which in the opinion of the governing body might affect adversely the interests of the college.

(ii) No teacher shall be a member of or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics nor shall he take part in or assist in any other manner any political movement or activity nor shall canvass or otherwise interfere in or use his influence in connection with or take part in any election to any Legislature or local authority.

Provided that: -

(1) An employee qualified to vote at such election may exercise his right to vote but where he does so, he shall not give any indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;

(2) The employee shall not be deemed to have contravened the provisions to this statute by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

(7) Teachers shall be governed by the rules of conduct if any framed by the governing body in conformity with the Act, the Statutes, Ordinances and Regulations of the university.

(8) Infringement of the provisions of the college code shall be regarded as subversive of good discipline and would amount to misconduct and justify the initiation of disciplinary action against such teacher.

21. A permanent teacher shall be entitled to be in the service of the college until he completes the age of sixty-two years or as decided by the state government from time to time. No extension after the retirement age shall be granted.

Provided that where the date of retirement of a teacher falls due during the course of the academic session the governing body may allow the teacher to continue till the end of the academic year.

22. A teacher in temporary service cannot discontinue his service in the college without giving one month's notice or one month's salary in lieu thereof. The governing body shall similarly give one calendar month's notice or one month's salary in lieu thereof to a temporary employee when terminating his service.

Provided that no notice shall be necessary where the service of a temporary teacher is discontinued or terminated at the end of the fixed term for which he is appointed.

23. The service of a teacher who is appointed on probation can be terminated during or at the end of the period of probation if his work in not found satisfactory by giving one month notice to the teacher or one month's salary in lieu of the notice. Such notice shall not include the summer vacation or any part thereof and the teacher if he has been in service for more than three months during the academic session shall be entitled to salary for the ensuing summer vacation in the same proportion as the period of service bears to the total period in the academic session. The teacher may, likewise terminate his appointment before the expiry of the period of probation by giving one month's notice in writing to the governing body or paying a sum equal to one month's salary in lieu of the notice.

24. (1) The service of a teacher other than person appointed on temporary or part-time basis or on probation shall not be terminated after confirmation except on the following grounds and without the approval of the Board of Management:

(i) Misconduct including willful neglect of duty.

(ii) A Breach of the terms of the contract.

(iii) Physical or mental unfitness.

(iv) Incompetence provided that the plea of incompetence shall not be used against a teacher after two years of his confirmation.

(v) Abolition of the post with the prior approval of the Board of Management. provided that termination of service on any ground falling under (i) or (iv) above shall not be ordered without holding an inquiry in which the teacher is given a statement of charges against him and is offered reasonable opportunity to defend himself.

Provided also that action to terminate the service of a teacher on the ground of physical or mental unfitness shall not be taken except on the basis of a report of Medical Board of the state government.

(2) Except where the services of a teacher are terminated on the ground of misconduct including neglect of duty or breach of the terms of the contract neither the Governing body nor the teacher shall terminate the agreement except by giving to the other party three calendar month's notice or by paying to the other party a sum equal to thrice the monthly salary which the teacher concerned is then earning. The period of notice shall not include the summer vacation or any part thereof.

Part VII

Suspension, Penalties and Disciplinary Authority

14. Suspension, penalties, disciplinary proceedings of college employees shall be governed by the statutes as provided for university employees.

However, the disciplinary and appointing authority in the case of college employees/ teachers shall be the Principal/ governing body.

15. (1) The appointing authority may, for good and sufficient reasons, impose on an employee of the college (including a teacher) as has been provided for the university employees in the concerned statutes penalties:-

(a) Censure

(b) Recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the college by negligence or breach of orders.

(c) With-holding of increments of pay.

(d) Reduction to lower time scale of pay, grade or post.

(e) Compulsory retirement.

(f) Removal from service.

(g) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment in the college.

Besides the above, the penalty of fine not exceeding Rupees fifty may be imposed on a Class IV employee of the college for petty carelessness, unpunctuality, idleness or similar misconduct of a minor nature.

(2) The appointing authority may institute disciplinary proceedings against an employee of the college.

(3) No order imposing any of the penalties specified in sub-paragraph (1) above other than fine shall be made except in accordance with the procedure for imposing penalties on government servant prescribed by the government and in force at the time the appointing authority orders an inquiry against the college employee concerned.

Provided that no proposal to reduce in rank or pay of a teacher confirmed in the service of the college or to remove or dismiss him from service or to retire him compulsorily shall be deemed to have been passed by the governing body unless it is supported by a majority of two-thirds of the

members present at the meeting of the governing body in which it comes up for consideration and where a decision is duly taken it shall not be given effect to unless it is approved by the Board of Management.

(4) Following lapses would constitute misconduct on the part of teacher of the college, including the Principal:

(i) Failure to perform his academic duties such as lecturers, demonstrations, assessment, guidance, invigilation etc.

(ii) Gross partiality or assessment of students, deliberately over-marking/under-marking or attempts at victimization on any grounds.

(iii) Inciting students against other students, colleagues or administration. This does not interfere with the right or a teacher to express his differences on principles in seminars or other places where students are present.

(iv) Raising questions of caste, creed, religion, race or sex in his relationships with the colleagues and trying to use the above considerations for improvement of his prospects.

(iv) Refusal to carry out the decision by the appropriate officers/bodies of the university and/or the governing body/principal of the college. This will not inhibit his right to express his differences with their policies or decision.

APPEALLATE AUTHORITY:

16. (1) Where any penalty is imposed on an employee of the college by Principal, the employee concerned may prefer an appeal to the governing body of the college within thirty days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant.

(2) Where any penalty other than reduction in rank or pay or removal or dismissal or compulsory retirement from service is imposed on a teacher, he may prefer an appeal to the Board of Management within thirty days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant.

(3) (i) An appeal against an order of the governing body imposing on a teacher the penalty of reduction in rank or pay or removal or dismissal or compulsory retirement from service shall lie to a tribunal consisting of:

(a) A nominee of the Vice-Chancellor, other than a member of the Board of Management who will act as the Chairman.

(b) The aggrieved teacher's nominee to be named by the appellant in his appeal, and

(c) A nominee of the governing body.

Provided that in case a person in clause (c) above is not nominated by the body concerned within three months, the Vice-Chancellor shall have the Powers to appoint on behalf of the body concerned, a nominee not connected with the university in any manner.

Provided further that an appeal under this sub-para shall be submitted to the Vice-Chancellor not later than forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant.

(4) The appeal shall except where provided otherwise, be presented to the authority to whom the appeal lies. A copy of appeal shall be forwarded by the appellant to the authority, which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies and shall not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself.

(5) The authority which made the order against which the appeal is preferred shall on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay and without waiting for any direction from the appellate authority.

(6) (i) The appellate authority may confirm, enhance, reduce or set aside the penalty or remit the case to the authority which imposed the penalty with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

(ii) The authority which made the order against which the appeal is preferred shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

Part VIII
Provident Fund and Leave

(1) The governing body shall maintain a provident fund for the benefit of its employees as per the provisions made for university employees in the statute.

(1) The employees including the teachers of the college shall be entitled to leave in accordance with the leave rules of the Government of Chhattisgarh in force and as applicable to government servants in vacation and non-vacation departments.

All posts of teachers other than the Principal shall be vacation posts.

(2) In case of teachers leave other than casual leave shall be sanctioned by the governing body. Casual leave in case of the Principal shall be sanctioned by the Chairman of the governing body and in case of other teachers by the Principal.

Part IX
Miscellaneous

9. (1) The College shall have its own Fund and all receipts of the college such as fees, donations, grants, interest on investments and endowment fund and borrowing shall be credited to the fund.

(2) All moneys belonging to the Fund shall be deposited in such Bank or Invested in such manner as the governing body may decide.

(3) All expenditure, as may be sanctioned by the governing body, for the purpose of the college, shall be met from the fund.

(4) The fund of the college shall not be used for meeting any expenditure or giving any loan to the foundation society or any other Institution run by the foundation society.

20. (1) In addition to such registers and records as the governing body may require to be maintained, every college shall maintain such registers and records as may be prescribed by the Board of Management.

(2) Accounts, registers, proceedings of meetings and other records of the College shall be open to inspection, on all working days during office hours, by members of the governing body and persons appointed by the Board of Management/Academic Council/ Vice-chancellor to conduct any inspection.

21. No person connected with the management of the college and no Principal or, other teacher or other employee thereof shall directly or indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution, donation, fees or any payment of any sort either in cash or in kind, other than or in excess of the fees prescribed by the University, from or on behalf of any pupil as a condition for granting him admission to the college or pursuing a course of study therein and all such amounts paid by the students shall from part of the receipts of the college.

22. Any dispute arising out of the contract of service between the governing body of the College and any of its teachers shall at the request of the teacher or the governing body be referred by the Vice-Chancellor to a tribunal consisting of one nominee of the Vice-Chancellor other than a member of the Board of Management who shall be the Chairman and one nominee each of the teacher and the governing body and the decision of the tribunal shall be final.

23. Notwithstanding any thing contained the provisions of this Statute a Non-government college of health sciences education may be administered by the Executive Body of the institution by whatever name called constituted in accordance with the bye-laws/regulations of the institution.

Provided that: -

(i) The executive body of the institution shall have amongst its members at least two representatives elected from amongst themselves by the teacher of the institution, other than the Principal who have completed at least two years of service in the institution.

(ii) All the appointments to teaching posts in the institution, not lower that of a teacher and other than those which use to be filled by promotions shall be made on the recommendation of selection committee which shall have amongst its members at least two experts in the subject concerned nominated by the Vice-chancellor.

(iii) The provisions of "Part VII-Suspension, Penalties and disciplinary authority" of this statute shall apply in case of both the teaching and non-teaching staff of the institutions.

APPENDIX

Form of Agreement of Service for Teachers

An Agreement made this _____ day of _____ between Shri _____ (hereinafter called the teacher) of the first part and the Governing body of the _____ College (hereinafter called the Governing Body), acting through its Chairman/Secretary of the second part. Whereas the Governing body has appointed Shri _____ as a member of the Teaching Staff of the _____ College upon the terms and conditions hereinafter set out and as provided in the College Code Statute. Now this agreement witnesses that party of the first part and the Governing body hereby contract and agree as follows:-

1. That this agreement shall begin from the _____ day of _____ and shall be determinable as hereinafter provided.
2. That the party of the first part is employed on probation for a period of one year and shall be paid a monthly salary of Rs._____ in the pay scale of Rs. _____. The period of probation may be extended by such further period as the party of second part may deem fit, but the total period of probation shall, in no case, exceed two years. The teacher shall be deemed to have been confirmed in his appointment unless not later than one month before the expiration thereof the Governing body informs him in writing of its intention not to continue him.
3. That on confirmation the Governing body shall pay to the teacher during the continuance of this engagement salary in the pay scale of Rs. _____ and no increment shall be withheld without the approval of the Governing Body.
4. That the teacher shall during the continuance of his engagement be entitled to the benefit of the Provident Fund maintained by the Governing body in accordance with the provisions laid down in the College code.
5. That the date of birth of the party of the first part is _____ and the age of Superannuation will be sixty two years, the actual date of retiring shall be the last day of the academic year in which he attains the age of sixty two years.
6. That the Teacher shall be entitled to leave in accordance with the provisions of the College Code.
7. That the teacher shall devote his whole time to the service of the College and shall not, without the permission of the Governing Body, engage directly or indirectly in private tuition or any trade or business or other remunerative work which may interfere with the proper discharge of his duties, but this prohibition shall not apply to such benefits as accrue to him as an Examiner or Author of Books or due to his academic achievements.
8. That the party of the first part shall, in addition to the ordinary duties perform such other duties as assigned to him by the Principal of the college in connection with the social, intellectual or athletic activities of the college or examination or administration or the keeping of discipline in the college.
9. That after the confirmation, the services of the party of the first part can be terminated only on the following grounds:-
   - (a) Misconduct including willful neglect of duty;
   - (b) Breach of any of the terms of contract;
   - (c) Physical or mental unfitness;
   - (d) Incompetence
   - (e) Abolition of post.

Provided that

(i) The plea of incompetence shall not be used against the party of the first part after he has served at the party of the second part for two years or more after his confirmation.

(ii) The services of the party of the first part shall not be terminated under sub-clause (c) without obtaining a certificate to that effect from a Medical Board to be appointed by the Governing Body.

(iii) The services of the party of the first part shall not be terminated on any account without the previous approval of the Executive Council.

10. Except when termination of service has taken place under sub clause (a) or (b) of para 9 above neither the party of the first part nor the party of the second part shall terminate this Agreement, except by giving to the other party three month's notice in writing or by paying to the other party a sum equal to three months salary, which the party of the first part is then earning. The period of notice referred to above does not include the summer vacation or any part thereof.

11. Nothing in this agreement shall affect the right of the party of the first part to apply for referring any difference or dispute arising out of this agreement to the Tribunal constituted under Para 42 of the College Code.

12. On the termination of this agreement from whatever cause, the teacher shall deliver up to the Governing body all books, apparatus, records, and such other articles belonging to the College or to the University as may be in his possession.

The Governing body shall clear the account of the teacher in respect of arrears of salaries, if any, and other dues that may be payable to him from the college within three months of the termination of this Agreement.

Signature ..... Day of 20----

(1) ..... (Party of the first part)

(2) ..... (Party of the second part)

In the presence of

(1) ..... (Witness 1)

(2) ..... (Witness 2)

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 17

QUALIFICATIONS OF TEACHERS IN AFFILIATED COLLEGES

(Refer section 20 (m))

1. The qualification of teachers including Principal in affiliated colleges shall be as prescribed by the Regulatory Councils of India for health sciences education from time to time.

2. Notwithstanding any thing contained is this Statute a teacher of any category other than Principal in any Faculty appointed in accordance with the provisions of the Statues/Ordinance of any university prior the date of coming into force of this statues shall be entitled to continue as a teacher in the concerned category.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 18

ADMINISTRATION OF ENDOWMENTS

(Refer section 20 (n))

1. The Board of Management may accept donations for the creation of an endowment, for the award of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, bursaries, medals and other awards of a recurring character.

2. (1) Each endowment shall be secured by investment in securities described in section 20 of Indian Trusts Act, 1882 or in immovable property in India. Money received in cash shall be invested by the Board of Management in any of the securities referred to above or in fixed deposits in a scheduled bank.
   (2) The value of the endowment necessary for instituting an award shall be prescribed by the Board of Management.

3. The Board of Management shall be the administrator of all endowment.

4. The award shall be made out of the annual income accruing from the endowment, Any part of the income, which is not so utilized, shall be added to the endowment.

5. The Academic Council, standing committee of academic council shall prescribe the conditions of award after consulting the donor and effect shall be given to his/ her wishes as far as possible.

6. In case of each endowment accepted, the Board of Management shall make a regulation giving the name of the donor, the name, initial value and purpose of the endowment.

7. Ordinarily, the endowment shall not be created to confer/ award on the same purpose for which the endowment has already been instituted however, if the donor so desires a second endowment may be created for conferring/ awarding for the same purpose.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 19

HONORARY DEGREE

(Refer section 30 (h) & 48)

1. A proposal for conferment of honorary degree may be made by the standing committee of the Academic Council unanimously. It shall be placed before a committee consisting of the Vice-Chancellor, a nominee of the Chancellor and the Dean of the Faculty concerned. If the Committee unanimously recommends that an honorary degree be conferred on any person on the ground that he is, in its opinion, a fit and proper person to receive such degree, its recommendation shall be placed before the Academic Council. On approval by the Academic Council, it shall be placed before board of management.

If not less than two-third of the members of Board of Management recommend the proposal of the committees/ and the academic council and such recommendation is confirmed by the Chancellor, confer on such person, the honorary degree so recommended shall be conferred on such pension.

Provided that, in case of urgency, the Chancellor may act on the recommendation of the Board of Management.

Provided further that, in cases of emergency, such proposal may be confirmed by Chancellor if the said Committee's recommendation has been approved by the board of management.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 20

ANNUAL REPORT

(Refer section 20 (i))

Save as otherwise provided in the Act and in addition-

1. The Annual Report of the university shall cover the period from the 1st of July to the 30th of June following and shall be submitted to Board of Management at its annual meeting held after the expiry of the said period.

2. The university shall, thereafter send a copy of the annual report to the state government and the state government shall, as soon as possible cause the same to be laid on the table of the State Legislative Assembly.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 21

WITHDRAWAL OF DEGREES

(Refer Section – 49 (i))

1. A degree may be withdrawn as per provisions of Section 49 of the Chhattisgarh Ayush and Health Sciences University Act, 2008.

2. Whenever any case for withdrawal of the degree of a person is brought to the notice of the Board of Management, it shall on satisfying itself that there is a prima facie case for withdrawal of the degree, constitute a Committee of not more than three persons from amongst its own members. This Committee shall give to the person from whom the degree is proposed to be withdrawn, an adequate opportunity for being heard in his defence. He may either be heard in person or may be represented by a person of his choice.

3. The grounds, on which action for withdrawing the degree is to be taken, shall be stated in the form of a Show-Cause Notice, served by Registered Post Acknowledgement Due on his address, such notice being issued by an Officer not below the rank of an Assistant Registrar, on the orders of the Board of Management. The notice shall be issued to the person concerned at least one calendar month before the date of hearing. He shall be given three weeks' time from the date of issue of the notice from the University office for replying to the Show-Cause. If such a notice is served and no reply is received within the prescribed period, the enquiry may be held ex-parte. If the registered notice comes back to the University by avoidance or for any other reasons, and further service of the same is not possible, an advertisement will be inserted in the news papers, giving the notice to the person concerned, for appearing before the Committee to have his say. Even inspite of this, if the person concerned does not appear, the Committee shall proceed ex-parte and formulate its recommendations.

4. If the Committee, after studying the reply to the show-cause notice and after hearing the person concerned in his defence, feels that no action is called for so far as the withdrawal of the degree is concerned, it shall so recommend to Board of Management. If the committee feels that action for withdrawing the degree should be taken, it shall so recommend to the Board of Management, giving its specific grounds for such recommendation.

5. The Board of Management shall take action on the recommendations of the committee as per Section 49 of the Act.

6. After the decision of the Chancellor, as contemplated by section 49 of the Act, is received, the university records shall be amended accordingly and the person concerned shall be directed to surrender the degree. A notification to this effect shall be displayed prominently on the notice-board of university. Action taken shall also be published in prominent newspapers and shall also be communicated to all the statutory universities and other authorities.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 22

CONVOCATION

(Refer Section 30 (g))

1. A convocation for the purpose of conferring postgraduate/ Doctorate Degree and making awards shall ordinarily be held every year at the head quarters of the University and shall be held at such time as may be found necessary and convenient date to be fixed by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor.

   Provided that the university may hold special convocation exclusively for awards and honors of outstanding scholars in the field of health sciences.

2. Ordinarily not less than four weeks notice shall be given by the Registrar for holding convocation. This period may however, be reduced to 10 days in the case of special convocation or in any other case where such a case is considered expedient by the Vice-Chancellor.

3. The candidates desiring to receive degree in person must apply to the Registrar 15 clear days before the date fixed for the convocation in the prescribed form together with a fee of Rs.800.00 intimating the intention to be present at the convocation. provided that the Vice-Chancellor may in special cases permit the receipt of late applications up to seven days before the date of convocation, if such application are accompanied by a late of Rs. 100.00

4. Such candidates as are unable to present themselves in person at the convocation may apply for receiving their degrees in absentia in the prescribed form one month after the date of convocation along with a fee of Rs.800.00.

5. Every degree shall bear the signature of the Vice-Chancellor. The date on the degrees, whether to be awarded at the convocation or otherwise, will be the same as the date of the university convocation.

6. The Chancellor, Vice-Chancellor, Deans of faculties, members of the Board of Management, Academic Council and the Registrar shall wear the academic costumes of the university of which they are graduates or the gowns or any other costumes prescribed by the Board of Management.

7. Candidates at the convocation shall put on the academic robe prescribed by the Board of Management and no candidate shall be admitted to the convocation without the academic robe prescribed by the university.

8. Degree will be distributed to the candidates attending the convocation at the place, time and day specified by notification before or after the convocation as decided by the university.

9. The Chancellor, the Vice-Chancellor, the Deans of the Faculties, members of Board of Management, Academic Council and the Registrar shall assemble at a place notified, at the appointed hour and shall walk in procession in the following order to the convocation ground-

1) The Registrar
2) Members of the Academic Council
3) Members of the Board of Management
4) Deans of faculties
5) The Vice-Chancellor
6) The Chief Guest, if any
7) The Chancellor.

10. The Chancellor, the chief Guest, the Vice-Chancellor, the chief Minister, the Health Minister, Deans of the Faculties members of the Board of Management, the Registrar and such other persons named by the Board of Management shall take their seats on the dais and the members of the Academic Council on both sides of the dais in places reserved for them.

11. The candidates present at the convocation shall take their seats at the places reserved for them before the procession enters the convocation pandal, All those present shall rise and remain standing until the members of the procession have taken their respective seats.

12. The Registrar shall declare the convocation open with the permission of the Chancellor or in his absence with the permission of the Vice-Chancellor. On a request from the Chancellor and in the absence of the Chancellor the Vice-Chancellor will permit the candidates to be presented. The following shall be the order of the presentation-

1) Honorary Degrees, if any
2) D. M., M.C.H.
3) Ph. D.
4) Post-graduate degrees
5) Post-graduate diplomas
6) Graduation degrees in the following faculties-
   i. Faculty of modern system of medicine.
   ii. Faculty of Dental Sciences
   iii. Faculty of Ayurveda
   iv. Faculty of Yoga & Naturopathy
   v. Faculty of Unani
   vi. Faculty of Siddha
   vii. Faculty of Homeopathy
   viii. Faculty of Nursing
   ix. Faculty of Physiotherapy
   x. Faculty of Public Health
   xi. Faculty of Pharmacy
   xii. Faculty of interdisciplinary research
   xiii. Other faculties –

13. The Deans of their respective faculties shall present all the candidates for various degrees under the faculty and the Vice-Chancellor shall admit the candidates present also in absentia to the degrees concerned. The citation for the Deans of the faculties and the Vice-Chancellor shall be as prescribed by the Board of Management. Recipients of the degree shall remain standing while the Dean and the Vice-Chancellor admit the candidates to the degree. After the degrees have been conferred, the Registrar shall declare the number of the degrees/diplomas that have been conferred at the convocation and also in absentia.

14. In the case of conferment of Honorary Degrees the citation admitting the recipient to the degree may be modified by the Chancellor in a suitable manner.

15. The Chancellor or in his absence the Vice-Chancellor shall then present the medals and prizes to the recipients of the medals and prizes who shall be called individually by the Registrar and shall stand before the Chancellor till description are read out by the Registrar.

16. The Vice-chancellor will then request the Chief Minister and health minister respectively for their addresses, if they are present.

17. By the permission of Chancellor, the Vice-Chancellor shall then request the Chief Guest to address the convocation.

18. The Vice-chancellor will then request the Chancellor for his presidential address.

19. After the presidential address is delivered, the Registrar with the permission of the Chancellor or in his absence with the permission of the Vice-Chancellor will then declare the convocation closed and the procession in the reverse order will leave the convocation pandal. All shall remain standing till the procession moves out of the arena.

20. Notwithstanding any thing contained in the statute, the Chancellor may suspend holding of the annual convocation or convocations. In such case the degrees will be sent to the candidates duly signed by the Vice-Chancellor at their addresses. The Registrar shall notify the suspension of the convocation and invite applications from the candidates who desire to take the degree and shall fix the last date for receipt of such applications. The degree will be sent to those candidates who have applied for obtaining the degrees on payment of a fee of Rs.800.00. The candidates who do not apply within due date for obtaining degrees shall be given degree as in the case of absentia and the fee fixed for degree in absentia. The dates on such degree shall be the date fixed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Standing Committee of the Academic Council.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 23

DEAN – APPOINTMENT, POWER AND FUNCTIONS

(Refer Section 15 (i))

Save as otherwise provided in the Act and in addition

A. **Appointment –**

(i) The appointment of Dean shall be made by the Vice-chancellor with the prior approval of Board of Management through open advertisement for the first time, if there is university teaching department thereafter, through promotion from amongst the professors of university teaching departments. If there is no teaching department in the university till such period the appointment of such Dean shall be kept in abeyance. The qualification for the Dean shall be the same as prescribed by the Regulatory Council of India or by the government for the Deans in Medical Colleges of the state from time to time.

B. **Emoluments & Service conditions:-**

The pay scale and services conditions of the Dean shall be the same as prescribed by the government for the Deans of Medical Colleges of the state from time to time.

C. **Powers and Functions :**

(i) The Dean shall have power to convene the meetings of heads of teaching Departments; he shall be responsible for internal administration of the university teaching departments. He may sanction leave other than Casual leave to class III & IV employees of the teaching departments with the prior approval of the Registrar. He shall also be responsible to internal administration.

(ii) Liaison between the departments for new courses and centers of research in Health Sciences Education and will send proposals for consideration of the authorities through proper channel.

(iv) Assist the Vice-chancellor for all-round improvement and development of Health Sciences Education in teaching departments.

(iv) Subject to control of the Vice-chancellor, manage the affairs of teaching departments, teachers and students and shall act as head of the University teaching departments.

(v) The Dean may exercise financial powers to sanction expenditure as may be conferred on him by the Board of Management but the payment shall be made by the finance officer with due observance of purchase and financial rules.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 24

MAINTENANCE OF REGISTER OF REGISTERED GRADUATES

(Refer Section 30 (q))

1. The following persons shall be entitled to get their names entered in the register of registered graduates or deemed to be registered Graduates maintained entered by the university:-
   (a) Graduates of the University
   (b) Graduates holding a degree in Health Sciences of any existing University for which under this Act is established.
2. Graduates shall be registered on payment of lump-sum fee of Rs. 200=00.
3. Application for registration may be made at any time during the year in the prescribed from appended herewith with the following evidence.
   (i) An attested copy of his degree/mark sheet of final examination. Attestation must be done either by a gazetted officer or the Dean/ Principal, Professor, Reader of a college.
4. The name of applicant will be entered in the register to be maintained by the Registrar.

Appendix

Form – A

To,

The Registrar

Sir,

I desire to be enrolled as registered graduate of The Ayush and Health Sciences University, Chhattisgarh, Raipur. I am enclosing herewith a cash receipt issued by the University for Rs. 200.00.

1. Name :

2. (a) Details of year of award of Bachelors degree.

   (b) Details of year of award of post graduate degree, if any.

3. Name of the University which awarded the degree/ degrees.
   Necessary attested copies are enclosed.

Your Faithfully

Signature
Full Name :
Address

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 25

PROVIDENT FUND AND PENSION SCHEME

(Refer section 30(f))

Save as otherwise provided in the Act and in addition, unless the context otherwise requires:-

1. Definition:

(a) **"Employee"** means every whole-time officer, teacher or other employee of the University appointed permanently to a substantive post and includes those appointments on contract for a definite period of not less than three years but does not include persons whose services have been lent to the university by government;

(b) **"Dependent"** means any of the relation of deceased subscriber viz. a wife, husband, son, daughter, parents, minor brother and unmarried sisters and where no parent of the subscriber is alive, paternal grand-parent;

(c) **"Interest"** means the interest which is to be paid on a deposit in the account of the Saving Bank of the Post Office or the scheduled bank from time to time;

(d) **"Pay"** means the amount drawn monthly by the University employee as under: -

(i) The pay, other than special pay or additional pay granted in lieu of his personal qualifications, which has been sanctioned for a post held by him substantively or in an officiating capacity or to which he is entitled by reason of his position in a cadre;

(ii) Special pay, personal pay, technical pay and;

(iii) Any other emoluments, which may be specially classed as pay by the state government;

(e) **"Pension"** means an amount payable to the university employees after his retirement shall be such as the state government employees are entitled under the new contributory pension scheme, if he opts for it. However, the persons on deputation or from state university services shall continue the benefit of pension scheme to which they are members.

Provided that the university will contribute only either for the provident fund scheme or for the new contributory pension scheme of the government.

(f) **"Saving Bank"** means saving bank of any post office or any scheduled bank as defined in Reserve Bank of India Act, 1934 (No 11 of 1934);

(g) **"Subscriber"** means an employee on whose behalf a deposit is made under this Statute;

(h) **"State Government"** means the government of Chhattisgarh.

(i) Words and expression used but not defined in this statute shall have the meaning assigned to them in the Act.

2. Every employee of the University shall subscribe to the Provident Fund at the rate as has been decided by the government for other university employees of his salary for which an account will be opened in the Saving Bank. The deduction shall be made by the University from every salary bill. In the calculation of this deduction, fractions of a rupee shall be omitted. The amount so deducted together with the contribution by the

University under Para 3 shall be deposited in the Saving Bank. The payments in respect of the monthly deductions and contributions shall, so far as possible be made into the bank within two days of the receipt of the money in order that interest may accrue. The following procedure will be adopted: -

The Post Office or the Scheduled bank will open an account in the name of the individual subscriber to the Provident Fund. The account will be operated by the Registrar and Finance and Accounts officer jointly and all sums to be credited in these accounts shall be sent to the Post Office or the Bank accompanied by: -

(a) Saving Bank pass book and

(b) a list in such form as may be prescribed by the Registrar showing in detail the amount to be credited to each account.

Note:

(i) Subscriber to the Provident Fund shall have option of raising their subscription to the Provident Fund up to any amount not exceeding the pay drawn by them.

(ii) A subscriber during earned leave have option not to subscribe into the said fund. He shall intimate his intension not to subscribe during leave by written communication to the Registrar before proceeding on leave. Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an intention to subscriber during leave. The Subscription of the subscriber while on leave with allowance shall be assessed on the full amount of his pay and not on the leave salary.

(iii) No subscriber shall subscribe to the fund while on leave of half average pay or leave without pay or absent without leave or while under suspension.

3. The University shall make a contribution at the rate as has been decided by the Government for other university employees.

Provided that no contribution shall be made by the University out of its funds for the period during which a subscriber does not or is not permitted to subscribe to the fund.

Provided further that the provisions of this Para of the statue shall be applicable only in respect of the employees who are not covered under the new pension scheme of the government but continue to be governed by the contributory provident fund scheme.

4. (1) Investment in the Post Office Cash Certificates or in Government Securities or in fixed deposit with the bank of the amount to the credit of a subscriber in his provident fund is also permissible if the subscriber so desires on the condition that no security/fixed deposit receipt of the face value of less than Rs. 1000/- is invested at one time.

(2) The Post Office Cash Certificates, securities and fixed deposit receipts shall remain in the custody of the Registrar.

(3) The amount of subscription of the employees will be so invested by the Registrar in post office or bank that the employee gets an interest of not less than the rates of interest decided by state government from time to time on its accumulations in the fund.

5. (1) The Vice-Chancellor may, under such conditions as may be laid down by him, permit the payment of premium of life insurance policy or policies on the 'life of the subscriber out of his personal subscription to the Provident Fund Account. The amount to be deposited in the Saving Bank Account of the subscriber shall be reduced to the extent of such premium. In all such cases the life insurance policy for which the premium is so paid shall be assigned in favor of the university.

(2) On the retirement of the subscriber from the service of the university the policy shall be reassigned to him by the university. In case of the maturity of the policy during the service of the subscriber in the University, the full amount of the policy shall be credited to the provident fund of the subscriber. In case of the death of the subscriber during the service of the university, the full amount of the policy shall be paid to the legal representative of the deceased entitled to the provident fund.

6. (1) Final withdrawal shall be permitted when a subscriber's service in the university come to an end by his retirement, resignation, death or otherwise provided that-

(a) No employee whose services have been dispensed with and, in the opinion of the Board of Management, is gross misconduct, shall be entitled to receive the amount of the contribution made by the university on this behalf and the interest thereon.

(b) No employee shall be entitled to receive the amount contributed by the university on his behalf and the interest thereon, unless he has been in the service of the university, for continuous period of 12 months from the date he has been allowed to subscribe to the provident fund and has been permitted to resign his appointment.

(2) Any contribution and interest thereon withheld under this statute shall belong to the university and shall be credited to the university fund.

7. The Vice-Chancellor may permit a subscriber to take a temporary advance from the amount standing at the credit of the subscriber in the fund. Temporary advance will be admissible for the following purposes: -

(i) To pay expenses in connection with the prolonged illness of the subscriber or any person actually dependent upon him.

N.B. Expenses connected with prolonged illness shall also include expenses incurred on the purchase of artificial teeth and hearing sets viz., battery hearing instrument.

(ii) To pay for overseas passage for reasons of health or higher education of the Subscriber or any person actually dependent on him.

(iii) To meet the cost of education of the subscriber or of any person actually dependent on him.

(iv) To pay obligatory expenses appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with marriage or other ceremonies of the subscriber or marriage, funeral and other ceremonies of any person actually dependent on him.

(v) To make good the loss of university money in the interest of the subscriber.

(vi) To meet expenses in connection with any departmental enquiry or legal proceeding in which the subscriber is a party.

(vii) To meet the expenses connected with the purchase of site for the subscriber's building and erection of and repairs to the subscriber's building.

Provided that the sum advanced shall not exceed nine months pay of the subscriber or 75% the sum subscribed by him together with the interest accumulated thereon, whichever is less.

Provided further that in case of an advance for the purchase of a site and for the construction of the subscriber's own building, the sum advanced shall not exceed 75% of the amount at the credit of the subscriber in the fund.

Note: (i) A second advance may be granted to an employee who has repaid at least 6 regular monthly installments of the first advance sanctioned to him/her. Even a third advance may be granted as a special case by the Board of Management to an employee when he has repaid 6 regular monthly installments of the second advance.

(ii) Where the subscriber is sanctioned an advance for the construction of his own building, he shall not be sanctioned any further advance during the period of his entire service for building a second house though a second advance may be sanctioned for extension to his own building.

8. The amount advanced under Para 7 shall be refunded in the fund by thirty six equal monthly installments in all cases except when the advance is for the purchase of site for or for the construction of the subscriber's own building in which case the number of installments shall be ninety six. A subscriber may, however, at his option, make payment in less number of installments or may repay two or more installments at the same time. Recoveries shall be made monthly commencing from the first payment of a full month's salary after the advance is granted. The installments shall be paid by compulsory deduction from salary or leave salary and will be in addition to the usual subscription.

9. (1) Each subscriber must file in the office of the university a nomination in such form as may be prescribed by the Registrar showing how he wishes the amount of his accumulation in the fund to be distributed in the event of his death or becoming insane;

Provided that if the subscriber has got dependents he shall not be permitted to nominate any outsider;

Provided further that where a subscriber has no dependent at the time of nomination but subsequently comes to have one or more dependents he shall, as soon as possible change the nomination in favor of such dependent or dependents.

(2) The subscriber may from time to time, change his nominees by a written application, duly witnessed to the Registrar. A register of such nominees shall be kept in the university office under the personal custody of the Registrar.

10. Any sum standing to the credit of any subscriber to the fund at the time of his death and payable to any dependent of the subscriber or to such persons as may be authorized by law to receive payment on his behalf, shall, subject to any deductions authorized by the statutes vest in the dependent and shall be free of any debt of other liability incurred by the dependent before the death of the subscriber;

Provided that if no nomination has been made by the subscriber such sum shall be paid to the dependents in order of preference given in clause (b) of para-1.

11. When the sum outstanding to the credit of any depositor becomes payable, any outstanding may, if the Board of Management directs, be deducted there from and paid to the university Fund any amount under a liability incurred by the subscriber to the university but not exceeding any sum or sums contributed by the University and interest or other profit thereon.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. -26

APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE FOR UNIVERSITY EMPLOYEES

(Refer Section –30 (e))

Save as otherwise provided in the Act in addition , unless the context otherwise requires;

Part – I

1. Definitions:

(a) **"Act"** means the Ayush and Health Sciences University, Chhattisgarh Act No. 21/2008.

(b) **"Dependent"** means any of the relation of deceased subscriber viz. a wife, husband, son, daughter, parents, minor brother and unmarried sisters and where no parent of the subscriber is alive, paternal grand-parent;

(c) **"Employee"** means every whole-time officer, teacher or other employee of the University appointed permanently to a substantive post and includes appointments on contract for a definite period of not less than three years but does not include persons whose services have been lent to the university by government;

(d) **"Pay"** means the amount drawn monthly by the University employee as under: -

(i) The pay, other than special pay or additional pay granted in lieu of his personal qualifications, which has been sanctioned for a post held by him substantively or in an officiating capacity or to which he is entitled by reason of his position in a cadre;

(ii) Special pay, personal pay, technical pay and;

(iv) Any other emoluments, which may be specially classed as pay by the state government;

(e) **"Average pay"** means the average monthly pay earned during the 10 complete months immediately preceding the months in which the university employee proceeds on leave;

(f) **"Substantive pay"** means pay other than special pay, personal pay or emoluments classed as pay under clause (e) above, to which a University employee is entitled on account of holding a post to which he has been appointed substantively by reason of his substantive position in a cadre;

(g) **"Vacation Post"** means a post involving teaching duties in an educational institution entitled to winter and summer vacations.

(h) **"State Government"** means the government of Chhattisgarh.

(i) Words and expression used but not defined in this statute shall have meaning assigned to them in the Act.

Part II – Classification of Posts, Appointment and Tenure

The classification and scales of pay for the posts in the university shall be as under:

S.No.	Designation	Scale of pay
CLASS - I		
1.	Registrar	As announced by C.G. Govt. from time to time
2.	Deputy Registrar/Finance Officer/ University Librarian/ Director Physical education/ Controller of Examination/ Law officer/ Director Research/	As announced by C.G. Govt. from time to time
3.	University Engineer	As announced by C.G. Govt. from time to time
CLASS -II		
4.	Assistant Registrar	As announced by C.G. Govt. from time to time
CLASS- III		
5.	All posts lower than that of Assistant Registrar	As announced by C.G. Govt. from time to time

Classification of teaching posts shall be as under:

S.No.	Designation	Scale of pay
CLASS - I		
1.	Professors and Readers	As announced by C.G. Govt. from time to time
CLASS -II		
2.	Lecturers/ Asst. Professors	As announced by C.G. Govt. from time to time
CLASS- III		
3.	All posts lower than that of Lecturers/ Asst. Professors	As announced by C.G. Govt. from time to time

2. (1) Posts and scale of the pay in the university shall be such as may be sectioned by the state government from time to time.

(2) The rates of dearness allowance on pay drawn in the scales shall be such as may be sanctioned by the state government for its employees in corresponding pay scales from time to time.

3. (1) (a) The Board of Management shall have power to appoint the teachers of the university paid by the university and the officers of the university other than the Chancellor, the Vice-Chancellor and officers of the state university services as provided in section 8 of the Act.

(b) Subject to the control of the Vice-Chancellor, the Registrar shall have the power to appoint class III, class IV, work charged and contingency paid staff of the university, obtaining name from employment office or through open advertisement. However, Registrar may constitute a selection committee which will decide procedure/ mode of selection and will recommend, after investigating merits names, arranged in order of merit for appointment.

Provided that the posts in the university services, to be filled by direct recruitment or promotion shall be reserved for the members of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Jan Jatiyan Aur Anye Pichde Vargo ke Liye Arakshan) Act, 1994 and the rules made by the state government for promotion of the state government employees.

(2) (a) Save as otherwise provided in the Statutes and the ordinances the qualifications for appointment to the posts in various classes in the university shall be such as may be determined by the appointing authority from time to time.

(b) The category of posts (excluding teaching post and posts of officers of the University), the percentage of such posts to be filled ordinarily by promotion and the lower category from which such promotions are to be made shall be specified by the Board of Management. Such promotions shall be considered by the appointing authority once a year ordinarily in the month of October. All promotions shall be made on the basis of seniority-cum-merit.

(3) The age of retirement of a University employee other than teachers shall be sixty years or as decided by the state government from time to time and the age of the teachers of the University shall be such as may be determined by the Regulatory Councils of India and accepted by State Government from time to time. Provided that the Board of Management in a special case, may appoint an employee or teacher who has reached the age of superannuation on contract for a further period not exceeding five years if the Board is satisfied that such appointment is in the interest of the university.

4 (1) Ordinarily appointment against a permanent post shall be in the first instance, on probation for a period of one year. The period of probation may be extended for such further period as the appointing authority may deem fit, but in no case the total period of probation shall exceed three years.

(2) No person may ordinarily be appointed to a post in University Service without the production of a certificate of health and physical fitness given by Medical Board. The certificate must be affixed to the first pay bill of the employee. The fees prescribed in case of such examination shall be paid by the employee.

5. Temporary appointment may be made to a temporary post or in a leave vacancy against a permanent post. Where the temporary post is subsequently made permanent in an identical pay scale or the leave vacancy becomes permanent, the temporary appointee, if appointed in accordance with the procedure for filling the post on permanent basis, shall be deemed to have been on probation for a period of his continuous service and shall be entitled to confirmation on satisfactory completion of the prescribed period of probation.

6. (1) The whole time University employee shall be at the disposal of the University and he may be engaged in any manner required by the proper authority, without claim for additional remuneration.

(2) (a) The Board of Management may permit a University employee to perform a specified service for a private person, body or government and to receive a remuneration there from in the form of a fee if it is satisfied that this can be done without detriment to his official duties or responsibilities.

Provided that half the amount of the fee so received shall be credited to the fund of the University except in cases covered by Exception Sr-2 of Rule 47 of Chhattisgarh fundamental rules.

(b) The appointing authority may grant or permit a university employee to receive an honorarium as remuneration for work performed which is occasional in character. Provided that the prior consent of the appointing authority should be obtained and the amount of the remuneration has been settled in advance.

(c) The Vice-Chancellor/Board of Management may depute a University Officer/ Teacher/Employee to perform specified service for Private Institution / Body or government on deputation. The terms and conditions of deputation shall be as per state government rules in force from time to time.

7. The head of the branch or department or institution under whom the employee is working shall send to the Registrar in the form prescribed by the Vice-Chancellor: -

(a) Every year not later 31st May a report on the work and conduct of the employee during the preceding year ending on 31st March.

(b) At least one month before the date of the expiry of the probationary period of a university employee a report about the work and conduct of the employee appointed to a permanent post stating his opinion about the employee's fitness or otherwise for confirmation in service.

8. A temporary appointment may be terminated by either party without assigning any reason by giving one month's notice or one month's salary of the employee concerned in lieu thereof to other party. No such notice or payment of salary shall be necessary in case of termination of service of work-charge or contingency-paid employee.

9. (1) If the appointing authority is satisfied that the work and /or conduct of the employee or probationer is not satisfactory, his services may be terminated. In case of termination of the services of the employee on probation, one month's notice shall be given to him or in lieu of notice he shall be paid one month's salary. The probationer may also terminate his appointment by giving one month's notice or one month's salary.

(2) If the probationer was appointed by promotion and his work and/ or conduct is not satisfactory the appointing authority may revert him to the post held by him before such appointment and such reversion shall not be deemed to be a penalty.

(3) Every person appointed to a permanent post under the university by promotion or by direct recruitment shall on satisfactory completion of his period of probation, be eligible for confirmation on that post.

10. On confirmation on a permanent post, a university employee acquires a lien on that post. A university employee holding a permanent post substantively, if appointed substantively to another post, acquires a lien on the second post and ceases to hold any lien on the first one.

11. A permanent employee shall be required to give three months' notice in case he wishes to resign or he shall pay to the university three month's salary in lieu of such notice. If

the university terminates the services of a permanent employee, a notice to that effect shall be served to him three months before the date on which he is to be relieved. In the absence of such notice the university shall pay him three months' salary. Such notice shall not be necessary if the employee is removed from service, dismissed or compulsorily retired.

12. (1) The services of a university employee may be terminated on any of the following grounds:
   (i) Willful neglect of duty.
   (ii) Misconduct
   (iii) Physical or mental unfitness
   (iv) When the post he is holding is abolished.
   (v) Conviction in a court of law for an offence involving moral turpitude.

   (2) The following lapses would constitute misconduct on the part of persons holding teaching posts in the University Teaching Departments / Schools of Studies /Constituent College:
   (i) Failure to perform his academic duties such as Lectures, Demonstration, Assessment, guidance invigilation etc.
   (ii) Gross partiality in assessment of students, deliberately over-marking/under-marking or attempts at victimization on any grounds.
   (iii) Inciting students against other students, colleagues or administration. This does not interfere with the right of a teacher to express his difference on principles in seminars or other places where students are present.
   (iv) Raising questions of caste, creed, religion, race or sex in his relationships with his colleagues and trying to use the above considerations for improvement of his prospects.
   (v) Refusal to carry out the decisions by appropriate administrative and academic bodies and/or functionaries or the university. This shall not inhibit his right to express his differences with their policies or decision.

13. Before leaving university service an employee, whether appointed temporarily or on probation or permanently shall hand over the charge of his post to the employee duly authorized to receive charge and shall return to the university all articles entrusted to him for his use and shall pay up in full all the charges due from him for occupation of residential quarters, if any, inclusive of Municipal Taxes, water and electric charges etc. If he fails to do so, the head of the branch of Institution in which he is employed shall have the right to recover the amount due from him from the arrears of salary due to him or from the university contribution to his provident fund, if he has any, or from any other sources.

14. A university employee shall subscribe to the provident fund in accordance with the provisions of the concerned statute.

15. An employee of the university shall begin to draw the pay and allowances, if any, attached to his post with effect from the date when he assumes the duties of that post and shall cease to draw them as soon as he ceases to discharge those duties.

16. (1) No university employee shall be granted leave of any kind for continuous period exceeding five years.

(2) Where the university employee does not resume duty after leave for a continuous period of five years, it shall be deemed that he has resigned and shall accordingly cease to be in university employment.

17. The pay of a university employee in the time scale of pay in which he is appointed shall be regulated by the fundamental rules of Chhattisgarh government. Annual increment shall ordinarily be drawn as a matter of course unless it is withheld.

Part III-

Residence Accommodation

18. The Board of Management may make regulation laying down the principles governing the allotment of such building or such portions thereof as may be available to employees serving under the administrative control of the university for residential purpose.

19. When university employees are provided with unfurnished university quarters, they shall pay monthly rent as per state government rules.

Note: The tenant shall, in addition, be required to pay the water and electrical energy charges consumed by him.

20. If the employee is not provided accommodation by the university such employees shall be eligible to house rent allowance at the rates sanctioned by the state government for its employees subject to the conditions laid dawn by the Chhattisgarh government for grant of such allowance.

21. For all kind of leave other than casual leave and special casual leave the rules applicable to the state government employee shall apply to the university employees.

22. **(1) CASUAL LEAVE.**

(i) Casual leave is not earned by duty. An employee on casual leave is not treated absent from duty and his pay is not intermitted, Casual leave cannot be claimed as a right and its grant is always subject to the exigencies of service and subject to maximum of 13 days in a calendar year.

(ii) Casual leave may be granted at the discretion of the sanctioning authority, provided that the total period of absence, including Sunday and other holidays shall not exceed 8 days at a time.

Note: Holidays or Sundays falling between shall not count as casual leave. Casual leave cannot be combined with any other kind of leave

(2) SPECIAL CASUAL LEAVE:

(i) An employee summoned to serve as juror or assessor or to give evidence before the Court of Law as a witness in a civil or criminal case in which his private interests are not at issue may be given special casual leave. The leave so granted should be sufficient to cover the period of absence necessary.

(ii) Such leave may also be granted when an employee is deputed to attend reference libraries of other institutions and conferences or educational gathering of learned and professional society in the interests of the University or other academic work which shall include working on the committees appointed by the Regulatory Council of India, University Grants Commission lecturing and examination work or such work as may specified by the Board of Management.

(iii) Special Casual leave under clause (i) above shall be admissible only for non remunerative work and shall not exceed fifteen days in a calendar year.

Provided also that in case of university employees selected under the cultural Exchange/Notional Lecture/Exchange Program etc. sponsored bodies as a member of delegation or to deliver specialized lecture in India or abroad the period of absence from the University shall be counted as duty.

23. Leave to the extent prescribed below but not exceeding in any case the period earned may be sanctioned by the authority mentioned against each:-

1. **Causal Leave:**

	Category	Sanctioning Authority
(i)	Heads of Department and Registrar	Vice-Chancellor
(ii)	Department employees (teachers other than Head of the Department) Laboratory, Ministerial and class IV staff.	Head of the Department Concerned
(iii)	Registrar's Office Staff	Registrar provided further that causal leave up to 5 days at a time may be sanctioned by the Deputy Registrar/Assistant Registrar to the ministerial and Class IV staff of their respective sections

2. **Special Causal Leave.**

All employees other than Vice-Chancellor — Vice-Chancellor

C. **Leave other than Causal or Special Causal Leave**

	Category	Sanctioning Authority	Maximum period of sanction if any
(i)	Vice-chancellor	Chancellor	To the maximum extent due
(ii)	Heads of Department and the Registrar	Vice-chancellor Board of Management	More than 2 months
(iii)	All class I and II Employees	Vice-chancellor Board of Management	Up to 3 months More than 3 months
(iv)	Class III and Class Iv staff, in teaching Depts./ Schools of Studies	Concerned Head of Department with prior approval of Registrar, Vice-chancellor	Up to one month More than one month
(v)	Class III and Class IV staff other than in (iv) above	Registrar Vice-chancellor	Up to one month More than one month

24. The benefit of surrender and encashment of earned leave will be admissible to the university employees as per rules applicable to the state government employees from time to time.

Part IV
Suspension, Penalties and Disciplinary Authority

Save as otherwise provided in the Act, statute the appointing authority shall name an officer as the disciplinary authority for class III and class IV employees.

25 (1) The disciplinary authority may by an order place an employee under suspension with the approval of appointing authority where a disciplinary proceeding against employee is contemplated or is pending or where a case

against employee in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

(2) An employee shall be deemed to have been placed under suspension: -

(a) With effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight hours.

(b) With effect from the date of his conviction, if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty- eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

26 (1) The appointing authority may, for good and sufficient reason, impose on an employee the following penalties on the recommendation of disciplinary authority.

(a) Censure

(b) Recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to university by negligence or breach of order

(c) Withholding of increments of pay

(d) Reduction to lower time scale of pay, grade or post

(e) Compulsory retirement

(f) Removal from service

(g) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment in the university. Besides the above, the penalty of fine not exceeding Rs. 50/- may be imposed on a class IV employee for petty carelessness, unpunctuality, idleness or similar misconduct of minor nature.

(2) The appointing authority may institute disciplinary proceeding against an employee of the university

(3) No order imposing any of the penalties specified in sub-paragraph (1) above other than fine shall be made without conducting the enquiry in accordance with the rules for imposing penalties on government servant prescribed by the State government.

27. (1) Where any penalty is imposed on an employee by the Registrar, the employee concerned may prefer an appeal to the Board of Management within thirty days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant.

(2) Where any penalty is imposed on an employee by the Board of Management, he may prefer an appeal to the Chancellor within thirty days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant.

(3) The appeal shall be presented to the authority to which the appeal lies, with a copy of order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies. A copy of the appeal shall be forwarded by the appellant to the authority who made the order against which the appeal is preferred.

(4) The authority who made the order shall on receipt of a copy of the appeal, forward the same with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay and without waiting for any direction from the appellate authority.

(5) (i) The appellate authority may confirm, enhance, reduce or set aside the penalty or remit the case to the authority which imposed the penalty with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

(ii) When the case is remitted by the appellate authority to the authority who made the order against which the appeal is preferred, the authority shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

28. The leave of university employee under suspension shall be regulated as per the rules of state government.

29. An employee under suspension shall be entitled for subsistence allowance as per government rules. He shall also be entitled to any other allowances admissible from time to time on the basis of pay if the employee continues to meet the expenditure for which they are granted.

Provided that payment shall not be made unless the employee furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, profession or vocation.

30. When a university employee who has been dismissed, removed or suspended, is reinstated, the authority competent to order reinstatement shall make a specific order.

(a) Regarding the pay and allowances to be paid to the employee for the period of his absence from duty, and.

(b) Whether or not the said period shall be treated as period spent on duty for all purposes.

31. Save as otherwise provided in the statutes and Ordinance the rules/order/procedures in regard to suspension, penalties, reinstatement and disciplinary authority shall be such as may be made by the state government for its employee.

Part - V
Miscellaneous

32. Every employee shall at all times:

(a) Maintain absolute integrity.

(b) Show devotion to duty, and

(c) Do nothing, which is unbecoming of an employee of the university.

33. No employee shall join or continue to be a member of such association the objects or activities of which are prejudicial to the interest of the university or public order, decency or morality.

34. No employee shall:

(1) Engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the university, public order, decency or morality or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence, or

(2) Resort to or, in any way, abet any form of violence in connection with any matter pertaining to his service or the service of any employee.

35. (1) No employee shall except with the previous sanction of university own wholly or in part, or conduct, or participate in the editing or management of any newspaper or periodical publication.

(2) No employee shall except with the previous sanction of University or the prescribed authority or in the bona fide discharge of his duties, participate in a radio broadcast or contribute any article or write any letter either in his own name or anonymously, pseudonymously in any news paper or periodical or write a book.

Provided that no such sanction shall be required of such broadcast or such contribution or writing which is of a purely literary, artistic or scientific character.

36. No employee shall except in accordance with any general or special order of the University or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, and official document or a part thereof or information to any other employee or any other person to whom he is not authorized to communicate such document or information.

37. No employee shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the university.

38. No university employee shall, except with the previous written sanction of the university, join any college/school or appear at any examination conducted by the university or any other university or board. Permission to attend classes or to appear an examination shall be granted only if it is consistent with university interest but it cannot be claimed as a right.

39. No university employee except those specifically employed on a part-time basis, shall without the previous permission of the university, apply for any post outside the university.

40. Any infringement of the provisions of Para 33 to 39 of this statute shall be treated as misconduct and shall be liable for disciplinary action.

41. State government rules shall be applicable for all such cases for which no provisions are made in this statute.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. -27

SPORTS COMMITTEE

(Refer Section 28 (1) & (II))

Save as otherwise provided in the Act and in addition to :-

1. **Constitution**

For the purpose of promoting sports and physical welfare of the students there shall be a sports committee, which shall consist of-

i) The Vice-Chancellor-Ex-Officio-Chairman.

ii) Two Principals of colleges and not more than three Professors of university schools of Studies or teaching department nominated by the Vice-Chancellor.

iii) Three teachers of the affiliated colleges one of whom shall be teacher of the School of studies or teaching department nominated by the Vice-Chancellor.

iv) Two persons of whom one shall be a non-teacher appointed by the Board of Management.

v) Not more than two persons possessing expert knowledge or experience of a branch or branches of sports to be co-opted by the sports committee.

vi) Two physical training instructors/ sports officers of colleges or schools of studies or teaching department nominated by the Vice-Chancellor.

vii) Two captains of the university team which represented the university at Inter-university games during the preceding year and who are still students to be nominated by the Vice-Chancellor.

viii) The Registrar.

ix) The Director of physical education, Ex-Officio member secretary.

2. **Duration**

The term of all members except ex-officio and student members shall be three years. The term of student members shall be one year. Five members shall form a quorum. Ordinarily, no member shall be eligible for nomination for a second consecutive term.

3. The sports committee shall meet ordinarily twice every year. The date for the meeting shall be fixed by the secretary with the approval of the Vice-Chancellor.

4 Powers and Functions :-

i) Subject to the control of the Board of Management the Sports Committee shall organize control, manage and supervise either by itself or through various sub-committees, Inter collegiate sports and tournaments and to under take Inter university competition.

ii) The sports committee shall subject to the approval of the Board of Management frame and adopt all rules to be followed by all the affiliated colleges, schools of studies and teaching departments of the university.

iii) It shall decide whether the university shall participate in the Inter university competitions and prepare the budget the expenses involved in such participation subject to the overall budgetary limits laid down by the Board of Management.

5. **The Committee shall have the Following powers**

i) To appoint organizing committee to conduct and arrange inter-university competition where required.

ii) To issue certificates of proficiency in games to the players.

iii) To conduct Inter-collegiate sports and tournaments.

iv) To appoint selection committee to choose university teams for inter-varsity tournaments.

v) To prepare budget for approval of the Board of Management.

vi) To appoint managers, coaches and captains for teams participating in Inter-university tournaments.

vii) To propose disciplinary action against the players and college teams for violation of the sports rules, regulation and for misconduct either on the play ground or out side.

viii) To prepare annual report of the sports activities.

ix) To frame, modify or amend rules for the efficient control and carrying out of the activities of sports.

x) To awards crest and certificates or both to the players and competitors participating in Inter-university or inter-collegiate tournaments.

xi) To organize physical training in the college and school of studies or teaching department of the university.

xii) To advise the Board of Management on all the matters connected to sports and games in the colleges, schools of studies and teaching departments.

xiii) To take such steps as may by necessary in due discharge of their responsibilities and to perform such functions as may be assigned by the Board of Management.

AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

STATUTE No. 28

BUILDING COMMITTEE

1. There shall be a building committee consisting of: -
   - (a) The Vice-Chancellor–Ex-Officio-Chairman
   - (b) The Commissioner Raipur Division.
   - (c) The Chief Engineer–P.W.D. (B&R) C.G. or his nominee not below the rank of Superintending Engineer-Member
   - (d) The Collector Raipur
   - (e) Two members nominated by the Board of Management not necessarily from amongst themselves.
   - (f) The Registrar. -Member
   - (g) The University Engineer–Member Secretary.

2. Four members of the building committee shall form a quorum and members other than ex-officio members shall hold office for two years.

3. The building committee shall–
   - (a) Advise the Board of Management on all matters relating to the construction of buildings, repairs, alterations, additions to existing buildings, which it may think necessary or urgent;
   - (b) Select and recommend site for acquisition by the Board of Management.
   - (c) Accord technical sanction to the detailed plans and estimates.
   - (d) Select and recommend the acceptance of tenders.
   - (e) Sanction expenditure, incidental to the execution of each work subject to the allotment made by the Board of Management.
   - (f) Make recommendations to the Board of Management about the order in which work should be carried out.
   - (g) Recommend to the Board of Management for creation of posts of the engineering staff subject to the availability of funds in budget.
   - (h) The building committee may appoint sub-committees for carrying out its directions.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

राज्यपाल के अवर सचिव
Under Secretary to Governor

सत्यमेव जयते

दूरभाष Telephone -
कार्यालय Office : +91-771-2331101/06
निवास Res. :
फैक्स Fax : +91-771-2331104
राजभवन, रायपुर : 492001
RAJ BHAVAN, RAIPUR-492001

क्रमांक 2985/10894/2019/रास/यू.10 रायपुर, दिनांक 22/06/2020

प्रति,

कुलसचिव,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं
आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा,
सेक्टर–40, अटल नगर, रायपुर।

विषय :– परिनियम क्रमांक 15 की कंडिका 6(2) में संशोधन संबंधी।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. F-116/6548/डी.यू.एच.एस/अका./2019 दि. 19.12.2019

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा 31 (6) में निहित प्रावधान अनुसार माननीय कुलाधिपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, नवा रायपुर द्वारा परिनियम क्रमांक 15 की कंडिका 6(2) में अंकित शब्द **"सर्वसुविधायुक्त प्रयोगशाला"** के आगे शब्द **"एवं 100 बिस्तरों वाला स्वयं का चिकित्सालय"** को जोड़ने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित/स्वीकृत किया गया।

Academic
3/
12/7

(एम.पी. पटेल)
राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़

राज्यपाल के अवर सचिव
Under Secretary to Governor

सत्यमेव जयते

दूरभाष Telephone -
कार्यालय Office : +91-771-2331101
निवास Res. :
फैक्स Fax : +91-771-2331104
राजभवन, रायपुर - 492001
Raj Bhavan, RAIPUR - 492001

क्रमांक 3740 / 2014 / रास / यू.10 / 4932 रायपुर, दिनांक 29 / 11 / 2016

प्रति

कुलसचिव
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान
एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर
जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

विषय– संदान निधि (Endowment Fund) के संबंध में परिनियम क्रमांक 16 भाग 2 की कंडिका 4(1) एवं 5(1) में संशोधन बाबत् ।

संदर्भ– आपका पत्र क्रमांक 5050 / अका. / 2016 दिनांक 27.09.2016

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें ।

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा 31 में निहित प्रावधान के अंतर्गत परिनियम क्रमांक 16 भाग 2 की कंडिका 4(1) एवं 5(1) में प्रस्तावित संशोधन आंशिक सुधार के साथ माननीय कुलाधिपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन किया गया है :–

4(1) : प्रत्येक महाविद्यालय की संस्थापक सोसायटी नीचे दिये गये पाठ्यक्रमवार राशि के अनुसार विश्वविद्यालय में कुलसचिव के नाम से फिक्स डिपॉजिट संदान निधि के रूप में जमा करेगी :

1.	मेडिकल	10.00 लाख रू
2.	डेंटल	05.00 लाख रू
3.	आयुर्वेदिक	02.00 लाख रू
4.	होमियोपैथी	02.00 लाख रू
5.	फिजियोथेरेपी	01.00 लाख रू
6.	यूनानी	01.00 लाख रू
7.	नर्सिंग	03.00 लाख रू
8.	नेचुरोपैथी	01.00 लाख रू
9.	एम.डी. / एम.एस.(मेडिकल) – प्रत्येक विषय	02.00 लाख रू
10.	डिप्लोमा मेडिकल–प्रत्येक विषय	01.00 लाख रू
11.	एम.डी.एस. – प्रत्येक विषय	01.00 लाख रू
12.	एम.पी.टी.	01.00 लाख रू
13.	एम.डी. / एम.एस. (आयुर्वेद)– प्रत्येक विषय	01.00 लाख रू
14.	एम.एस.सी. (नर्सिंग) – प्रत्येक विषय	01.00 लाख रू
15.	पोस्ट बेसिक (नर्सिंग)	03.00 लाख रू

5(1) : प्रत्येक वापसी योग्य संदान निधि का खाता अलग से खोला जाएगा । इससे होने वाली आय को विश्वविद्यालय एवं संबंधित संस्था में प्रतिवर्ष बराबर वितरित होगा । बराबर से अभिप्राय 50–50 प्रतिशत है ।

(आर.के. स्वस्तिक)
राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़